पांचवीं लोक सभा

1971-77

सम्पादक
श्याम लाल शकधर
महासचिव, लोक सभा

लोक सभा सचिवालय

पाँचवीं लोक सभा

1971-77

संकलनकर्ता :
श्यामलाल शकधर
महासचिव, लोक सभा

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
द्वारा प्रकाशित

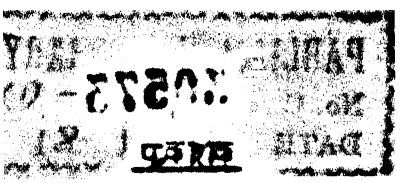

H32864
LI

PARLIA[illegible]RARY
No. C 30573-(1)
DATE 14-1-81

प्रकाशक

[illegible]

लोक सभा सचिवालय के लिए
नई दिल्ली

( ) प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय, 1977

मुद्रक :

[illegible]

आमुख

यह प्रकाशन 1971-77 के महत्वपूर्ण वर्षों में पांचवी लोक सभा द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों का विश्लेषण करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। पांचवी लोक सभा की विविध गतिविधियों के बारे में जानकारी विवरणों तथा सांख्यिकीय तालिकाओं के द्वारा तथा संक्षिप्त परिचायक टिप्पणियों द्वारा दी गई है। कुछ विवरणों में पूर्ववर्ती लोक सभाओं तथा 1929 के पश्चात् केन्द्रीय विधान सभा द्वारा किए गए कार्य का तुलनात्मक ब्योरा भी दिया गया है। प्रकाशन में पांचवी लोक सभा के सदस्यों तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी का समावेश है।

पांचवी लोक सभा की एक उल्लेखनीय घटना यह है कि संविधान में उन्नीस बार संशोधन किए गए तथा अन्तिम तथा सबसे अधिक विवादास्पद संशोधन संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 था।

पांचवी लोक सभा का कार्यकाल दो बार एक एक वर्ष बढ़ाया जाना एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी। किन्तु लोक सभा बढ़ी हुई अवधि समाप्त होने से पहले ही भंग कर दी गई।

आशा है कि यह प्रकाशन उन सभी व्यक्तियों के लिए रोचक तथा उपयोगी होगा जो हमारी राजनैतिक प्रणाली के कार्यकरण तथा संसद और संसदविदों के इस संबंध में योगदान का अध्ययन करने में लगे हैं।

श्यामलाल शकधर
महासचिव
लोक - सभा।

नई दिल्ली,
_____ मई, 1977

अनुक्रम

पृष्ठ

आमुख

1

पन्द्रहवीं लोक सभा : सामान्य सर्वेक्षण - 1 - 12

2

लोक सभा की सत्र - - 13 - 83

सत्रों के आरम्भ तथा अवसान होने की तिथियां (17); वार्षिक बैठकों की संख्या और अवधि (1935 से आगे) (18 -19); महत्वपूर्ण घटनाओं का कालक्रम (20-81); विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगाया गया समय (82-83)

3

सदस्य तथा मंत्री - - 84 - 108

पन्द्रहवीं लोक सभा में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीटों का आवंटन (87); सदस्यों का आयु वर्गीकरण (88); लोक सभा में महिला सदस्यों की संख्या (89); सदस्यों के पूर्व व्यवसाय (90) ; सदस्यों पर व्यय (91) ; मंत्रि-परिषद के सदस्यों के नाम और उनके विभाग तथा उनमें समय समय पर होने वाले परिवर्तन (92-108)

4

प्रश्न - - - 109 - 139

प्राप्त प्रश्नों का निपटान (113); विभिन्न मंत्रालयों से पूछे गये प्रश्न (114 - 115); विभिन्न मंत्रालयों से पूछे गये प्रश्न (वर्षवार विवरण) (116 - 118) ; पन्द्रहवीं लोक सभा में पूछित प्रश्न (सदस्यवार ब्यौरा) (119 - 139)

5

विधान - - - 140 - 173

पारित किये गये विधेयकों की संख्या (1935 से आगे) (144 - 145); पारित किये गये विधेयकों के बारे में विश्लेषणात्मक चार्ट (146 - 151); पारित अधिनियमों का विषयवार वर्गीकरण (152 - 173)

6

प्रस्ताव, संकल्प आदि - - 174 - 252

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (184); स्थगन प्रस्ताव (185 - 195); अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर ध्यान आकर्षण (196); नियम 193 के अन्तर्गत अल्पकालीन चर्चा (197 - 205); नियम 191 और 342 के अन्तर्गत प्रस्ताव (206 - 213); आधे घंटे की चर्चा (214 - 223); संकल्प (224 - 252)

7

विलेख/पत्र सभा-पटल पर रखे गए - 253 - 285

नियम 372 के अन्तर्गत मंत्रियों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण वक्तव्य (258); सभा पटल पर रखे गये पत्र (284 - 285)

8

समितियां - सम्मेलन - - 286 - 301

संसदीय समितियों के क्रियाकलाप (294 - 296); संसदीय सम्मेलन और बैठकें (197 - 301)

9

दर्शक - - 302 - 312

संसद भवन में आने वाले विदेशी शिष्टमंडल/गणमान्य व्यक्ति (305-310); लोक सभा की विभिन्न दीर्घाओं में आने वाले दर्शकों की संख्या (311); संसद भवन में आने वाले पर्यटकों की संख्या (312)

10

प्रेस - - - 313 - 315

प्रेस संवाददाताओं को दी गई सुविधायें (313-314)
लोक सभा की प्रेस दीर्घा (315)

11

विविध - - - 316 - 331

ग्रंथालय, संदर्भ, शोध, प्रलेखन तथा सूचना सेवा (316 - 325); संसदीय प्रकाशनों की बिक्री (326); संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो (327 - 331)

घंटे थी और पहली लोक सभा की 677 बैठकें हुईं जिनकी अवधि लगभग 3,784 घंटे थी। पांचवी लोक सभा में बैठक की औसत अवधि 6 घंटे और 38 मिनट रही जबकि चौथी लोक सभा की 6 घंटे और 15 मिनट, तीसरी लोक सभा की 6 घंटे और 27 मिनट, दूसरी लोक सभा की 6 घंटे और 26 मिनट तथा पहली लोक-सभा की 5 घंटे और 25 मिनट थी।

सदस्यों की आयु

पांचवी लोक सभा की पहली बैठक के दिन आयु में सबसे छोटे सदस्य 25 वर्ष के थे तथा सबसे बड़े सदस्य की आयु 83 वर्ष 6 माह थी। सभा के समस्त सदस्यों की औसत आयु 49 वर्ष थी जबकि चौथी लोक सभा में औसत आयु 48 वर्ष, तीसरी लोक सभा में 48 वर्ष 10 माह, दूसरी लोक सभा में 46 वर्ष 4 माह और पहली लोक सभा में 45 वर्ष 8 माह थी।

पांचवी लोक सभा में अधिकतम सदस्य 46-50 वर्ष आयु-वर्ग में आते थे तथा चौथी लोक सभा में भी ऐसा ही था जब कि तीसरी, दूसरी और पहली लोक सभा में अधिकतम सदस्य क्रमशः 40-45, 35-40 और 50-55 वर्ष के आयु वर्ग में आते थे।

व्यवसाय की दृष्टि से सदस्यों का वर्गीकरण

पहली और दूसरी लोक सभा में अधिकतम सदस्य वकील थे तथा उनकी संख्या कुल सदस्यों की संख्या की क्रमशः 35.6 और 30.3 प्रतिशत थी। तथापि इस वर्ग का प्रतिनिधित्व कम होकर तीसरी लोक सभा में 24.5 प्रतिशत रहकर दूसरे स्थान पर, चौथी लोक सभा में 17.5 प्रतिशत रहकर तीसरे स्थान पर और पांचवी लोक सभा में 20.5 प्रतिशत रहकर फिर दूसरे स्थान पर आ गया।

पहली और दूसरी लोक सभा में विधि वेत्ताओं के बाद दूसरा सबसे बड़ा वर्ग कारतकारों तथा भूस्वामियों सहित कृषकों का था जिसका प्रतिनिधित्व क्रमशः 22.4 और 29.1 प्रतिशत रहा। इस वर्ग का स्थान तीसरी लोक सभा, चौथी लोक सभा और पांचवी लोक सभा में पहला रहा अर्थात् उसका प्रतिनिधित्व क्रमशः 27.4 प्रतिशत, 30.6 प्रतिशत और 33.2 प्रतिशत रहा।

राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का प्रतिनिधित्व पिछली लोक सभाओं की तुलना में बढ़कर चौथी लोक सभा में दूसरे स्थान पर आ गया अर्थात् कुल सदस्यों में उनका प्रतिशत 22.9 था। तथापि उनका प्रतिनिधित्व कम होकर पुनः तीसरे स्थान पर आ गया। अर्थात् यह 19 प्रतिशत हो गया।

चौथी लोक सभा की तुलना में पांचवी लोक सभा में जिन वर्गों के प्रतिनिधित्व में अंशतः वृद्धि हुई उनमें प्राध्यापक, शिक्षाविद, पत्रकार तथा लेखक आते हैं। दूसरी ओर व्यापारियों, उद्योगपतियों, चिकित्सकों, भूतपूर्व नरेशों, राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, इंजीनियरों, वास्तु शिल्पियों, प्रौद्योगिकीविज्ञों, औद्योगिक कर्मचारियों तथा धार्मिक मिशनरियों का प्रतिनिधित्व चौथी लोक सभा की तुलना में पांचवी लोक सभा में कम रहा।

<u>राष्ट्रपति का सभा में अभिभाषण</u>

संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दोनों सभाओं में छह बार अर्थात् पांचवी लोक सभा के पहले, चौथे, सातवें, दसवें, तेरहवें तथा पन्द्रहवें अधिवेशनों में अभिभाषण दिया। इन अभिभाषणों में उल्लिखित विषयों पर धन्यवाद प्रस्ताव के समय प्रत्येक अवसर पर सविस्तार चर्चा हुई। इन चर्चाओं पर कुल 89 घंटे 53 मिनट लगे।

<u>विभिन्न कार्यों में लगा समय</u>

सभा के कार्य में जो कुल 4071 घंटे लगे, उसमें से विधायी कार्य (बजट को छोड़कर) में सबसे अधिक अर्थात् 1121 घंटे और 52 मिनट अथवा 27.55 प्रतिशत समय लगा। जबकि यह समय चौथी लोक सभा में 22.08

प्रतिशत, तीसरी लोक सभा में 23 प्रतिशत, दूसरी लोक सभा में 28.2 प्रतिशत और पहली लोक सभा में 48.8 प्रतिशत था।

पांचवी लोक सभा में चर्चा पर जो कुल समय लगा उसमें बजट पर हुई चर्चा पर लगने वाला समय 21.64 प्रतिशत रहा जबकि चौथी, तीसरी, दूसरी तथा पहली लोक सभा में यह क्रमशः 19.13 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 20.9 प्रतिशत और 19.5 प्रतिशत था।

पांचवी लोक सभा के दौरान प्रश्नों के कार्य पर 12.61 प्रतिशत समय लगा जब कि इसका प्रतिशत चौथी लोक सभा में 15.94, तीसरी और दूसरी लोक सभा में 15.1 और पहली लोक सभा में 14.6 रहा।

पांचवी लोक सभा में सदस्यों पर लगे समय का प्रतिशत चौथी लोक सभा में 6.45 प्रतिशत से घटकर 5.17 प्रतिशत रह गया, जबकि तीसरी लोक सभा ने 5.9 प्रतिशत, दूसरी लोक सभा ने 5.5 प्रतिशत और पहली लोक सभा ने 6.3 प्रतिशत समय लिया। पांचवी लोक सभा में प्रस्तावों पर लगा समय 6.55 प्रतिशत था, जब कि चौथी लोक सभा में 9.22 प्रतिशत, तीसरी लोक सभा में 13.2 प्रतिशत, दूसरी लोक सभा में 13.7 प्रतिशत और पहली लोक सभा में 7.1 प्रतिशत समय लगा। शेष समय स्थगन प्रस्तावों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं, आधा घंटे की चर्चाओं, अल्प-कालीन चर्चाओं, राष्ट्रपति के अभिभाषणों पर चर्चाओं, मन्त्रियों के वक्तव्यों और विविध कार्यों पर लगा।

<u>विधायी कार्य</u>

पांचवी लोक सभा के कार्यकाल के दौरान, प्रशासनिक, वित्तीय, आर्थिक और सामाजिक विषयों से सम्बन्धित बड़ी संख्या में विधायी उपायों को कानून की पुस्तिका में शामिल किया गया। कुल 482 अधिनियम बनाये

गये, जिनमें से 173 वित्तीय विषयों से सम्बन्धित थे। संविधान में उन्नीस बार संशोधन किया गया, जिसकी शुरुआत संविधान (बीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 द्वारा की गई। पाँचवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान संविधान संशोधनों की संख्या में संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 अन्तिम था।

प्रशासनिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण अधिनियमों में, आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, 1971; नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971; राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971; पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971; भारतीय रियासतों के शासक (विशेषाधिकार उन्मूलन) अधिनियम, 1972; राज्य सेवा अधिकारियों के भूतपूर्व सचिव (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1972 और यूनियन लोकों का विभागीकरण (कार्यों का स्थानान्तरण) अधिनियम, 1976 का उल्लेख किया जा सकता है।

आर्थिक क्षेत्र में जो महत्व पूर्ण अधिनियम पारित किये गये उनमें अतिरिक्त परिलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974; अनिवार्य जमा योजना (आयकर दाता) अधिनियम, 1974; विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी संबंधी गतिविधियाँ निरोधक अधिनियम; 1974; आय और धन का स्वैच्छिक प्रकटन अधिनियम, 1976 और तस्कर तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधक (सम्पत्ति जब्त किया जाना) अधिनियम, 1976 शामिल हैं।

सामाजिक और कल्याण क्षेत्रों में, गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम, 1971; इण्डियन्स केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973, जल (प्रदूषण रोक और नियन्त्रण) अधिनियम 1974; सिगरेट (उत्पादन, संप्लाई और वितरण का नियमन) अधिनियम, 1974; बोनस का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 1972; बंधुआ मजदूर प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1975;

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976; विवाद कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976 और अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और विविध प्रावधान अधिनियम 1976 का उल्लेख किया जा सकता है।

कानून, न्यायिक और संसदीय क्षेत्रों में उल्लेखनीय विधान सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1973; दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम, 1974, आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) अधिनियम, 1974, न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971, उच्चतम न्यायालय (दंड अपील क्षेत्राधिकार का विस्तार) संशोधन अधिनियम, 1972, संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) अधिनियम, 1972, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय (संशोधन) अधिनियम, 1974, संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) निरसन अधिनियम, 1976, लोक सभा (कार्यावधि का विस्तारण) अधिनियम, 1976, केरल विधान सभा (कार्यावधि का विस्तारण) अधिनियम, 1975 और इनमें परवर्ती संशोधन थे।

पांचवीं लोक सभा द्वारा बनाये गये अन्य महत्वपूर्ण विधान औषधकारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973; तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974, कृषि-विपणन अधिनियम, 1972, समाचार-पत्र (मूल्य नियंत्रण) अधिनियम, 1972, लघु कपड़ा उपक्रम (प्रबन्ध-ग्रहण) अधिनियम, 1972, पुरातत्व तथा संस्कृति अधिनियम, 1972 और विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 थे।

<u>स्थगन प्रस्ताव</u>

पांचवीं लोक सभा की अवधि में 396 स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिनमें 51 को सभा के समक्ष रखा गया जो कुल संख्या का 5.12 प्रतिशत है। इनमें से 10 स्थगन प्रस्तावों को ग्रहण किया गया और इन पर विचार-विमर्श हुआ तथा इन पर 63 घंटे और 49 मिनट का

का कुल समय लगा। स्थगन प्रस्तावों के जरिए उठाये गये कुछ विषय अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असाधारण वृद्धि को रोकने और लोगों को आवश्यकताओं की पर्याप्त मात्रा मुहैया करने में सरकार की असफलता, रेलवे कर्मचारियों के नेताओं की गिरफ्तारी, दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र में दंगों को रोकने में असफलता, पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा आदि में अकाल की स्थिति का प्रभावशाली ढंग से हल करने में असफलता तथा समस्तीपुर बम कांड के रहस्य को हल करने में सरकार की असफलता और जांच आयोग की स्थापना में असाधारण विलम्ब से संबंधित थे। सभी स्थगन प्रस्ताव सभा ने अस्वीकार कर दिये थे।

अविश्वास प्रस्ताव

पांचवीं लोक सभा के कार्यकाल में सभा के समक्ष 15 अविश्वास प्रस्ताव लाये गये। इनमें से 5 गृहीत किये गये और इन पर विचार हुआ, एक अविश्वास प्रस्ताव रोक दिया गया और 9 अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धित सदस्यों द्वारा सभा में वापस ले लिये गये। सभी अविश्वास प्रस्ताव, जिन पर चर्चा हुई थी, सभा द्वारा अस्वीकार कर दिये गये।

ध्यानाकर्षण

पांचवीं लोक सभा में लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 197 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों संबंधी ~~28,983~~ 28,983 ध्यानाकर्षण सूचनाओं की रिकार्ड संख्या प्राप्त हुई। इनमें से ~~4,343~~ 4,343 सूचनायें गृहीत की गईं जो कुल प्राप्त सूचनाओं का 14·9 प्रतिशत है। गृहीत की गई सूचनाओं के उत्तर में संबंधित मंत्रियों द्वारा सभा में 315 वक्तव्य दिये गये।

* बहुत से मामलों में एक ही विषय पर अनेक नोटिस मिले, और ऐसे नोटिसों के लिए एक ही वक्तव्य दिया गया

प्रस्ताव

पांचवी लोक सभा में नियम 191 (अनियत दिन वाले प्रस्ताव), नियम 193 (अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर थोड़े समय के लिये चर्चा), नियम 342 (किसी नीति या स्थिति या वक्तव्य या किसी अन्य विषय पर विचार किया जाना) और नियम 55 (सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर से उठने वाले पर्याप्त लोक महत्व के विषय पर आधे घंटे की चर्चा) के अन्तर्गत लोक महत्व के विषयों पर बहुत सी चर्चायें उठाई गईं।

नियम 191 के अन्तर्गत 16 प्रस्तावों, नियम 342 के अन्तर्गत 29 प्रस्तावों और नियम 193 के अन्तर्गत 29 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। नियम 55 के अन्तर्गत हुई आधे घंटे की चर्चाओं की कुल संख्या 120 थी।

नियम 191 और 342 के अन्तर्गत निम्नलिखित मामले उठाये गये : संसद् के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सदस्य के आचरण का निन्दनीय, पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों का भेजा जाना, भारत और रूस के बीच शांति, मित्रता और सहयोग की संधि, भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों के बारे में शिमला में हस्ताक्षर किया गया करार, पांचवी योजना, 1974-79 के बारे में प्रस्ताव, चीनी उद्योग जांच आयोग का प्रतिवेदन, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के गुम गायब हो जाने के बारे में जांच आयोग का प्रतिवेदन, जम्मू और कश्मीर राज्य के बारे में प्रधान मंत्री का वक्तव्य, भारत में महिलाओं के दर्जे के बारे में समिति का प्रतिवेदन, राष्ट्रीय बाल नीति आदि।

नियम 193 के अन्तर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले उठाये गये – राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण, कृषि जोत की अधिकतम सीमा, कर्मचारियों को बोनस का भुगतान, भारत में सी0 आई0 ए0 की गतिविधियां, विद्यार्थियों में असन्तोष, रेलवे में हड़ताल, हरिजनों पर किये गये कथित अत्याचार,

इंडियन एयर लाइंस में तालाबन्दी, भारत द्वारा परमाणु विस्फोट, भारत के मुख्य न्यायाधीश की हत्या का प्रयास और चासनाला कोयला खानों में दुर्घटना।

संकल्प

पांचवी लोक सभा के दौरान कुल मिलाकर 140 संकल्पों पर चर्चा की गई जबकि चौथी लोक सभा में 79, तीसरी लोक सभा में 84, दूसरी लोक सभा में 83 और पहली लोक सभा में 67 संकल्पों पर चर्चा हुई थी। 140 संकल्पों में 14 सरकारी संकल्प थे जो सब स्वीकार कर लिये गये, 87 सांविधिक संकल्प थे जिनमें से 44 संकल्प स्वीकार कर लिये गये और 39 गैर सरकारी संकल्प थे जिनमें से 4 स्वीकार किये गये। स्वीकृत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प भूमि सुधार, नौकरियों के अवसर सृजन करने और कृषि श्रमिकों आदि की मजदूरी निर्धारित करने, देश में फासिस्टवाद का प्रतिवाद करने के बारे में सिफारिशें करने के लिये संसदीय समिति का गठन और भारतीय महिलाओं के विरुद्ध अन्याय समाप्त करने के उपाय से सम्बन्धित थे।

प्रश्न

पांचवी लोक सभा के दौरान कुल 2,52,700 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई जबकि चौथी लोक सभा के दौरान 2,64,742, तीसरी लोक सभा के दौरान 1,62,334, दूसरी लोक सभा के दौरान 1,33,328 और पहली लोक सभा के दौरान 71,907 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचनाओं में 98,606 प्रश्न, जो कुल प्रश्नों का 39.02 प्रतिशत बैठता है, गृहीत किए गए। कुल प्राप्त हुए प्रश्नों के संबंध में चौथी, तीसरी, दूसरी और पहली लोक सभाओं के दौरान ये आंकड़े क्रमशः 93,538 अथवा 35.3 प्रतिशत, 58,440 अथवा 35 प्रतिशत, 62,800 अथवा

47 प्रतिशत और 43,350 अथवा 61 प्रतिशत रहे।

कुल गृहीत प्रश्नों में 37,097 अथवा 38.33 प्रतिशत अतारांकित, 11,439 अथवा 11.60 प्रतिशत तारांकित और केवल 70 अथवा .07 प्रतिशत अल्प सूचना प्रश्न थे।

जिन मंत्रालयों को सबसे अधिक प्रश्न सम्बोधित किये गये उनमें कृषि(9,666), रेलवे (8,733), वित्त (8,613), वाणिज्य (6,875) औद्योगिक विकास (5,809), पैट्रोलियम और रसायन (3,574) थे।

संसदीय समितियों की गतिविधियां :

पांचवी लोक सभा के दौरान स्थायी संसदीय समितियों ने अपनी 2,155 बैठकें की – इनमें से तीन वित्तीय समितियों की बैठकों की संख्या 1,138 है।

प्राक्कलन समिति की 362 बैठकें हुईं जिनमें 791 घण्टों का समय लगा। समिति ने 48 उप-समितियां/अध्ययन दल गठित किये और 102 प्रतिवेदन पेश किये। समिति ने अपने दौरों के दौरान 458 संस्थानों/संगठनों का दौरा किया।

लोक लेखा समिति ने 406 बैठकें कीं जिनमें 1053 घण्टों का समय लगा। समिति ने 45 उप-समितियों/अध्ययन दल गठित किये और 185 कार्यालयों का दौरा किया। समिति ने 262 प्रतिवेदन पेश किये।

सरकारी उपक्रम समिति ने 370 बैठकें की जिनमें 814 घण्टों का समय लगा। समिति ने 40 उपसमितियों/अध्ययन दल गठित किये और 238 संस्थानों/संगठनों का दौरा किया। समिति ने कुल 90 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति ने 115 बैठकें की जिनकी कुल अवधि 245 घण्टे रही। समिति ने 39

उपसमितियों/अध्ययन दलों का गठन किया और 114 स्थानों का दौरा किया। समिति ने 59 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये।

उपर्युक्त समितियों में से, विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों ने अपनी कुल 164 बैठकें की और 9 प्रतिवेदन पेश किये। विधेयकों संबंधी संयुक्त समिति ने 356 बैठकें कीं और 13 प्रतिवेदन पेश किये। निर्वाचन विधि के संशोधन संबंधी संयुक्त समिति, न्यायाधीश (जांच) नियम संबंधी संयुक्त समिति, संसदीय संबंधी समिति और राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सदस्य के आचरण संबंधी समिति ने अपनी क्रमशः 35, 2, 6 और 16 बैठकें की। निर्वाचन विधि के संशोधन संबंधी संयुक्त समिति ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सदस्य के आचरण संबंधी समिति ने 3 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। अन्य दो समितियों ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

<u>सदस्यों को दी जाने वाली सेवा</u>

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान सदस्यों से उनके संसदीय कार्य के बारे में प्राप्त 4094 संदर्भों के लिये उन्हें विशद सूचना दी गयी। इसके अतिरिक्त सदस्यों को 4839 संदर्भों की तत्काल मौखिक रूप से सूचना दी गई। सदस्यों को नवीनतम विचारधाराओं और घटनाओं से अवगत कराने के लिए संसद की ग्रंथालय और संदर्भ, शोध, प्रलेखन तथा सूचना सेवा अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करती हैं, जैसे कि जर्नल आफ पार्लियामेंटरी इन्फार्मेशन (त्रैमासिक), दि डाइजेस्ट आफ चुने हुए न्यूज आर्टिकिल्स पब्लिक अफेयर्स (मासिक), दि डाइजेस्ट आफ सेन्ट्रल एक्ट्स (त्रैमासिक), दि डाइजेस्ट आफ लेजिसलेटिव एंड कन्स्टीट्यूशनल केसेस (त्रैमासिक), दि डायरी आफ पोलिटिकल इवेन्ट्स (मासिक), एक्ट्रेक्ट आफ बुक्स, रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स (त्रैमासिक), डाक्युमेंटेशन न्यूजलेटर (मासिक) और संसदीय पत्रिका (हिंदी त्रैमासिक)।

अध्याय - एक

लोक सभा के सत्र

संसद देश की सर्वोच्च विधायी निकाय है। हमारी संसद राष्ट्रपति तथा दो सदनों – लोक सभा (हाउस आफ़ दी पीपुल) और राज्य सभा (कौंसिल आफ़ स्टेट्स) से मिलकर बनी है। राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन को बुलाने तथा स्थगित करने का अथवा भंग करने का अधिकार है।

26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद तथा नये संविधान के अधीन पहले आम चुनाव कराये जाने के बाद पहली निर्वाचित संसद का गठन 13 अप्रैल, 1952 को किया गया था। पहली लोक सभा की पहली बैठक 13 मई, 1952 को हुई थी तथा राष्ट्रपति ने उसकी 14 अप्रैल, 1957 को सामान्य काल समाप्त होने के अट्ठतीस दिन पहले भंग कर दिया था। दूसरी लोक सभा की पहली बैठक 10 मई, 1957 को हुई थी तथा उसे 3 मार्च, 1962 को सामान्य काल समाप्त होने से बासठ दिन पहले भंग कर दिया गया था। तीसरी लोक सभा की पहली बैठक 16 अप्रैल, 1962 को हुई थी तथा वह 3 मार्च, 1962 को सामान्य काल समाप्त होने से बयालीस दिन पहले भंग कर दी गई थी। चौथी लोक सभा 16 मार्च, 1967 को आरंभ हुई तथा 27 दिसम्बर, 1970 को अवधि समाप्त होने से एक वर्ष उन्यासी दिन पहले भंग कर दी गई थी।

मार्च, 1971 में पांचवें आम चुनाव के बाद पांचवीं लोक सभा की प्रथम बैठक 19 मार्च, 1971 को आरंभ हुई थी। पांचवीं लोक सभा का काल तो 18 मार्च, 1976 को समाप्त होना था, हाउस आफ़ दि पीपुल (एक्सटेंशन आफ़ ड्यूरेशन) एक्ट, 1976 के द्वारा एक वर्ष अर्थात् 18 मार्च, 1977 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इस अवधि को हाउस आफ़ दि पीपुल (एक्सटेंशन आफ़ ड्यूरेशन) अमेंडमेंट एक्ट, 1976 के द्वारा एक और

लोक सभा में 25.00 प्रतिशत, दूसरी लोक सभा में 20.9 प्रतिशत तथा पहली लोक सभा में 18.5 प्रतिशत समय बजट पर चर्चा के लिए लिया गया था।

पांचवी लोक सभा में प्रश्नों के लिए कुल समय का 12.6 प्रतिशत लिया गया था जबकि यह समय चौथी लोक सभा में 15.94 प्रतिशत, तीसरी और दूसरी लोक सभा में 15.1 प्रतिशत तथा पहली लोक सभा में 14.6 प्रतिशत था।

पांचवी लोक सभा में संकल्पों पर समय का प्रतिशत 5.17 था जबकि चौथी लोक सभा में 6.43 प्रतिशत, तीसरी लोक सभा में 5.9 प्रतिशत, दूसरी लोक सभा में 5.5 प्रतिशत तथा पहली लोक सभा में 6.3 प्रतिशत था। पांचवी लोक सभा में प्रस्तावों पर 6.55 प्रतिशत समय लिया गया जबकि चौथी लोक सभा में 9.22 प्रतिशत, तीसरी लोक सभा में 13.2 प्रतिशत, दूसरी लोक सभा में 13.7 प्रतिशत तथा पहली लोक सभा में 7.1 प्रतिशत समय लिया गया। शेष समय स्थगन प्रस्तावों, ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं, आधे घंटे की चर्चाओं, अल्पावधि चर्चाओं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विवादों, मंत्रियों के वक्तव्यों तथा विविध विषयों के लिए लिया गया।

~~सामायिक~~

1- पांचवीं लोक सभा के सत्रों के आरम्भ तथा अवसान होने की तिथियां दर्शाने वाला विवरण

सत्र	आरम्भ होने की तिथि	सत्रावसान होने की तिथि	सत्र की अवधि (दिनों में)	कुल दिन जब बैठक हुई	वर्ष में कुल दिन जब सभा की बैठक हुई
पहला सत्र	19-3-1971	2-4-1971	15	12	
दूसरा सत्र	24-5-1971	12-8-1971	81	59	102
तीसरा सत्र	15-11-1971	23-12-1971	39	31	
चौथा सत्र	13-3-1972	1-6-1972	81	57	
पांचवां सत्र	31-7-1972	4-9-1972	36	25	111
छठा सत्र	13-11-1972	22-12-1972	40	29	
सातवां सत्र	19-2-1973	16-5-1973	87	58	
आठवां सत्र	23-7-1973	5-9-1973	45	31	120
नवां सत्र	12-11-1973	22-12-1973	41	31	
दसवां सत्र	18-2-1974	10-5-1974	82	54	
ग्यारहवां सत्र	22-7-1974	9-9-1974	50	38	119
बारहवां सत्र	11-11-1974	20-12-1974	40	27	
तेरहवां सत्र	17-2-1975	9-5-1975	82	49	63
चौदहवां सत्र	21-7-1975	7-9-1975	18	14	
पन्द्रहवां सत्र	5-1-1976	6-2-1976	33	22	
सोलहवां सत्र	8-3-1976	27-5-1976	81	48	98
सत्रहवां सत्र	10-8-1976	2-9-1976	24	17	
अठारहवां सत्र	25-10-1976	5-11-1976	12	11	

1946	75	356 - 00
1947	68	323 - 00
1948	74	352 - 00

* लोक सभा सम्बन्धी अधिनियम 13 मई, 1952 से लागू के हैं। इससे पहले की अवधि के बारे में ये अधिनियम या तो केन्द्रीय विधान सभा (1929 से 3 फरवरी, 1947 तक) अथवा संविधान सभा (विधान) (17 नवम्बर, 1947 से 28 नवम्बर, 1949 तक) या अस्थायी संसद (28 जनवरी, 1950 से 5 फरवरी, 1952 तक) से सम्बन्धित हैं।

1- प्रत्येक लोक सभा के सत्र

	आरम्भ होने की तिथि	सत्रावसान होने की तिथि
सत्र	19-3-1971	2-4-1971
सत्र	24-5-1971	12-8-1971
सत्र	15-11-1971	23-12-1971
सत्र	13-3-1972	1-6-1972
सत्र	31-7-1972	4-9-1972
त्र	13-11-1972	22-12-1972
सत्र	19-2-1973	16-5-1973
सत्र	23-7-1973	5-9-1973
त्र	12-11-1973	22-12-1973
सत्र	18-2-1974	10-5-1974
वां सत्र	22-7-1974	9-9-1974
वां सत्र	11-11-1974	20-12-1974
सत्र	17-2-1975	9-5-1975
सत्र	21-7-1975	7-9-1975
सत्र	5-1-1976	6-2-1976
सत्र	8-3-1976	27-5-1976
सत्र	10-8-1976	2-9-1976
वां सत्र	25-10-1976	5-11-1976

1945	41	194 - 00
1946	75	356 - 00
1947	68	323 - 00
1948	74	352 - 00

लोक सभा सम्बन्धी आंकड़े 13 मई, 1952 से आगे के हैं। इससे पहले की अवधि के बारे में ये आंकड़े या तो केन्द्रीय विधान सभा (1929 से 3 फरवरी, 1947 तक) अथवा संविधान सभा (विधान) (17 नवम्बर, 1947 से 28 नवम्बर, 1949 तक) या अस्थायी संसद (28 जनवरी, 1950 से 5 फरवरी, 1952 तक) से सम्बन्धित हैं।

2. लोक-सभा की प्रति बैठकों की संख्या और अवधि पर्यन्त तुलनात्मक विवरण *

(एक तुलनात्मक अध्ययन)

वर्ष	बैठकों की संख्या	बैठकों की अवधि (घंटों में)
1929	62	295 - 00
1930	55	261 - 00
1931	83	394 - 00
1932	68	396 - 00
1933	109	510 - 00
1934	89	423 - 00
1935	66	206 - 00
1936	86	409 - 00
1937	78	468 - 00
1938	99	468 - 00
1939	59	280 - 00
1940	52	247 - 00
1941	46	219 - 00
1942	41	194 - 00
1943	67	319 - 00
1944	52	247 - 00
1945	41	194 - 00
1946	75	356 - 00
1947	68	323 - 00
1948	74	352 - 00

* लोक सभा सम्बन्धी आंकड़े 13 मई, 1952 से आगे के हैं। इससे पहले की अवधि के बारे में ये आंकड़े या तो केन्द्रीय विधान सभा (1929 से 3 फरवरी, 1947 तक) अथवा संविधान सभा (विधान) (17 नवम्बर, 1947 से 28 नवम्बर, 1949 तक) या अस्थायी संसद (28 जनवरी, 1950 से 5 फरवरी, 1952 तक) से सम्बन्धित हैं

19

1949	79	362 - 00
1950	99	496 - 00
1951	150	987 - 00
1952	123	830 - 00
1953	137	749 - 00
1954	137	716 - 00
1955	139	859 - 00
1956	151	1026 - 00
1957	106	668 - 00
1958	125	781 - 00
1959	123	792 - 00
1960	121	798 - 00
1961	102	668 - 00
1962	116	730 - 00
1963	122	787 - 00
1964	122	753 - 00
1965	113	730 - 00
1966	119	810 - 00
1967	110	699 - 00
1968	120	801 - 00
1969	120	747 - 00
1970	119	782 - 00
1971	102	616 - 20 मिनट
1972	111	699 - 35 मिनट
1973	120	814 - 25 मिनट
1974	119	853 - 10 मिनट
1975	63	441 - 45 मिनट (45
1976	98	645 - [illegible] मिनट

3. पांचवीं लोक सभा की महत्वपूर्ण घटनाओं का कालक्रम

1971

19-3-71	पांचवीं लोक-सभा की पहली बैठक।
22-3-71	श्री गुरदयाल सिंह ढिल्लन अध्यक्ष चुने गये।
23-3-71	एक साथ समवेत दोनों संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण।
	रेल बजट (1971-72) प्रस्तुत किया गया।
	संघीय बजट (1971-72) प्रस्तुत किया गया।
24-3-71	सामान्य बजट (1971-72) प्रस्तुत किया गया।
26-3-71	पश्चिम बंगाल से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा अन्य केन्द्रीय दलों को तुरन्त वापस बुला ही जाने की मांग करते हुए श्री भौमिक द्वारा प्रस्तावित संकल्प पर चर्चा।
27-3-71	श्री जी० जी० स्वैल उपाध्यक्ष चुने गये।
	पाकिस्तान में हाल में हुई घटनाओं के बारे में विदेश मंत्री द्वारा वक्तव्य।
	पश्चिम बंगाल बजट (1971-72) प्रस्तुत किया गया।
	उड़ीसा बजट (1971-72) प्रस्तुत किया गया।
	मैसूर बजट (1971-72) प्रस्तुत किया गया।
29-3-71	श्री कृष्ण चन्द्र पंत द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकृत हुआ जिसमें पश्चिम बंगाल के संबंध में दिनांक 19 मार्च, 1970 की उद्घोषणा को दिनांक एक अप्रैल, 1971 से छः महीने की अतिरिक्त अवधि तक जारी रखने की मांग की गई थी।
30-3-71	आयात और निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 1971 पारित किया गया।
	(राज्य सभा द्वारा : 23-3-71
	राष्ट्रपति की अनुमति : 30-3-71)

30.3.71
3.3.71
1.4.71
2.4.71

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।

3.3.71

प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकृत हुआ जिसमें पूर्वी बंगाल में हाल की घटनाओं पर गहन दुःख और गम्भीर चिंता व्यक्त की गई तथा पूर्वी बंगाल की जनता को 'भारत की जनता की हार्दिक सहानुभूति तथा समर्थन का आश्वासन दिया गया।'

2.4.71

भविष्य निधि विधियां (संशोधन) विधेयक, 1971 पारित किया गया।

(राज्य सभा द्वारा 6.4.71।
राष्ट्रपति की अनुमति : 23.4.71)

हिमाचल प्रदेश राज्य (संशोधन) विधेयक, 1971 पारित किया गया।

(राज्य सभा द्वारा 6.4.71।
राष्ट्रपति की अनुमति : 19.4.71)

श्री इन्द्रजीत मन्त्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिसमें श्री रामदेव सिंह के आचरण का धीर निरनुमोदन किया गया जिन्होंने दिनांक 23 मार्च, 1971 को एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण के पावन अवसर पर बाधा डाली तथा राष्ट्रपति के प्रति असम्मान दिखाया तथा जिसमें उनके अनर्गल, गरिमाहीन और अनुचित व्यवहार की भर्त्सना की गई।

श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकृत हुआ जिसमें भारतीय आयुध निगम की सेवा को आवश्यक सेवा घोषित किया गया।

24.3.71

रेल बजट (1971-72) पुरःस्थापित किया गया।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त द्वारा प्रस्तुत नेपाल राज्य के बारे में 27 मार्च, 1971 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई घोषणा का अनुमोदन करने का संकल्प स्वीकृत हुआ।

बंगलादेश की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का वक्तव्य।

25.3.71

कृषि मन्त्री का खेती नीति के बारे में वक्तव्य।

25.3.71
26.3.71

पाकिस्तानी सैनिक शासन द्वारा किये गये कत्लेआम और अत्याचारों के कारण पूर्वी बंगाल से लाखों शरणार्थियों के भारत आगमन और पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा किये गये हमलों से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के बारे में [illegible] श्री ए० के० सेन द्वारा उठाई गई चर्चा।

PARLIAMENT LIBRARY
No. 395736 (14.1.81)

28-5-71 । सामान्य बजट (1971-72) - प्रस्तुत किया गया।

2-6-71 विदेश मंत्री का बिहार की संसेरा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उनके विरुद्ध एक व्यक्ति की वाली जांच आयोग की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य।

आम बीमा (आयात उपबन्ध) विधेयक, 1971। - पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 7 जून, 1971।
राष्ट्रपति की स्वीकृति 17 जून, 1971।)

8-6-71 श्री तुलमोहन राम का 28 नवम्बर, 1969 को अपनी कथित गिरफ्तारी और लोक सभा के अध्यक्ष को उसकी जानकारी न दिये जाने के बारे में विशेषाधिकार प्रस्ताव - स्वीकृत हुआ।

14-6-71 बंगाल वित्त (बिक्री कर) (दिल्ली - नियुक्तियों और कार्यवाही का विधिमान्यकरण) विधेयक, 1971। - पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 16-6-71।
राष्ट्रपति की स्वीकृति : 23-6-71।)

स्वर्ण (नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 1971। - पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 17-6-71।
राष्ट्रपति की स्वीकृति : 24-6-71।)

16-6-71 संसद के अधिकारियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1971। - पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 21-6-71।
राष्ट्रपति की स्वीकृति : 24-6-71।)

18-6-71 पंजाब बजट (1971-72) - प्रस्तुत किया गया।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने का विधेयक, 1971। - पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 25-6-71।
राष्ट्रपति की स्वीकृति : 27-6-71।)

21-6-71 श्री एम० एच० फारुकी का गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा 13 मई, 1971। को जारी की गई घोषणा के अनुमोदन का संकल्प - स्वीकृत हुआ।

22.6.71 — किसी सिंचाई गुल्लारा (प्रबन्ध) विधेयक, 1971 — पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा: 16.6.71
राष्ट्रपति की स्वीकृति: 26.6.71)

मैसूर राज्य विधानमण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1971 — पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 15.6.71
राष्ट्रपति की स्वीकृति : 26.6.71)

25.6.71 — विदेश मन्त्री का कुछ देशों की अपनी यात्रा के बारे में वक्तव्य।

28.6.71 — श्री भागवत झा आजाद द्वारा पाकिस्तान आदि को अमरीकी हथियार दिये जाने के बारे में प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा।

29.6.71 — पश्चिम बंगाल की समस्याओं से निपटने के लिये मन्त्रिमण्डलीय स्तर के मंत्री की बिना विभाग के मंत्री के रूप में नियुक्ति के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य।

16.7.71 — तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण सम्बन्धी कुछ पहलुओं की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री द्वारा वक्तव्य।

19.7.71 — मैसूर बजट (1971-72) प्रस्तुत किया गया।

गुजरात बजट (1971-72) प्रस्तुत किया गया।

पश्चिम बंगाल बजट (1971-72) प्रस्तुत किया गया।

26-7-71 — 23 जुलाई, 1971 को श्री राजबहादुर द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 29 जून, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प स्वीकृत हुआ।

पश्चिम बंगाल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1971 पारित किया गया।
(राज्य सभा द्वारा: 30.7.71
राष्ट्रपति की अनुमति : 7.8.71)

29.7.71 — दुर्गापुर में पुलिस द्वारा श्री श्री कृष्णचन्द्र हालदार, संसद सदस्य के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किया गया विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.7.71 वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1971 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 5.8.71।
राष्ट्रपति की अनुमति : 10.8.71।)

कृषि पुनर्वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, 1971। पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा 5.8.71।
राष्ट्रपति की अनुमति 15.8.71।)

केन्द्रीय प्रदेश कर बोर्ड (कार्यवाही का वैधीकरण) विधेयक, 1971। पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 9.8.71।
राष्ट्रपति की अनुमति : 14.8.71।)

सार्वजनिक स्थान (अनधिकृत कब्जाधारियों का हटाया जाना) विधेयक, 1971। पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 14.8.71।
राष्ट्रपति की अनुमति : 23.8.71।)

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण विधेयक, 1971। पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 22.11.71।*
राष्ट्रपति की अनुमति : 8.12.71।)

2.8.71 गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति विधेयक, 1971। पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 27.5.71।
(राष्ट्रपति की अनुमति : 10.8.71।)

गुजरात राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1971। पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 19.7.71।
राष्ट्रपति की अनुमति : 10.8.71।)

पंजाब राज्य के सम्बन्ध में 15 जून, 1971। की राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला श्री कृष्ण चन्द्र पन्त द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकृत हुआ।

4.8.71 केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों के बारे में कृषि मंत्री द्वारा वक्तव्य।

संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा 11.8.71।
राष्ट्रपति की अनुमति : 5.11.71।)

5.8.71 'यू. कोरी का राइलम' नामक पत्रिका के 12 जून, 1971 के अंक में लोक सभा के उपाध्यक्ष पर कथित आक्षेपों वाला समाचार प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में पत्रिका के सम्पादक, मुद्रक और प्रकाशक के विरुद्ध 23 जून, 1971 को श्री हीरा सिंह यान द्वारा उठाया गया विशेषाधिकार का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया।

राष्ट्रपति द्वारा पंजाब राज्य के संबंध में 15 जून, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करने के लिये श्री कृष्ण चन्द्र पन्त द्वारा 2 अगस्त, 1971 को प्रस्तुत संकल्प स्वीकृत हुआ।

पंजाब राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1971 पारित हुआ।

(राज्य सभा द्वारा : 19.7.71
राष्ट्रपति की स्वीकृति : 10.8.71)

9.8.71 9 अगस्त, 1971 को हस्ताक्षरित भारतीय गणतंत्र और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के बीच शान्ति, मित्रता तथा सहयोग संधि के बारे में विदेश मंत्री का वक्तव्य।

भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) विधेयक, 1971 पारित हुआ।

(राज्य सभा द्वारा : 26.5.71
राष्ट्रपति की स्वीकृति : 10.8.71)

10.8.71 भारत और सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षरित शान्ति, मित्रता तथा सहयोग संधि के बारे में विदेश मंत्री, सरदार स्वर्ण सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर चर्चा।

11.8.71 चीनी संबंधी नीति के बारे में श्री विभूति मिश्र द्वारा उठाई गई चर्चा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य के संबंध में उठाई गई चर्चा।

12.8.71 राष्ट्रीय गौरव के अपमान-निवारक विधेयक, 1971 पारित हुआ।

(राज्य सभा द्वारा : 24.11.71
राज्य सभा द्वारा संशोधन किया गया जिस पर लोक सभा द्वारा 20.12.71 को विचार किया गया और सहमति दी गई।
राष्ट्रपति की स्वीकृति : 23.12.71)

सदन अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1971 पारित हुआ।

(राज्य सभा द्वारा : 19.11.71
राष्ट्रपति की स्वीकृति : 30.11.71)

कोयला क्षेत्र (अर्जन और विकास) संशोधन तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 1971 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 23.11.71
राष्ट्रपति की स्वीकृति : 11.12.71)

देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति के बारे में श्री परिपूर्णानंद पैन्यूली द्वारा उठाई गई चर्चा।

अनुमति

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का पाकिस्तान के सैनिक शासन द्वारा शेख मुजीबुर्रहमान के कथित मुकदमे के बारे में वक्तव्य।

15.11.71 प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी का श्री सिद्धार्थ शंकर राय, शिक्षा मंत्री के विभाग के बारे में वक्तव्य।

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का अपनी हाल की विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य।

पारित

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की (कर्तव्य शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) विधेयक, 1971 पुरस्थापित किया गया।
(राज्य सभा द्वारा : 24.11.71
राष्ट्रपति की स्वीकृति : 15.12.71)

अनुमति

16.11.71 श्री मोरारजी देसाई का कांग्रेस (संगठन) के अध्यक्ष तथा कुछ अन्य संसद् सदस्यों पर 13 और 14 नवम्बर, 1971 को किये गये आक्रमण तथा हिंसा की रोकने में दिल्ली पुलिस की असफलता की निंदा का प्रस्ताव-अस्वीकृत हुआ।

17.11.71 श्री ज्योतिर्मय बसु का पश्चिम बंगाल में विधि और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करने का प्रस्ताव-अस्वीकृत हुआ।

18.11.71 श्री कृष्ण चन्द्र पंत मैसूर राज्य के संबंध में जारी की गई तिथि 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा की 25 नवम्बर, 1971 से 6 महीने की और अवधि के लिये लागू रखने का अनुमोदन करने का संकल्प स्वीकृत हुआ।

24.11.71 पाकिस्तान में आपात स्थिति की घोषणा के बारे में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा वक्तव्य।

अग्नि संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 1971 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 2.12.71
राष्ट्रपति की अनुमति : 11.12.71)

खोटे सिक्के (अपराध) विधेयक, 1971 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 2.12.71
राष्ट्रपति की अनुमति : 11.12.71)

25.11.71 मेघालय के शिविरों में बंगलादेश से आये शरणार्थियों की स्थिति के बारे में श्रम तथा पुनर्वास मंत्री द्वारा वक्तव्य

रेल यात्री भाड़ा विधेयक, 1971 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 1.12.71
राष्ट्रपति की अनुमति : 9.12.71)

डाक की वस्तुओं पर कर विधेयक, 1971 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 1.12.71
राष्ट्रपति की अनुमति : 9.12.71)

अन्तर्देशीय विमान यात्रा कर विधेयक, 1971 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 2.12.71
राष्ट्रपति की अनुमति : 9.12.71)

26.11.71 स्टाम्प तथा उत्पादन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1971 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 3.12.71
राष्ट्रपति की अनुमति : 8.12.71)

दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्यों में बहुमुखी वृद्धि के बारे में श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा प्रस्तुत संकल्प

29.11.71 राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा दिये गये तीन अन्तरिम प्रतिवेदनों के बारे में कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य।

जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1971 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 20.12.71
राष्ट्रपति की अनुमति: 28.~~12.72~~ x 30.12.71)

1.12.71 संविधान (25 वां संशोधन) विधेयक, 1971 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा 8.12.71
राष्ट्रपति की अनुमति : 20.4.72)

2.12.71 संविधान (26 वां संशोधन) विधेयक, 1971 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा 9.12.71
राष्ट्रपति की अनुमति : 28.12.71)

शस्त्र (संशोधन) विधेयक, 1971 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 17.11.71
राष्ट्रपति की अनुमति : 13.12.71)

4.12.71 भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकृत हुआ जिसमें 3 दिसम्बर, 1971 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करने को कहा गया था।

भारत रक्षा विधेयक, 1971 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 4.12.71।
राष्ट्रपति की अनुमति : 4.12.71)

जयन्ती शिपिंग कम्पनी (शेयरों का अर्जन) विधेयक, 1971 पारित हुआ
(राज्य सभा द्वारा : 13.12.71।
राष्ट्रपति की अनुमति : 23.12.71)

श्री एम0 एच0 मोहसिन द्वारा प्रस्तुत संकल्प अस्वीकृत हुआ जिसमें गुजरात राज्य के सम्बन्ध में 13 मई, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा को 21 दिसम्बर, 1971 से छः महीनों की अतिरिक्त अवधि तक लागू रखने का अनुमोदन करने को कहा गया था।

श्री एम0 एच0 मोहसिन द्वारा इस आशय का संकल्प कि पंजाब के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 15 जून, 1971 की उद्घोषणा को 5 फरवरी, 1972 से 6 महीने की और अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन किया जाये, स्वीकृत हुआ।

पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण से संबंधित स्थिति पर रक्षा मंत्री का वक्तव्य।

6.12.71 भारत सरकार द्वारा गणतांत्रिक बंगलादेश को मान्यता प्रदान करने के संबंध में प्रधान मंत्री का वक्तव्य।

7.12.71 श्री एम0 एच0 मोहसिन द्वारा 4 दिसम्बर, 1971 को पेश किया गया एक संकल्प जिसमें पश्चिम बंगाल के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई 29 जून, 1971 की उद्घोषणा को 26 जनवरी, 1972 से 6 महीने की और अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन मांगा गया, स्वीकृत हुआ।

भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण संबंधी स्थिति पर रक्षा मंत्री का वक्तव्य।

8.12.71 आयात जोखिम (माल) बीमा विधेयक, 1971 पारित हुआ
(राज्य सभा द्वारा : 9.12.71
राष्ट्रपति की अनुमति : 10.12.71)

आयात जोखिम (उपक्रम) बीमा विधेयक, 1971 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 9.12.71
राष्ट्रपति की अनुमति : 10.12.71)

9.12.71 मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) जिला परिषद विधेयक, 1971 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 14.12.71
राष्ट्रपति की अनुमति : 26.12.71)

भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण संबंधी वर्तमान स्थिति पर रक्षा मंत्री का वक्तव्य।

10.12.71 एशियन रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, 1971 पारित हुआ
(राज्य सभा द्वारा : 14.12.71
राष्ट्रपति की अनुमति : 23.12.71)

13.12.71 राहत प्रयासों के लिये अधिकाधिक संसाधन जुटाने का सुनिश्चय करने हेतु किये जाने वाले अतिरिक्त उपायों के बारे में वित्त मंत्री का वक्तव्य।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त अन्तरिम राहत के बारे में वित्त मंत्री का वक्तव्य।

चीनी नीति के बारे में कृषि मंत्री का वक्तव्य

कोक कोयला खान (आयात उपबन्ध) विधेयक, 1971 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 15.12.71
राष्ट्रपति की अनुमति : 23.12.71)

14.12.71 भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण संबंधी स्थिति के बारे में रक्षा मंत्री का वक्तव्य।

15.12.71 पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) विधेयक, 1971, पारित हुआ
(राज्य सभा द्वारा : 21.12.71
राष्ट्रपति की अनुमति : 30.12.71)

नौसैनिक और वायुयान पण्यज विधेयक, 1971 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 16.12.71
राष्ट्रपति की अनुमति : 16.12.71)

16.12.71 कम्पनी (अधिकार पर अधिभार) विधेयक, 1971 पारित हुआ
(राज्य सभा द्वारा : 21.12.71
राष्ट्रपति की अनुमति : 23.12.71)

वैयक्तिक क्षति (आगत उपबन्ध)संशोधन विधेयक, 1971 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 21.12.71
राष्ट्रपति की अनुमति : 25.12.71)

बंगलादेश में पश्चिमी पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा बिना शर्त आत्मसमर्पण के बारे में प्रधानमंत्री का वक्तव्य।

17.12.71 पश्चिमी क्षेत्र में सभी मोर्चों पर 17 दिसम्बर, 1971 की रात्रि 8 बजे से सैनिक कार्यवाही बन्द करने के निर्णय के बारे में प्रधानमंत्री का वक्तव्य।

18.12.71 आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1971 पारित किया गया।
(राज्य सभा द्वारा : 16.12.71
राष्ट्रपति की अनुमति : 23.12.71)

विकलांग भूतपूर्व सैनिकों और मृत सैनिकों के परिवारों को बसाने के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में प्रधान मंत्री का वक्तव्य।

भारत पर पाकिस्तान के अतिक्रमण के उपरान्त सशस्त्र संघर्ष के परिणाम के बारे में रक्षा मंत्री का वक्तव्य।

20.12.71 न्यायालय अवज्ञा विधेयक, 1971 पारित किया गया।
(राज्य सभा द्वारा : 22.12.71
राष्ट्रपति की अनुमति : 24.12.71)

विभागीय जांच (साक्षियों की उपस्थिति और दस्तावेज प्रस्तुतीकरण की प्रवृत्ति) विधेयक, 1971 पारित किया गया।
(राज्य सभा द्वारा : 4.4.72
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर लोक सभा द्वारा विचार किया गया तथा उन्हें स्वीकार किया गया : 24.5.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 21.5.72)

21.12.71 वित्त मंत्री का स्वर्ण-भण्डार दर के बारे में वक्तव्य।

कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1971 पारित किया गया।
(राज्य सभा द्वारा : 24.12.71
राष्ट्रपति की अनुमति : 30.12.71)

समाचार पत्र (मूल्य नियंत्रण) विधेयक, 1972 पारित किया गया।
(राज्य सभा द्वारा : 3.4.72
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर लोक सभा द्वारा
19.5.72 को विचार किया गया तथा स्वीकार किया गया।
राष्ट्रपति की अनुमति : 26.5.72)

संविधान (सत्ताइसवां संशोधन) विधेयक, 1971 पारित किया गया।
(राज्य सभा द्वारा : 23.12.71
राष्ट्रपति की अनुमति : 30.12.71)

संघ (राज्य) सरकार (संशोधन) विधेयक, 1971 पारित किया गया।
(राज्य सभा द्वारा : 24.12.71
राष्ट्रपति की अनुमति : 30.12.71)

22.12.71 चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के बारे में योजना मंत्री का वक्तव्य।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा विधेयक, 1971 पारित किया गया।
(राज्य सभा द्वारा : 24.12.71
राष्ट्रपति की अनुमति : 30.12.71)

पदोन्नति परिषद विधेयक, 1971 पारित किया गया।
(राज्य सभा द्वारा : 24.12.71
राष्ट्रपति की अनुमति : 30.12.71)

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1971 पारित किया गया।
(राज्य सभा द्वारा : 24.12.71
राष्ट्रपति की अनुमति : 30.12.71)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1971 पारित किया गया।
(राज्य सभा द्वारा : 24.12.71
राष्ट्रपति की अनुमति : 30.12.71)

23.12.71 चीनी नीति के बारे में श्री नरसिंह नारायण पांडे द्वारा उठाई गई चर्चा।

आपात स्थिति के दौरान देशभक्ति और एकता की महत् भावना के लिये सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए तथा विपक्ष के नेताओं, प्रधान मंत्री, सशस्त्र सेनाओं, जवानों और मुक्तिवाहिनी तथा जनता की संकटकाल में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए आभार देते हुये अध्यक्ष का अभिभाषण।

1972

13.3.72	राष्ट्रपति का संसद के दोनों सदनों को अभिभाषण।
14.3.72	रेल बजट (1972-73) पेश।
16.3.72 29.3.72 30.3.72 3.4.72 4.4.72	राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिये धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।
16.3.72	सामान्य बजट (1972-73) पेश।
20.3.72	प्रधानमंत्री द्वारा अपनी बांग्लादेश यात्रा के बारे में वक्तव्य।
22.3.72	श्री पी० सी० सेठी इन्दौर से निर्वाचित सदस्य द्वारा लोक सभा में अपने पद से त्यागपत्र दिया गया।
28.3.72	सशस्त्र बल (आसाम और मणिपुर) विशेष शक्तियां (संशोधन) विधेयक, 1972 पारित (राज्य सभा द्वारा : 19.3.72 राष्ट्रपति की अनुमति : 3.4.72) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में हड़ताल के बारे में वक्तव्य।
29.3.72	सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विधेयक, 1972 पारित (राज्य सभा द्वारा : 1.4.72 राष्ट्रपति की अनुमति : 20.4.72) विदेश व्यापार मंत्री द्वारा 28.3.72 को भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार समझौते के बारे में वक्तव्य।
4.4.72	भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1972 पारित (राज्य सभा द्वारा : 10.4.72 राष्ट्रपति की अनुमति : 12.4.72) भारतीय तार निगम (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1972 पारित (राज्य सभा द्वारा : 10.4.72 राष्ट्रपति की अनुमति : 20.4.72)
6.4.72	रेल मंत्री द्वारा 1.4.72 को पूर्वी रेलवे के सियालदाह मंडल में हड़ताल के बारे में वक्तव्य।

33

7.4.72	महाप्रशासक (संशोधन) विधेयक, 1972 पारित (राज्य सभा द्वारा : 30.3.72 राष्ट्रपति की अनुमति : 12.4.72)
10.4.72	विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री द्वारा कोचीन तेल शोधक कारखाने में आग लगने के बारे में वक्तव्य।
	दिल्ली सहकारी समितियां विधेयक, 1972 पारित (राज्य सभा द्वारा : 29.3.72 राष्ट्रपति की अनुमति : 17.3.72)
17.4.72	अमरीका द्वारा हनोई में बड़े पैमाने पर बमबारी किये जाने के बारे में श्री एच० एन० मुखर्जी द्वारा उठाई गई चर्चा।
	कृषि मंत्री द्वारा 1972-73 के खरीफ मौसम के लिये गेहूं की मूल्य नीति के बारे में वक्तव्य।
21.4.72	श्री घनश्याम भाई ओझा, राजकोट से निर्वाचित सदस्य द्वारा 8.9.72 से लोक सभा में पदत्याग किया।
24.4.72	श्री सिद्धार्थ शंकर राय, रायगंज निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य द्वारा 21.4.72 से लोक सभा में पदत्याग किया।
26.4.72	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा रूसी सहयोग के साथ गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी प्रबन्धों के बारे में वक्तव्य
27.4.72	कृषि जोतों की अधिकतम सीमा के बारे में कृषि मंत्री द्वारा वक्तव्य।
2.5.72	श्री हुकम चन्द कछवाय को सदन की सेवा में तीन दिन के लिए निलम्बित करने के बारे में श्री राजबहादुर द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत-स्वीकृत।
3.5.72	श्री हुकम चन्द कछवाय के निलम्बन के बारे में सदन के आदेशों को तुरन्त समाप्त करने के बारे में श्री हरी सैमियान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव – स्वीकृत।
5.5.72	25.4.72 को श्री अम्बरनाथ स्टील प्लांट में गोली चलने के समाचार के बारे में श्रम तथा पुनर्वास मंत्री द्वारा वक्तव्य।
9.5.72	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के एक वैज्ञानिक डा० वी०एच०राव द्वारा आत्महत्या के समाचार के बारे में कृषि मंत्री द्वारा वक्तव्य।

10.5.72 — विय तनाम की घटनाओं के बारे में विदेश मंत्री द्वारा वक्तव्य।

12.5.72 — जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम के उल्लंघनों के बारे में रक्षा मंत्री द्वारा वक्तव्य।

16.5.72
31.7.72 — विभिन्न अवसरों में लोक सभा के एक सदस्य के साथ मारपीट के समाचार के बारे में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री द्वारा वक्तव्य।

17.5.72 — पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान आदि में सूखे की स्थिति के बारे में कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य।

18.5.72 — वित्त विधेयक, 1972 पारित
(राज्य सभा द्वारा : 23.5.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 28.5.72)

19.5.72 — पचहत्तर पूर्ण उद्योग-गृहों के राष्ट्रीयकरण के बारे में 5 मई, 1972 को श्री एच० एन० मुखर्जी द्वारा पेश किया गया संकल्प- अस्वीकृत हुआ।

22.5.72 — संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1972 — पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 29.5.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 9.6.72)

सामान्य बीमा (आयात उपबन्ध) संशोधन विधेयक, 1972 -पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 29.5.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 9.6.72)

राष्ट्रीय सेवा विधेयक, 1972 - पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 19.5.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 9.6.72)

24.5.72 — उड़ीसा में आदिवासी लड़कियों के कथित विक्रय के बारे में श्री कार्तिक उरावं द्वारा उठाई गई बात।

26.5.72 — औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1972- पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 6.4.72
~~राष्ट्रपति की अनुमति~~ लोक सभा द्वारा 26.5.72 को किये गये संशोधन पर राज्य सभा द्वारा 30.5.72 को विचार और सहमति
राष्ट्रपति की अनुमति : 14.6.72)

~~राष्ट्रपति की अनुमति~~ : 26.8.72)

केरल आदि राज्यों में नारियल, सुपारी, अदरक तथा काली मिर्च जैसे कृषि पदार्थों के मूल्यों में भारी गिरावट के बारे में श्री सी० के० चन्द्रप्पन द्वारा उठाई गई चर्चा।

29.5.72 ø संविधान (28 वां संशोधन) विधेयक, 1972 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 31.5.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 27.8.72)

★ संविधान (29 वां संशोधन) विधेयक, 1972 — पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 31.5.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 9.6.72)

30.5.72 कराधान विधि (जम्मू और कश्मीर पर विस्तारण), 1972 — पारित
(राज्य सभा द्वारा 31.5.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 6.6.72)

31.5.72 16 मई, 1971 को तिरुपति अस्पताल में लोक सभा के एक सदस्य के साथ हुई घटना के बारे में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री श्री द्वारा वक्तव्य।

श्री के० हनुमन्तैया द्वारा मंत्री पद से अपना त्यागपत्र देने के कारणों को स्पष्ट करने के लिए दिया गया वक्तव्य।

भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों के बारे में 2 जुलाई, 1972 को शिमला में हुए समझौते के संबंध में विदेश मंत्री द्वारा वक्तव्य।

1.6.72 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 — पारित
(राज्य सभा द्वारा : 26.6.72
राष्ट्रपति की अनुमति: 15.6.72)

अपराधिक विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 — पारित
(राज्य सभा द्वारा : 3.6.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 14.6.72)

ø यह विधेयक लोक सभा में संविधान (31 वां संशोधन) विधेयक, 1972 के रूप में पुरःस्थापित हुआ था। विधेयक के शीर्षक को लोक सभा द्वारा अन्त में संशोधन के द्वारा बदला गया था।

★ यह विधेयक लोक सभा में संविधान (32 वां संशोधन) विधेयक, 1972 के रूप में पुरःस्थापित किया गया। विधेयक का संक्षिप्त नाम लोक सभा द्वारा अंत में संशोधन कर के बदला गया।

राष्ट्रपति की अनुमति : 26.8.72)

1.8.72 देश में सूखे की स्थिति के बारे में कृषि मंत्री द्वारा वक्तव्य।

3.8.72 उपदान संदाय विधेयक, 1971 — पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 7.8.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 21.8.72)

श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति के संबंध में उठाई गई चर्चा।

4.8.72 कंपनीकारी कंपनियां (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1972 — पारित
(राज्य सभा द्वारा : 9.8.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 17.8.72)

9.8.72 राजनयिक संबन्ध (वियना कन्वेंशन) विधेयक, 1971 — पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 14.8.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 29.8.72)

चीनी की स्थिति के बारे में कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य।

श्री राज बहादुर द्वारा सिर्फ राय और राम जन्म सिंह के विरुद्ध जो दर्शक दीर्घा से चिल्लाये और जिन्होंने सभा में पर्चे फेंके, सभा के अपमान और उन्हें 10 अगस्त, 1972 के पश्चात् पश्चात् 5 बजे तक के लिए साधारण कारावास का दंड दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव — स्वीकृत।

10.8.72 नागालैंड के मुख्य मंत्री की हत्या के प्रयास के बारे में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य।

11.8.72 उगांडा में एशियाई लोगों के बारे में विदेश मंत्रालय में उपमंत्री द्वारा वक्तव्य।

राजस्थान स्थित राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के प्रथम एकक में उत्पन्न हुए संकट के बारे में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री का वक्तव्य।

16.8.72 इंडियन एयरलाइन्स के फोकर फ्रेंडशिप विमान के 11 अगस्त, 1972 को रात्रि को दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बारे में पर्यटन और नागर विमानन मंत्री द्वारा वक्तव्य।

17.8.72 संविधान (30 वां संशोधन) विधेयक, 1971 — पारित
(राज्य सभा द्वारा : 22.8.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 22.2.73)

आयकर (संशोधन) विधेयक, 1972 — पारित
(राज्य सभा द्वारा : 21.8.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 26.8.72)

लोक ऋण (संशोधन) विधेयक, 1972 – पारित
(राज्य सभा द्वारा : 21.9.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 29.8.72)

18.8.72 कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 – पारित
(राज्य सभा द्वारा : 23.9.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 31.8.72)

पंजाब नई राजधानी (परिवृत्त) नियमित (कतिपय संशोधन) विधेयक, 1972 – पारित
(राज्य सभा द्वारा : 23.8.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 3.9.72)

21.9.72 राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा इस वर्ष अन्तिम प्रतिवेदन पेश किए जाने के बारे में कृषि मंत्री द्वारा वक्तव्य।

बन्ध पत्तनी (संशोधन) विधेयक, 1972 – पारित
(राज्य सभा द्वारा : 26.8.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 9.9.72)

विक्टोरिया स्मारक (संशोधन) विधेयक, 1972 – पारित
(राज्य सभा द्वारा : 14.8.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 25.8.72)

22.8.72 इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (उपक्रम-ग्रहण) विधेयक, 1972 – पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 26.8.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 3.9.72)

25.8.72 पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति विधेयक, 1972 – पारित
(राज्य सभा द्वारा : 29.8.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 9.9.72)

26.8.72 खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 1972 – पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 30.8.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 12.9.72)

भारतीय रियासतों के शासक (विशेषाधिकारों को समाप्त करना) विधेयक, 1972 – पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 29.8.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 9.9.72)

28.8.72 सामान्य बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1972 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 29.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 20.9.72)

29.8.72 गन्ना नीति के बारे में कृषि मंत्री द्वारा वक्तव्य।

30.8.72 नई दिल्ली में 25 अगस्त से 29 अगस्त, 1972 के बीच भारत तथा पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की हुई बैठक के बारे में विदेश मंत्री द्वारा वक्तव्य।

भारतीय तेल निगम (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, 1972 — पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 4.9.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 21.9.72)

1.9.72 दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 29.9.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 3.9.72)

नागा राष्ट्रीय परिषद और कतिपय अन्य संगठनों को गैर-कानूनी संगठन घोषित करने के बारे में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य।

2.9.72 देश में सूखे की स्थिति के बारे में कृषि मंत्री द्वारा वक्तव्य।

भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारी (सेवा शर्तें) विधेयक, 1972 पारित हुआ।
राज्य सभा द्वारा : 4.9.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 21.9.72)

3.9.72 उगांडा में रहने वाले भारतीयों के बारे में विदेश मंत्री का द्वारा वक्तव्य।

13.11.72 मूल्य स्थिति के बारे में वित्त मंत्री द्वारा वक्तव्य।

केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1972 — पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 27.11.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 30.11.72)

खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) संशोधन विधेयक, 1972 — पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 21.11.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 26.11.72)

14.11.72 लेवी चीनी तथा वनस्पति के विशेष संदर्भ सहित मुख्य -वृद्धि के बारे में श्री एस0 एम0 बनर्जी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव – अस्वीकृत।

देश में मक्के की स्थिति के बारे में कृषि मंत्री द्वारा वक्तव्य।

कृषि उत्पादन कार्यक्रम के बारे में कृषि मंत्री द्वारा वक्तव्य।

15.11.72 किंग्जवे कैम्प, दिल्ली में 14 नवम्बर, 1972 को हुई घटनाओं के बारे में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य।

23.11.72 मादक निगम (संशोधन) विधेयक, 1972 – पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 6.12.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 15.12.72)

27.11.72 कुछ निर्यातों के मूल्य के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य।

युद्ध बंदियों की रिहाई के बारे में विदेश मंत्री द्वारा वक्तव्य।

5.12.72 बीमा भुगतान (संशोधन) विधेयक, 1972 पारित
(राज्य सभा द्वारा : 11.12.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 19.12.72)

कोयला खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1972 पारित
(राज्य सभा द्वारा : 12.12.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 22.12.72)

7.12.72 दिल्ली विश्वविद्यालय में 6 दिसम्बर, 1972 को घटनाओं के बारे में गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री का वक्तव्य।

12.12.72 स्टेट बैंक आफ इंडिया, पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली के भूतपूर्व मुख्य कोषाध्यक्ष श्री वी0 पी0 मल्होत्रा की बर्खास्त किये जाने के बारे में वित्त मंत्री का वक्तव्य।

जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा को अन्तिम रूप देने के बारे में विदेश मंत्री का वक्तव्य।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1972 पारित
(राज्य सभा द्वारा : 19.12.72
(राष्ट्रपति की अनुमति : 24.12.72)

13 & 14.12.72 औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, 1972 पारित
(राज्य सभा द्वारा : 18.12.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 24.12.72)

40

14.12.72 परिसीमा निर्धारण विधेयक, 1972 पारित
राज्य सभा द्वारा : 19.12.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 30.12.72

15.12.72 आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के सजनी और नीलारी गांवों में घटी घटनाओं के बारे में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री का वक्तव्य।

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, 1972 पारित
(राज्य सभा द्वारा : 20.12.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 30.12.72)

19.12.72 रुग्ण कपड़ा उपक्रम (कुछेक की अधिकार में लेना) विधेयक, 1972 पारित
(राज्य सभा द्वारा : 21.12.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 23.12.72)

21.12.72 कनाडा स्थित भारतीय उच्चायुक्त श्री एन0 एन0 दीसाई के निष्कासन के बारे में विदेश मंत्रालय में उपमंत्री का वक्तव्य।

मुर्गी नियम विधेयक, 1972 पारित
(राज्य सभा द्वारा : 23.12.72
राष्ट्रपति की अनुमति : 30.12.72)

22.12.72 गेहूं और चावल के थोक व्यापार को अधिकार में लेने के बारे में कृषि मंत्री का वक्तव्य।

कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग में प्रथम सचिव श्री एन0एन0दीसाई के निष्कासन के बारे में विदेश मंत्रालय में उपमंत्री द्वारा वक्तव्य।

वियतनाम में अमरीका द्वारा बम गिराये जाने के बारे में विदेश मंत्रालय में उपमंत्री का वक्तव्य।

1973

19.2.73	संसद के दोनों समवेत सदनों के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण।
20.2.73	देश में सूखे की स्थिति के बारे में कृषि मंत्री का वक्तव्य। रेल बजट (1973-74) प्रस्तुत किया गया।
21.2.73 22.2.73 23.2.73 26.2.73 27.2.73	राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा।
22.2.73	श्री ज्योतिर्मय बसु को सदन की सेवा से दो दिन के लिए निलम्बित करने के बारे में श्री के0 रघुरामैया द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना। श्री ज्योतिर्मय बसु को सदन की सेवा से निलम्बन की तत्पश्चात् समाप्त करने के बारे में श्री हरि सैमियान द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना – स्वीकृत।
26.2.73	गेहूं के थोक व्यापार को अपने अधिकार में लाने के बारे में कृषि मंत्री का वक्तव्य।
28.2.73	सामान्य बजट (1973-74) प्रस्तुत
1.3.73	राष्ट्रपति द्वारा 18 जनवरी, 1973 को आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करने के लिये श्री के0सी0पन्त द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकृत हुआ।
2.3.73	श्री ए0 के0 गोपालन द्वारा भूमि सुधारों के बारे में 8.12.72 को प्रस्तुत संकल्प स्वीकृत हुआ।
5.3.73 6.3.73	श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा प्रस्तुत खाद्यान्नों तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के बढ़ रही मूल्यों पर चिंता व्यक्त करने वाले संकल्प पर चर्चा – अस्वीकृत।
13.3.73	राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा अन्तरिम प्रतिवेदन दिये जाने के बारे में कृषि मंत्री द्वारा वक्तव्य।

42

15.3.73 आन्ध्र प्रदेश बजट (1973-74) प्रस्तुत हुआ।

16.3.73 कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1973 पारित किया गया।
(राज्य सभा द्वारा : 26.3.73
लोक सभा ने राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर 28.3.73 को विचार किया और उनसे सहमत हुई।
राष्ट्रपति की अनुमति : 31.3.73)।

20.3.73 उड़ीसा बजट (1973-74) प्रस्तुत किया गया।

21.3.73 समाचारपत्र कर्मचारियों द्वारा 20 मार्च, 1973 को की गई हड़ताल के बारे में श्रम और पुनर्वास मंत्री द्वारा वक्तव्य।

26.3.73 उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 3 मार्च, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ श्री कृष्ण चन्द्र पन्त द्वारा 22.3.73 को प्रस्तुत किया गया संकल्प स्वीकृत हुआ।

आन्ध्र प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1973 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 22.3.73
राष्ट्रपति की अनुमति : 29.3.73)

27.3.73 दिल्ली विद्यालय शिक्षा विधेयक, 1972 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा 30.3.73
राष्ट्रपति की अनुमति : 9.4.73)

29.3.73 मनीपुर बजट (1973-74) प्रस्तुत किया गया।

30.3.73 दिल्ली के अस्पतालों में ~~हड़ताल~~ हुनने वाले डाक्टरों, हाउस सर्जनों, रजिस्ट्रारों और स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा 31 मार्च, 1973 की आधी रात से हड़ताल की धमकी ~~देने~~ के बारे में स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री द्वारा वक्तव्य।

2.4.73 महान्यायवादी द्वारा अदालत में संशोधन करने के बारे में 30.3.73 को उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिये गये वक्तव्य के बारे में श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा।

5-4-73	सिक्किम में 2-4-73 को हुई कुछ घटनाओं के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य।
9-4-73	सिक्किम की स्थिति के बारे में विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य
2-5-73 4-5-73	भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के त्यागपत्रों ~~के~~ से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री मधु लिमये द्वारा उठाई गई चर्चा।
3-5-73	वित्त विधेयक, 1973 पारित हुआ (राज्य सभा द्वारा : 8-5-73 राष्ट्रपति की अनुमति : 11-5-73)
7-5-73	उड़ीसा राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1973 पारित हुआ। (राज्य सभा द्वारा : 29-3-73 राष्ट्रपति की अनुमति : 10-5-73)
8-5-73	संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 1973 पारित हुआ (राज्य सभा द्वारा : 15-5-73 राष्ट्रपति की अनुमति : 17-10-73)
9-5-73	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय विधेयक, 1973 पारित हुआ। (राज्य सभा द्वारा : 15-5-73 राष्ट्रपति की अनुमति : 26-5-73)
14-5-73	मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 28 मार्च, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ श्री कृष्ण चन्द्र पन्त द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकृत हुआ। मणिपुर राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1973 पारित हुआ। (राज्य सभा द्वारा : 8-5-73 राष्ट्रपति की अनुमति : 19-5-73) केरल ज्ञान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1973 पारित हुआ। (राज्य सभा द्वारा : 13-5-73 राष्ट्रपति की अनुमति : 30-5-73)

44

15-5-73 श्री जाम्बवन्त धोते की गिरफ्तारी के बारे में सर्वश्री बीरेन्द्र सिंह राव और मधु लिमये द्वारा उठाया गया विशेषाधिकार का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया।

16-5-73 लोक सभा के सत्र में उपस्थित होने के लिए आ रहे संसद सदस्य श्री लालजी भाई के साथ अजमेर रेलवे स्टेशन पर 23 मार्च, 1973 को किये गये कथित दुर्व्यवहार और उनके मार्ग में उत्पन्न की गई कथित बाधा के लिए जिम्मेदार रेल कर्मचारियों और रेलवे पुलिस के विरुद्ध विशेषाधिकार का मामला विशेषाधिकार समिति को दिए सौंपा गया।

चीनी जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में कृषि मंत्री द्वारा वक्तव्य।

इंडियन वर्क्स आफ डिफेन्स एक्ट, 1903 के उपबंधों और उसके अंतर्गत दिये गये आदेशों के उल्लंघन के बारे में श्री श्यामनन्दन मिश्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा — अस्वीकृत।

23-7-73 आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हो रही असाधारण वृद्धि पर नियंत्रण करने तथा लोगों को उचित मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में अनाज सप्लाई करने में विफलता के बारे में श्री इन्द्रजीत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा — अस्वीकृत।

दर्शक दीर्घा से सभा में तानाजी आम्बले नामक व्यक्ति द्वारा फेंके गये कुछ पर्चों से हुए सभा के अवमान और इसके लिए उसे 26 जुलाई, 1973 के 5 बजे म०प्र० तक साधारण कारावास का दण्ड दिये जाने के बारे में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

30-7-73 मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1972 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 8-8-73
राष्ट्रपति की अनुमति : 21-8-73)

लक्कादीव, मिनिकाय और अमीर दीवी द्वीप समूह (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1972 पारित हुआ
(राज्य सभा द्वारा : 8-8-73
राष्ट्रपति की अनुमति : 26-8-73)

1-8-73 श्री फूल चन्द वर्मा द्वारा, अपनी जमा पुलिस द्वारा 13 अप्रैल, 1973 को जब वे एक प्रदर्शन आयोजित कर रहे थे किये गये कथित प्रहार के बारे में उठाया गया विशेषाधिकार का प्रश्न — विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया।

27-7-73 को दिल्ली में पुराने सचिवालय के भवन के बाहर खुले प्रदर्शन के बारे में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री का वक्तव्य।

2-8-73 भारत-बांग्लादेश संयुक्त घोषणा से संबंधित राजधानियों में हुई वार्ता के बारे में विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री का वक्तव्य।

पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में सूखे की स्थिति के बारे में कृषि मंत्री का वक्तव्य।

3-8-73 रेल के में हड़ताल की स्थिति के बारे में रेल मंत्री का वक्तव्य।

6-8-73 सीमा शुल्क, उत्पाद (निरसन) और उत्पाद शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक, 1972, पारित हुआ।

(राज्य सभा द्वारा : 13-8-73
राष्ट्रपति की अनुमति : 1-9-73)

8-8-73 उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति के बारे में सिंचाई और विद्युत उपमंत्री का वक्तव्य।

9-8-73 उत्तर प्रदेश के संबंध में 13 जून, 1973 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई घोषणा के अनुमोदन के लिये श्री उमाशंकर दीक्षित द्वारा 7-8-73 को प्रस्तुत संकल्प स्वीकृत हुआ।

13-8-73 लोको रनिंग स्टाफ द्वारा हड़ताल समाप्त करने के बारे में रेल मंत्री का वक्तव्य।

16-8-73 कर्मचारी भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन निधि (संशोधन) विधेयक, 1973, पारित हुआ।

(राज्य सभा द्वारा : 23-8-73
राष्ट्रपति की अनुमति : 6-9-73)

तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर श्री मधु लिमये द्वारा उठायी गई चर्चा।

17-8-73 आंध्र प्रदेश के बारे में 18 जनवरी, 1973 से लागू की उद्घोषणा को 1 सितम्बर, 1973 से आगे छः मास तक लागू रखने के अनुमोदन के लिये 16-8-73 को श्री कृष्ण चन्द्र पन्त द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकृत हुआ।

20.8.73 उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1973 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 8.8.73
राष्ट्रपति की अनुमति : 22.8.73)

मणिपुर के बारे में 28 मार्च, 1973 से लागू उद्घोषणा को 14 नवम्बर, 1973 से आगे छः मास तक लागू रखने की अनुमति के लिये श्री कृष्णचन्द्र पन्त द्वारा 20.8.73 को प्रस्तुत संकल्प स्वीकृत हुआ।

22.8.73 उड़ीसा के बारे में 3 मार्च, 1973 को लागू की गई उद्घोषणा को 26 सितम्बर, 1973 से आगे छः मास तक लागू रखने की अनुमति के लिये श्री कृष्णचन्द्र पन्त द्वारा 20-8-73 को प्रस्तुत संकल्प स्वीकृत हुआ।

23.8.73 देश के विभिन्न भागों में हरिजनों पर किये गए कथित अत्याचार के बारे में श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा उठाई गई चर्चा।

27.8.73 विदेशी मुद्रा नियंत्रण विधेयक, 1973 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 3.9.73
राष्ट्रपति की अनुमति : 19.9.73)

28.8.73 हिन्द पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद, के विरुद्ध उसके नये प्रकाशन "द यू. कैंड आर. डिमिन्ड, 1973" के संबंध में श्री राम रतन शर्मा द्वारा उठाया गया विशेषाधिकार का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री द्वारा कतिपय पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में वक्तव्य।

देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में श्री आर० के० देव द्वारा उठाई गई चर्चा।

29.8.73 बीमा अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 1973 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 16.8.73
राष्ट्रपति की अनुमति : 1.9.73)

भारत और पाकिस्तान के बीच 18.8.73 से 28.8.73 तक नई दिल्ली में हुई बातचीत के बारे में विदेश मंत्री का वक्तव्य।

30.8.73 तीसरे केन्द्रीय कर्मचारी वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के बारे में वित्त मंत्री का वक्तव्य।

31.8.73	इन्दौर और भोपाल में आदयुक्तों संबंधित कथित उपद्रवों के बारे में कृषि राज्य मंत्री का वक्तव्य।
31.8.73 4.9.73 5.9.73	'पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण' के बारे में श्री डी० पी० धर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा।
3.9.73	चावल के थोक व्यापार के अधिग्रहण के बारे में कृषि मन्त्री का वक्तव्य।
4.9.73	कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 1973 पारित। (राज्य सभा द्वारा : 20.9.73 राष्ट्रपति की अनुमति : 6.9.73)
5.9.73	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते की अदायगी के प्रश्न पर वित्त मन्त्री का वक्तव्य। डाक्टरों की हड़ताल के बारे में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री द्वारा वक्तव्य।
12.11.73	सदन की ओर से, प्रधान मन्त्री ने डा० गुरदयाल सिंह ढिल्लों, अध्यक्ष और श्री श्यामलाल शकधर, सचिव, लोक सभा की कुमार अन्तर्संसदीय परिषद का अध्यक्ष और सदस्यों के महासचिवों के एसोसियेशन का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी। अशोधित तेल के मूल्य और उसकी संभावित स्थिति के बारे में पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री द्वारा वक्तव्य। भारत में आदयुक्त और कृषि की स्थिति के बारे में कृषि राज्य मन्त्री द्वारा वक्तव्य। आवश्यक वस्तुओं आदि की कीमतों में असाधारण वृद्धि के बारे में श्री एस० एम० बनर्जी द्वारा पेश किये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा।
14.11.73	विदेशी पर्चाट (मान्यता और लागू किया जाना) संशोधन विधेयक, 1973 – पारित हुआ। (राज्य सभा द्वारा : 16.8.73 राष्ट्रपति की अनुमति : 26.11.73)
16.11.73	राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली से चोरी के सिक्कों की बरामदगी के बारे में शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री द्वारा वक्तव्य।

19.11.73 — दोषोपयोगी केन्द्रीय परिषद विधेयक, 1973 – पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 23.7.73
19.11.73 को लोक सभा द्वारा संशोधित किया गया और उस पर राज्य सभा द्वारा विचार किया गया और सहमति प्रकट की गई।
राष्ट्रपति की अनुमति : 19.12.73)

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1973 - पारित।हुई
(राज्य सभा द्वारा : 12.11.73
राष्ट्रपति की हुई अनुमति : 29.11.73)

21.11.73
22.11.73 — श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा प्रस्तुत मन्त्रि-परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा — अस्वीकृत।

26.11.73 — इण्डियन एयरलाइन्स में तालाबन्दी के बारे में पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री द्वारा वक्तव्य।

27.11.73 — प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक, 1973 – पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 3.12.73
राष्ट्रपति की अनुमति : 14.12.73)

3.12.73 — मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 1973 – पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 12.11.73
राष्ट्रपति की अनुमति : 11.12.73)

4.12.73 — उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 1973 – पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 30.8.73
लोक सभा द्वारा 4.12.73 को किये गये संशोधन पर राज्य सभा द्वारा 12.12.73 को विचार किया गया और सहमति प्रकट की गई।
राष्ट्रपति की अनुमति : 28.12.73)

5.12.73 — बीमा संदाय (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1973 – पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 21.11.73
राष्ट्रपति की अनुमति : 14.12.73)

6.12.73 — दि बर्न कम्पनी तथा इण्डियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी (प्रबन्ध अधिग्रहण) विधेयक, 1973 — पारित।

(राज्य सभा द्वारा : 10.12.73
राष्ट्रपति की अनुमति : 17.12.73)

दि असनसोल इंजीनियरिंग कम्पनी (उपक्रम का अधिग्रहण) विधेयक, 1973 पारित।

(राज्य सभा द्वारा : 11.12.73
राष्ट्रपति की अनुमति : 14.12.73)

7.12.73 — 15.9.73 को लाल किले में कालपात्र के साथ जमीन में गाड़े गये ऐतिहासिक दस्तावेजों के पाठ के बारे में श्री इरा सेझियान द्वारा उठाई गई चर्चा।

10.12.73 — दोनों कोरिया के साथ राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना के बारे में विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री द्वारा वक्तव्य।

12.12.73 — छह महीने के भीतर विधान सभा की बैठक न बुलाये जाने के लिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा संविधान का कथित उल्लंघन किये जाने के बारे में विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री द्वारा वक्तव्य।

दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1973 — पारित

(राज्य सभा द्वारा : 13.12.73
12.12.73 को लोक सभा द्वारा किये गये संशोधन पर राज्य सभा द्वारा 19.12.73 को विचार किया गया और सहमति प्रकट की गई।
राष्ट्रपति की अनुमति : 25.1.74)

13.12.73 — संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार द्वारा भारत में रुपये की मुद्रा में जमा धनराशि का निपटान करने के बारे में वित्त मन्त्री द्वारा वक्तव्य।

17.12.73 — लोको रनिंग स्टाफ द्वारा हड़ताल के बारे में रेल मंत्री द्वारा वक्तव्य।

वर्ष 1973-74 के उत्पादन की लेवी चीनी के कारखाना पर मूल्य निर्धारण के बारे में कृषि मंत्री द्वारा वक्तव्य।

18.12.73 — ★ संविधान (बत्तीसवां संशोधन) विधेयक, 1973 पारित हुआ।

(राज्य सभा द्वारा : 20.12.73
राष्ट्रपति की अनुमति : 3.5.74)

★ विधेयक लोक सभा में संविधान (तैंतीसवां संशोधन) विधेयक, 1973 के रूप में पुरःस्थापित किया गया। विधेयक का संक्षिप्त नाम लोक सभा द्वारा इस रूप एक में संशोधन करके परिवर्तित किया गया।

मुस्की नियम (निरसन) विधेयक, 1973 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 20.12.73
राष्ट्रपति की अनुमति : 28.12.73)

19.12.73 कोकिंग यात्री फीस (अधिग्रहण) विधेयक, 1973 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 20.12.73
(राष्ट्रपति की अनुमति : 22.12.73)

20.12.73
21.12.73 अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा उसके बारे में भारतीय सरकार की नीति के सम्बन्ध में सरदार स्वर्णसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा।

20 दिसम्बर, 1973 को पालम हवाई अड्डे पर लुफ्तांसा बोईंग - 707 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में पर्यटन और नागर विमानन मंत्री द्वारा वक्तव्य।

24.12.73 अपकर (संशोधन) विधेयक, 1973 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 24.12.73
राष्ट्रपति की अनुमति : 25.12.73)

दिल्ली नगरीय कला आयोग विधेयक, 1973 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 24.12.73
राष्ट्रपति की अनुमति : 1.1.74)

श्री के० रघुरामैया द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया गया जिसमें यह संकल्प किया गया था कि स्वर्ण श्यामचरण और राममूर्ति पाण्डेय बताने वाले दो व्यक्तियों ने जिन्होंने दर्शक दीर्घा में शोर मचाया और वहाँ से सदन में पर्चे फेंकने का प्रयास किया, गम्भीर अपराध किया तथा वे सदन का अपमान करने के दोषी हैं तथा उन्हें दिनांक 22.12.73 को 6 बजे सायं तक जेल में रखा जाये।

22.12.73 पश्चिम बंगाल में खाद्यान्न संकट के बारे में कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री द्वारा वक्तव्य।

रेलवे के लोको रनिंग स्टाफ द्वारा हड़ताल के बारे में रेल मंत्री द्वारा वक्तव्य।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर द्वारा 14.11.73 को अदालत में अपनी कथित गिरफ्तारी की सूचना अध्यक्ष को न दिये जाने के बारे में उठाया गया विशेषाधिकार का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया।

51

1974

18.2.74	एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण।
19.2.74	दिल्ली के कनिष्ठ डाक्टरों द्वारा हड़ताल के बारे में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री द्वारा वक्तव्य।
21.2.74	राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव (संशोधन) विधेयक, 1974 पारित हुआ। (राज्य सभा द्वारा : 21.3.74 राष्ट्रपति की अनुमति : 23.3.74) ऋण (दावा निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक, 1974 पारित हुआ। (राज्य सभा द्वारा : 4.3.74 राष्ट्रपति की अनुमति : 23.3.74)
22.2.74	भारत-ईरान संयुक्त आयोग की चौथी बैठक के बारे में विदेश मंत्री द्वारा वक्तव्य।
25.2.74 26.2.74 27.2.74 28.2.74 1.3.74	राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।
27.2.74	रेल बजट (1974-75) प्रस्तुत किया गया।
28.2.74	सामान्य बजट (1974-75) प्रस्तुत किया गया।
4.3.74	पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य।
5.3.74	इलाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री एच0 एन0 बहुगुणा ने 4 मार्च, 1974 से लोक सभा की अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दिया। ऐसी (भारत में उपक्रम का अर्जन) विधेयक, 1974 पारित हुआ। (राज्य सभा द्वारा : 12.3.74 राष्ट्रपति की अनुमति : 13.3.74)

52

6.3.74	मोटे अनाज के लाने लेजाने पर रोक हटाने के बारे में कृषि मंत्री द्वारा वक्तव्य।
11.3.74	गुजरात राज्य के सम्बन्ध में 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ श्री राम निवास मिर्धा द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकृत हुआ।
13.3.74	संसद भवन के बाहर 11 मार्च, 1974 को विद्यार्थियों की गिरफ्तारी के बारे में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य।
14.3.74	कोकाकोला निर्यात निगम के भारत में प्रतिष्ठानों के विस्तार एवं सरकार द्वारा उन्हें दी गई सुविधाओं के बारे में श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा उठाई गई चर्चा।
18.3.74	दिल्ली के हस्पतालों में कनिष्ठ डाक्टरों की हड़ताल के बारे में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री द्वारा वक्तव्य। गुजरात बजट (1974-75) प्रस्तुत किया गया।
20.3.74	बिहार की स्थिति के बारे में गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य।
21.3.74	बिहार की स्थिति पर श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा उठाई गई चर्चा।
25.3.74	आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) विधेयक, 1974 पारित हुआ। (राज्य सभा द्वारा : 20.3.74 राष्ट्रपति की अनुमति : 23.3.74)
26.3.74	गुजरात राज्य विधानमण्डल (शक्तियों का परिभाषीकरण) विधेयक, 1974 पारित हुआ। (राज्य सभा द्वारा : 19.3.74 राष्ट्रपति की अनुमति : 27.3.74)
28.3.74	पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा को भंग करने के बारे में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य। गेहूं के लिये 1974-75 के मौसम के लिये बसूली और मूल्य निर्धारण नीति के बारे में कृषि मंत्री द्वारा वक्तव्य।

29.3.74 — तीसरे वेतन आयोग की श्रेणी एक के अधिकारियों के बारे में सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के बारे में वित्त मंत्री द्वारा वक्तव्य।

2.4.74 — कनिष्ठ डाक्टरों की हड़ताल के बारे में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री द्वारा वक्तव्य।

3.4.74 — पाकिस्तानी सेना राजस्थान की संचित निधि में से व्यय को प्राधिकृत करने के बारे में 29.3.74 को राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये आदेश के विषय में वित्त, व्यय और कम्पनी कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य।

1974-75 के मौसम के लिये गेहूं के वसूली तथा मूल्य निर्धारण नीति के बारे में श्री बालकृष्ण वैनकन्ना नायक द्वारा उठाई ह गई ववी।

8.4.74 — दिल्ली के कनिष्ठ डाक्टरों द्वारा अपनी हड़ताल समाप्त करने के बारे में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री द्वारा वक्तव्य।

10.4.74 — नई दिल्ली में 9 अप्रैल, 1974 को बांग्लादेश, भारत-पाकिस्तान समझौते के बारे में विदेश मंत्री द्वारा वक्तव्य।

11.4.74 — पाकिस्तानी बजट (1974-75) प्रस्तुत किया गया।

रत्न चन्द्र गुप्त द्वारा, जिसने दर्शक दीर्घा से नारे लगाये, सदन के अवमान तथा उसे 10 नवं, 1974 की सायंकाल 6 बजे तक के कठोर कारावास की सजा के बारे में श्री के0 रघुरामैया द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16.4.74 — भूतपूर्व अमरीकी उप-राष्ट्रपति, मिस्टर हबर्ट हम्फ्रे के इस कथित वक्तव्य के बारे में कि प्रधान मंत्री ने उनके साथ अपनी अनौपचारिक बातचीत में वियतनाम में अमरीकी सैनिकों की उपस्थिति का समर्थन किया, प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य।

17.4.74 — ~~केरल~~ बिहार एवं गुजरात की स्थिति पर गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य।

19.4.74 — बिहार की स्थिति पर श्री एस0 एम0 बनर्जी द्वारा उठाई गई ववी।

22.4.74 — राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा तीन और अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बारे में कृषि मंत्री द्वारा वक्तव्य।

29.4.74 — राष्ट्रपतीय चुनाव, 1974 के बारे में विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य।

25.5.74 — वर्ष 1973-74 के लिये पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों के संबन्ध में संवैधानिक स्थिति के बारे में वित्त मंत्री द्वारा वक्तव्य।

देश की जल सीमा के भीतर समुद्र के नीचे की भूमि पर स्वामित्व के संबंध में विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य।

रेल हड़ताल की धमकी के बारे में रेल मंत्री द्वारा वक्तव्य।

रेल कर्मचारियों की नेताओं की अविवेकपूर्ण ढंग से गिरफ्तारियों के बारे में श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा-अस्वीकृत।

4.5.74 — वित्त विधेयक, 1974 — पारित
(राज्य सभा द्वारा : 9.5.74
राष्ट्रपति की अनुमति : 11.5.74)

7.5.74 — दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र में हुए दंगों को टालने में असफलता, जिसके कारण मौतें हुईं और सम्पत्ति का भारी नुकसान हुआ, के बारे में श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर विचार - अस्वीकृत।

8.5.74 — * संविधान (तेईसवां संशोधन) विधेयक, 1974 — पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 14.5.74
राष्ट्रपति की अनुमति : 19.5.74)

9.5.74 — उस पत्र के बारे में, जिसमें श्री फ्रेंडस कोलाबोरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी, दिल्ली के चेयरमैन के उप-राज्यपाल को 7 मई, 1974 को लिखा गया और जिसमें संसद पर कथित आरोप लगाये गये हैं; के विरुद्ध श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा उठाया गया विशेषाधिकार का प्रश्न — विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा प्रस्तुत मंत्रिपरिषद में अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा - अस्वीकृत

---

* यह विधेयक, संविधान (पैंतीसवां संशोधन) विधेयक, 1974 के रूप में लोक सभा में पुनःस्थापित किया गया। विधेयक का संक्षिप्त नाम अब । में लोक सभा द्वारा संशोधन करके बदला गया।

55

10.5.74	श्री गदाधर साहा द्वारा 3 मई, 1974 को नलहाटी थाने में अपनी नजरबंदी के बारे में उठाया गया विशेषाधिकार का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया।
22.7.74	भूमिगत परमाणु विस्फोट के प्रयोग के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य।
	भारत और बंगलादेश के बीच दोनों देशों की भू-सीमाओं के सीमांकन से सम्बन्धित समझौते के बारे में विदेश मंत्री द्वारा वक्तव्य।
	कोयला खान (संरक्षा और विकास) विधेयक, 1974 — पारित (राज्य सभा द्वारा : 13.8.74 राष्ट्रपति की अनुमति : 26.8.1974)
23 & 7.74	भारत और श्रीलंका के बीच दोनों देशों के ऐतिहासिक जल की सीमा तथा सम्बद्ध मामलों के बारे में विदेश मंत्री द्वारा वक्तव्य।
23.7.74 24.7.74 25.7.74	श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा प्रस्तुत मंत्रि-परिषद में अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा — अस्वीकृत।
25.7.74	केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा-शुल्क बोर्ड के चेयरमैन द्वारा अपव्ययी कारों की दरों में वृद्धि करने हेतु सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सलाहकार परिषद में उनके द्वारा किये गये उल्लेख के समाचार के विरुद्ध श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा उठाया गया विशेषाधिकार का प्रश्न — विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया।
26.7.74	जिलब बसु नामक व्यक्ति, जिसने अपने साथ बुरा लेकर दर्शक दीर्घा में प्रवेश करने का प्रयास किया, द्वारा सभा का अवमान किये जाने तथा उसे 26.8.74 को शाम 6 बजे तक कठोर कारावास का दंड दिये जाने के सम्बन्ध में श्री के० रघुरामैया द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव - स्वीकृत
1.8.74	प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक, 1973 — पारित। (राज्य सभा द्वारा : 12.8.74 राष्ट्रपति की अनुमति : 13.8.74)
2.8.74	लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद स्थित बैंकों द्वारा 100 रुपये के नोटों को लेने से इन्कार किये जाने के समाचार के बारे में वित्त मंत्री द्वारा वक्तव्य।
5.8.74	गया में 'देखते ही गोली मार दो' के कथित आदेशों के बारे में गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य।

56

कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1974 – पारित
(राज्य सभा द्वारा : 22-8-74
राष्ट्रपति की अनुमति : 10-9-74)

भाखड़ा स्थित बांध किनारे वाली बिजली घर की गैलरियों में पानी भर जाने के बारे में सिंचाई और विद्युत मंत्री द्वारा वक्तव्य।

7-8-74 हैदराबाद विश्वविद्यालय विधेयक, 1974 – पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 19-8-74
(राष्ट्रपति की अनुमति : 3-9-74)

8-8-74 परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा किये गए परमाणु विस्फोट के बारे में श्री समर गुहा द्वारा उठाई गई चर्चा।

14-8-74 भारत और इंडोनेशिया सरकारों के बीच दोनों देशों के बीच की महाद्वीपीय भूतल-सीमा के परिसीमन से सम्बन्धित समझौते के बारे में विदेश मंत्री द्वारा वक्तव्य।

★ बैंकिंग आयोग के प्रतिवेदन पर श्री मधु लिमये द्वारा उठाई गई चर्चा।

★ राष्ट्रीय कृत बैंकों के कार्यकरण के बारे में श्री प्रसन्नभाई मेहता द्वारा उठाई गई चर्चा।

20-8-74 रेल मंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति से हुई अपनी भेंट और हड़ताल के बाद की स्थिति पर उनसे चर्चा।

वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1974 – पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 26-8-74
राष्ट्रपति की अनुमति : 31-8-74)

21-8-74 कम्पनी (लाभांशों पर अस्थाई प्रतिबन्ध), विधेयक, 1974 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 27-8-74
राष्ट्रपति की अनुमति : 31-8-74)

आसाम के बारपेटा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने 21-8-74 से लोक सभा की अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दिया।

24-8-74 देश में बाढ़ तथा सूखे की स्थिति के बारे में श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी द्वारा उठाई गई चर्चा

★ साथ-साथ चर्चा की गई।

57

26.8.74 अनावश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1974 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 29.7.74
राष्ट्रपति की अनुमति : 29.8.74)

संविधान (चौंतीसवां संशोधन) विधेयक, 1974 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 28.8.74
राष्ट्रपति की अनुमति : 7.9.74)

27.8.74 अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य जमा) विधेयक, 1974 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 31.8.74
राष्ट्रपति की अनुमति : 1.9.74)

अनिवार्य जमा योजना (आयकर दाता) विधेयक, 1974 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 31.8.74
राष्ट्रपति की अनुमति : 1.9.74)

28.8.74 उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 1974 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 5.8.74
राष्ट्रपति की अनुमति : 31.8.74)

अलौह धातुओं कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण) संशोधन विधेयक, 1974 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 8.8.74
राष्ट्रपति की अनुमति : 31.8.74)

29.8.74 प्रेस परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1974 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 7.8.74
राष्ट्रपति की अनुमति : 31.8.74)

30.8.74 श्री ईश्वर चौधरी संसद् सदस्य की हथकड़ी लगाने के बारे में विशेषाधिकार के प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध का अधिग्रहण) संशोधन विधेयक, 1974 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 9.8.74
राष्ट्रपति की अनुमति : 31.8.74)

कृषि श्रमिकों की दशा में सुधार करने के लिये रोजगार के अवसर पैदा करने, न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित करने और उसे प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वित करने, खाद्य तथा अत्यावश्यक वस्तुएं उचित दरों पर सप्लाई करने और प्रभावकारी भूमि सुधार करने के बारे में श्री गदाधर साहा द्वारा 2 अगस्त, 1974 को प्रस्तुत संकल्प स्वीकृत हुआ।

3.9.74 — जम्मू-बिहार में सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में गृह मंत्रालय में उप-मंत्री द्वारा वक्तव्य।

2.9.74 — देश की प्रादेशिक जल सीमा में समुद्र के नीचे भूमि के स्वामित्व के बारे में विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य।

3.9.74 — बिहार राज्य को दिये गये वचन के अनुसार 35,000 टन खाद्यान्न सप्लाई करने में सरकार की असफलता के बारे में, जिसके परिणाम-स्वरूप राज्य में, विशेषकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गम्भीर अकाल की स्थिति पैदा हुई, श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा।

4.9.74 — * संविधान (पैंतीसवां संशोधन) विधेयक, 1974 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 7.9.74
राष्ट्रपति की अनुमति : 22.8.75)

6.9.74 — खाद्यान्नों और अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि और उनकी दुर्लभता के बारे में कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य।

तेल उद्योग (विकास) विधेयक, 1974 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 9.9.74
राष्ट्रपति की अनुमति : 26.9.74)

अमृत लाल शर्मा नामक व्यक्ति द्वारा, जिसने दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके, सभा का अपमान किये जाने और उसे 9.9.74 को सायं 6 बजे तक के लिये कठोर कारावास की सजा दिये जाने के बारे में श्री के० रघुमैया द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7.9.74 — गुजरात के सम्बन्ध में 9 फरवरी, 1974 की उदघोषणा ।। सितम्बर, 1974 से 6 महीने की अवधि के लिये जारी रखने के अनुमोदनार्थ श्री राम निवास मिर्धा द्वारा 6.9.74 को प्रस्तुत संकल्प स्वीकृत हुआ।

बुकारेस्ट में हुए विश्व जनसंख्या सम्मेलन के बारे में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री द्वारा वक्तव्य।

---

* यह विधेयक लोक सभा में संविधान (बत्तीसवां संशोधन) विधेयक, 1974 के रूप में पुरःस्थापित किया गया था। अनु० । में संशोधन करके विधेयक का संक्षिप्त नाम लोक सभा द्वारा बदल दिया गया।

59

बैंक-कर विधेयक, 1974 — पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 10.9.74
राष्ट्रपति की अनुमति : 23.9.74)

9.9.74 आपात स्थिति की उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य।

लोक सभा के 21 सदस्यों के कथित हस्ताक्षरों से युक्त वाणिज्य मंत्रालय को दिये गये अभ्यावेदन, मंत्री द्वारा किये गये इस रहस्योद्घाटन कि उनमें से अधिकांश हस्ताक्षर जाली थे और अभ्यावेदन में उल्लिखित फार्मों की वास्तव में अलाट किये गये लाइसेंसों से सम्बद्ध समूचे मामले की जांच करने के लिए एक संसदीय समिति के गठन के बारे में श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव — अस्वीकृत।

11.11.74 पटना में 4 नवम्बर, 1974 को सर्वोदय नेता श्री जय प्रकाश नारायण सहित शान्तिपूर्ण सत्याग्रहियों पर केन्द्रीय पुलिस, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल द्वारा अक्रमण की रोकने में सरकार की कथित विफलता के बारे में श्री श्यामनन्दन मिश्र द्वारा पेश किये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा — अस्वीकृत।

12.11.74 भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 1973 - पारित।
राज्य सभा द्वारा : 29.11.73
12.11.74 को लोक सभा द्वारा किये गये संशोधन पर राज्य सभा द्वारा 27.11.74 को विचार किया गया और सहमति प्रकट की गई।
राष्ट्रपति की अनुमति : 12.12.74)

18.11.74 भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 1974 - पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 19.2.74
18.11.74 को लोक सभा द्वारा किये गये संशोधन पर राज्य सभा द्वारा 27.11.74 को विचार किया गया और सहमति प्रकट की गई।)
राष्ट्रपति की अनुमति : 13.12.74)

19.11.74 पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों में अकाल की स्थिति का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने और पर्याप्त राहत उपाय करने में सरकार की कथित असफलता जिसके कारण हजारों लोग भुखमरी का शिकार हो गये, के बारे में श्री समर गुहा द्वारा पेश किये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा - अस्वीकृत।

21.11.74	आयात लाइसेंस काड के बारे में विशेषाधिकार के प्रश्न के संबंध में गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य।
25.11.74	आयात लाइसेंस काड के बारे में विशेषाधिकार के प्रश्न के संबंध में विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य।
26.11.74	आयात लाइसेंस काड के बारे में विशेषाधिकार के प्रश्न के संबंध में वाणिज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य। श्री सत्येन्द्र जीत सिंह द्वारा सभा का अपमान करने के बारे में जिन्होंने दर्शक दीर्घा में अपने पास विस्फोटक पदार्थ और एक बुश बुराये हुए प्रवेश करने का प्रयास किया और जिन्हें 20.12.74 के पश्चात् पश्चात् 6.00 बजे तक कड़ी कैद की सजा देने वाला श्री के0 रघुरामैया द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव – स्वीकृत हुआ।
3.12.74	पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तट-दूर ड्रिलिंग प्लेटफार्म सागर सम्राट के बारे में वक्तव्य।
4.12.74	वाणिज्य मंत्री द्वारा पटसन की गांठों के बारे में वक्तव्य।
5.12.74	संविधान के अनुच्छेद 359 के खण्ड (1) के अधीन 16 नवम्बर, 1974 को जारी किये गये राष्ट्रपति के आदेश का, जिसके द्वारा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 के खण्ड (4), (5), (6) और (7) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिये आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, 1971 के अधीन नजरबंदी आदेशों के संबंध में किसी न्यायालय में जाने के नागरिक अधिकारों को निलम्बित किया गया है और आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अधीन नजरबंदी आदेशों के संबंध में उपर्युक्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिये किसी न्यायालय में लंबित कार्यवाहियों को भी निलम्बित किया गया है, निरनुमोदन करते हुए श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2 दिसम्बर, 1974 को पेश किये गये प्रस्ताव पर चर्चा की, अस्वीकृत।
6.12.74	विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्कर गतिविधि निवारण विधेयक, 1974 – पारित। (राज्य सभा द्वारा : 11.12.74 राष्ट्रपति की अनुमति : 13.12.74)

9.12.74	आयात लाइसेंस काड के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य। आयात लाइसेंस काड के बारे में श्री ललित नारायण मिश्र द्वारा उनके विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के संबंध में वक्तव्य। चीनी के वसूली मूल्य के बारे में कृषि और सिंचाई मंत्री द्वारा वक्तव्य।
10.12.74	खोटे सिक्के (अपराध) संशोधन विधेयक, 1974 – पारित। (राज्य सभा द्वारा : 28.11.74 (राष्ट्रपति की अनुमति : 10.12.74)
11.12.74	रेल्वे कंपनी उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1974 – पारित (राज्य सभा द्वारा : 17.12.74 राष्ट्रपति की अनुमति : 21.12.74) कोयला उद्योग में मजदूरों के पुनर्वास के बारे में ऊर्जा मंत्री द्वारा वक्तव्य।
12.12.74	आयात लाइसेंस के मामले के बारे में श्री ललित नारायण मिश्र द्वारा वक्तव्य।
16.12.74	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1974 – पारित। (राज्य सभा द्वारा : 19.12.74 राष्ट्रपति की अनुमति : 21.12.74)
17.12.74	श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा प्रकीर्ण उपबन्ध संशोधन विधेयक, 1974 – पारित (राज्य सभा द्वारा : 2.12.74 राष्ट्रपति की अनुमति : 21.12.74)
18.12.74	लोक सभा तथा मंत्रिमण्डल के सदस्य श्री ललित नारायण मिश्र की सदन की सदस्यता से हटाये जाने के मामले के बारे में श्री ज्योतिर्मय वसु द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा – अस्वीकृत। श्री श्यामनन्दन मिश्र द्वारा निर्वाचन आयोग को व्यापक बनाने तथा उसके पुनर्गठन के बारे में प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा।
19.12.74	चीनी उद्योग जांच आयोग के प्रतिवेदन (1974) के बारे में श्री मधु दण्डवते द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा।

62

20.12.74

17.12.74 को श्री भीखूभाई दा, संसद सदस्य के निवास स्थान पर बम घटना के समाचार के बारे में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय अतिरिक्त महंगाई भत्ते के दिये जाने के बारे में वित्त मंत्री द्वारा वक्तव्य।

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1974 – पारित।

(राज्य सभा द्वारा : 21.12.74
राष्ट्रपति की अनुमति : 27.12.74)

~~xxx~~ नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के गायब हो जाने की जांच करने सम्बन्धी आयोग के प्रतिवेदन (1974) के बारे में श्री समर गुह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा।

63

1975

17.2.75 संयुक्त रूप से समवेत दोनों सदनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण।

18.2.75 संविधान तथा संसद की 25 वीं वर्षगांठ मनाने के बारे में अध्यक्ष द्वारा घोषणा।

ठेठ महीना गुजरने के बाद भी समस्तीपुर बम मामले की छानबीन में असफल रहने तथा जांच आयोग की स्थापना करने में असाधारण विलम्ब के बारे में श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा — अस्वीकृत।

भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 1974 — पारित
(राज्य सभा द्वारा : 3.3.75
राष्ट्रपति की अनुमति : 6.3.75)

19.2.75 दिल्ली के जामा मस्जिद क्षेत्र में पुलिस की ज्यादतियों, जिसके फलस्वरूप अल्पसंख्यक समुदाय के अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई, के समाचार के बारे में श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा उठाई गई चर्चा।

20.2.75 रेल बजट (1975-76) प्रस्तुत किया गया।

20.2.75
21.2.75
24.2.75
25.2.75
26.2.75
27.2.75 राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।

20.2.75 पश्चिम बंगाल में 6 जनवरी 1975 से 2½ लाख पटसन बुनकरों की हड़ताल से उत्पन्न गम्भीर स्थिति, जिसके फलस्वरूप भारत के पटसन से बनी वस्तुओं का निर्यात पूर्णतया बन्द हो गया है के समाचार के बारे में श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा उठाई गई चर्चा।

24.2.75 जम्मू तथा कश्मीर के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य।

25.2.75 पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई पुनः आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में विदेश मंत्री द्वारा वक्तव्य।

27-2-75 भारतीय रिजर्व बैंक में पड़े - पुराने नोटों के बदलने में लाखों रुपयों के घोटाले का पता लगने के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य।

गुजरात के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा को 11 मार्च, 1975 से 6 मास की अतिरिक्त अवधि के लिए लागू रखने के अनुमोदन के लिये श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकृत हुआ।

28-2-75 तम्बाकू बोर्ड विधेयक, 1974 पारित हुआ।
राज्य सभा द्वारा : 6-3-75
राष्ट्रपति की अनुमति : 19-3-75

सामान्य बजट (1975-76) प्रस्तुत किया गया।

3-3-75
4-3-75 जम्मू और कश्मीर राज्य के बारे में श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4-3-75 स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1975 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 26-2-75
राष्ट्रपति की अनुमति : 7-3-75)

5-3-75 श्री मोहन धारिया द्वारा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद से अपना त्यागपत्र देने के दृष्टिकोण के सम्बन्ध में वक्तव्य।

गुजरात बजट (1975-76) प्रस्तुत किया गया।

6-3-75 तीन व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने दर्शक दीर्घा से नारे लगाये और वाच एण्ड वार्ड के कर्मचारियों पर हमला किया, सभा का अपमान किये जाने और उन्हें 19 मार्च, 1975 को मध्यान्ह पश्चात् 6 बजे तक की कड़ी कैद की सजा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री के० रघुरामैया द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14-3-75 पांडिचेरी बजट (1975-76) प्रस्तुत किया गया।

17-3-75 न्यास विधियां (संशोधन) विधेयक, 1975 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 20-3-75
(राष्ट्रपति की अनुमति : 29-3-75)

65

18-3-75 श्रमजीवी पत्रकार तथा समाचार-पत्रों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिये वेतन बोर्डों के गठन के बारे में श्रम मंत्री द्वारा वक्तव्य।

पत्रांकित क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 1975 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 13-3-75
राष्ट्रपति की अनुमति : 19-3-75)

21-3-75 20 मार्च, 1975 को भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री ए0 एन0 राय की हत्या करने के प्रयास के बारे में गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य।

24-3-75 वर्ष 1975-76 के विपणन मौसम के लिये गन्ने के वसूली तथा मूल्य निर्धारण नीति के बारे में कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य।

भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की हत्या का प्रयास करने के बारे में 21 मार्च, 1975 को गृह मंत्री द्वारा सदन में दिये गये वक्तव्य पर श्री समर गुहा द्वारा उठाई गई चर्चा।

प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक, 1975 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 26-2-75
राष्ट्रपति की अनुमति : 29-3-75)

25-3-75 दिल्ली के अध्यापकों के वेतन मानों के पुनरीक्षण के बारे में शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री द्वारा वक्तव्य।

नागालैंड राज्य के संबंध में 22 मार्च, 1975 को जारी की गई उद्घोषणा के अनुमोदन के लिये श्री के0 ब्रह्मानन्द रेड्डी द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकृत हुआ।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत त्रिपुरा में नजरबन्दी के आदेशों के संबंध में गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य।

26-3-75 रामपुर रज़ा लाइब्रेरी विधेयक, 1975 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 30-4-75
राष्ट्रपति की अनुमति : 9-5-75)

अखिल भारतीय सेवाएं विनियमन (सीमा) विधेयक, 1972 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 30-4-75
राष्ट्रपति की अनुमति : 6-5-75)

टोकियो कन्वेंशन विधेयक, 1974 पारित हुआ
राज्य सभा द्वारा : 29-4-75
राष्ट्रपति की अनुमति : 8-5-75)

7-4-75 ~~तटीय क्षेत्रों के लिये मछली की खेती में 17 से 19 मार्च, 1975 तक हुई बैठकों के बारे में विदेश मंत्री द्वारा~~

7.4.75	तटस्थ देशों के विदेश मंत्रियों की हवाना में 17 से 19 मार्च, 1975 तक हुई बैठक के बारे में विदेश मंत्री द्वारा वक्तव्य।
11.4.75	विदेश मंत्री द्वारा सिक्किम की स्थिति के बारे में वक्तव्य।
	दक्षिणी क्षेत्र में नये इस्पात संयंत्रों के सम्बन्ध में इस्पात और खान मंत्री द्वारा वक्तव्य।
15.4.75	गुजरात में चुनावों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य।
21.4.75	16 से 18 अप्रैल, 1975 तक ढाका में गंगा जल के बारे में हुई वार्ता के बारे में कृषि और सिंचाई मंत्री द्वारा वक्तव्य।
	19.4.75 को प्रथम भारतीय उपग्रह के सफलतापूर्वक छोड़े जाने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य।
23.4.75	* संविधान (36 वां संशोधन) विधेयक, 1975 पारित हुआ। (राज्य सभा द्वारा : 26.4.75 राष्ट्रपति की अनुमति : 16.5.75)
	संविधान (37 वां संशोधन) विधेयक, 1975 पारित हुआ। (राज्य सभा द्वारा : 26.4.75 राष्ट्रपति की अनुमति : 3.5.75)
25.4.75	श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा प्रधान मंत्री से यह अनुरोध करते हुए प्रस्तुत संकल्प कि भारतीय महिलाएँ जिन धार्मिक तथा सामाजिक अन्यायों, असमर्थताओं और भेदभाव से अब तक उत्पीड़ित रही हैं, उन्हें दूर करने के लिये विशेष विधायी एवम् प्रशासी उपाय करने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम आरंभ किया जाय, स्वीकृत हुआ।
30.4.75	दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता देने के बारे में विदेश मंत्रालय में उपमंत्री द्वारा वक्तव्य।
5.5.75	अतिरिक्त वित्त विधेयक, 1975 पारित हुआ। (राज्य सभा द्वारा : 7.5.75 राष्ट्रपति की अनुमति : 12.5.75)

---

* यह विधेयक लोक सभा में संविधान (38 वां संशोधन) विधेयक, 1975 के रूप में पुःस्थापित हुआ था। इसमें एक संशोधन करके लोक सभा द्वारा विधेयक का संक्षिप्त नाम बदल दिया गया था।

67

6.5.75 कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) संशोधन विधेयक, 1975 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 12.5.75
राष्ट्रपति की अनुमति : 21.5.75)

9.5.75 श्री जनेश्वर मिश्र संसद सदस्य के विरुद्ध- इलाहाबाद जिला सभा में 2 मई, 1975 को वह कथित जाली पत्र पढ़कर सुनाया था जिसे हिन्दुस्तान के कर्मचारियों द्वारा हिन्दुस्तान के अध्यक्ष की हत्या बताया गया था, श्री श्यामनन्दन मिश्र द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा प्रस्तुत मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

21.7.75
22.7.75 राष्ट्रपति द्वारा 25 जून, 1975 को की गई आपात स्थिति की उद्घोषणा की आन्तरिक और जम्मू व कश्मीर राज्य में इस उद्घोषणा को लागू करने के राष्ट्रपति के दिनांक 29 जून, 1975 के आदेश के अनुमोदन के लिये श्री जगजीवनराम द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकृत हुआ।

23.7.75 * संविधान (39 वां संशोधन) विधेयक, 1975 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 24.7.75
राष्ट्रपति की अनुमति : 1.8.75)
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण (संशोधन) विधेयक, 1975 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 25.7.75
राष्ट्रपति की अनुमति : 1.8.75

25.7.75 वित्त (संशोधन) विधेयक, 1975 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 29.7.75
राष्ट्रपति की अनुमति : 5.8.75)
आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) विधेयक, 1975 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 29.7.75
राष्ट्रपति की अनुमति : 5.8.75)

---

* यह विधेयक सभा में संविधान (39 वां संशोधन) विधेयक, 1975 के रूप में पुरःस्थापित हुआ था। खण्ड 4 में एक संशोधन कर के लोक सभा द्वारा विधेयक का संक्षिप्त नाम बदल दिया गया था।

68

28.7.75 नागालैंड के संबंध में 22 मार्च, 1975 को जारी की गई उद्घोषणा को 26 सितम्बर, 1975 से 6 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए लागू रखने के अनुमोदन के लिये श्री के0 ब्रह्मानन्द रेड्डी द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकृत हुआ।

नागालैंड राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1975 पारित हुआ।

(राज्य सभा द्वारा : 23.7.75
राष्ट्रपति की अनुमति : 30.7.75)

29.7.75 दिल्ली विकास का विधेयक, 1975 पारित हुआ।

(राज्य सभा द्वारा : 31.7.75
राष्ट्रपति की अनुमति : 7.8.75)

भारत रक्षा (संशोधन) विधेयक, 1975 पारित हुआ

(राज्य सभा द्वारा : 23.7.75
राष्ट्रपति की अनुमति : 31.7.75)

केरल विधान सभा (अवधि का विस्तारण) विधेयक, 1975 पारित हुआ।

(राज्य सभा द्वारा : 23.7.75
राष्ट्रपति की अनुमति : 31.7.75)

राज भाषा समिति के गठन के बारे में श्री ओम मेहता द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकृत हुआ।

30.7.75 सेवाकारी सेवा आयोग विधेयक, 1975 पारित हुआ।

(राज्य सभा द्वारा : 31.7.75
राष्ट्रपति की अनुमति : 7.8.75)

31.7.75
1.8.75
4.8.75 आर्थिक प्रगति के लिये नये कार्यक्रम के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा 1.7.75 की संशोधित रूप में, श्री सी0 सुब्रह्मण्यम द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.8.75. 20.3.75 की भारत के मुख्य न्यायाधीश पर बमबारी किये जाने के बारे में श्री ओम मेहता द्वारा वक्तव्य।

5.8.75 निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 1975 पारित हुआ।

(राज्य सभा द्वारा : 6.8.75
राष्ट्रपति की अनुमति : 6.8.75)

भारतीय सिक्का ढलाई (संशोधन) विधेयक, 1975 पारित हुआ।

राज्य सभा द्वारा : 6.8.75
राष्ट्रपति की अनुमति : 12.8.75)

सिगरेट (उत्पादन, पूर्ति और वितरण का विनियमन) विधेयक, 1975 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 7-8-75
राष्ट्रपति की अनुमति : 16-8-75)

6-8-75 संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1975 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 7-8-75
राष्ट्रपति की अनुमति : 16-8-75)

सीमा शुल्क टैरिफ विधेयक, 1974 पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 7-8-75
राष्ट्रपति की अनुमति : 18-8-75)

7-8-75 * संविधान (उन्नीसवां संशोधन) विधेयक, 1975 पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 8-8-75
राष्ट्रपति की अनुमति : 10-8-75)

---

* यह विधेयक लोक सभा में संविधान (बाईसवां संशोधन) विधेयक, 1975 के रूप में पुनःस्थापित किया गया। लोक सभा द्वारा विधेयक का नाम बदल कर संविधान (उन्नीसवां संशोधन) कर दिया गया।

1976

5.1.76 संसद् के एक साथ समवेत दोनों सदनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण।

डा० गुरदयाल सिंह ढिल्लों का । दिसम्बर, 1976 को लोक सभा के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद में उपाध्यक्ष द्वारा पीठासीन।

श्री बलिराम भगत अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

6.1.76 धनबाद के निकट चसनाला कोयला खान में दुर्घटना के बारे में हंगामे और खान मंत्री द्वारा वक्तव्य।

6.1.76
7.1.76
8.1.76
9.1.76 राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस।

9.1.76 आयकर (संशोधन) विधेयक, 1976 – पारित
(राज्य सभा द्वारा : 15.1.76
राष्ट्रपति की अनुमति : 22.1.76)

दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक, 1976 – पारित
(राज्य सभा द्वारा : 15.1.76
राष्ट्रपति की अनुमति : 24.1.76)

12.1.76 बम्बई हाई में दुर्घट हेलिकाप्टर दुर्घटना में मृत पांच व्यक्तियों के बारे में पेट्रोलियम मंत्री द्वारा वक्तव्य।

केन्द्रीय संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विधेयक, 1975 – पारित
(राज्य सभा द्वारा : 24.7.75
19.1.76
राष्ट्रपति की अनुमति : 25.1.76

निर्वाचन विधि (सिक्किम पर विस्तारण) विधेयक, 1976 – पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 19.1.76
राष्ट्रपति की अनुमति : 25.1.76)

आयात और निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 1976 – पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 20.1.76
राष्ट्रपति की अनुमति : 25.1.76)

धनबाद के निकट चसनाला कोयला खान में दुर्घटना के बारे में हंगामे और खान मंत्री द्वारा वक्तव्य।

71

16·1·76 पटना में बाढ़ के बारे में कृषि और सिंचाई मंत्री द्वारा वक्तव्य।

यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया (संशोधन) विधेयक, 1976 – पारित
(राज्य सभा द्वारा : 20·1·76
राष्ट्रपति की अनुमति : 24·1·76)

दि बर्मा शैल (भारत में उपक्रमों का अधिग्रहण) विधेयक, 1976 –पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 20·1·76
राष्ट्रपति की अनुमति : 24·1·76)

19·1·76 अन्य और धन का सैक्सिक प्रकटन विधेयक, 1976 – पारित
(राज्य सभा द्वारा : 22·1·76
राष्ट्रपति की अनुमति : 25·1·76)

20·1·76 तस्कर और विदेशी मुद्रा कर योजक (सम्पत्ति का जब्त किया जाना) विधेयक, 1976 – पारित
(राज्य सभा द्वारा : 22·1·76
राष्ट्रपति की अनुमति : 25·1·76)

20·1·76
2·2·76 दिल्ली भूमि जोत (अधिकतम सीमा) संशोधन विधेयक, 1976 – पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 27·1·76
राष्ट्रपति की अनुमति : 9·2·76)

21·1·76 समाचार एजेंसी के पुनर्गठन के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा वक्तव्य।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विधेयक, 1976 – पारित
(राज्य सभा द्वारा : 29·1·76
राष्ट्रपति की अनुमति : 9·2·76)

22·1·76 आन्तरिक सुरक्षा (संशोधन) विधेयक 1976 – पारित।
(राज्य सभा द्वारा 24·1·76 को,
राष्ट्रपति द्वारा 25·1·76 ~~को स्वीकृत~~)

की अनुमति

23·1·76 भारतीय रिजर्व (संशोधन) विधेयक, 1976 – पारित।
(राज्य सभा द्वारा 12·1·76 को,
राष्ट्रपति द्वारा 25·1·76 ~~को स्वीकृत~~)

27·1·76 नेपाल की अपनी यात्रा के बारे में विदेश मंत्री का वक्तव्य।

72.

बंधित श्रम पद्धति (उन्मूलन) विधेयक, 1976 – पारित
(राज्य सभा द्वारा ~~9.2.76~~ 12.1.76 और 29.1.76 को
राष्ट्रपति द्वारा 9.2.76 को ~~स्वीकृत~~)

विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्कर गतिविधि निवारण (संशोधन) विधेयक, 1976, पारित।
(राज्य सभा द्वारा 29.1.76 को
राष्ट्रपति द्वारा 9.2.76 को ~~स्वीकृत~~)

28.1.76 प्रेस परिषद (निरसन) विधेयक, 1976
(राज्य सभा द्वारा 2.2.76 को
राष्ट्रपति द्वारा 11.2.76 को ~~स्वीकृत~~)

संसदीय कार्यवाहियां (प्रकाशन - संरक्षण) निरसन विधेयक, 1976 पारित
(राज्य सभा द्वारा 3.2.76 को
राष्ट्रपति द्वारा 11.2.76 को ~~स्वीकृत~~)

29.1.76 आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण विधेयक, 1976 पारित
(राज्य सभा द्वारा 4.2.76 को
राष्ट्रपति द्वारा 11.2.76 को ~~स्वीकृत~~)

युगांडा में भारतीय नागरिकों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के मुआवजे के बारे में विदेश मंत्रालय में उपमंत्री का वक्तव्य।

30.1.76 समान पारिश्रमिक विधेयक, 1976 पारित
(राज्य सभा द्वारा 12.1.76 और 3.2.76 को
राष्ट्रपति द्वारा 11.2.76 को ~~स्वीकृत~~)

2.2.76 समाचार एजेंसियों के पुनर्गठन के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री का वक्तव्य।

2.2.76
6.2.76 नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) विधेयक, 1976 पारित
(राज्य सभा द्वारा 5.2.76 को
राष्ट्रपति की सहमति द्वारा 17.2.76 को ~~स्वीकृत~~)

3.2.76 तमिल नाडु सरकार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रियों के विरुद्ध कतिपय आरोपों की जांच करने हेतु एक जांच आयोग नियुक्त करने के संबंध में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री का वक्तव्य।

73

मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक
(राज्य सभा द्वारा 15.1.76 और 5.2.76 को
राष्ट्रपति द्वारा 11.2.76 को ~~स्वीकृत~~।)

4.2.76 बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1976 ~~—~~ पारित।
(राज्य सभा द्वारा 28.1.76 को
राष्ट्रपति द्वारा 11.2.76 को ~~स्वीकृत~~)

की अनुमति

लोक सभा (कालावधि विस्तारण) विधेयक, 1976 पारित
(राज्य सभा द्वारा 6.2.76 को,
राष्ट्रपति द्वारा 16.2.76 को ~~स्वीकृत~~)

5.2.76 उदग्रहण बीमा समाप्त मूल्य निधि विधेयक, 1976 पारित
(राज्य सभा द्वारा 6.2.76 को
राष्ट्रपति द्वारा 16.2.76 को ~~स्वीकृत~~)

5.2.76
6.2.76 गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में श्री नरसिंह नारायण पांडेय द्वारा उठाई गई चर्चा।

6.2.76 उड़ीसा के सम्बन्ध में विदेश मंत्री का वक्तव्य।

आदर्श अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित
(राज्य सभा द्वारा 27.1.76 को
राष्ट्रपति द्वारा 17.2.76 को ~~स्वीकृत~~)

8.3.76 बासीन संरचना में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल की खोज किए जाने के बारे में पेट्रोलियम मंत्री का वक्तव्य।

अनुमति

नागालैंड बजट (1976-77) प्रस्तुत।
पांडिचेरी बजट (1976-77) प्रस्तुत।

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक, 1976 पारित।
(राज्य सभा द्वारा 11.3.76 को
राष्ट्रपति द्वारा 19.3.76 को ~~स्वीकृत~~)

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1976 पारित।
(राज्य सभा द्वारा 11.3.76 को
राष्ट्रपति द्वारा 19.3.76 को ~~स्वीकृत~~)

74

9.3.76 पटना उच्च न्यायालय (राँची में न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 1976 पारित
(राज्य सभा द्वारा 11.3.76 को
राष्ट्रपति द्वारा 8.4.76 को स्वीकृत)

10.3.76 रेलवे बजट (1976-77) प्रस्तुत।

15.3.76 सामान्य बजट (1976-77) प्रस्तुत।

19.3.76 तमिलनाडु राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1976 पारित।
(राज्य सभा द्वारा 16.3.76 को
राष्ट्रपति द्वारा 22.3.76 को स्वीकृत।)

19.3.76 तमिलनाडु बजट (1976-77) प्रस्तुत किया गया।

24.3.76 भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा तथा तेज बैंक में श्री लंका द्वारा मछली पकड़ने के बारे में दिनांक 23 मार्च, 1976 को भारत और श्रीलंका द्वारा हस्ताक्षरित दो करारों के बारे में विदेश मंत्री द्वारा वक्तव्य।

गुजरात बजट (1976-77) प्रस्तुत किया गया।

श्री के0 ब्रह्मानन्द रेड्डी द्वारा प्रस्तावित संकल्प, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत दिनांक 12 मार्च, 1976 को राष्ट्रपति द्वारा गुजरात राज्य के संबंध में जारी की गई उद्घोषणा के अनुमोदन का प्रस्ताव किया गया, स्वीकृत।

25.3.76 1976-77 की विपणन मौसम के लिये रबी के अनाज के मूल्य, वस्तुओं और वितरण नीति के बारे में कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री का वक्तव्य।

नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (कार्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1976 – पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 31.3.76
राष्ट्रपति की अनुमति : 9.4.76)

संघ लोक सेवा आयोग का विभागीकरण (कार्मिक अन्तरण) विधेयक, 1976 – पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 31.3.76
राष्ट्रपति की अनुमति : 8.4.76)

75

26.3.76	* लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर विधेयक, 1976 — पारित। (राज्य सभा द्वारा : 31.3.76 राष्ट्रपति की अनुमति : 7.4.76)
	* लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि विधेयक, 1976 — पारित। (राज्य सभा द्वारा : 31.3.76 राष्ट्रपति की अनुमति : 10.4.76)
	ø बीड़ी श्रमिक कल्याण उपकर विधेयक, 1976 — पारित। (राज्य सभा द्वारा : 1.4.76 राष्ट्रपति की अनुमति : 7.4.76)
	ø बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि विधेयक, 1976 — पारित। (राज्य सभा द्वारा : 1.4.76 राष्ट्रपति की अनुमति : 10.4.76)
29.3.76	न्याय संबंधी अवमानना (संशोधन) विधेयक, 1976 — पारित। (राज्य सभा द्वारा : 9.3.76 राष्ट्रपति की अनुमति : 30.3.76)
	गुजरात राज्य विधानमण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1976 — पारित। (राज्य सभा द्वारा : 25.3.76 राष्ट्रपति की अनुमति : 30.3.76)
	केरल विधान सभा (कार्यकाल विस्तारण) संशोधन विधेयक, 1976-पारित। (राज्य सभा द्वारा : 25.3.76 राष्ट्रपति की अनुमति : 31.3.76)
	विदेश अंशदान (विनियम) विधेयक, 1976 — पारित। (राज्य सभा द्वारा : 9.3.76 राष्ट्रपति की अनुमति : 31.3.76)
30.3.76	केतवा नदी बोर्ड विधेयक, 1976 — पारित। (राज्य सभा द्वारा : 1.4.76 राष्ट्रपति की अनुमति : 10.4.76)

---

* साथ साथ विचार-विमर्श किया गया।
ø साथ साथ विचार-विमर्श किया गया।

76

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 1976 - पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 8-3-76
राष्ट्रपति की अनुमति : 3-4-76)

डा० गुरदयाल सिंह ढिल्लों द्वारा प्रस्तावित सड़क विकास संबंधी संकल्प पर चर्चा, स्वीकृत।

3-3-76 पीड़ाम्बिक को आर्थिक तथा तकनीकी सहायता के बारे में विदेश मंत्रालय में उपमंत्री द्वारा वक्तव्य।

14-4-76 वर्ष 1976-77 के लिये आयात नीति के बारे में वाणिज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य।

15-4-76 पीपुल्स रिपब्लिक आफ चाइना के साथ सम्बन्धों में सुधार के बारे में विदेश मंत्री द्वारा वक्तव्य।

27-4-76 दिनांक 19 अप्रैल, 1976 को दिल्ली के तुर्कमान क्षेत्र में हुई घटनाओं के बारे में गृह मंत्रालय में उपमंत्री द्वारा वक्तव्य।

17-5-76 वित्त विधेयक, 1976 - पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 20-5-76
राष्ट्रपति की अनुमति : 27-5-76)

18-5-76 भारत-पाकिस्तान वार्ता के बारे में विदेश मंत्री द्वारा वक्तव्य।

भारतीय राष्ट्रीय ध्वजागार विधेयक, 1976 – पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 25-5-76
राष्ट्रपति की अनुमति : 1-6-76)

19-5-76 अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) संशोधन विधेयक, 1976-पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 27-5-76
राष्ट्रपति की अनुमति : 19-5-76)

20-5-76 भारत-कनाडा के बीच परमाणु सम्बन्धी चर्चा के बारे में विदेश मंत्री द्वारा वक्तव्य।

अशांत क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक, 1976 पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 27-5-76
राष्ट्रपति की अनुमति : 1-6-76)

77

24.5.76 विवाह कानून (संशोधन) विधेयक, 1976 – पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 12.5.76
राष्ट्रपति की अनुमति : 27.5.76)

25.5.76 बम्बई हाई में अशोधित तेल के वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ होने के बारे में पेट्रोलियम मन्त्री का वक्तव्य।

हिन्दुस्तान ट्रक्टर लि० के पुनर्गठन के बारे में इस्पात तथा खान मन्त्री का वक्तव्य।

* संविधान (बयालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 - पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 27.5.76
राष्ट्रपति की स्वीकृति : 27.5.76)

26.5.76 बैंकिंग और वित्तीय संस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1976- पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 28.5.76
राष्ट्रपति की स्वीकृति : 1.6.76)

26.5.76
27.5.76 भारत में महिलाओं के दर्जे सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रो० एस० नूरुल हसन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा।

27.5.76 पत्रकार आचरण-संहिता के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री का वक्तव्य।

जीवन बीमा निगम के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बोनस का भुगतान करने के बारे में वित्त मन्त्री का वक्तव्य।

27.5.76
10.8.76
11.8.76 बच्चों सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के बारे में श्री डी० पी० यादव के प्रस्ताव पर चर्चा।

10.8.76 देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मंत्री का वक्तव्य।

11.8.76 संघ क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 1976 – पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 17.8.76
राष्ट्रपति की स्वीकृति : 31.8.76)

12.8.76 सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक, 1976 - पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 23.8.76
राष्ट्रपति की स्वीकृति : 9.9.76)

---

*उक्त विधेयक लोक सभा में संविधान (बयालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 के रूप में पुरःस्थापित किया गया। विधेयक के संक्षिप्त नाम में शब्द । में संशोधन करके परिवर्तन किया गया।

16-8-76 आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1976 — पारित हुआ।

(राज्य सभा द्वारा : 19-8-76
राष्ट्रपति की स्वीकृति : 25-8-76)

राष्ट्रपति-पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1976 — पारित हुआ।

(राज्य सभा द्वारा : 19-8-76
राष्ट्रपति की स्वीकृति : 25-8-76)

जन-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1976 - पारित हुआ।

(राज्य सभा द्वारा : 23-8-76
राष्ट्रपति की स्वीकृति : 29-8-76)

17-8-76 समुद्री अधिकार-क्षेत्र, महाद्वीपीय जल-सीमा, एकाधिकारपूर्ण आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र विधेयक, 1976 - पारित हुआ।

(राज्य सभा द्वारा : 10-8-76
राष्ट्रपति की स्वीकृति : 25-8-76)

19-8-76 विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियां निरोधन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1976 — पारित हुआ।

(राज्य सभा द्वारा : 24-8-76
राष्ट्रपति की स्वीकृति : 2-9-76)

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (खानों का अधिग्रहण) विधेयक, 1976 — पारित हुआ।

(राज्य सभा द्वारा : 24-8-76
राष्ट्रपति की स्वीकृति : 2-9-76)

20-8-76 26 सितम्बर, 1976 से आगे छः महीने की अवधि के लिए नागालैण्ड के बारे में 22 मार्च, 1975 को जारी की गई घोषणा की लागू रहने का अनुमोदन करने के लिये श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी द्वारा रखा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

23-8-76 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम में एस्सो के बाकी शेयरों का सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने के बारे में पेट्रोलियम मन्त्री का वक्तव्य।

कोरबा उर्वरक परियोजना के बारे में रसायन और उर्वरक मन्त्री का वक्तव्य।

10 सितम्बर, 1976 से आगे छः महीने की अवधि के लिए मणिपुर के बारे में 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई घोषणा की लागू रहने का अनुमोदन करने के लिये श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी द्वारा प्रस्तुत संकल्प - स्वीकृत हुआ।

24.8.76 ★ दि बर्मा कम्पनी और इण्डियन इण्डेंट्स कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1976 - पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 26.8.76
राष्ट्रपति की स्वीकृति : 5.9.76)

★ दि प्रेयवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण) विधेयक, 1976 - पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 26.8.76
राष्ट्रपति की स्वीकृति : 5.9.76)

पुरातत्व और कलाकृतियां (संशोधन) विधेयक, 1976 - पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 16.8.76
राष्ट्रपति की स्वीकृति : 29.8.76)

25.8.76 धातु निगम (राष्ट्रीयकरण और विविध उपबन्ध) विधेयक, 1976 - पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 30.8.76
राष्ट्रपति की स्वीकृति : 7.9.76)

दि लक्ष्मीरतन एण्ड एथर्टन वैस्ट काटन मिल्स (प्रबन्ध-अधिग्रहण) विधेयक, 1976 - पारित हुआ।
(राज्य सभा द्वारा : 30.8.76
राष्ट्रपति की स्वीकृति : 5.9.76)

26.8.76 श्रमिक भविष्य निधि नियम (संशोधन) विधेयक, 1976 - पारित
(राज्य सभा द्वारा : 30.8.76
राष्ट्रपति की अनुमति : 7.9.76)

अनिवार्य वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 11.8.76
राष्ट्रपति की अनुमति : 2.9.76)

27.8.76 कारखाना (संशोधन) विधेयक, 1976 - पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 11.8.76
राष्ट्रपति की अनुमति : 4.9.76)

30.8.76 ★★ संविधान (इकतालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 - पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 1.9.76
राष्ट्रपति की अनुमति : 7.9.76)

★ इन पर साथ साथ चर्चा हुई।

★★ विधेयक लोक सभा में संविधान (तिरालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 के रूप में पेश किया गया। लोक सभा ने इसे । द्वारा संशोधन करके विधेयक के छोटे नाम में परिवर्तन किया।

80

संविधान की पांचवीं अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 1-9-76
राष्ट्रपति की अनुमति : 7-9-76)

3-9-76 केरल विधान सभा (अवधि विस्तार) दूसरा संशोधन विधेयक, 1976 पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 1-9-76
राष्ट्रपति की अनुमति : 7-9-76)

1-9-76 संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित
(राज्य सभा द्वारा : 2-9-76
राष्ट्रपति की अनुमति : 9-9-76)

राष्ट्रपति द्वारा 12 मार्च, 1976 को गुजरात राज्य के बारे में की गई उद्घोषणा की 24 सितम्बर, 1976 से आगे 6 माह तक लागू रखने की अनुमोदन प्राप्त करने हेतु श्री के0 ब्रह्मानंद रेड्डी द्वारा 3-9-76 को रखा गया संकल्प स्वीकृत हुआ।

2-9-76 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1976 – पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 3-9-76 (13.9.76
राष्ट्रपति की अनुमति : ~~1-9-76~~)

अक्षमता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक, 1976 पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 3-9-76
राष्ट्रपति की अनुमति : 13-9-76)

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 3-9-76
राष्ट्रपति की अनुमति : 13-9-76)

2अ 1-76 *संविधान (बयालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 पारित।
(राज्य सभा द्वारा : 1-10-11-76
राष्ट्रपति की अनुमति : 18-12-76)

---

* विधेयक लोक सभा में संविधान (बयालीसवां संशोधन) विधेयक, 1-76 के रूप में पेश किया गया। लोक सभा ने इसे । द्वारा संशोधन करके विधेयक के छोटे नाम में परिवर्तन किया।

81

5.11.76 लोक सभा (अवधि विस्तार) संशोधन विधेयक, 1976 पारित
(राज्य सभा द्वारा : 12.11.76
राष्ट्रपति की अनुमति : 24.11.76)

* श्री रामावतार शास्त्री ने देश में आन्तरिक स्थिति के बारे में चर्चा उठायी।

* सरदार बूटा सिंह मंत्री ने देश में लघु की स्थिति के बारे में चर्चा उठाई।

** * चर्चा एक साथ हुई।

4- पांचवीं लोकसभा द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगाये गये समय का विवरण

कार्य का स्वरूप	प्रत्येक पर लगा समय घंटे मिनट	कुल समय का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
धन्यवाद प्रस्ताव	63 - 49	1·56
विधेयक		
(क) सरकारी विधेयक	999 - 50	24·31
(ख) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक	132 - 02	3·24
बजट		
(क) रेल बजट	149 - 12	3·66
(ख) सामान्य बजट	659 - 31	16·20
(ग) राष्ट्रपति शासनाधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिये बजट	72 - 51	1·78
ध्यानाकर्षण सूचनायें (नियम 197)	215 - 37	5·29
बधाई		
(क) अल्प-अवधि की बधाई (नियम 55)	69 - 12	1·69
(ख) अल्पकालिक बधाई (नियम 193)	194 - 52	4·78
प्रस्ताव		
(क) प्रस्ताव (नियम 191 तथा 342)	227 - 24	5·58
(ख) मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव	39 - 41	0·97

(1)	(2)	(3)
राष्ट्रपति अभिभाषण पर वाद-विवाद	87 - 53	2·15
प्रश्न	513 - 32	12·61
संकल्प :		
(क) सरकारी संकल्प	8 - 22	0·20
(ख) सांविधिक संकल्प	74 - 52	1·83
(ग) गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प	188 - 10	3·14
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	117 - 00	2·87
विविध	327 - 10	8·03
कुल	4071 - 00	100·00

3.

- सदस्य - तथा - मंत्री -

लोक सभा की सदस्यता :

संविधान के अनुच्छेद 81 में व्यवस्था की गई है कि लोक सभा राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 525 से अनधिक सदस्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। संविधान के अनुच्छेद 331 के अधीन राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति की राय हो कि लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोक सभा में इस उस समुदाय के दो से अनधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। इस उपबन्ध के अनुसरण में इस समुदाय के दो सदस्यों को अब तक सभी लोक सभाओं में नामनिर्देशित किया गया है।

मार्च, 1971 में गठित पांचवी लोक सभा में 521 सदस्य थे। इसकी सदस्य संख्या पुनर्गठन अधिनियम, 1971 लागू होने के बाद तथा सिक्किम के भारत संघ का बाइसवां राज्य बन जाने के बाद 525 हो गई। इन 525 सदस्यों में 501 राज्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने गए सदस्य थे तथा 15 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के थे। एक सदस्य संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश से नाम निर्देशित था तथा दो सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से नामनिर्देशित थे।

(21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा)

विभिन्न राज्यों से तथा संघ राज्य क्षेत्रों से पांचवी लोक सभा के लिए सीटों का आवंटन विवरण संख्या 5 में दिया गया है।

सदस्यों की आयु

पांचवी लोक सभा की पहली बैठक (की पहली तिथि को) सबसे कम आयु का सदस्य 25 वर्ष का था तथा सबसे अधिक आयु का सदस्य 83 वर्ष 6 महीने

का था। समस्त सदन की औसत आयु 49 वर्ष थी जबकि चौथी लोक सभा में 48 वर्ष, तीसरी लोक सभा में 48 वर्ष 10 महीने, दूसरी लोक सभा में 46 वर्ष 4 महीने तथा पहली लोक सभा में 45 वर्ष 8 महीने थी।

पांचवी लोक सभा में सबसे अधिक संख्या में सदस्य 46-50 वर्ष की आयु के थे। चौथी लोक सभा में भी यही संख्या थी। तीसरी लोक सभा में 41-45 वर्ष की आयु के, दूसरी लोक सभा में 36-40 वर्ष की आयु के तथा पहली लोक सभा में 51-55 वर्ष की आयु के सबसे अधिक सदस्य थे।

पांचवी, चौथी तथा तीसरी लोक सभा में 81-85 वर्ष की आयु के सदस्य तथा दूसरी और पहली लोक सभा में 71-75 वर्ष की आयु के सदस्य संख्या की दृष्टि से सबसे कम थे।

विवरण संख्या 6 में पहली से पांचवी लोक सभा के सदस्यों की आयु का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण संख्या 7 में पहली से पांचवी लोक सभा में महिला सदस्यों की संख्या दी गई है।

व्यावसायिक वर्ग

पांचवी लोक सभा में कृषक जिनमें काश्तकार तथा जमींदार को शामिल थे सबसे अधिक संख्या में थे और उनका प्रतिशत कुल सदस्यता का 33.2 प्रतिशत था। तीसरी तथा चौथी लोक सभा में भी इस वर्ग के सदस्य अधिक थे तथा प्रतिशत क्रमशः 27.4 तथा 30.6 था जबकि पहली तथा दूसरी लोक सभा में इनकी संख्या दूसरे सबसे बड़े वर्गसमूह की थी।

कृषकों, काश्तकारों तथा जमींदारों के बाद पांचवी लोक सभा में दूसरा सबसे बड़ा वर्ग वकीलों का था जिनको 20.5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त था।

चौथी तथा तीसरी लोक सभा में वकीलों क्रमशः तीसरे वर्ग (17.5 प्रतिशत) तथा दूसरे वर्ग (24.5 प्रतिशत) में आते थे जबकि दूसरी तथा पहली लोक सभा में सबसे अधिक संख्या में थे अर्थात् क्रमशः 30.3 प्रतिशत और 35.6 प्रतिशत थे।

पांचवी लोक सभा में राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का सबसे बड़ा वर्ग 19 प्रतिशत प्रतिनिधित्व वाला था। चौथी लोक सभा में उनका दूसरा स्थान था तथा दूसरे वर्ग में 22.9 प्रतिशत था तथा तीसरी लोक सभा में पुनः तीसरे वर्ग में 18.7 प्रतिशत था।

पांचवी लोक सभा में एक अन्य वर्ग जिसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व था वह अध्यापक तथा शिक्षा शास्त्री (7.1 प्रतिशत), पत्रकार तथा लेखक (6.3 प्रतिशत) तथा व्यापारी और उद्योग पति (6.8 प्रतिशत) थे। विवरण संख्या 8 में पहली से पांचवी लोक सभा के सदस्यों के व्यवसायों को प्रतिशतता में दिया है।

विवरण संख्या 9 में पहली से पांचवी लोक सभा के सदस्यों पर शिक्षा का तुलनात्मक विवरण है।

विवरण संख्या 10 में मन्त्रिपरिषद के सदस्यों (प्रधान मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी क्रमानुसार) के नाम तथा सविभाग पांचवी लोक सभा में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों के साथ दिए गए हैं।

5. पांचवीं लोक सभा में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीटों का आवंटन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सीटों की संख्या
आंध्र प्रदेश	41
असम	14
बिहार	53
गुजरात	24
हरियाणा	9
हिमाचल प्रदेश	4
जम्मू तथा कश्मीर	6
कर्नाटक	27
केरल	19
मध्य प्रदेश	37
महाराष्ट्र	45
मणिपुर	2
मेघालय	2
नागालैंड	1
उड़ीसा	20
पंजाब	13
राजस्थान	23
सिक्किम	1
तमिलनाडु	39
त्रिपुरा	2
उत्तर प्रदेश	85
पश्चिम बंगाल	40
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	1
अरुणाचल प्रदेश	1
चण्डीगढ़	1
दादर तथा नागर हवेली	1
दिल्ली	7
गोवा, दमन तथा दीव	2
लक्षद्वीप	1
मिजोरम	1
पांडिचेरी	1
अंग्लो इंडियन	2

6 सदस्यों की आयु का वर्गीकरण

पहली से पांचवीं लोक सभा के सदस्यों की आयु का वर्गवार विवरण

(लोक-सभा की पहली बैठक के दिन की आयु)

आयु वर्ग (वर्ष)	पहली लोक-सभा	दूसरी लोक-सभा	तीसरी लोक-सभा	चौथी लोक-सभा	पांचवीं लोक सभा
25 - 30	28	13	11	21	16
31 - 35	54	60	34	38	28
36 - 40	59	91	64	65	62
41 - 45	68	71	79	84	76
46 - 50	74	64	73	85	99
51 - 55	91	76	69	69	94
56 - 60	47	70	58	54	57
61 - 65	29	25	58	39	35
66 - 70	10	12	21	25	25
71 - 75	1	4	6	10	9
76 - 80	-	-	1	2	2
81 - 85	-	-	1	1	1
कुल	452 *	436 *	475 *	493 *	504 *

* केवल इतने सदस्यों के सम्बन्ध में ही जानकारी प्राप्त की जा सकी।

7. लोक सभा में महिला सदस्यों की संख्या

	सीटों की कुल संख्या	महिला सदस्यों की संख्या	प्रतिशत
पहली लोक सभा	499	22	4·4
दूसरी लोक सभा	500	27	5·4
तीसरी लोक सभा	503	34	6·7
चौथी लोक सभा	523	31	5·9
पांचवी लोक सभा	521	22	4·2

6 - सदस्यों का पूर्व व्यवसाय

(कुल का प्रतिशत)

		पहली लोक सभा	दूसरी लोक सभा	तीसरी लोक सभा	चौथी लोक सभा	पांचवी लोक सभा
1.	वकील	35.6	30.3	24.5	17.5	20.5
2.	कृषक (काश्तकार तथा जमींदार)	22.4	29.1	27.4	30.6	33.2
3.	व्यापारी तथा उद्योगपति	12.0	10.2	10.3	7.7	6.9
4.	सिविल तथा सैनिक सेवाएं	3.7	4.0	0.9	3.2	3.4
5.	चिकित्सा व्यवसायी	4.9	3.5	3.0	2.8	1.7
6.	शिक्षक तथा शिक्षाविद	9.9	11.3	5.8	6.5	7.1
7.	पत्रकार तथा लेखक	10.4	10.2	5.8	4.8	6.3 1
8.	भूतपूर्व शासक	1.1	1.4	2.1	1.4	0.4
9.	राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता	-	-	18.7	22.9	19.0
10.	इंजीनियर, आर्किटेक्ट तथा औद्योगिकी विज्ञ	-	-	0.9	1.4	1.2
11.	औद्योगिक कर्मचारी	-	-	0.2	0.2	-
12.	धर्मप्रचारक	-	-	0.2	0.8	0.4
13.	अन्य	-	-	-	0.2	-

टिप्पण : कुछ सदस्यों के सदस्य बनने से पहले के व्यवसाय एक से अधिक थे किन्तु इस तालिका के लिए उस व्यवसाय को लिया गया है जो किसी सदस्य के जीवन में प्रमुख था।

9 - सड़कों पर व्यय -

	वर्ष	किया गया व्यय
पहली लोक सभा	1952-53	37,96,818
	1953-54	33,89,783
	1954-55	46,00,620
	1955-56	52,03,214
	1956-57	43,89,087
दूसरी लोक सभा	1957-58	48,61,383
	1958-59	45,80,692
	1959-60	47,40,870
	1960-61	44,79,964
	1961-62	32,76,756
	(अप्रैल 1961 से दिसम्बर, 1961 तक)	
तीसरी लोक सभा	1962-63	50,02,715
	1963-64	48,29,589
	1964-65	68,34,400
	1965-66	68,23,153
	1966-67	47,45,730
	(मार्च 1966 तक)	
चौथी लोक सभा	1967-68	78,81,929
	1968-69	81,81,379
	1969-70	1,11,52,543
	1970-71	88,22,725
	(दिसम्बर, 1970 तक)	
पांचवी लोक सभा	1971-72	1,11,94,646
	1972-73	1,43,64,276
	1973-74	1,36,97,156
	1974-75	1,61,38,257
	1975-76	1,67,63,324
	1976-77	1,38,24,598
	(दिसम्बर, 1976 तक)	

8 - पांचवीं लोक सभा की समावधि में मंत्री परिषद् के सदस्यों के नाम और उनके विभाग तथा उनमें समय समय पर होने वाले परिवर्तन को दर्शाने वाला विवरण :-

क्रम संख्या	नाम	विभाग तथा उसकी अवधि
1	2	3
	मंत्रिमंडल के सदस्य (प्रधान मंत्री की सलाह का ~~अनुरूप~~ के अनुसार)	
1-	गांधी, श्रीमती इंदिरा नेहरू	प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (18 मार्च, 1971 से 24 मार्च, 1977 तक) (18 मार्च, 1971 से 5 फरवरी, 1973 तक गृह मंत्री का पद भी ग्रहण किया) (18 मार्च, 1971 से 8 नवम्बर, 1973 तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय का भार भी अस्थाई रूप से संभाला) (18 मार्च, 1971 से 24 अप्रैल, 1971 तक योजना मंत्रालय का भार भी अस्थाई रूप से संभाला) (2 जून, 1972 से अंतरिक्ष विभाग के मंत्री का पद भी ग्रहण किया) (17 जून, 1971 से 5 फरवरी, 1973 तक इलेक्ट्रानिक्स विभाग के मंत्री का पद ग्रहण किया) (6 जून, 1973 से 23 जुलाई, 1973 तक इस्पात और खान मंत्रालय का भार भी अस्थाई रूप से संभाला) (जनवरी, 1975 से अब तक योजना मंत्रालय का भार भी अस्थाई रूप से संभाला) (2 जनवरी, 1975 से 24 मार्च, 1977 तक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री का पद भी ग्रहण किया) (1 दिसम्बर, 1975 से 21 दिसम्बर, 1975 तक रक्षा मंत्रालय का भार भी अस्थाई रूप से संभाला)
2-	अहमद, श्री फखरुद्दीन अली;	सिंचाई खाद्य तथा कृषि मंत्री (18 मार्च, 1971 से 2 मई, 1971 तक) कृषि मंत्री (2 मई, 1971 से 3 जुलाई, 1974 तक)

1	2	3
3-	कौसिंह, डा० ;	पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री (18 मार्च, 1971 से 9 नवम्बर, 1973 तक) स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (9 नवम्बर, 1973 से 24 मार्च, 1977 तक)
4-	गोखले, श्री एच० आर० ;	विधि तथा न्याय मंत्री (18 मार्च, 1971 से 5 फरवरी, 1973 तक) (29 जनवरी से 5 फरवरी, 1973 तक पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का भी भार सँभाला) विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (5 फरवरी, 1973 से 24 मार्च, 1977 तक)
5-	चट्टोपाध्याय, प्रो० देवी प्रसाद ;	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (2 मई, 1971 से 5 फरवरी, 1973 तक) निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री भी (2 अगस्त, 1972 से 3 फरवरी, 1973 तक) वाणिज्य मंत्री (राज्य मंत्री) (5 फरवरी, 1973 से 22 दिसम्बर, 1976 तक) वाणिज्य मंत्री (23 दिसम्बर, 1976 से 24 मार्च, 1977 तक)
6-	चव्हाण, श्री यशवन्तराव बलवन्तराव,	वित्त मंत्री (18 मार्च, 1971 से 10 अक्तूबर, 1974 तक) विदेश मंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 24 मार्च, 1977 तक)
7-	चौधरी, श्री मोहम्मद युनुस ;	औद्योगिक विकास मंत्री (18 मार्च, 1971 से 22 जुलाई, 1972 तक) आपूर्ति विभाग का अस्थाई भार (18 मार्च, 1971 से 2 मई, 1971)
8-	जगजीवनराम, श्री ;	रक्षा मंत्री (27 जून, 1970 से 18 मार्च, 1971 तक) (18 मार्च, 1971 से 10 अक्तूबर, 1974 तक) कृषि और सिंचाई मंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 2 फरवरी, 1977 को त्यागपत्र देने तक)

2	3
9- डिसौं, डा० गुरुदयाल सिंह ;	नौवहन तथा परिवहन मंत्री (1 दिसम्बर, 1975 से 24 मार्च, 1977 तक)
10- दीक्षित, श्री उमाशंकर ;	निर्माण और आवास मंत्री (2 मई, 1971 से 5 फरवरी, 1973 तक) स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय का भार अस्थाई रूप से संभाला (19 मई, 1971 से 5 फरवरी, 1973 तक) गृह मंत्री (5 फरवरी, 1973 से 10 अक्तूबर, 1974 तक) बिना विभाग के मंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 10 फरवरी, 1975 तक) नौवहन तथा परिवहन मंत्री (10 फरवरी, 1975 से 1 दिसम्बर, 1975 तक)
11- दीमार्ई, श्री सिद्धेश्वर ;	निर्माण और आवास मंत्री (23 दिसम्बर, 1976 से 24 मार्च, 1977 तक)
12- धर, श्री दुर्गा प्रसाद ;	योजना मंत्री (23 जुलाई, 1972 से 31 दिसम्बर, 1974 को त्यागपत्र देने तक)
13- पाई, श्री टी० ए० ;	रेल मंत्री (23 जुलाई, 1972 से 5 फरवरी, 1973 तक) भारी उद्योग मंत्री (5 फरवरी, 1973 से 10 अक्तूबर, 1974 तक) (इस्पात और खान मंत्रालय का अतिरिक्त भार भी अस्थाई रूप से संभाला) (23 जुलाई, 1973 से 11 जनवरी, 1974 तक) उद्योग तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 9 अगस्त, 1976 तक) (10 अक्तूबर, 1974 से 2 जनवरी, 1975 तक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग का भार भी अस्थाई रूप से संभाला) उद्योग मंत्री (9 अगस्त, 1976 से 24 मार्च, 1977 तक)

1	2	3
14-	बरुआ, श्री देवकान्त ;	पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री (5 फरवरी, 1973 से 10 अक्तूबर, 1974 तक)
15-	बसप्पा, श्री ;	बिना विभाग के मंत्री (1 दिसम्बर, 1975 से 21 दिसम्बर, 1975 तक) रक्षा मंत्री (21 दिसम्बर, 1975 से 24 मार्च, 1977 तक)
16-	मालवीय, श्री कैलाशपति ;	इस्पात और खान मंत्री (11 जनवरी, 1974 से 10 अक्तूबर, 1974 तक) पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 21 दिसम्बर, 1976 तक) पेट्रोलियम मंत्री (21 दिसम्बर, 1975 से 24 मार्च, 1977 तक) (रसायन और उर्वरक मंत्रालय का भार भी अस्थायी रूप से संभाला) (22 सितम्बर, 1974 से 24 मार्च, 1977 तक)
17-	मिश्र, श्री ललित नारायण ;	विदेश व्यापार मंत्री (18 मार्च, 1971 से 5 फरवरी, 1973 तक) रेल मंत्री (5 फरवरी, 1973 से 3 जनवरी, 1975 को मृत्यु पर्यन्त)
18-	मीर कासिम, श्री सैयद ;	बिना विभाग के मंत्री (7 जून, 1976 से 9 अगस्त, 1976 तक) नागरिक आपूर्ति तथा सहकार मंत्री (9 अगस्त, 1976 से 24 मार्च, 1977 तक)
19-	रघुरामैया, श्री कोत्ता ;	संसदीय कार्य मंत्री (5 फरवरी, 1973 से 10 अक्तूबर, 1974 तक) निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 22 दिसम्बर, 1976 तक) (1 दिसम्बर, 1975 से 21 दिसम्बर, 1975 तक आपूर्ति तथा पुनर्वास मंत्रालय का भार भी अस्थायी रूप से संभाला) पर्यटन और नागर विमानन तथा संसदीय कार्य मंत्री (23 दिसम्बर, 1976 से 24 मार्च, 1977 तक)

1	2	3
20-	राजबहादुर, श्री ;	संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (18 मार्च, 1971 से 5 फरवरी, 1973 तक) नौवहन और परिवहन मंत्री (5 फरवरी, 1973 से 8 नवम्बर, 1973 तक) सचिव मंत्री (8 नवम्बर, 1973 से 11 जनवरी, 1974 तक) पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री भी रहे (9 नवम्बर, 1973 से 22 दिसम्बर, 1976 को त्यागपत्र देने तक)
21-	रे, श्री एस० एस० ;	शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (18 मार्च, 1971 से 20 मार्च, 1972 तक)
22-	रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द ;	सचिव मंत्री (11 जनवरी, 1974 से 10 अक्तूबर, 1974 तक) गृह मंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 24 मार्च, 1977 तक) (कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय का भार भी अस्थायी रूप में संभाला) (3 फरवरी, 1977 से 24 मार्च, 1977 तक)
23-	स्वर्णसिंह, सरदार ;	विदेश मंत्री (18 मार्च, 1971 से 10 अक्तूबर, 1974 तक) रक्षा मंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 1 दिसम्बर, 1975 तक)
24-	सेठी, श्री फूलचन्द बी० ;	रक्षा मंत्रालय में (रक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (18 मार्च, 1971 से 2 मई, 1971 तक) पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (2 मई, 1971 से 29 जनवरी, 1972 तक) रसायन और उर्वरक मंत्री (25 दिसम्बर, 1975 से 22 दिसम्बर, 1976 तक) बिना विभाग के मंत्री (23 दिसम्बर, 1976 से 24 मार्च, 1977 तक)

1	2	3
25-	सुब्रह्मण्यम, श्री सी० ;	योजना मंत्री (24 अप्रैल, 1971 से 2 मार्च, 1971 तक) योजना तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (2 मार्च, 1971 से 22 जुलाई, 1972 तक) औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (22 जुलाई, 1972 से 10 अक्तूबर, 1974 तक) (3 जुलाई, 1974 से 10 अक्तूबर, 1974 तक कृषि मंत्री भी रहे) वित्त मंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 24 मार्च, 1977 तक)
26-	शर्मा, डा० शंकर दयाल ;	संचार मंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 24 मार्च, 1977 तक)
27-	शास्त्री, श्री भोला पासवान ;	निर्माण और आवास मंत्री (5 फरवरी, 1973 से 10 अक्तूबर, 1974 तक)
28-	शाह, श्री के० के० ;	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (18 मार्च, 1971 से 19 मार्च, 1971 तक)
29-	हनुमन्तैया, श्री के० ;	रेल मंत्री (18 मार्च, 1971 से 22 जुलाई, 1972 तक)
30-	त्रिपाठी, श्री कमलापति ;	नौवहन तथा परिवहन मंत्री (8 नवम्बर, 1973 से 10 फरवरी, 1975 तक) रेल मंत्री (10 फरवरी, 1975 से 24 मार्च, 1977 तक)

राज्य मंत्री

क्रम सं०	नाम	सुविभाग तथा अवधि
1-	अत्रा, श्री घनश्याम ;	औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (2 मई, 1971 से 17 मार्च, 1972 तक)
2-	कुरैशी, श्री मुहम्मद शफी ;	इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उपमंत्री (18 मार्च, 1971 से 2 मई, 1971 तक)
		रेल मंत्रालय में उपमंत्री (2 मई, 1971 से 10 अक्तूबर, 1974 तक)
		रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 24 मार्च, 1977 तक)
3-	खांडेलकर, श्री आर० के० ;	श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री (19 मार्च, 1971 से 2 मई, 1971 तक)
		श्रम और पुनर्वास मंत्री (2 मई, 1971 से 5 फरवरी, 1973 तक)
		स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (5 फरवरी, 1973 से 9 नवम्बर, 1973 तक)
		आपूर्ति और पुनर्वास मंत्री (9 नवम्बर, 1973 से 1 दिसम्बर, 1975 तक)
4-	खां, श्री शाहनवाज ;	इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (2 मई, 1971 से 5 फरवरी, 1973 तक)
		आपूर्ति मंत्री (5 फरवरी, 1973 से 9 नवम्बर, 1973 तक)
		पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (9 नवम्बर, 1973 से 10 अक्तूबर, 1974 तक)
		कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 24 मार्च, 1977 तक)
5-	गणेश, श्री के० आर० ;	वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (18 मार्च, 1971 से 2 मई, 1971 तक)
		वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (2 मई, 1971 से 10 अक्तूबर, 1974 तक)
		पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 1 दिसम्बर, 1975 तक)

(1)	(2)	(3)
6-	गाडगिल, श्री विट्ठल ;	रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) मंत्रालय में राज्य मंत्री (25 दिसम्बर, 1975 से 24 मार्च, 1977 तक)
7-	गुजराल, श्री इन्द्र कुमार ;	निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (18 मार्च, 1971 से 2 मई, 1971 तक)
		निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (2 मई, 1971 से 22 जुलाई, 1972 तक)
		सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (22 जुलाई, 1972 से 8 नवम्बर, 1973 तक)
		सूचना और प्रसारण मंत्री (8 नवम्बर, 1973 से 28 जून, 1975 तक)
		योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (28 जून, 1975 से 12 मई, 1976 तक)
8-	घोष, श्री शंकर ;	योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (21 अप्रैल, 1976 से 24 मार्च, 1977 तक)
9-	चव्हाण, श्री डी० आर० ;	पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (18 मार्च, 1971 से 2 मई, 1971 तक)
		आपूर्ति मंत्री (राज्य मंत्री) (2 मई, 1971 से 5 फरवरी, 1973 तक)
		विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (5 फरवरी, 1973 से 8 जुलाई, 1973 को मृत्यु पर्यन्त)
10-	जार्ज, श्री ए० सी० ;	विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (2 मई, 1971 से 5 फरवरी, 1973 तक)
		वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (5 फरवरी, 1973 से 10 अक्तूबर, 1974 तक)
		उद्योग तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 9 अगस्त, 1976 तक)
		नागरिक आपूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (9 अगस्त, 1976 से 24 मार्च, 1977 तक)

1	2	3
11-	धारिया, श्री मोहन ;	योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (2 मई, 1971 से 10 अक्तूबर, 1974 तक) निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 2 मार्च, 1975 को त्यागपत्र देने तक)
12-	नीतिराज सिंह, चौधरी, श्री ;	पेट्रोलियम, रसायन तथा अयस्क धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (13 मार्च, 1971 से 2 मई, 1971 तक) विधि तथा न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (2 मई, 1971 से 5 फरवरी, 1973 तक) सिंचाई, ऊर्जा तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (5 फरवरी, 1973 से 17 अक्तूबर, 1974 तक)
13-	नूरुल हसन, प्रो० एस० ;	शिक्षा तथा समाज कल्याण और सांस्कृतिक विभाग में राज्य मंत्री (4 अक्तूबर, 1971 से 24 मार्च, 1972 तक) शिक्षा, समाज कल्याण तथा सांस्कृतिक मंत्री (24 मार्च, 1972 से 24 मार्च, 1977 तक)
14-	पटनायक, श्री जानकी वल्लभ ;	रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (5 फरवरी, 1973 से 23 दिसम्बर, 1976 तक) रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (23 दिसम्बर, 1976 से 24 मार्च, 1977 तक)
15-	पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र ;	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिक विभाग, अणुशक्ति विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (18 मार्च, 1971 से 2 मई, 1971 तक) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अणुशक्ति और इलेक्ट्रानिक विभाग से संबंधित संसदीय कार्य में प्रधान मंत्री की सहायता करेंगे (2 मई, 1971 से 9 नवम्बर, 1973 तक) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अणुशक्ति और इलेक्ट्रानिक विभाग और अन्तरिक्ष विभाग से संबंधित संसदीय कार्य में प्रधान मंत्री की सहायता करेंगे। (26 अगस्त, 1973 से 9 नवम्बर, 1973 तक)

1	2	3
		सिंचाई और विद्युत मंत्री तथा अणुशक्ति और इलैक्ट्रानिक और अन्तरिक्ष विभाग से संबंधित संसदीय कार्य में प्रधान मंत्री की सहायता करेंगे। (9 नवम्बर, 1973 से 10 अक्तूबर, 1974 तक)
		ऊर्जा मंत्री तथा अणुशक्ति, इलैक्ट्रानिक और अन्तरिक्ष विभाग से संबंधित संसदीय कार्य में प्रधान मंत्री की सहायता करेंगे। (10 अक्तूबर, 1974 से 24 मार्च, 1977 तक)
16- बहुगुणा, श्री हेमवतीनन्दन ;		संचार मंत्री (2 मई, 1971 से 3 नवम्बर, 1973 तक)
17- भगत, श्री एच० के० एल० ;		निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (1 दिसम्बर, 1975 से 24 मार्च, 1977 तक)
18- मदिवी, डा० श्रीमती सरोजिनी ;		पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय में उपमंत्री (18 मार्च, 1971 से 2 मई, 1971 तक)
		पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (2 मई, 1971 से 10 अक्तूबर, 1974 तक)
		विधि, न्याय, तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 3 जनवरी, 1976 तक)
19- मिश्रा, श्री राम निवास ;		कैबिनेट सचिवालय के कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (18 मार्च, 1971 से 2 मई, 1971 तक) (पुनः 2 मई, 1971 से 10 अक्तूबर, 1974 तक)
		रक्षा मंत्रालय में (रक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 21 दिसम्बर, 1975 तक)
		आपूर्ति तथा पुनर्वास मंत्री (21 दिसम्बर, 1975 से 24 मार्च, 1977 तक)
20- मुखर्जी, श्री फूलन कुमार ;		औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (फरवरी, 1973 से 11 जनवरी, 1974 तक)
		नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (11 जनवरी, 1974 से 10 अक्तूबर, 1974 तक)
		वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 21 दिसम्बर, 1975 तक)
		राजस्व तथा बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (21 दिसम्बर, 1975 से 24 मार्च, 1977 तक)

1	2	3
21-	मुहम्मद, डा० बी०आर०सैयद ;	विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (25 दिसम्बर, 1975 से 24 मार्च, 1977 तक)
22-	मेहता, श्री ओम ;	संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (19 मार्च, 1971 से 2 मई, 1971 तक)
		नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (2 मई, 1971 से 5 फरवरी, 1973 तक)
		निर्माण और आवास मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (5 फरवरी, 1973 से 10 अक्तूबर, 1974 तक)
		गृह मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 24 मार्च, 1977 तक)
23-	मौर्य, श्री बी० पी० ;	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (11 जनवरी, 1974 से 10 अक्तूबर, 1974 तक)
		उद्योग तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 9 अगस्त, 1976 तक)
		उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (9 अगस्त, 1976 से 24 मार्च, 1977 तक)
24-	यादव, श्री चन्द्रजीत ;	रक्षा उत्पात और खान मंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 24 मार्च, 1977 तक)
25-	राना, श्री एम० वी० ;	नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (5 फरवरी, 1973 से 11 जनवरी, 1974 तक)
		अंतर्देशीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (11 जनवरी, 1974 से 31 जुलाई, 1974 को मृत्यु पर्यन्त)
26-	रामेश्वर, चौधरी ;	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (1 दिसम्बर, 1975 से 24 मार्च, 1977 तक)
27-	राव, डा० के० एल०;	सिंचाई और विद्युत मंत्री (18 मार्च, 1971 से 9 नवम्बर, 1973 तक)

1	2	3
28-	रेड्डी, श्री के० वी० रघुनाथ ;	कम्पनी कार्य मंत्री (18 मार्च, 1971 से 5 फरवरी, 1973 तक) श्रम और पुनर्वास मंत्री (5 फरवरी, 1973 से 9 नवम्बर, 1973 तक) श्रम मंत्री (9 नवम्बर, 1973 से 24 मार्च, 1977 तक)
29-	विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री ;	वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 23 दिसम्बर, 1976 तक) वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (23 दिसम्बर, 1976 से 24 मार्च, 1977 तक)
30-	सत्पथी, श्रीमती नन्दिनी ;	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (18 मार्च, 1971 से 14 जून, 1972 को त्यागपत्र देने तक)
31-	सिंह, श्री सुरेन्द्र पाल ;	विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (13 मार्च, 1971 से 5 फरवरी, 1973 तक) विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (5 फरवरी, 1973 से 10 अक्तूबर, 1974 तक) पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 23 दिसम्बर, 1976 तक) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (23 दिसम्बर, 1976 से 24 मार्च, 1977 तक)
32-	शर्मा, श्री अनन्त प्रसाद	उद्योग तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 9 अगस्त, 1976 तक) उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (9 अगस्त, 1976 से 24 मार्च, 1977 तक)
33-	सिन्हा, श्री अन्नासाहेब पी० ;	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (18 मार्च, 1971 से 2 मई, 1971 तक) कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (2 मई, 1971 से 10 अक्तूबर, 1974 तक) कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 24 मार्च, 1977 तक)

1	2	3
34-	शुक्ल, श्री विद्याचरण ;	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (18 मार्च, 1971 से 2 मई, 1971 तक) रक्षा मंत्रालय और (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (2 मई, 1971 से 10 अक्तूबर, 1974 तक) योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 28 जून, 1975 तक) सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (28 जून, 1975 से 24 मार्च, 1977 तक)
35-	शेर सिंह, प्रो० ;	संचार मंत्री (18 मार्च, 1971 से 2 मई, 1971 तक) कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (2 मई, 1971 से 12 जनवरी, 1974 तक) संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (12 जनवरी, 1974 से 10 अक्तूबर, 1974 तक)
36-	त्रिवेदी, श्री एच० एम० ;	नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (7 अक्तूबर, 1974 से 24 मार्च, 1977 तक)

1	2	3
	उप मंत्री	
1-	अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान ;	औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (6 फरवरी, 1973 से 10 अक्तूबर, 1974 तक) उद्योग तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 3 जनवरी, 1976 तक) पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (3 जनवरी, 1976 से 24 मार्च, 1977 तक)
2-	इसहाक, श्री ए० के० एम० ;	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 24 मार्च, 1977 तक)
3-	किस्कू, श्री ए० के०	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (18 मार्च, 1971 से 10 अक्तूबर, 1974 तक)
4-	कुरैशी, श्री बैजनाथ ;	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (2 मार्च, 1971 से 4 फरवरी, 1973 तक)
5-	केदारनाथ सिंह, श्री ;	संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (2 मार्च, 1971 से 10 अक्तूबर, 1974 तक) कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 24 मार्च, 1977 तक)
6-	दलबीर सिंह, श्री ;	पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (2 मार्च, 1971 से 9 नवम्बर, 1973 तक) भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (9 नवम्बर, 1973 से 10 अक्तूबर, 1974 तक) निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 1 दिसम्बर, 1975 तक) नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (1 दिसम्बर, 1975 से 24 मार्च, 1977 तक)
7-	दास, श्री बिपिनपाल ;	विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (17 अक्तूबर, 1974 से 24 मार्च, 1977 तक)
8-	नैताम, श्री अरविन्द ;	शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (5 फरवरी, 1973 से 24 मार्च, 1977 तक)

1	2	3
9-	पटेल, श्री फूलचंद ;	कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (23 अक्तूबर, 1974 से 24 मार्च, 1977 तक)
10-	पहाड़िया, श्री जगन्नाथ ;	आपूर्ति विभाग में उपमंत्री (18 मार्च, 1971 से 2 मई, 1971 तक) कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (2 मई, 1971 से 22 जुलाई, 1972 तक) संचार मंत्रालय में उपमंत्री (22 जुलाई, 1972 से 23 दिसम्बर, 1976 तक) श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (23 दिसम्बर, 1976 से 24 मार्च, 1977 तक)
11-	बाल्या, श्री केशरत ;	कम्पनी कार्य विभाग में उपमंत्री (2 मई, 1971 से 5 फरवरी, 1973 तक) विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (5 फरवरी, 1973 से 24 मार्च, 1977 तक)
12-	बासप्पा, श्री कोडाजी ;	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (5 फरवरी, 1973 से 10 अक्तूबर, 1974 तक)
13-	बुटासिंह, श्री ;	रेल मंत्रालय में उपमंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 23 दिसम्बर, 1976 तक) वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (23 दिसम्बर, 1976 से 24 मार्च, 1977 तक)
14-	[illegible] माथी, श्री सी० पी० ;	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (17 अक्तूबर, 1974 से 3 जनवरी, 1976 तक) रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उपमंत्री (3 जनवरी, 1976 से 24 मार्च, 1977 तक)
15-	मीरासिन, श्री एफ० एच० ;	गृह मंत्रालय में उपमंत्री (2 मई, 1971 से 24 मार्च, 1977 तक)
16-	यादव, प्रो० डी० पी०;	शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (2 मई, 1971 से 28 मई, 1971 तक) शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप मंत्री (28 मई, 1971 से 24 मार्च, 1977 तक)

1	2	3
17-	राहतगी, श्रीमती सुशीला ;	वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (2 मार्च, 1971 से 24 मार्च, 1977 तक)
18-	वर्मा, श्री लाल गोविन्द ;	श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (2 मार्च, 1971 से 5 फरवरी, 1973 तक) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (5 फरवरी, 1973 से 9 नवम्बर, 1973 तक) श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (9 नवम्बर, 1973 से 23 दिसम्बर, 1976 तक) संचार मंत्रालय में उपमंत्री (23 दिसम्बर, 1976 से 24 मार्च, 1977 तक)
19-	वेंकटस्वामी, श्री जी० ;	श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (5 फरवरी, 1973 से 9 नवम्बर, 1973 तक) आपूर्ति तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (9 नवम्बर, 1973 से 24 मार्च, 1977 तक)
20-	सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री ;	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (18 मार्च, 1971 से 2 मार्च, 1971 तक) औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (2 मार्च, 1971 से 5 फरवरी, 1973 तक) भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (5 फरवरी, 1973 से 8 नवम्बर, 1973 तक) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (9 नवम्बर, 1973 से 10 अक्तूबर, 1974 तक) ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (10 अक्तूबर, 1974 से 24 मार्च, 1977 तक)
21-	सिन्हा, श्री धर्मवीर ;	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (2 मार्च, 1971 से 24 मार्च, 1977 तक)
22-	सिंह, श्री बीरभद्र ;	पर्यटन तथा नागर विमानन उपमंत्री (31 दिसम्बर, 1976 से 24 मार्च, 1977 तक)

1	2	3
23-	सुखदेव प्रसाद, श्री ;	इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (5 फरवरी, 1973 से 24 मार्च, 1977 तक)
24-	शंकरानंद, श्री ;	संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (2 मई, 1971 से 24 मार्च, 1977 तक)
25-	हंसदा, श्री सुबोध चन्द्र ;	इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (6 फरवरी, 1973 से 10 अक्तूबर, 1974 तक)

4

[redacted]

प्रश्न

सामान्यतया लोक सभा की बैठक में पहला घंटा प्रश्नों के लिए होता है और उसे "प्रश्न काल" कहा जाता है। संसद् की कार्यवाही में इसका विशेष महत्व है। संसद् में प्रश्न पूछना और मंत्रिपरिषद के सदस्यों का अन्तर्निहित और अबाध अधिकार है। वे "प्रश्न काल" में ही प्रशासन और सरकार के कार्यों की प्रत्येक गति विधि के बारे में प्रश्न पूछते हैं। [redacted]

प्रश्नकाल की संसदीय कार्यवाही मनोरंजक होती है। यद्यपि प्रश्न पूछने से किसी विशेष विषय से सम्बन्धित जानकारी और तथ्य प्राप्त करने के लिए पूछे जाते हैं, तथापि कई अवसरों पर प्रश्न कर्ता सदस्यों और उत्तर देने वाले मंत्रियों के बीच तेज और मजेदार झड़प हो जाती है। कभी कभी इस सवाल जवाब में व्यंग्य विनोद भी खूब होता है। यही कारण है कि प्रश्नकाल में सार्वजनिक दीर्घाएं और प्रेस दीर्घाएं पूरी भरी रहती हैं।

<u>प्रश्नों के प्रकार</u>

प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं: -

तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न।

तारांकित प्रश्न वह होता है जिसके लिए सदस्य मौखिक उत्तर प्राप्त करना चाहता है और जिस पर तारे का चिन्ह (*) लगा होता है।

अतारांकित प्रश्न वह होता है जिसका सभा में मौखिक उत्तर नहीं दिया जाता और जिस पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। ऐसे प्रश्न के लिखित उत्तर संबंधित मंत्री द्वारा सभा-पटल पर रख दिये जाते हैं। प्रश्न जिस दिन के लिए होता है वह उस दिन के सभा के अधिकृत कार्यवाही-वृतांत में छापा जाता है।

अथवा सूचना प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय में होता है। यह साधारण प्रश्न की निर्धारित सूचना अवधि की अपेक्षा अल्प अवधि पर पूछा जा सकता है।

प्रश्न पूछा लोक महत्व के विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछा जाता है। जिन प्रश्नों में तर्क, निष्कर्ष या मान संनिकारक कथन होते हैं या जिन में किसी व्यक्ति की पदीय या सरकारी हैसियत के अतिरिक्त उसके चरित्र या आचरण का जिक्र किया गया हो, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता। ऐसे प्रश्न भी स्वीकार नहीं किये जाते जो पहले उत्तर दिये गये प्रश्नों की पुनरावृत्ति मात्र होते हों अथवा जिनमें पहले ही जानकारी सदन दस्तावेजों या सामान्य संदर्भ ग्रंथों में उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त, यदि किसी प्रश्न का विषय किसी न्यायालय या किसी न्यायाधिकरण या किसी अन्य सांविधिक निकाय में विचाराधीन हो या किसी संसदीय समिति में विचाराधीन हो, तो उसे पूछने की अनुमति नहीं दी जाती है। विदेशों के बारे में अशिष्टतापूर्ण उल्लेख वाले प्रश्न भी अस्वीकृत कर दिये जाते हैं। इसी प्रकार ऐसे प्रश्नों को स्वीकार नहीं किया जाता जिनमें नीति सम्बन्धी बड़े मामले उठाये गये हों क्योंकि प्रश्न के उत्तर की सीमा में नीति की बहस करना सम्भव नहीं है।

प्रश्नों के लिए दिनों का नियत किया जाना

लोक सभा सत्र की बैठकों की तारीखें निर्धारित हो जाने के तुरन्त बाद भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से सम्बन्धित प्रश्नों के लिए उपलब्ध दिन नियत किये जाते हैं।

इस प्रयोजन के लिए विभिन्न मंत्रालय पांच वर्गों में बांटे जाते हैं और सप्ताह के दौरान मंत्रालय के वर्गों को आवंटित कर दिया जाता है। यदि शनिवार को सभा की बैठक हो तो उस दिन प्रश्न काल नहीं होता है।

गृहीत प्रश्नों को अगृहीत प्रश्नों से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की अलग-अलग सूचियां तैयार की जाती हैं। गृहीत प्रश्न अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार, यथास्थिति, उस दिन की मौखिक या लिखित उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची में सम्मिलित किये जाते हैं। प्रत्येक बैठक के लिए एक सदस्य के नाम केवल पांच प्रश्न गृहीत किये जाते हैं जिनमें से एक प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए रखा जाता है। सामान्यतः एक दिन की मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची में 20 प्रश्नों और लिखित उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची में 200 प्रश्नों से अधिक नहीं रखी जाती हैं। सामान्यतः एक दिन में एक अल्प सूचना प्रश्न उत्तर के लिए लिया जाता है।

मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों का उत्तर दिये जाने के बाद, अल्प सूचना प्रश्न, यदि उस दिन के लिए हो, ली जाती हैं और उनका निपटान उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों का किया जाता है। अल्प सूचना प्रश्न के नाम ले में सदस्य वास्तव में सभा में प्रश्न पढ़ता है। जिसके बाद सम्बन्धित मंत्री उसका उत्तर देता है।

पांचवी लोक सभा में सदस्यों से 2,52,700 प्रश्नों की सूचनायें प्राप्त हुई थी जब कि चौथी लोक सभा में 2,64,742 ; तीसरी लोक सभा में 1,62,334 ; दूसरी लोक सभा में 1,33,328 तथा पहली लोक सभा में 71,907 प्रश्नों की सूचनायें मिली थी। पांचवी लोक सभा में 98,606 प्रश्नों की सूचनायें प्राप्त हुई थी जो कुल प्राप्त प्रश्नों की 39.02 प्रतिशत थी। चौथी, तीसरी, दूसरी तथा पहली लोक सभा में ये आंकड़े क्रमशः कुल प्राप्त प्रश्नों में से 93,538 अथवा 3 5.3 प्रतिशत; 58440 अथवा 35 प्रतिशत; 62,800 अथवा 47 प्रतिशत तथा 45350 अथवा 64 थी।

पांचवी लोक सभा में पूछे गए कुल प्रश्नों में से 87,097 अथवा 88.33 प्रतिशत तारांकित, 11,439 अथवा 11.60 प्रतिशत तारांकित तथा केवल 70 अथवा 0.07 प्रतिशत अल्प सूचना प्रश्न थे।

सबसे अधिक प्रश्न कृषि (9,666), रेल (8733), वित्त (8,613), वाणिज्य (6,975) औद्योगिक विकास (5,809) तथा पेट्रोलियम और रसायन (5,574) से पूछे गये थे।

विवरण I से 14 विभिन्न मंत्रालयों से पूछे गये प्रश्न तथा प्राप्त प्रश्नों तथा पांचवी लोक सभा में गैर सरकारी सदस्यों से पूछे गये प्रश्नों का विवरण दिखाया गया है।

11. पन्द्रहवीं लोक सभा की सत्रों में सदस्यों से प्राप्त प्रश्नों के निपटान को दिखाने वाला विवरण

प्राप्त सूचनायें			गृहीत		
प्रश्न	संख्या	कुल प्रश्नों की प्रतिशतता	प्रश्न	संख्या	कुल प्रश्नों की प्रतिशतता
तारांकित	2,12,638*	84.15	तारांकित	11,065	11.22
अतारांकित	35,961	14.23	अतारांकित	17,239	17.48
अल्प सूचना	4,101	1.62	अल्प सूचना	70	.07
			तारांकित प्रश्न जो अतारांकित के रूप में गृहीत किए गए	69,858	70.85
			अल्पसूचना प्रश्न जो ता0/ता0 प्रश्नों के रूप में गृहीत किए गए	374	.38
जोड़	2,52,700	100.00		98,606	100.00

* इन आंकड़ों में वह दो प्रश्न भी शामिल हैं जो नियम 40 के अन्तर्गत प्राप्त हुए तथा दिए गए – और सरकारी सदस्यों से पूछे गए प्रश्न।

वर्ष 1971 से 1976 तक पांचवीं लोक सभा के अठारह सत्रों में विभिन्न मंत्रालयों से सम्बन्धित प्रश्नों की संख्या के बारे में नीचे दी गई सारणी में जानकारी दी गई है। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा 99,606 प्रश्नों के उत्तर दिये गये। कृषि, संचार, वाणिज्य, शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति, विदेश, वित्त, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, गृह, औद्योगिक विकास, इस्पात और खान, सिंचाई और विद्युत, श्रम, रोजगार और पुनर्वास, पेट्रोलियम और रसायन, रेल, पर्यटन तथा नागर विमानन तथा निर्माण और आवास मंत्रालयों ने बहुत अधिक अर्थात प्रत्येक ने 3,000 से भी अधिक प्रश्नों के उत्तर दिये।

मंत्रालय का नाम	प्रश्नों की संख्या
कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता (भूतपूर्व सिंचाई विभाग समेत, 12 वां तथा 13 वां सत्र)	9666
अणुशक्ति/प्रधान मंत्री सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/(भूतपूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग समेत, दूसरे से छठा सत्र)	
अन्तरिक्ष तथा इलेक्ट्रानिक्स (भूतपूर्व अन्तरिक्ष विभाग समेत 5 वें से 17 वां सत्र) (भूतपूर्व इलेक्ट्रानिक्स विभाग 7वें से 17 वां सत्र)	2681
संचार	3088
वाणिज्य	5875
रक्षा	2985
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति	4366
विदेश	3136
ऊर्जा	878
वित्त	3613
स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन	3131
भारी उद्योग (ये आंकड़े केवल 7 वें से 12 वें सत्र के हैं अर्थात् वर्ष 1973-74)	847
गृह	4649

(1)	(2)
औद्योगिक विकास (भूतपूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग समेत, 7 वें से 12 वां सत्र) (भूतपूर्व नागरिक आपूर्ति विभाग, 12 वें से 13 वां सत्र) (भूतपूर्व सरकारिया विभाग समेत 17 वां सत्र)	5909
सूचना और प्रसारण	2168
सिंचाई और विद्युत	3644
श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास (भूतपूर्व पुनर्वास विभाग समेत, पहले से 9 वां सत्र)	4093
विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य	2013
पेट्रोलियम तथा रसायन (भूतपूर्व पेट्रोलियम रसायन तथा उर्वरक विभाग समेत, 15 वें से 17 वां सत्र)	5574
संसदीय कार्य	80
योजना	1918
रेल	8733
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (केवल 13 वां सत्र अर्थात् 1975)	006
इस्पात और खान (भूतपूर्व धातु तथा भारी इंजीनियरी विभाग समेत, पहला सत्र)	4597
संचार तथा पर्यटन	2437
आपूर्ति तथा पुनर्वास (भूतपूर्व पुनर्वास विभाग समेत 10 वें से 17 वां सत्र)	402
पर्यटन तथा नागर विमानन	3191
निर्माण और आवास	3036
कुल	98506 *

*इन संख्याओं में नियम 40 के अंतर्गत पूछे गए 2 प्रश्न भी शामिल हैं।

1971 - 1976 तक चौथी लोक सभा में संसद सदस्यों द्वारा विभिन्न मंत्रालयों से पूछे गये प्रश्नों की संख्या दर्शाने वाला विवरण :

नीचे दी गई सारणी में विभिन्न मंत्रालयों से पूछे गये प्रश्नों की प्रवृत्ति का पता लगता है। कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार, व वाणिज्य, वित्त, पैट्रोलियम और रसायन तथा रेल मंत्रालयों से अधिक प्रश्न अर्थात् कुल प्राप्त प्रश्नों के 7 प्रतिशत से अधिक प्रश्न पूछे गये इसके बाद रक्षा, शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति, गृह, औद्योगिक विकास, सिंचाई और विद्युत, श्रम रोजगार तथा पुनर्वास, इस्पात और खान तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के कुल प्राप्त प्रश्नों के 3 प्रतिशत से अधिक प्रश्न पूछे गये। शेष मंत्रालयों से सामान्य प्राप्त प्रश्नों का 3 प्रतिशत से कम प्रश्न पूछे गये।

मंत्रालय का नाम	1971		1972		1973		1974		1975		1976	
	संख्या	कुल का प्रतिशत	संख्या	कुल का प्रतिशत	संख्या	कुल का प्रतिशत	संख्या	कुल का प्रतिशत	संख्या	कुल का प्रतिशत	संख्या	कुल का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता (भूतपूर्व सिंचाई विभाग समेत - 12वां तथा 13 वां सत्र)	1306	9·96	1564	7·72	2009	8·54	2413	10·91	1211	11·65	1163	12·65
अणुशक्ति/प्रधान मंत्री सचिवालय / अन्तरिक्ष तथा इलैक्ट्रानिक्स (भूतपूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग समेत -तीसरे से छठा सत्र, भूतपूर्व अन्तरिक्ष विभाग समेत - 5वें से 17 वां सत्र, भूतपूर्व इलैक्ट्रानिक्स विभाग -7वां से 17 वां सत्र	659	5·00	737	3·64	527	2·24	355	1·60	203	1·95	200	2·18
सचिवालय	413	3·13	545	2·69	685	2·91	491	2·23	220	2·12	247	2·69
वाणिज्य	803	6·09	1495	7·38	1791	7·61	1863	8·44	707	6·80	703	7·65
रक्षा	409	3·10	803	4·02	949	4·04	532	2·41	192	1·85	100	1·09
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति	617	4·68	1014	5·01	999	4·25	891	4·04	447	4·30	398	4·33
विदेश	504	3·82	657	3·22	737	3·13	675	3·06	290	2·79	373	2·97

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
ऊर्जा	-	-	-	-	-	-	234	1·06	363	3·49	281	3·06
वित्त	1002	7·59	1781	3·88	2138	9·09	1818	8·24	1069	10·28	805	8·77
स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन	499	3·78	726	3·58	567	2·41	755	3·42	306	2·94	278	3·02
भारी उद्योग (यह आंकड़े 7 वें से 12 वें सत्र अर्थात् वर्ष 1973-74 के हैं)	-	-	-	-	502	2·13	345	1·56	-	-	-	-
गृह	908	6·88	892	4·35	1184	5·03	902	4·09	460	4·42	303	3·30
औद्योगिक विकास (भूतपूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग समेत 7 वें से 12 वां सत्र, भूतपूर्व नागरिक आपूर्ति विभाग समेत 12 वें से 13 वां सत्र, भूतपूर्व सहकारिता विभाग समेत 14 17 वां सत्र)	694	5·26	1236	6·11	1343	5·71	1411	6·39	643	6·19	482	5·25
सूचना और प्रसारण	328	2·49	565	2·74	525	2·23	328	1·49	220	2·12	202	2·20
सिंचाई और विद्युत	623	4·72	1047	5·17	1175	4·99	799	3.62	-	-	-	-
श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास (पुनर्वास विभाग समेत, पहली से 9 वां सत्र)	780	5·90	956	4·72	1058	4·49	690	3·13	223	2·15	376	4·09
विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य	253	1·93	361	1·29	421	1·79	481	2·18	304	2·92	193	2·10
पेट्रोलियम और रसायन (भूतपूर्व रसायन और उर्वरक विभाग समेत 15 वें से 17 वां सत्र)	438	3·32	728	3·40	1092	4·64	1511	6·84	1064	10·23	741	8·06

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
संसदीय कार्य	015	0·11	026	0·13	007	0·03	013	0·06	013	0·13	006	0·06
योजना	154	1·17	415	2·05	566	2·40	372	1·69	232	2·23	179	1·95
रेल	1170	8·87	1851	9·14	1918	8·15	1995	9·04	911	8·76	888	9·68
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (केवल 13 वां सत्र अर्थात्, 1975)	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0·06	-	-
इस्पात और खान (भूतपूर्व धातु और भारी इंजीनियरी विभाग समेत - पहला सत्र)	557	4·22	998	4·93	1294	5·50	1179	5·34	276	2·66	293	3·19
नौवहन तथा पत्तनवहन	319	2·42	478	3·36	515	2·19	593	2·69	236	2·27	296	3·22
आपूर्ति तथा पुनर्वास (भूतपूर्व पुनर्वास विभाग समेत - 10 वें सत्र से 17 वां सत्र)	28	0·21	35	0·17	86	0·37	139	0·63	78	0·75	36	0·39
पर्यटन तथा नागर विमानन	388	2·94	675	3·30	848	3·60	624	2·83	323	3·10	333	3·62
निर्माण और आवास	326	2·48	647	3·00	594	2·53	658	2·98	399	3·84	412	4·48
	13193	100·00	2 0232	100·00	23530	100·00	22067	100·00	10396	100·00	9188	100·00

★ इस अवधि में नियम 40 के अन्तर्गत गृहीत 2 प्रश्न भी शामिल हैं।

14 - पांचवीं लोक सभा के गृहीत प्रश्नों संबंधी विवरण - सदस्य वार ब्यौरा

सदस्य का नाम	गृहीत प्रश्न			
	तारांकित	अतारांकित	अल्प सूचना	योग
1	2	3	4	5
अकीनीडु, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)	- -	- -	- -	- -
अकीनीडु, प्रसाद राव, श्री पी० (राजोले)	-	-	-	-
अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)	-	3	-	3
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुजफ्फरनगर)	-	4	-	4
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)	33	212	-	245
अचल सिंह, श्री (आगरा)	3	28	-	31
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)	1	27	-	38
अप्पासानायडु, श्री एस० आर० एस०एस० (अनकापल्ली)	-	-	-	-
अफजलपुरकर, श्री धर्मराव शानप्पा (गुलबर्गा)	53	322	-	375
अम्बेश, श्री छत्रपति (फिरोजाबाद)	19	418	-	437
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)	13	135	-	148
अलगेसन, श्री ओ०वी० (तिरुमंगलम)	-	-	-	-
असगर हुसैन, कैप्टन एम० (अकोला)	-	-	-	-
अहमद, श्री एफ०एम० (अरकोनम)	-	-	-	-
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)	35	294	-	329
आगा, श्री सैयद अहमद (आरामबाग)	1	23	-	24
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)	7	43	-	50
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)	-	3	-	3
आर्टिन, डा० हैरिटन (एरणाकुलम)	1	8	-	9
इसहाक, श्री एम०के०एम० (बसिरहाट)	20	251	-	271
उइके, श्री एम०जी० (मांडला)	-	1	-	1

1	2	3	4	5
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०(बहादरा)	22	77	-	99
उरावं, श्री कार्तिक (लोहरदगा)	6	93	-	99
उरावं, श्री दुना (जशपुरनगर)	15	141	-	156
उलगनाथन, श्री आर०एन०(नेल्लोर)	18	202	-	220
एन्थनी, श्री ए्रिक(नाम निर्देशित)	-	-	-	-
ओझा, श्री घनश्याम भाई (राजकोट)	-	-	-	-
कछवाय, श्री हुकमचन्द (मुरैना)	121	2108	1	2230
कटकी, श्री एल०डी० (नवगांव)	5	36	-	41
कठनापल्लि, श्री रामचन्द्रन(कासरगोड)	41	225	-	266
कथामुतु, श्री एम०(नागपट्टिनम)	102	537	-	639
कदम, श्री जे०जी०(वर्धा)	2	15	-	17
कदम, श्री दत्ताजी राव(हथकणंगी)	1	1	-	2
कपुर, श्री सत्यपाल(पटियाला)	66	527	2	595
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)	63	698	-	761
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)	1	5	-	6
कर्णसिंह, डा० (उधमपुर)	-	-	-	-
कर्णी सिंह, डा०(बीकानेर)	41	194	-	235
कल्याणसुन्दरम, श्री एम०(तिरुचिरापल्लि)	47	129	1	177
कस्तूरी, श्री अर्जुन श्रीपति (जामगोदे)	1	38	-	39
काकाटी, श्री रोजिन(तिरुपुर)	5	312	-	317
काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पणजिम)	68	358	-	426
कादर, श्री एस०एस०(चन्दर पल्ला दक्षिण)	-	5	-	5
काकेरी, श्री तुलसीराम दशरथ (लातुर)	-	4	-	4
काकेरी, श्री एस० एस०(पंढरपुर)	-	1	-	1
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)	-	-	-	-
काम डोया, श्री डी० (नेल्लोर)	4	15	-	19
काले, श्री बालुराम जगन्नाथ (जलना)	-	-	-	-
कावडे, श्री बी० आर०(नासिक)	-	3	-	3

1	2	3	4	5
काहलोन, श्री जैड० एम०(मालेगांव)	-	23	-	23
किदवलाल, श्री (हरदोई)	-	2	-	2
किरुतिनन, श्री थ००	2	54	-	56
किस्कू, श्री ए०के०(साहेबगंज)	2	29	-	31
कुमारमंगलम, श्री एस०एम०(पांडिचेरी)	-	-	-	-
कुरैल, श्री बी० एन०(रामसनेहीघाट)	-	-	-	-
कुरैशी, श्री मुहम्मद शफी(अनन्तनाग)	-	-	-	-
कुलकर्णी, श्री राजा(बम्बई उत्तरपूर्व)	33	112	-	145
केवीखुसा, श्री ए०(नागालैंड)	-	-	-	-
केलास, डा० एन०एन०(बम्बई दक्षिण)	1	5	-	6
कोटरासेट्टी, श्री ए०के०(कैरागांव)	8	17	-	25
कोया, श्री सी०एच०मुहम्मद (मंजेरी)	12	123	-	135
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)	-	1	-	1
कृष्णन, श्री ई०आर०(सेलम)	4	33	1	38
कृष्णनन, श्री जी०वार्ड०(कोयार)	113	711	-	824
कृष्णन, श्री एन०के०(पोन्नानी)	34	211	-	245
कृष्णन, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)	64	245	-	309
कृष्णप्पा, श्री एम०वी०(दोड्डबल्लापुर)	15	102	-	117
कृष्णकुमारी, श्रीमती (जोधपुर)	7	58	-	65
कृष्णा, श्री सोमनल्लि मल्लया(मांड्या)	34	105	-	139
खां, श्री आई० एच०(बारपेटा)	-	-	-	-
खां, श्री जुल्फिकार अली(रामपुर)	-	22	-	22
खां, श्री शाहनवाज (मेरठ)	-	-	-	-
खाडिलकर, श्री आर०के०(बारामती)	-	-	-	-
गंगादेव, श्री पी०(अंबाला)	251	1503	1	1755
गंगादेवी, श्रीमती(मोहनलालगंज)	-	3	-	3
गणेश, श्री के०आर०(अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)	-	-	-	-

122

1	2	3	4	5
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)	-	-	-	-
गायकवाड, श्री फतेहसिंह राव(बड़ौदा)	30	161	1	198
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)	1	10	-	11
गार्वा, श्री बलविन्दर सिंह(लुधियाना)	55	456	-	511
गाविट, श्री टी०एच० (नन्दरबार)	-	1	-	1
गिरी, श्री एस० वी० (वारंगल)	-	1	-	1
गिरी, श्री वी० शंकर (दमोह)	-	-	-	-
गिल, सरदार मोहिन्दर सिंह(फिरोजपुर)	32	316	-	348
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीगढ़)	146	834	2	982
गुप्त, श्री समर (कटिहार)	144	1201	6	1351
गोदा सिंह, श्री (पटियाला)	2	8	-	10
गोखले, श्री एच०आर० (अम्बई उत्तर पश्चिम)	-	-	-	-
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)	14	52	-	66
गोटखिंडे, अन्नासाहेब(सांगली)	29	148	-	177
गोदारा, श्री मनीराम(हिसार)	3	3	-	6
गोपाल, श्री के०(कन्नूर)	-	4	2	6
गोपालन, श्री ए०के० (पालघाट)	60	360	-	420
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)	46	306	-	352
गोयल्का, श्री आर०एन० (विदिशा)	-	-	-	-
गोविन्द, दास, डा० (जबलपुर)	-	-	-	-
गोस्वामी, श्री दिनेश चंद्र (गोहाटी)	13	59	-	72
गोस्वामी, श्रीमती विभा पॉल (नवद्वीप)	22	92	-	114
गोहिल, श्री एस०एस० (अलगाव्स प्रदेश)	4	18	-	22
गोहिल, श्रीमती मार्जारी (नामनिर्देशित)	-	-	-	-
गोडा, श्री डी०बी०चन्द्र (विक्रमगंज)	86	514	-	600
गोडा, श्री पवन (रायचूर)	28	165	-	193
गोहेर, श्री जे० माया (नीलगिरि)	6	38	-	44

1	2	3	4	5
गौतम, श्री सी०डी०(बालाघाट)	-	2	-	2
घोष, श्री पी०के०(रांची)	-	10	-	10
चक्रेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)	-	-	-	-
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)	28	191	-	219
चतुर्वेदी, श्री राधेलाल (इटा)	-	-	-	-
चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना(कलकत्ता)	6	70	-	76
चन्द्रप्पन, श्री सी०के०(टीलिचेरी)	205	1222	2	1429
चड्ढा, श्री शिव (बांका)	-	9	-	9
चट्टोपाध्याय, श्री चन्दुलाल (दुर्ग)	27	342	-	369
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)	30	373	-	403
चव्हाण, श्री डी०आर०(कराड़)	-	-	-	-
चव्हाण, श्रीमती प्रेमिलाबाई दाजीसाहेब (कराड़)	-	12	-	12
चव्हाण, श्री वाई०बी०(सतारा)	-	-	-	-
चावड़ा, श्री प्रेमचन्द भाई(पाटन)	29	345	-	374
चावला, श्री अमरनाथ (दिल्ली सदर)	29	141	-	170
चिकलिगैया, श्री के०(माडया)	2	1	-	3
चित्तिबाबु, श्री सी०(चिंगलपुट)	42	283	-	325
चिन्नास्वामी, श्री सी०के०(तिरुपत्तुर)	-	-	-	-
चेलाकामी, श्री एस०एम०(टेकासी)	-	5	-	5
चौधरी, श्री अमरसिंह(माडवी)	6	51	-	57
चौधरी, श्री हरिवंश (गया)	62	492	-	554
चौधरी, श्री त्रिदिब(बरहामपुर)	30	187	-	217
चौधरी, श्री बी०वाई०(बीजापुर)	-	2	-	2
चौधरी, श्री मोहम्मद हक(धुबरी)	-	-	-	-
चौहान, श्री बी० एस०(धार)	39	352	-	391
छुट्टन लाल, श्री (सवाई-माधोपुर)	-	-	-	-
छोटेलाल, श्री (जैस)	-	-	-	-

1	2	3	4	5
जगजीवनराम, श्री (सासाराम)	-	-	-	-
जडेजा, श्री डी०पी० (जामनगर)	115	792	-	907
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)	117	643	-	760
जमीलुरहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)	5	121	-	126
जयलक्ष्मी, श्री वी० (शिवकाशी)	1	-	-	1
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)	-	-	-	-
जार्ज, श्री वरकी (कोट्टयम)	64	383	-	447
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)	2	34	-	36
जोजिफ, श्री एम०एम० (पीरमाडे)	84	473	-	557
जोरदार, श्री दिनेश (मालदा)	29	91	-	120
जोशी, श्री जगन्नाथराव (शाजापुर)	99	467	1	567
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (अम्बकोठा)	-	3	-	3
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)	-	2	-	2
झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)	25	129	-	154
झा, श्री भोगेन्द्र (जैनगर)	153	1060	2	1215
झा, श्री विनोदानन्द (दरभंगा)	-	-	-	-
झुनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौरगढ़)	72	768	-	840
ठाकरे, श्री एस० वी० (यवतमाल)	-	-	-	-
ठाकुर, श्री कृष्णराव (विमरु)	-	2	-	2
डांगा, श्री एम०सी० (पाली)	120	1064	-	1184
डोडा, श्री दीपचन्द (बांसवाड़ा)	-	15	-	15
ढिल्लों, श्री डी० जी०एस० (तारनतारन)	-	-	-	-
तय्यब हुसैन, श्री (गुड़गांव)	-	-	-	-
तिवारी, श्री आर० जी० (बिलासपुर)	-	-	-	-
तिवारी, श्री एस०एस० (इटावा)	-	-	-	-
तिवारी, श्री कमलनाथ (बेतिया)	-	1	-	1

1	2	3	4	5
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि(बलरामपुर)	2	21	-	23
तिवारी, पण्डित डी0एन0(गोपाल गंज)	6	35	-	41
तुहु, श्री मनमोहन (म्यूनिख)	-	-	-	-
तुलसीरामम, श्री (अटारिया)	-	-	-	-
तुलसीराम, श्री वी0 (चिंगलपेट)	-	-	-	-
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)	-	4	-	4
थकप्पन, श्रीमती भार्गवि(अडयार)	86	957	-	1043
थेवर, श्री पी0के0एम0(रामनाथपुरम)	-	-	-	-
दण्डपाणि, श्री सी0टी0(धारापुरम)	48	167	-	215
दण्डवती, श्री मधु (राजापुर)	59	628	2	689
दत्त, श्री बीरेन(त्रिपुरा पश्चिम)	19	249	-	268
दरबारा सिंह , श्री (होशियारपुर)	5	7	-	12
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)	-	-	-	-
दलीप सिंह, चौधरी (बाह्य दिल्ली)	13	99	-	112
दामानी, श्री एस0आर0(धोलपुर)	76	509	-	585
दास, श्री अनादिचरण(जाजपुर)	45	292	-	337
दास, श्री आर0पी0(कृष्णनगर)	15	98	-	113
दास, श्री धरणिधर (मयूरभंज)	2	6	-	8
दासचौधरी, श्री वी0के0(कूच बिहार)	117	833	2	952
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)	-	2	-	2
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)	4	32	-	36
दिवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)	5	40	1	46
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)	1	26	-	27
दीक्षित, श्री जे0सी0(झाँसी)	46	1372	-	1418
दुबे, श्री जी0 पी0 (भदोही)	-	1	-	1
दुमादा, श्री लक्ष्मण काकाडया (दमण)	-	-	-	-
दुरायस्वामी, श्री एम0 (पेरम्बलूर)	-	-	-	-

126

1	2	3	4	5
देशपांडे, श्रीमती राजा विद्याधर (अम्बई मध्य)	34	132	-	166
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)	-	2	-	2
देशमुख, श्री शिवाजीराव एस० (परभणी)	-	1	-	1
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)	151	935	-	1086
देसाई, श्री मोरारजी आर० (सूरत)	-	-	-	-
देसाई, श्री सी० सी० (साबरकांठा)	-	2	-	2
देव, श्री आर० आर० सिंह (बोधगया)	44	210	-	254
देव, श्री डी० (त्रिपुरा पूर्व)	44	307	-	351
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)	62	221	1	284
देव, श्री शंकर नारायण सिंह (बांकुरा)	30	355	-	385
देवीकन, श्री एम० (कालाकुरिची)	-	11	-	11
धामनकर, श्री भाउसाहेब (भिवंडी)	76	420	1	497
धारिया, श्री मोहन (पूना)	-	1	-	1
धुसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)	1	19	-	20
घाटे, श्री अभ्यंकर (नागपुर)	4	14	-	18
नन्दा, श्री जी० एल० (कैथल)	-	-	-	-
नन्द सिंह, श्री (सतना)	55	364	-	419
नवाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)	-	-	-	-
नायक, श्री बद्री (पालमऊ)	29	119	-	148
नायक, श्री बालकृष्ण वेकन्ना (कनारा)	73	522	2	597
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (त्रिचूर)	20	102	-	122
नायर, श्रीमती शकुन्तला (कैसरगंज)	-	1	-	1
नारायणन, श्री वी० (पोल्लाची)	4	17	-	21
नीतिराज सिंह, चौधरी (हरिद्वार)	17	156	-	173
निम्बालकर, श्री राजाराम दादासाहेब (कोल्हापुर)	8	67	-	75
नूरुल हुदा, श्री (कैसर)	10	165	-	175

1	2	3	4	5
नेगी, श्री प्रताप सिंह (गढ़वाल)	3	61	-	64
पट्टाभिरामा राव, श्री एस०बी०पी० (राजमुंद्री)	-	- 2	-	2
पटनायक, श्री जानकी वल्लभ (कटक)	3	9	-	12
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)	45	374	-	419
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)	105	647	-	752
पटेल, श्री आर०आर० (दादरानगर हवेली)	7	54	-	61
पटेल, श्री एच० एम० (टंकारा)	66	232	-	290
पटेल, कुमारी मनीषिन अरुणभाई (साबरकांठा)	-	2	-	2
पटेल, श्री नटवरलाल (मेहसाना)	-	-	-	-
पटेल, श्री नानुभाई एन० (अहमदाबाद)	15	22	-	37
पटेल, श्री पुरुषोत्तम (डामोह)	44	385	-	429
पठित, श्री एस० टी० (भीर)	-	-	-	-
प्रतापसिंह, श्री (शिमला)	1	9	-	10
प्रधान, श्री धनराज (शहडोल)	57	533	-	590
प्रधानी, श्री के० (नीलगिरि)	13	85	-	98
पन्डा, श्री डी० के० (भुवनेश्वर)	107	582	-	690
पन्त, श्री कृष्णचंद (नैनीताल)	-	-	-	-
प्रबोधचन्द्र, श्री (गुरदासपुर)	99	558	-	657
परमार, श्री भाईजीभाई रावजी भाई (दाहोद)	30	220	-	250
पराशर, श्री के० नारायण चन्द (हमीरपुर)	109	1324	-	1433
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (सिंहभूम)	-	-	-	-
पाकिर हाजिकि, श्री (बाह्य मनीपुर)	-	1	-	1
पाजानीर, श्री अरविंद बाला (पांडिचेरी)	-	-	-	-
पाटिल, श्री अनन्तराव (बीड)	11	28	-	39
पाटिल, श्री वी० वी० शिवाजी (शिवे (कोल्हापुर)	21	304	-	325
पाटिल, श्री एस० बी० (बागलकोट)	3	10	-	13
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)	-	-	-	-
पाटिल, श्री टी०एस० (उस्मानाबाद)	-	-	-	-

1	2	3	4	5
पाटिल, श्री सी० ए० (भुसावल)	-	-	-	-
पाठ, श्री कृष्णचन्द्र (इलाहाबाद)	29	133	-	162
पाठ, श्री दामोदर (हजारीबाग)	2	18	1	21
पाठ, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)	19	90	2	111
पाठेय, श्री तारकेश्वर (सेलमपुर)	-	6	-	6
पाठेय, रामसहाय (राजनन्दगांव)	136	776	-	912
पाठेय, डा० लक्ष्मी नारायण (मंदसौर)	139	1358	1	1498
पाठेय, श्री सरजू (गाजीपुर)	76	360	-	436
पाठेय, श्री सुधाकर (बदौली)	5	116	-	121
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)	62	424	1	487
पार्थसारथी, श्री पी० (राजमंडरी)	-	-	-	-
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्रनगर)	-	-	-	-
पालदिकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)	-	-	-	-
पासवान, श्री राम भगत (रोसेरा)	51	310	-	361
पुर्ती, श्री एम० एस० (सिंहभूमि)	89	592	-	681
पेंजे, श्री एस०एस० (रत्नगिरि)	4	15	-	19
पेरियसामी, श्री पी० पिपणानिंद (टेहरीगढ़वाल)	5	46	-	51
बृजराज सिंह, श्री (इलाहाबाद)	22	97	-	119
बर्डे, श्री आर० वी० (आरमोरी)	66	337	-	403
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)	179	987	1	1167
बनर्जी, श्रीमती पुतुल (नई दिल्ली)	6	41	-	47
बनेरा, श्री उमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)	24	111	-	135
ब्रह्मानन्द, स्वामी (हमीरपुर)	1	23	-	24
बर्मन, श्री आर० एन० (बलुरघाट)	62	491	-	553
बसु, श्री ज्योतिर्मय (हावड़ा साउथ)	145	1487	7	1639
बरुआ, श्री देवव्रत (कालियाबोर)	-	-	-	-
बलियार, श्री लम्बोदर (बरपेटा)	3	48	-	51
बसुमतारी, श्री धरणीधर (कोकराझार)	-	2	-	2
बहुगुणा, श्री हेमवती नन्दन (इलाहाबाद)	-	-	-	-

1	2	3	4	5
बाकुला, श्री कुलक (लदढ़ाका)	6	129	-	135
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेठी)	1	16	-	17
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)	-	-	-	-
बाबाराव, श्री तारडिकर वेंकटराव (नांदेड)	-	-	-	-
बाबू, श्री बनमाली (सम्बलपुर)	11	130	-	141
ब्रामका, श्री रतनलाल (दार्जिलिंग)	2	20	-	22
बालकृष्ण पिल्लै, श्री आर० (मावेलिक्करा)	5	26	-	31
बालकृष्ण, श्री के० (अम्बलपुझा)	-	1	-	1
बालगास, श्री पन्नालाल (गंगानगर)	8	231	-	239
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरुपति)	2	18	-	20
बालदण्डायुधम, श्री के० (कोयम्बटूर)	30	145	1	176
बालप्पा, श्री कडिडाजी (चित्रदुर्ग)	-	-	-	-
बिष्ट, श्री नन्दसिंह (अल्मोड़ा)	40	293	-	333
बीनि एन्टो, श्री (डोम्म)	5	28	1	34
बटासिंह, सरदार (रोपड़)	2	15	-	17
बीरवा, श्री अशोरलाल (कोटा)	67	648	-	715
बेसरा, श्री एस० सी० (दुमका)	4	44	-	48
बोदुपल्लि, श्री राजगोपालराव (श्रीकाकुलम)	-	-	-	-
भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)	21	142	1	164
भगत, श्री बी० आर० (शाहाबाद)	-	-	-	-
भट्टाचार्य, श्री बसुलिंदु (गिरिडीह)	2	10	1	13
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (बालसे)	19	117	-	136
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सेरामपुर)	39	227	-	266
भट्टाचार्य, श्री श्याम प्रसन्न (उलुबेरिया)	20	80	-	100
भंडारी, श्री आर० डी० (बम्बई नगर)	-	-	-	-
भार्, श्री रामसिंह (रुद्रोर)	-	-	-	-
भार्गव, श्री बशेश्वरनाथ (अजमेर)	1	17	-	18

1	2	3	4	5
भगीरथ भंवर, श्री (झालावा)	36	505	-	541
भाटिया, श्री दुर्गादास (अमृतसर)	-	-	-	-
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)	104	757	-	861
भोलादेव, श्री एम० (नागरकुर्नूल)	-	-	-	-
भुवारका, श्री जी० (मैसूर)	14	60	-	74
भोरा, श्री बी० एस० (भटिंडा)	124	525	-	649
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)	88	503	-	591
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गिरिडीह)	1	37	-	38
मधुकर, श्री के० एम० (कैथिया)	110	639	-	749
मनहर, श्री भगतराम राजाराम (अजमेर)	11	47	-	58
मनोहरन, श्री कृष्णन (मद्रास उत्तर)	-	-	-	-
माठो, श्री ईश्वर (राजमल्ल)	-	-	-	-
मसूदी, श्री इन्द्र जी० (जम्मू)	21	82	-	103
मसूदा, श्री के० (मधुगिरी)	107	649	-	756
मलिक, श्री मुख्यार सिंह (रोहतक)	109	633	1	743
मल्लिकार्जुन, श्री (मैदक)	2	17	-	19
मसूनी, श्री सुन्दर (जैन्द्रगढ़ा)	5	55	1	61
महाजन, श्री विक्रम (कांगड़ा)	32	173	-	205
महाजन, श्री वाई० एस० (अम्बाला)	-	18	-	18
महाता, श्री देवेन्द्रनाथ (पुरुलिया)	8	59	-	67
महापात्र, श्री श्यामसुन्दर (बालासोर)	34	432	1	467
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)	-	2	-	2
महिला, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)	-	-	-	-
माझी, श्री कुमार (कोंगिर)	5	35	-	40
माझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)	45	274	-	319
माझी, श्री मोहन (जनुई)	25	236	-	261
मार्तण्ड सिंह, श्री (रीवा)	11	273	-	284
माहेश्वरी, श्री के० (डिंडीगल)	-	-	-	-

1	2	3	4	5
मुखोपाध्याय, श्री वी० (चिदम्बरम)	85	371	-	456
माणक, श्री के० (तुरा)	-	1	-	1
माथन, श्री मुत्तासेमी (मद्रास दक्षिण)	6	76	-	82
मालवीय, श्री के० डी० (डुमारियागंज)	-	-	-	-
माव्लंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)	52	423	-	475
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)	-	-	-	-
मिनीमाता, श्री अगमदास गुरु, श्रीमती (जंजगीर)	-	10	-	10
मिश्र, श्री एस० एन० (कनौज)	82	598	-	680
मिश्र, श्री एस० एन० (दरभंगा)	-	-	-	-
मिश्र, श्री विभूति (सीतामढ़ी)	82	489	2	573
मिश्र, श्री श्यामनंदन (बेगूसराय)	43	170	-	213
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)	83	666	-	749
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)	5	87	-	92
मिश्र, श्री जी० एस० (बिदेवाड़ा)	-	1	-	1
मुखर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)	70	236	1	307
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)	57	271	2	330
मुखर्जी, श्री सरोज (कैलवा)	54	357	-	411
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)	-	-	-	-
मुदुगन्तम, श्री एस० एस० (तिरुनेलवेली)	118	698	1	817
मुखी, श्री प्रियरंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)	71	504	1	576
मुरम, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)	-	18	-	18
मुहम्मद इस्माइल, श्री (बीरभूम)	27	185	-	212
मुहम्मद इस्माइल, श्री एम० (मंजेरी)	2	5	-	7
मुहम्मद बुदाखिया, श्री (मुर्शिदाबाद)	3	9	-	12
मुहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)	-	-	-	-
मुहम्मद यासीन, श्री (सीवान)	1	2	-	3
मुहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)	88	428	-	516
मूर्ति, श्री वी० एस० (अमलापुरम)	11	95	-	106
मेदुरी, श्री नागेश्वर राव (मछलीपट्टनम)	3	24	-	27

1	2	3	4	5
मेनन, श्री वी० के० कृष्ण (त्रिवेन्द्रम)	-	-	-	-
मेस्त्री, डा० जी० एस० (हैदराबाद)	5	30	-	35
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)	-	1	-	1
मेहता, श्री प्रसन्नभाई (भावनगर)	205	1473	1	1679
मेहता, श्री डा० महीपतराय (कच्छ)	5	17	-	22
मोदक, श्री विजय (हुबली)	9	36	-	45
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)	106	646	-	752
मोदी, श्री पी० (गोधरा)	51	244	-	295
मोहनराज, श्री (पोलाची)	3	21	-	24
मोहनस्वामी, श्री (पोलीगोड)	9	90	-	99
मोहसिन, श्री एस० एच० (धारवाड़ दक्षिण)	-	-	-	-
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)	-	7	-	7
याज्ञिक, श्री इन्दुलाल (अहमदाबाद)	-	1	-	1
यादव, श्री आर० पी० (माधोपुर)	30	264	-	294
यादव, श्री एन० पी० (सीतामढ़ी)	-	3	-	3
यादव, श्री कर्णसिंह (अलवर)	-	-	-	-
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)	-	-	-	-
यादव, श्री जी० पी० (कटिहार)	35	342	-	377
यादव, श्री डा० पी० (मुंगेर)	-	-	-	-
यादव, श्री शरद (जबलपुर)	8	49	-	57
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (आगरिया)	2	14	-	16
रघुरामैया, श्री के० (गुंटूर)	-	-	-	-
रथि, श्री अयालाराजू (विशाखापत्तनम)	104	1223	2	1329
रावत, श्री भीमा (बगला)	-	2	-	2
राठिया, श्री उमेदसिंह (रायगढ़)	1	17	-	18
राधाकृष्णन, श्री एस० (कडप्पा)	10	52	-	62
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)	-	-	-	-
राजेगम, श्री एम० (शिवगंगा)	2	28	-	30

1	2	3	4	5
राजदेवसिंह, श्री (जौनपुर)	186	1371	-	1557
राज, श्री एम० वी० (नरसापुर)	-	-	-	-
राज, श्री पी०वी०जी० (विजागापत्तनम)	-	2	-	2
राना, श्री एम० वी० (पठानकोट)	-	-	-	-
रामकेवल, श्री (टोंक)	37	183	-	220
रामजीराम, श्री (अकबरपुर)	1	17	-	18
रामदयाल, श्री (बिजनौर)	-	-	-	-
रामधन, श्री (लालगंज)	-	2	-	2
रामप्रकाश, वी० (अम्बाला)	67	400	-	467
रामस्वरूप, श्री (राबर्ट्सगंज)	-	10	-	10
रामसेवक, वी० (जालौन)	1	2	-	3
रामसूरत प्रसाद, श्री (बांसगांव)	2	4	-	6
राम रतिराउ, श्री (रामटेक)	4	57	-	61
राय, श्री एस० के० (सिक्किम)	-	8	-	8
राय, श्री आरजमंड (घोसी)	46	285	-	331
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)	4	11	-	15
राय, डा० सरदार (बलिया)	23	93	-	116
राय, श्रीमती सरदारा बाई (सागर)	-	3	-	3
राव, श्री एम० सत्य नारायण (करीम नगर)	11	43	-	54
राव, श्री एम०एस०संजीवी (काकीनाडा)	38	310	-	348
राव, डा० के० एस० (विजयवाड़ा)	4	55	-	59
राव, श्री के० नारायण (बीजिनो)	1	11	-	12
राव, श्री जगन्नाथ (अनंतपुर)	-	-	-	-
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)	-	-	-	-
राव, श्रीमती वी० राधाबाई आनन्द (हैदराबाद)	-	-	-	-

1	2	3	4	5
राव, डा० वी०के०आर०वर्दराजा (दिल्ली)	-	-	1	1
राव, श्री वीरेन्द्र सिंह (महेन्द्रगढ़)	122	806	4	932
रिझारिया, डा० गोविन्द दास (बासी)	16	99	-	115
रे, श्रीमती माया (रायगंज)	2	-	-	2
रे, श्री सिद्धार्थ शंकर (रायगंज)	-	-	-	-
रेड्डी, श्री एम०रामगोपाल (निजामाबाद)	112	664	-	776
रेड्डी, श्री एस० आर० (गुलबर्गा)	-	-	-	-
रेड्डी, श्री के० कोण्डल रामी (कुरनूल)	14	257	-	271
रेड्डी, श्री के० रामकृष्णा (नलगोंडा)	6	78	-	84
रेड्डी, श्री पी० एस्टोनी (अनन्तपुर)	1	30	-	31
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)	21	97	-	118
रेड्डी, श्री पी० नारसिम्हा (चित्तूर)	62	362	-	426
रेड्डी, श्री पी० वायापा (हिन्दपुर)	-	-	-	-
रेड्डी, श्री पी० वी० (कडप्पा)	-	4	-	4
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (नेल्लूर)	111	750	-	861
रेड्डी, श्री वी० एन० (निजामाबाद)	10	62	1	73
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (जिन्दौर)	-	1	-	1
लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)	122	775	-	897
लक्ष्मण, श्री टी० एस० (श्रीरंगपट्टन)	16	119	-	135
लक्ष्मीकान्तम, श्रीमती टी० (धर्मम)	-	-	-	-
लक्ष्मीनारायण, श्री एम०आर०(तिरुचेनम)	5	67	1	73
लखेरा जी भाई, श्री (उदयपुर)	58	555	-	613
लाखर, श्री निहार (कालिमपोंग)	95	330	-	425
लिम्बू, श्री मधु (बाका)	38	606	-	644
लुतफल हक, हाजी (अमरोहा)	2	12	-	14
वर्मा, श्री फतेहचन्द (उज्जैन)	92	659	-	751
वर्मा, श्री बालगोविन्द (झाँसी)	-	-	-	-
वर्मा, श्री सुरेन्द्र प्रसाद (नवादा)	97	868	-	965

1	2	3	4	5
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (ग्वालियर)	204	371	1	476
विक्ल, श्री रामचन्द्र (बागपत)	12	33	-	45
विद्यालंकार, श्री अमर नाथ (अम्बाला)	5	42	-	47
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)	5	27	-	32
वीरय्या, श्री के० (पुदुकोट्टई)	-	-	-	-
वीरभद्रप्पा, श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा (शिमोगा)	1	6	-	7
वीरभद्र सिंह, श्री (मण्डी)	34	249	-	283
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिदिपेट)	12	39	-	51
वेंकटसुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)	57	397	-	454
वेकारिया, श्री एन० आर० (जूनागढ़)	139	788	-	927
शंकर देव, श्री (बीहट)	-	9	-	9
शंकरानन्द, श्री बी० (विकोडी)	-	-	-	-
शमरत जंग, श्री (कैराना)	-	1	-	1
शर्मा, श्री एस० (चंदा)	-	1	-	1
शम्भूनाथ, श्री (सैदपुर)	1	-	-	-
शर्मा, श्री अनन्त प्रसाद (बक्सर)	3	10	-	13
शर्मा, श्री आर० आर० (बांदा)	18	81	-	99
शर्मा, श्री आर० एन० (धनबाद)	6	38	-	44
शर्मा, डा० एस० पी० (अलवर)	53	575	-	628
शर्मा, श्री एस० आर० (कानपुर)	-	2	-	2
शर्मा, श्री नवल किशोर (दौसा)	101	905	2	1008
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)	-	1	-	1
शर्मिष्ठा, श्री एस० एस० (भीलवाड़ा)	1	7	-	8
शारदा, श्री सी० के० जाफर (कनकपुर)	78	473	-	551
शाही फुफा, श्री (दक्षिण दिल्ली)	103	766	5	874
शास्त्री, श्री महादेवाक सिंह (दरभंगा)	51	606	-	657
शास्त्री, श्री राजाराम (बाराबंकी)	-	1	-	1
शास्त्री, श्री रामानन्द (बिजनौर)	-	4	-	4

1	2	3	4	5
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)	194	1761	-	1955
शास्त्री, श्री विष्णु नारायण (लखीमपुर)	23	144	-	167
शास्त्री, श्री शिव कुमार (अलीगढ़)	65	418	-	483
शास्त्री, श्री शिवभजन (विक्रम गंज)	3	18	-	21
शिन्दे, श्री अन्नासाहेब पी० (अहमदनगर)	-	-	-	-
शिनाय, श्री पी० रंगनाथ (उदगीर)	36	408	-	444
शिवप्पा, श्री मुदिल्ली (हसन)	39	147	-	186
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुवेंदुर)	34	239	-	273
शुक्ल, श्री के० आर० (अहराइच)	24	297	-	321
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)	-	-	-	-
शेट्टी, श्री के० जी० (मंगलौर)	-	1	-	1
शेर सिंह, श्री (झज्जर)	-	2	-	2
शेरीफन, श्री सी० एम० (पुलस्तुजा)	5	11	-	16
सर्दार सिंह, सरदार (अमरोहा)	-	-	-	-
सतपति, श्री तेजासिंह (मोगा)	13	54	-	67
सत्यनाथन, श्री आर० वी० (मदुरै)	81	596	-	677
सत्यार्थी, श्री सिद्ध राजेश्वर (कोपल)	-	-	-	-
सबेस, श्री जी० जी० (शिलांग)	-	-	-	-
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)	7	85	-	92
सक्सेना, श्री शिवन लाल (महाराजगंज)	11	46	-	57
सकेटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)	15	87	-	102
संगलियाना, श्री (मिजोरम)	-	1	-	1
सभापति, मौलाना हस्नात (अमरोहा)	55	301	-	356
सरयी, श्री देवेन्द्र (देवगढ़)	5	27	-	32
सत्यनारायण, श्री विदिड़ला (पार्वतीपुरम)	-	-	-	-
सतीशचन्द्र, श्री (अलीगढ़)	-	-	-	-
सरकार, श्री शशिकुमार (कृष्णनगर)	33	164	-	197

137

1	2	3	4	5
साधो, श्री एन० के० (जबलपुर)	148	737	-	935
साठे, श्री असते (अलीगढ़)	82	785	2	869
साधुराम, चौ० (बिलासपुर)	-	6	-	6
साहनी, श्री एन० के० पी० (मेरठ)	1	103	-	104
सामन्त, श्री एस० पी० (तामलुक)	83	437	-	520
सामिनाथन, श्री पी० एस० (पोलिसीटिकुलम)	58	242	-	300
सावन्त, श्री शंकर राव (कोलाबा)	90	613	-	703
सावित्री श्याम, श्रीमती (अमेठी)	65	365	-	430
साहा, श्री अजित कुमार (सिंगभूम)	26	88	-	114
साहा, श्री गदाधर (सीकर)	17	114	-	131
सिंहेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)	1	7	-	8
सिद्दय्या, श्री एस० एस० (शिमोगा)	15	183	-	198
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)	20	36	-	56
सिंधिया, श्री वी० एस० (सिंध)	3	46	-	49
सिन्हा, श्री आर० के० (फैजाबाद)	32	181	-	213
सिन्हा, श्री धर्मवीर (बक्सर)	-	-	-	-
सिन्हा, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)	46	251	1	298
सिंह, श्री अवधेश चन्द्र (फर्रुखाबाद)	-	5	-	5
सिंह, श्री एन० [illegible] (सन्तकबीर नगर)	21	245	1	267
सिंह, श्री एस० एन० (बुलन्द)	9	116	-	125
सिंह, श्री केदारनाथ (सुलतानपुर)	-	2	-	2
सिंह, श्री चन्द्र शेखर (बलिया)	32	392	-	424
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (राजगढ़)	3	21	-	24
सिंह, श्री धर्मराज (शाहाबाद)	-	26	-	26
सिंह, श्री बाबूनाथ (सारण)	-	3	-	3
सिंह, श्री राजबहादुर (सिंध)	77	625	-	702
सिंह, श्री रामदेव (पलामू)	1	13	-	14

1	2	3	4	5
सिंह, श्री रामशिरोमणि प्रसाद (छपरा)	50	218	-	268
सिंह, श्री रूद्रप्रताप (बाराबंकी)	-	1	-	1
सिंह, श्री विजयपाल (मुजफ्फरनगर)	19	83	-	102
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फतेहपुर)	19	209	-	228
सिंह, श्री शंकर दयाल (झंझारपुर)	87	669	-	756
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)	9	64	-	73
सिंह, श्री सन्तबक्श (फतेहपुर)	-	-	-	-
सिन्हा, श्री सी० एम० (मधुबनी)	1	10	-	11
सिंह, श्री सुब्रिमाल (बुलन्दशहर)	-	-	-	-
सिंह, श्री हरिकिशोर (पुरी)	69	428	-	497
सुदर्शनम, श्री मद्दी (नरसापेट)	18	77	-	95
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)	-	-	-	-
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)	-	-	-	-
सुब्बैया, श्री के० (मधुरै)	1	5	-	6
सूर्यनारायण, श्री के० (एलुरु)	28	271	1	300
सेक्वेरा, श्री हरासी डी (मारमुगाओ)	11	52	-	63
सेबियान, श्री हरा (कुन्नकोणम)	9	66	-	75
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (कोझिकोड)	3	15	-	18
सेठी, श्री अर्जुन (मद्रक)	117	753	1	871
सेठी, श्री प्रकाश चन्द (हरदोई)	-	-	-	-
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)	-	-	-	-
सेन, श्री रानेन (बारासात)	154	768	1	923
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)	19	155	-	174
सेनी, श्री मुकीराज (देहरादून)	18	122	-	140
सोलानी, श्री चन्द (हाथरस)	9	111	-	120
सोही, श्री सरदार स्वर्णसिंह (जमशेदपुर)	40	441	-	481
सोनार, डा० ए० जी० (रामटेक)	-	-	-	-

1	2	3	4	5
सोमसुंदरम, श्री एस० डी० (थंजावुर)	-	161	-	161
सोलंकी, श्री पृथ्वीसिंह (आनन्द)	8	87	-	95
सोलंकी, श्री सोमचन्द (गांधीनगर)	10	213	-	223
सोहनलाल, श्री टी० (करोलबाग)	-	19	-	19
हनुमन्तैया, श्री के० (बंगलौर)	-	-	-	-
हरिसिंह, श्री (सूरत)	63	479	-	542
हसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)	19	87	-	106
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)	21	86	-	107
होरो, श्री एस० ई० (खूंटी)	76	322	-	398
हालदार, श्री कृष्णचन्द्र (ओलग्राम)	36	226	-	262
हालदार, श्री मथुरैया (मथुरापुर)	17	201	-	218
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)	6	29	-	35

5

~~अध्याय - चार~~

विधान

विधेयक वैधानिक प्रस्ताव का मसौदा होता है। जो संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाने के तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद अधिनियम बनता है।

विधान-निर्माण की प्रक्रिया संसद् की किसी भी सभा में, लोक सभा या राज्य सभा में, विधेयक के पुरःस्थापन के साथ प्रारम्भ होती है। विधेयक या तो किसी मंत्री द्वारा या किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पुरःस्थापित किया जा सकता है। मंत्री द्वारा पुरःस्थापित किये जाने की स्थिति में उसे सरकारी विधेयक और गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पुरःस्थापित किये जाने पर उसे गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक (अर्थात् ऐसे विधेयक जिनमें करों के लगाने अथवा हटाने के लिए उपबन्ध हो और संचित निधि में से विनियोजन करने वाले विधेयक आदि) केवल लोक सभा में ही पुरःस्थापित किये जा सकते हैं।

जब विधेयक एक सभा द्वारा पारित हो जाता है तो उसे दूसरी सभा में सहमति के लिए भेजा जाता है। धन विधेयकों के संबंध में विधान बनाने का संपूर्ण अधिकार लोक सभा को प्राप्त है और राज्य सभा केवल उसमें संशोधनों की सिफारिश कर सकती है और उसे विधेयक प्राप्त होने की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर ही लोक सभा को उसे वापस भेजना होता है। धन विधेयक के संबंध में लोक सभा को यह अधिकार है कि वह राज्य सभा की किसी एक अथवा सभी सिफारिशों को स्वीकार करे अथवा न करे। यदि लोक सभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है और उसे चौदह दिन की उक्त अवधि में लोक सभा को नहीं लौटाया जाता है तो उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात् उसे उसी रूप में, जिसमें लोक सभा

द्वारा पारित किया गया था, दोनों सभाओं द्वारा पारित समझा जाता है।

यदि एक सभा द्वारा पारित किसी विधेयक को दूसरी सभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है अथवा दोनों सभायें विधेयक में किये जाने वाले संशोधनों पर अंतिम रूप से सहमत नहीं होती है अथवा दूसरी सभा में विधेयक प्राप्त होने की तिथि से छह महीने से अधिक अवधि बीत जाती है और उसके द्वारा विधेयक पारित नहीं किया जाता है तो राष्ट्रपति गतिरोध समाप्त करने के लिए दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक बुला सकता है। यदि दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में विधेयक दोनों सभाओं के उपस्थित और मतदान करने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत से, उनके द्वारा पारित हो जाता है तो विधेयक को दोनों सभाओं द्वारा पारित किया गया माना जाता है।

जब कोई विधेयक दोनों सभाओं द्वारा पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद ही विधेयक अधिनियम बनता है।

राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है या अपनी अनुमति रोक सकता है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को (वित्त विधेयक को छोड़कर) अपनी सिफारिश के साथ पुनः विचार करने के लिए दोनों सभाओं को वापस लौटा सकता है। यदि दोनों सभायें विधेयक को संशोधन, संशोधनों के बिना अथवा उनकी सहित, पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी अनुमति देनी पड़ती है तथापि संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक के मामले में, जब यह दोनों सभाओं द्वारा अपेक्षित विशेष बहुमत से पारित हो जाता है तथा जहां आवश्यक हो राज्यों द्वारा उसका अनुसमर्थन कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी अनुमति देनी पड़ती है।

पांचवी लोक सभा द्वारा पारित विधान :

पांचवी लोक सभा के कार्यकाल में प्रशासनिक, वित्तीय, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र के कितने ही विधायी कानून बनाये गये हैं। 432 विधान अधिनियमित किए गए हैं जिनमें से 173 वित्तीय विषयों के संबंध में हैं। संविधान (उनतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 से आरंभ करके उन्नीस बार संविधान का संशोधन किया गया है। पांचवी लोक सभा के कार्यकाल में संविधान के संशोधनों में सबसे अन्तिम संशोधन संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 था।

प्रशासनिक क्षेत्र में पारित किए गए अधिनियमों में से कुछ इस प्रकार हैं: आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, 1971; नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971; राष्ट्रीय गौरव के अपमान का निवारण अधिनियम, 1971; पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971; भारतीय देशी राज्यों के शासक (विशेषाधिकार समाप्त करना) अधिनियम, 1972; भूतपूर्व सैक्रेटरी आफ स्टेट सर्विस आफिसर (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1972; और संघ लोकों का विभागीकरण (कार्यिकी का स्थानान्तरण) अधिनियम, 1976 ।

आर्थिक क्षेत्र में निम्नलिखित महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए। अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974; अनिवार्य जमा योजना (आयकर दाता) अधिनियम, 1974; विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां निवारण अधिनियम, 1974; आय तथा धन का स्वैच्छिक प्रकटन अधिनियम, 1976; तथा तस्कर तथा विदेशी मुद्रा कुल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 ।

सामाजिक तथा कल्याण क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित अधिनियम हैं। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971; होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973; जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974; सिगरेट (उत्पादन, पूर्ति और वितरण का नियमन) अधिनियम, 1975; बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1972;

बन्धक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976; समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976; विवाह विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1976 तथा अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और विधि उपबन्ध अधिनियम, 1976 ।

विधि, न्यायिक तथा संसदीय क्षेत्र में उल्लेखनीय अधिनियम इस प्रकार हैं: सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1973; दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम, 1974; आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) अधिनियम, 1974; न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971; उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (आपराधिक अपीलीय अधिकार क्षेत्र) संशोधन अधिनियम, 1972; संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) अधिनियम, 1972; राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति (संशोधन) अधिनियम, 1974; संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) निरसन अधिनियम, 1976; लोक सभा (अवधि का विस्तारण) अधिनियम, 1976; केरल विधान सभा (अवधि का विस्तारण) अधिनियम, 1975 तथा बाद में उनमें किए गए संशोधन।

पांचवीं लोक सभा द्वारा पारित अन्य महत्वपूर्ण विधान ये हैं: खोकर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972; लौह उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974; किराया नियंत्रण अधिनियम, 1972; समाचारपत्र (मूल्य नियंत्रण) अधिनियम, 1972; दूरी कपड़ा उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1972; पुरातत्वीय तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972; तथा विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 ।

IV. विधान

15. पारित किये गये विधेयकों की संख्या

वर्ष	पारित किये गये विधेयकों की संख्या
1935	14
1936	24
1937	29
1938	26
1939	42
1940	42
1941	27
1942	26
1943	30
1944	18
1945	11
1946	38
1947	58
1948	62
1949	77
1950	80
1951	72
1952	82
1953	58
1954	54
1955	60
1956	106
1957	68

वर्ष	फाँसीनामे/पारित किये गये विधेयकों की संख्या
1958	59
1959	63
1960	67
1961	63
1962	68
1963	58
1964	56
1965	51
1966	57
1967	38
1968	67
1969	58
1970	53
1971	87
1972	82
1973	70
1974	68
1975	57
1976	118

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8- पारित विधेयकों की संख्या	16	29	47	37	25	20	28	19	25	22	26	19	31	25	34	44[#]	32	1
9- ऐसे विधेयकों की संख्या जिन पर वाद-विवाद स्थगित हुआ	-	-	-	2[*]	-	2	-	2	1[≠]	-	1[@]	1[x]	-	-	-	-	-	-
10- ऐसे विधेयकों की संख्या जिन पर चर्चा समाप्त नहीं हुई	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
11- सत्र की समाप्ति पर अथवा समाप्ति के समय लम्बित विधेयकों की संख्या	-	6	8	12	13	23	25	23	23	24	23	22	22	13	22	12	12	1
12- ऐसे संशोधनों की संख्या जिनकी सूचना दी गई	9	367	441	387	353	217	352	402	340	337	805	376	328	131	576	371	358	
13- पेश किये गये संशोधनों की संख्या	3	159	183	217	155	79	142	316	136	129	392	194	119	90	392	207	150	
14- ऐसे संशोधनों की संख्या जो वापस लिये गये, जिन पर जोर नहीं दिया गया अथवा नियम विरुद्ध ठहराये गये	-	21	4	9	3	2	4	3	9	26	32	5	1	8	2	7	29	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15-स्वीकृत संशोधनों की संख्या	-	18	27	98	34ØØ	12	43	142	30	28	85	112	41	40	61	55	44	
16-अस्वीकृत संशोधनों की संख्या	8	120	157	110	118	65	95	171	97	75	275	77	77	42	329	145	77	

* विधेयक पर वाद विवाद के पुनरारंभ का प्रस्ताव पेश किया गया तथा उस पर सत्र में ही वाद विवाद समाप्त हो गया

ØØ एक संशोधन, जो स्वीकार कर लिया गया था, पर अंतिम निर्णय बाद में रद्द कर दिया गया।

Δ विधेयक पर वादविवाद बाद में पुनरारंभ किया गया तथा विधेयक पारित किया गया।

Ø विधेयक पर वादविवाद बाद में पुनरारंभ किया गया तथा विधेयक लोक सभा की प्रवर समिति को सौंप दिया गया।

x विधेयक पर वादविवाद बाद में पुनरारंभ किया गया तथा विधेयक पारित किया गया।

ΔΔ इसमें एक विधेयक वह शामिल है जिसको राज्य सभा ने पारित किया तथा संशोधनों के साथ लोक सभा को लौटाया।

(ब) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

	सत्र																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1- ऐसी बैठकों की संख्या जिनमें गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार किया गया।	1	6	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	5	-	2	3	2	
2- पुरःस्थापित विधेयकों की संख्या	17	50	16	35	7	11	11	21	15	32	26	13	16	-	3	2	2	
3- विचार किये गये विधेयकों की संख्या	-	10	3	8	5	4	6	4	3	9	3	3	7	-	3	5	3	
4- प्रवर/संयुक्त समिति को सौंपे गये विधेयकों की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5- वापस लिये गये विधेयकों की संख्या	-	7	-	6	2	1	6	1	1	5	-	1	4	-	2	3	2	
6- अस्वीकृत विधेयकों की संख्या	-	1	2	-	2	1	1	2	1	1	2	1	1	-	-	1	-	
7- लम्बित विधेयकों को रजिस्टर से हटाये गये विधेयकों की संख्या	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	23	-	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8- राय जानने के लिये परि-चालित विधेयकों की संख्या	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	
9- ऐसे विधेयकों की संख्या जिन पर परिवालन करने का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-ऐसे विधेयकों की संख्या जो लोक-सभा में पेश किये गये तथा राज्य सभा द्वारा संशोधन सहित लौटाये गये और राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर लोक सभा सहमत हुई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11-पारित विधेयकों की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12-ऐसे विधेयकों की संख्या जिन पर वाद-विवाद स्थगित हुआ	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13- ऐसे विधेयकों की संख्या जिन पर चर्चा समाप्त नहीं हुई	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	
14- इस सत्र की समाप्ति पर लम्बित विधेयकों की संख्या	17	59	73	97	100	109	114	132	145	171	194	199	210	210	216	186	186	186
15- ऐसे संशोधनों की संख्या जिनकी सूचना दी गयी थी	-	11	19	24	1	7	4	10	-	2	3	1	7	-	1	9	3	
16- पेश किये गये संशोधनों की संख्या	-	3	3	5	-	4	2	2	-	1	-	1	-	-	1	1	-	
17- वापस लिये गये संशोधनों की संख्या	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
18- स्वीकृत संशोधनों की संख्या	-	-	-	*	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
19- अस्वीकृत संशोधनों की संख्या	-	2	-	4	-	2	2	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	

* संशोधन पांचवीं लोक सभा के तीसरे सत्र में पेश किया गया था।

// चौदहवें सत्र में कोई भी गैर सरकारी विधेयक नहीं लिया गया क्योंकि 21 जुलाई, 1975 को सभा द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव पर गैर सरकारी सदस्यों का कार्य निलम्बित कर दिया गया था।

& अठारहवें सत्र में कोई भी गैर सरकारी विधेयक नहीं लिया गया क्योंकि 25 अक्तूबर, 1976 को सभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि सत्र में केवल सरकारी कार्य किया जायेगा।

1971 में पांचवीं लोक सभा के दौरान संसद द्वारा पारित अधिनियम

(विषय वार सूची)

(तारांकित विधेयक धन अथवा वित्त विधेयक मानें गये)

एक - प्रशासन

1. हिमाचल प्रदेश राज्य (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का पचहत्तरवां)
2. मैसूर राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1971 (1971 का तेरासवां)
3. दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्ध) अधिनियम, 1971 (1971 का चौरासीवां)
4. आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम, 1971 (1971 का बत्तीसवां)
5. पश्चिम बंगाल राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1971 (1971 का पैंतीसवां)
6. गुजरात राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1971 (1971 का चालीसवां)
7. पंजाब राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1971 (1971 का बत्तीसवां)
8. सार्वजनिक स्थान (अनधिकृत कब्जा हटाने बारे) अधिनियम, 1971 (1971 का चालीसवां)
9. नियंत्रक - महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का छप्पनवां)
10. उत्तर प्रदेश भवनियां (किराया और बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, 1971 (1971 का अड़सठवां)
11. राष्ट्रीय गौरव के अपमान का निवारण अधिनियम, 1971 (1971 का उनहत्तरवां)
12. मनीपुर (पर्वतीय क्षेत्र) जिला परिषद अधिनियम, 1971 (1971 का तियत्तरवां)
13. जांच आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 79)
14. पर्वतीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81)
15. दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 (1971 का 82)
16. संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 83)
17. पर्वतीय परिषद अधिनियम, 1971 (1971 का 84)

18. विभागीय जांच (साक्षियों की उपस्थिति का प्रवर्तन तथा दस्तावेज पेश करना) अधिनियम, 1972 (1972 का 18)

19. छावनियां (भाटक नियन्त्रण नियमों का विस्तारण) संशोधन अधिनियम, 1972 (1972 का 22)

20. सिकन्दराबाद और औरंगाबाद छावनियां मकान भाटक नियन्त्रण विधि (निरसन) अधिनियम, 1972 (1972 का 23)

21. राष्ट्रीय सेवा अधिनियम, 1972 (1972 का 28)

22. दिल्ली भूमि (अन्तरण पर रोक) अधिनियम, 1972 (1972 का 30)

23. आवश्यक विधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 31)

24. दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 1972 (1972 का 35)

25. पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण (चंडीगढ़ संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 49)

26. भारतीय देशी राज्यों के शासक (विशेषाधिकार समाप्त करना) अधिनियम, 1972 (1972 का 54)

27. भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सर्विस सशिवार (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1972 (1972 का 59)

28. मुल्की नियम अधिनियम, 1972 (1972 का 79)

29. स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 1)

30. आन्ध्र प्रदेश राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1973 (1973 का 8)

31. पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) (चंडीगढ़ संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 17)

32. उड़ीसा राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1973 (1973 का 20)

33. मनिपुर राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1973 (1973 का 23)

34. मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (1973 का 31)

35. उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1973 (1973 का 33)

36. लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमीर द्वीप समूह (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (1973 का 34)

37. मुल्की नियम (निरसन) अधिनियम, 1973 (1973 का 68)

38. पदोन्नति क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का 8)

39. गुजरात राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1974 (1974 का 11)

40. दिल्ली सिक्ख गुरुद्वारा (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 46)

41. पूर्वी पंजाब नगरीय भाटक प्रतिबन्ध अधिनियम(चंडीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 1974 (1974 का 54)

42. दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 55)

43. पंजाब नगर निगम (चंडीगढ़ संशोधन)अधिनियम, 1974 (1974 का 59)

44. स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 2)

45. पदोन्नति क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन अधिनियम, 1975 (1975 का 3)

46. अखिल भारतीय सेवाएं विनियमन (निरसन) अधिनियम, 1975 (1975 का 19)

47. अखिल भारतीय सेवाएं (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 23)

48. भूतपूर्व संघ राज्य क्षेत्र आफ स्टेट सर्विस आफिसर्स (सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1975 (1975 का 24)

49. संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन)अधिनियम, 1975 (1975 का 29)

50. नागालैंड राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन)अधिनियम, 1975 (1975 का 31)

51. आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 39)

52. दिल्ली विकास (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 4)

53. आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना (संशोधन)अधिनियम, 1976 (1976 का 14)

54. दिल्ली भू-जोत (अधिकतम सीमा) संशोधन अधिनियम, 1976 (1976 का 15)

55. दिल्ली भाटक नियन्त्रण (संशोधन)अधिनियम, 1976 (1976 का 18)

56. शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन)अधिनियम, 1976 (1976 का 33)

57. तमिलनाडु राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 (1976 का 41)

58. गुजरात राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 (1976 का 44)

59. नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1976 (1976 का 58)

60. संघ लोकों का विभागीकरण (कार्मिकों का स्थानान्तरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 59)

61. अशांत क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976 (1976 का 77)

62. आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 78)

63. राष्ट्रपति की पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 79)

64. जल सीमाएं, महाद्वीपीय मग्नतट, अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80)

65. संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) 1976 (1976 का 86)

दो — कृषि

1. कृषिक पुनर्वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 39)

2. धान कुट्टन उद्योग (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1972 (1972 का 47)

3. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53)

4. बीज (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 55)

5. खादर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 67)

6. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम अधिनियम, 1973 (1973 का 32)

7. कृषिक पुनर्वित्त निगम संशोधन अधिनियम, 1973 (1973 का 37)

8. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 3)

9. कृषिक पुनर्वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 45)

10. लेवी चीनी मूल्य समकारी निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 31)

11. भाड़ागारण निगम (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 42)

12. दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 87)

तीन – बैंकिंग, मुद्रा तथा बीमा

1. साधारण बीमा (आयात उपबन्ध) अधिनियम, 1971 (1971 का 17)
2. आयात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1971 (1971 का 30)
3. आयात जोखिम (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 (1971 का 51)
4. खोटे सिक्के (अपराध) अधिनियम, 1971 (1971 का 52)
5. साधारण बीमा (आयात उपबन्ध) संशोधन अधिनियम, 1972 (1972 का 27)
6. साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57)
7. भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 44)
8. स्टेट बैंक विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 48)
9. खोटे सिक्के (अपराध) संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का 49)
10. भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 51)
11. कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 38)
12. बैंककारी सेवा आयोग अधिनियम, 1975 (1975 का 42)
13. भारतीय सिक्का-निर्माण (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 47)
14. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21)
15. जीवन बीमा निगम (मोडिफिकेशन आफ सेटलमेंट) अधिनियम, 1976 (1976 का 72)
16. बैंककारी लोक वित्त संस्था विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 73)

चार – वाणिज्य तथा उद्योग

1. आयात तथा निर्यात (नियन्त्रण) संशोधन अधिनियम, 1971 (1971 का 7)
2. स्वर्ण (नियन्त्रण) संशोधन अधिनियम, 1971 (1971 का 21)
3. अफीम संविदा (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1971 (1971 का 53)
4. कम्पनी (अधिकार पर अधिभार) अधिनियम, 1971 (1971 का 62)
5. अम्बत्तूर शिपिंग कम्पनी (शेयरों का अर्जन) अधिनियम, 1971 (1971 का 63)
6. एशियन रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम, 1971 (1971 का 65)
7. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 66)
8. उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1971 (1971 का 72)

9. कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 80)

10. भारतीय तांबा निगम(प्रबन्ध-ग्रहण) अधिनियम, 1972 (1972 का 11)

11. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13)

12. समाचार पत्र (मूल्य नियंत्रण) अधिनियम, 1972 (1972 का 15)

13. किराया अधिनियम, 1972 (1972 का 26)

14. इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध-ग्रहण)अधिनियम, 1972 (1972 का 50)

15. भारतीय तांबा निगम (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम, 1972 (1972का58)

16. कृष्ण कपड़ा उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1972 (1972 का 72)

17. औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 74)

18. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 75)

19. राज्य वित्तीय निगम(संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 77)

20. रिचर्डसन एण्ड क्रुडास लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1972' (1972 का 78)।

21. कपड़ा समिति(संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 51)

22. एलकॉक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1973 (1973 का 56)

23. बर्न कम्पनी और इंडियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी (प्रबन्ध-ग्रहण) अधिनियम, 1973 (1973 का 57)

24. उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1973(1973 का 67)

25. एस्सो(भारत में उपक्रमों का अर्जन)अधिनियम, 1974 (1974 का 4)

26. आवश्यक वस्तु(संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 30)

27. उद्योग (विकास और विनियमन)संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का 32)

28. एलकॉक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन)संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का 33)

29. कम्पनी(लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन)अधिनियम, 1974 (1974 का 35)

30. इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का 36)

31. .एस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का 40)

32. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 41)

33. रूग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 (1974 का 57)

34. तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4)

35. कंपनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) संशोधन अधिनियम, 1975 (1975 का 28)

36. बर्मा शैल (भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1976 (1976 का 2)

37. आयात और निर्यात (नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1976 (1976 का 12)।

38. आसाम सिलीमनाइट लि मिटेड (रिफ्रेक्टरी संयंत्र का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 22)।

39. भारतीय मानक संस्था (प्रमाणीकरण चिन्ह) संशोधन अधिनियम, 1976 (1976 का 54)

40. बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60)

41. चाय (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 75)।

42. इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (शेयरों का अर्जन) अधिनियम, 1976 (1976 का 89)

43. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 92)।

44. क्रैथवेट एण्ड कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 96)

45. बर्न कंपनी और इंडियन स्टैण्डर्ड वैगन कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 97)।

46. लक्ष्मीरतन और स्थैटेन वैस्ट काटन मिल्स (प्रबन्ध-ग्रहण) अधिनियम, 1976 (1976 का 98)।

47. मैटल कारपोरेशन (राष्ट्रीयकरण और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1976 (1976 का 100)।

48. विद्युत (प्रदाय) संशोधन अधिनियम, 1976 (1976 का 115)।

पांच – संवैधानिक

1. संविधान (24 वां संशोधन) अधिनियम, 1971
2. संविधान (25 वां संशोधन) अधिनियम, 1971
3. संविधान (26 वां संशोधन) अधिनियम, 1971
4. संविधान (27 वां संशोधन) अधिनियम, 1971
5. संविधान (28 वां संशोधन) अधिनियम, 1972
6. संविधान (29 वां संशोधन) अधिनियम, 1972
7. संविधान (30 वां संशोधन) अधिनियम, 1972
8. संविधान (31 वां संशोधन) अधिनियम, [illegible] 1973
9. संविधान (32 वां संशोधन) अधिनियम, [illegible] 1974
10. संविधान (33 वां संशोधन) अधिनियम, 1974
11. संविधान (34 वां संशोधन) अधिनियम, 1974
12. संविधान (35 वां संशोधन) अधिनियम, 1974
13. संविधान (36 वां संशोधन) अधिनियम, 1975
14. संविधान (37 वां संशोधन) अधिनियम, 1975
15. संविधान (38 वां संशोधन) अधिनियम, 1975
16. संविधान (39 वां संशोधन) अधिनियम, 1975
17. संविधान (40 वां संशोधन) अधिनियम, 1976
18. संविधान (41 वां संशोधन) अधिनियम, 1976
19. संविधान की पंचम अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 101)
20. संविधान (42 वां संशोधन) अधिनियम, 1976

छः — रक्षा

1. भारत रक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 42)।
2. आयुध (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 55)।
3. नौसैनिक और वायुयान फ्लाइंग अधिनियम, 1971 (1971 का 59)।
4. सशस्त्र बल (असाम और मनीपुर) विशेष शक्तियां (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 70)।

5. सागर शिक्षा तथा अध्यास (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 37)

6. भारतीय रक्षा संकर्म (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 50)।

7. नौसेना (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 53)

8. वायुसेना और थल सेना विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 13)

9. भारत रक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 32)।

10. राष्ट्रीय कैडेट कोर (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 50 वां)

* *

सात — शिक्षा

1. विश्वभारती (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 57 वां)

2. वाल्तुविद अधिनियम, 1972 (1972 का 20 वां)

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 33 वां)

4. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 34 वां)

5. विक्टोरिया स्मारक (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 40 वां)

6. दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 48 वां)

7. पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 (1972 का 52 वां)

8. दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 (1973 का 18 वां)

9. पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (1973 का 24 वां)

10. दिल्ली नगरीय कला आयोग अधिनियम, 1974 (1974 का पहला)

11. हैदराबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 (1974 का 39 वां)

12. रामपुर रजा ग्रंथालय अधिनियम, 1975 (1975 का 22 वां)

13. भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय अधिनियम, 1976 (1976 का 76 वां)

14. पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 82 वां)

आठ – विदेश कार्य

1. राजनयिक संबंध (वियना कन्वेंशन) अधिनियम, 1972 (1972 का 43 वां)
2. राजनयिक और कौंसलीय अधिकार (शपथ और फीस) (जम्मू-कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 1973 (1973 का दूसरा)
3. टोक्यो कन्वेंशन अधिनियम, 1975 (1975 का 20 वां)
4. विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49 वां)

नौ – वित्त

* 1. विनियोग (रेलवे) लेखानुदान अधिनियम, 1971 (1971 का पहला)
* 2. विनियोग (रेलवे) अधिनियम, 1971 (1971 का 20 वां)
* 3. मनीपुर विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1971 (1971 का तीसरा)
* 4. मनीपुर विनियोग अधिनियम, 1971 (1971 का चौथा)
* 5. विनियोग अधिनियम, 1971 (1971 का 5 वां)
* 6. विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1971 (1971 का छठा)
* 7. उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1971 (1971 का 8 वां)
* 8. उड़ीसा विनियोग अधिनियम, 1971 (1971 का 9 वां)
* 9. मैसूर विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1971 (1971 का 10 वां)
* 10. मैसूर विनियोग अधिनियम, 1971 (1971 का 11 वां)
* 11. पश्चिम बंगाल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1971 (1971 का 12 वां)
* 12. पश्चिम बंगाल विनियोग अधिनियम, 1971 (1971 का 13 वां)
* 13. वित्त अधिनियम, 1971 (1971 का 14 वां)
* 14. मनीपुर विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1971 (1971 का 18 वां)
* 15. विनियोग (रेलवे) संख्या 2, अधिनियम, 1971 (1971 का 19 वां)
* 16. बंगाल वित्त (विक्रय कर) (निर्युक्तियों और कार्यवाहियों का विधि मान्यकरण) अधिनियम, 1971 (1971 का 20 वां)
* 17. पंजाब विनियोग अधिनियम, 1971 (1971 का 25 वां)
* 18. मैसूर विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1971 (1971 का 27 वां)
* 19. पश्चिम बंगाल विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1971 (1971 का 28 वां)
* 20. गुजरात विनियोग अधिनियम, 1971 (1971 का 29 वां)

162

* 21. विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1971 (1971 का 30 वां)
* 22. वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1971 (1971 का 32 वां)
* 23. केन्द्रीय प्रदेश कर बोर्ड (कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1971 (1971 का 37 वां)
* 24. विनियोग (संख्या 3) अधिनियम, 1971 (1971 का 38 वां)
* 25. स्टाम्प तथा उत्पादन शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 44 वां)
* 26. डाक वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1971 (1971 का 47 वां)
* 27. अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर अधिनियम, 1971 (1971 का 48 वां)
* 28. विनियोग (रेलवे) संख्या 3 अधिनियम, 1971 (1971 का 58 वां)
* 29. विनियोग (संख्या 4) अधिनियम, 1971 (1971 का 60 वां)
* 30. पंजाब विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1971 (1971 का 61 वां)
* 31. भारतीय टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 67 वां)
* 32. संघ राज्य क्षेत्र कराधान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 73 वां)
* 33. विनियोग अधिनियम, 1972 (1972 का पहला)
* 34. विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1972 (1972 का दूसरा)
* 35. विनियोग (रेलवे) अधिनियम, 1972 (1972 का तीसरा)
* 36. विनियोग (रेलवे) संख्या 2 अधिनियम, 1972 (1972 का चौथा)
* 37. विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1972 (1972 का 5 वां)
* 38. विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1972 (1972 का छठा)
* 39. भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 10वां)
* 40. विनियोग (संख्या 3) अधिनियम, 1972 (1972 का 14 वां)
* 41. वित्त अधिनियम, 1972 (1972 का 16 वां)
* 42. विनियोग (रेलवे) संख्या 3 अधिनियम, 1972 (1972 का 17 वां)
* 43. [illegible] कराधान विधि (जम्मू तथा कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 1972 (1972 का 25 वां)
* 44. आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 41 वां)
* 45. लोक ऋण (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 44 वां)

*46. कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 45 वां)

*47. विनियोग (संख्या 4) अधिनियम, 1972 (1972 का 51 वां)

*48. आदी तथा इथकाथा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) संशोधन अधिनियम, 1972 (1972 का 60 वां)

*49. केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 61 वां)

*50. विनियोग (रेलवे) संख्या 4 अधिनियम, 1972 (1972 का 63 वां)

*51. विनियोग (रेलवे) संख्या 5 अधिनियम, 1972 (1972 का 64 वां)

*52. विनियोग (संख्या 5) अधिनियम, 1972 (1972 का 65 वां)

*53. विनियोग (संख्या 6) अधिनियम, 1972 (1972 का 66 वां)

*54. भारतीय टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 73 वां)

*55. विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1973 (1973 का चौथा)

*56. विनियोग अधिनियम, 1973 (1973 का 5 वां)

*57. विनियोग (रेलवे) अधिनियम, 1973 (1973 का छठा)

*58. विनियोग (रेलवे) संख्या 2 अधिनियम, 1973 (1973 का 7 वां)

*59. आंध्र प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1973 (1973 का 9 वां)

*60. आंध्र प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1973 (1973 का 10 वां)

*61. उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1973 (1973 का 11 वां)

*62. उड़ीसा विनियोग अधिनियम, 1973 (1973 का 12 वां)

*63. शरणार्थी सहायता कर (उत्पादन) अधिनियम, 1973 (1973 का 13 वां)

*64. संघ राज्य क्षेत्र कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 14 वां)

*65. मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1973 (1973 का 16 वां)

*66. विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1973 (1973 का 19 वां)

*67. वित्त अधिनियम, 1973 (1973 का 21 वां)

*68. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं लवण (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 22 वां)

*69. मणिपुर विनियोग अधिनियम, 1973 (1973 का 28 वां)

*70. आंध्र प्रदेश विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1973 (1973 का 29 वां)

*71. उड़ीसा विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1973 (1973 का 30 वां)

* 72. विनियोग (संख्या 3) अधिनियम, 1973 (1973 का 35 वां)
* 73. सीमा शुल्क, स्वर्ण (नियंत्रण) तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं लवण (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 36 वां)
* 74. विनियोग (रेलवे) संख्या 3 अधिनियम, 1973 (1973 का 38 वां)
* 75. उड़ीसा विनियोग (संख्या 3) अधिनियम, 1973 (1973 का 42 वां)
* 76. मणिपुर विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1973 (1973 का 43 वां)
* 77. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46 वां)
* 78. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं लवण (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 58 वां)
* 79. विनियोग (रेलवे) संख्या 4 अधिनियम, 1973 (1973 का 61 वां)
* 80. विनियोग (संख्या 4) अधिनियम, 1973 (1973 का 63 वां)
* 81. विनियोग (संख्या 5) अधिनियम, 1973 (1973 का 64 वां)
* 82. उड़ीसा विनियोग (संख्या 4) अधिनियम, 1973 (1973 का 65 वां)
* 83. अभ्रक (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 66 वां)
* 84. विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1974 (1974 का 7 वां)
* 85. विनियोग (रेलवे) अधिनियम, 1974 (1974 का 10 वां)
* 86. गुजरात विनियोग अधिनियम, 1974 (1974 का 13 वां)
* 87. गुजरात विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1974 (1974 का 14 वां)
* 88. विनियोग (रेलवे) संख्या 2 अधिनियम, 1974 (1974 का 15 वां)
* 89. विनियोग (रेलवे) संख्या 3 अधिनियम, 1974 (1974 का 16 वां)
* 90. विनियोग अधिनियम, 1974 (1974 का 17 वां)
* 91. पांडिचेरी विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1974 (1974 का 18 वां)
* 92. विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1974 (1974 का 19 वां)
* 93. वित्त अधिनियम, 1974 (1974 का 20 वां)
* 94. सीमा शुल्क (वितरण) संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का 21 वां)
* 95. अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का 22 वां)
* 96. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का 23 वां)
* 97. गुजरात विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1974 (1974 का 24 वां)

* 98. पांडिचेरी विनियोग अधिनियम, 1974 (1974 का 25 वां)

* 99. पूंजीगत कर (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 26 वां)

* 100. वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1974 (1974 का 31 वां)

* 101. अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 (1974 का 37 वां)

* 102. अनिवार्य जमा योजना (आयकर दाता) अधिनियम, 1974 (1974 का 38 वां)

* 103. विनियोग (संख्या 3) अधिनियम, 1974 (1974 का 43 वां)

* 104. विनियोग(रेलवे) संख्या 4 अधिनियम, 1974 (1974 का 44 वां)

* 105. दान कर अधिनियम, 1974 (1974 का 45 वां)

* 106. विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52 वां)

* 107. विनियोग (संख्या 4) अधिनियम, 1974 (1974 का 61 वां)

62.

* 108. गुजरात विनियोग (संख्या 3) अधिनियम, 1974 (1974 का 62 वां)

* 109. गुजरात विनियोग(संख्या 4)अधिनियम, 1974 (1974 का 63 वां)

* 110. पांडिचेरी विनियोग(संख्या 2)अधिनियम, 1974 (1974 का 64 वां)

* 1. भारतीय टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का पहला)

* 2. विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1975 (1975 का 5 वां)

* 3. विनियोग (रेलवे)अधिनियम, 1975 (1975 का छठा)

* 4. विनियोग (रेलवे)अधिनियम संख्या 2 अधिनियम, 1975 (1975 का 7वां)

* 5. विनियोग (रेलवे) संख्या 3 अधिनियम, 1975 (1975 का 8 वां)

* 6. पांडिचेरी विनियोग अधिनियम, 1975 (1975 का 9 वां)

* 7. पांडिचेरी विनियोग (लेखानुदान)अधिनियम, 1975(1975 का 10 वां)

* 8. विनियोग अधिनियम, 1975 (1975 का 11 वां)

* 9. गुजरात विनियोग(लेखानुदान)अधिनियम, 1975 (1975 का 14 वां)

* 10. गुजरात विनियोग अधिनियम, 1975 (1975 का 15 वां)

* 11. नागालैण्ड विनियोग अधिनियम, 1975 (1975 का 17 वां)

* 12. नागालैण्ड विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1975 (1975 का 18 वां)

* 13. विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1975 (1975 का 21 वां)

* 124. वित्त अधिनियम, 1975 (1975 का 25)

* 125. तम्बाकू उपकर अधिनियम, 1975 (1975 का 26)

* 126. नागालैंड विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1975 (1975 का 27)

* 127. पांडिचेरी विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1975 (1975 का 30)

* 128. वित्त (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 34)

129. विदेशी मुद्रा परिरक्षण एवं तस्करी की गतिविधियां निरोध (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 35)

*130. विनियोग (संख्या 3) अधिनियम, 1975 (1975 का 36)

* 131. विनियोग (संख्या 4) अधिनियम, 1975 (1975 का 37)

* 132. कराधान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 41)

* 133. दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 (1975 का 43)

* 134. भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 46)

* 135. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51)

* 136. सार्वजनिक वित्तीय संस्था विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 52)

* 137. आय-कर संशोधन अधिनियम, 1976 (1976 का 1)

* 138. भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 3)

* 139. विनियोग अधिनियम, 1976 (1976 का 5)

* 140. विनियोग (रेलवे) अधिनियम, 1976 (1976 का 6)

* 141. विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1976 (1976 का 7)

* 142. आय तथा धन का स्वैच्छिक प्रकटन अधिनियम, 1976 (1976 का 8)

* 143. तस्कर और विदेशी मुद्रा कुल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13)

* 144. नागालैंड विनियोग अधिनियम, 1976 (1976 का 16)

* 145. पांडिचेरी विनियोग अधिनियम, 1976 (1976 का 17)

* 146. विदेशी मुद्रा का परिरक्षण एवं तस्करी की गतिविधियां निरोध (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 20)

* 147. विनियोग (संख्या 3) अधिनियम, 1976 (1976 का 38)

* 148. पांडिचेरी विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1976 (1976 का 39)

167

* 149. नागालैंड विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1976 (1976 का 40)

* 150. विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1976 (1976 का 43)

* 151. विनियोग (रेलवे) संख्या 2 अधिनियम, 1976 (1976 का 47)

* 152. विनियोग (रेलवे) संख्या 3 अधिनियम, 1976 (1976 का 48)

* 153. तमिलनाडु विनियोग अधिनियम, 1976 (1976 का 50)

* 154. तमिलनाडु विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1976 (1976 का 51)

* 155. गुजरात विनियोग अधिनियम, 1976 (1976 का 52)

* 156. विनियोग (संख्या 4) अधिनियम, 1976 (1976 का 64)

* 157. वित्त अधिनियम, 1976 (1976 का 66)

158. टैरिफ आयोग (निरसन) अधिनियम, 1976 (1976 का 71)

159. अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) संशोधन अधिनियम, 1976 (1976 का 74)

* 160. भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 81)

* 161. विनियोग (संख्या 5) अधिनियम, 1976 (1976 का 83)

* 162. तमिलनाडु विनियोग (संख्या 3) अधिनियम, 1976 (1976 का 84)

* 163. पांडिचेरी विनियोग (संख्या 3) अधिनियम, 1976 (1976 का 85)

164. विदेशी मुद्रा परिरक्षण एवं तस्करी की गतिविधियां निरोध (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 90)

* 165. दिल्ली विक्रय कर (संशोधन तथा विधि मान्यकरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 91)

* 166. धीती (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) निरसन अधिनियम, 1976 (1976 का 93)

* 167. विनियोग (संख्या 6) अधिनियम, 1976 (1976 का 95)

* 168. केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 103)

* 169. विनियोग (रेलवे) संख्या 4 अधिनियम, 1976 (1976 का 110)

* 170. विनियोग (रेलवे) संख्या 5 अधिनियम, 1976 (1976 का 111)

* 171. विनियोग (संख्या 7) अधिनियम, 1976 (1976 का 112)

* 172. गुजरात विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1976 (1976 का 113)

* 173. पांडिचेरी विनियोग (संख्या 4) अधिनियम, 1976 (1976 का 114)

दस — स्वास्थ्य

1. गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (1971 का 34)
2. आदर्श अपमिश्रण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 41)
3. औषधि द्रव्य और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 19)
4. प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 21)
5. आदर्श अपमिश्रण निवारण (कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों पर विस्तारण) अधिनियम, 1972 (1972 का 24)
6. दन्त चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 42)
7. वाग्यंत्री केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59)
8. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6)
9. सिगरेट (उत्पादन, पूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1975 (1975 का 49)
10. आदर्श अपमिश्रण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 34)
11. फार्मेसी (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 70)

ग्यारह — सूचना और प्रसारण

1. चलचित्र (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 25)
2. प्रेस परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 53)
3. चलचित्र (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 27)
4. प्रेस परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 34)
5. प्रेस परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 12)
6. प्रेस परिषद (निरसन) अधिनियम, 1976 (1976 का 24)
7. अश्लीलजनक सामग्री के प्रकाशन का निवारण अधिनियम, 1976 (1976 का 27)

बारह — न्यायपालिका

1. न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 (1971 का 70)
* 2. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1971 (1971 का 77)

*3. उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1971 (1971 का 78)

4. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (आपराधिक अपीलीय अधिकार क्षेत्र का विस्तारण) संशोधन अधिनियम, 1972 (1972 का 37)

*5. उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1976 (1976 का 35)

*6. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1976 (1976 का 36)

7. न्यायालय अवमान (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 45)

8. पटना स्थित उच्च न्यायालय (रांची में स्थायी बैंच की स्थापना) अधिनियम, 1976 (1976 का 57)

तेरह - श्रम

1. श्रमिक भविष्य निधि विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 16)

2. औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 45)

3. वैयक्तिक क्षति (अग्रिम उपबंध) संशोधन अधिनियम, 1971 (1971 का 74)

4. वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) संशोधन अधिनियम, 1971 (1971 का 75)

5. औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 32)

6. उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39)

7. बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 68)

8. कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 70)

9. शिक्षु (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 27)

10. बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 39)

11. कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 40)

12. प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 52)

13. बोनस संदाय (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 55)

14. बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 42)

15. श्रम जीवी पत्रकार (सेवा शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1974 (1974 का 60)

16. बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 (1976 का 11)

17. बन्धक श्रम पद्धति(उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (1976 का 19)

18. बीनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 23)

19. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25)

20. मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 29)

21. औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 32)

22. प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 53)

*23. लौह अयस्क खान और मैंगानीज अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 (1976 का 55)

*24. बीड़ी श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 (1976 का 56)

25. लौह अयस्क खान और मैंगानीज अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 61)

26. बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 62)

27. कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 65)

28. कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 94)

29. श्रमिक भविष्य निधि विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 99)

बोर्ड — विधियां

1. महाप्रशासक (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 8)

2. परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76)

3. सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 49)

4. प्रत्यायोजित अनुवाद (केन्द्रीय विधियां) अधिनियम, 1973 (1973 का 50)

5. अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 60)

6. दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम, 1974 (1974 का 2)

7. आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) अधिनियम, 1974 (1974 का 12)

8. निरसन और संशोधी अधिनियम, 1974 (1974 का 56)

9. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 58)

10. न्यास विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 16)

11. सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 104)

12. अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 107)

परिशिष्ट – संसदीय

1. संसद् अधिकारी वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 22)

2. संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 29)

3. राष्ट्रपतीय तथा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 5)

4. संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 65)

5. केरल विधान सभा (अवधि का विस्तारण) अधिनियम, 1975 (1975 का 33)

6. निर्वाचन विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 40)

7. संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 48)

8. निर्वाचन विधियां (सिक्किम पर विस्तारण) अधिनियम, 1976 (1976 का 10)

9. संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) निरसन अधिनियम, 1976 (1976 का 28)

10. लोक सभा (अवधि का विस्तारण) अधिनियम, 1976 (1976 का 30)

11. केरल विधान सभा (अवधि का विस्तारण) और संशोधन अधिनियम, 1976 (1976 का 46)

12. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 88)

13. केरल विधान सभा (अवधि का विस्तारण) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1976 (1976 का 102)

14. संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 105)

15. लोक सभा (अवधि का विस्तारण) संशोधन विधेयक, 1976 (1976 का 109

सूची — पेट्रोलियम, रसायन, खान और धातु

1. कोयला क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) संशोधन और विधिमान्यकरण अधिनियम 1971 (1971 का 54)
2. कोकिंग कोयला खान (अस्थायी उपबन्ध) अधिनियम, 1971 (1971 का 64)
3. कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 36)
4. कोटनारी (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 46)
5. खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1972 (1972 का 56)
6. चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 (1972 का 62)
7. कोयला खान (उपबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1973 (1973 का 15)
8. कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (1973 का 26)
9. कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1973 (1973 का 41)
10. कोयला खान (परिरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28)
11. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47)
12. कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1976 (1976 का 67)

सूची — सामाजिक

1. सार्वजनिक परिवहन (सीमा का विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 9)
2. विदेशी पर्यटन (मान्यता और प्रवर्तन) संशोधन अधिनियम, 1973 (1973 का 47)
3. सार्वजनिक परिवहन (सीमा का विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 9)
4. विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 68)
5. अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1976 (1976 का 106)
6. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, (1976 का 108)

173

अठारह — परिवहन और संचार

1. भारतीय तारयंत्र (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 33)
2. अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण अधिनियम, 1971 (1971 का 43)
3. रेल यात्री भाड़ा अधिनियम, 1971 (1971 का 46)
4. वायु निगम (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 49)
5. दिल्ली सड़क परिवहन विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 71)
6. वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 12)
7. भारतीय तारयंत्र (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 38)
8. विमान द्वारा वहन अधिनियम, 1972 (1972 का 67)
9. भारतीय रेल (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 71)
10. भारतीय रेल (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 45)
11. भारतीय रेल (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 54)
12. कॉफिन यात्री फीस (अर्जन) अधिनियम, 1973 (1973 का 62)
13. कांडला पत्तन न्यास (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 29)
14. भारतीय तारयंत्र (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 48)
15. टेलीग्राफ तार (अवैध कब्जा) संशोधन अधिनियम, 1975 (1975 का 44)
16. भारतीय रेल (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 9)
17. मोटर गाड़ी (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 26)
18. भारतीय प्रकाश गृह (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 37)
19. बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 (1976 का 63)
20. व्यापारिक नौवहन (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 69)

6

~~अध्याय - तीन~~

प्रस्ताव - संकल्प - आदि

राष्ट्रपति का अभिभाषण तथा धन्यवाद प्रस्ताव

संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति का यह कर्त्तव्य है कि वह लोक सभा के प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को संबोधित करे तथा संसद को आह्वान करने के कारण बताये।

लोक सभा के प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र में राष्ट्रपति सदस्यों द्वारा शपथ लिए जाने अथवा प्रतिज्ञान किए जाने और अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाने के पश्चात् एक साथ समवेत संसद के सदनों के समक्ष अभिभाषण करते हैं। इन औपचारिकताओं को पूरा करने में सामान्यतः दो दिन लग जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण किए जाने तथा संसद को आमन्त्रित करने के कारण बताये जाने से पूर्व कोई अन्य कार्य नहीं किया जाता। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्र आरंभ होने के लिए अधिसूचित समय तथा तिथि को एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के आधे घंटे के बाद दोनों सभायें क्रमशः अपने अपने कक्षों में समवेत होती हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक एक प्रति सभापटल पर रखी जाती है जिसे दोनों सभाओं के अभिलेख में सम्मिलित किया जाता है।

...ध दी जाती

राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित मामलों पर चर्चा, किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा दूसरे सदस्य द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर होती है। स्थापित प्रक्रिया के अनुसार धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक तथा समर्थक प्रधानमंत्री द्वारा चुने जाते हैं।

पांचवी लोक सभा के कार्यकाल में राष्ट्रपति ने 6 बार अर्थात् पहले, चौथे, सातवें, दसवें, तेरहवें तथा पन्द्रहवें सत्र में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण दिया। इन अभिभाषणों में उल्लिखित मामलों पर प्रत्येक अवसर पर एक धन्यवाद प्रस्ताव के आधार पर विस्तार से चर्चा हुई। इन चर्चाओं में 87 घंटे तथा 53 मिनट लगे।

स्थगन प्रस्ताव-

स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य यह है कि अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाये, जिसके संबंध में समुचित सूचना देकर प्रस्ताव या संकल्प रखे जाने पर चर्चा बहुत देर हो सकती हो। ऐसा कोई दिवस सभा के नियमित कार्य को छोड़कर, सबसे पहले अवसर पर रखे गये स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठाया जा सकता है।

स्थगन प्रस्ताव को निन्दा प्रस्ताव जैसा माना गया है परन्तु इसे पूर्णतया निन्दा प्रस्ताव नहीं माना गया है। यदि कोई स्थगन प्रस्ताव पास हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि सभा ने सरकार की नीति का कड़े शब्दों में निरनुमोदन किया है, न कि यह कि सरकार की निन्दा की गई है। यह मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न होता है क्योंकि यह तो वास्तविक निन्दा प्रस्ताव होता है तथा यदि पास हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है।

पांचवी लोक सभा के कार्यकाल में 996 स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई थी जिनमें से 51 जो कि कुल का 5.12 प्रतिशत थी सभा में विचारार्थ प्रस्तुत हुई। इनमें से 10 गृहीत की गई जिन पर 63 घंटे तथा 49 मिनट तक चर्चा हुई। स्थगन प्रस्तावों के द्वारा जिन विषयों को उठाया गया उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि को रोकने तथा जनता को आवश्यकताओं की पर्याप्त मात्रा सप्लाई में सरकार की असफलता; रेलवे कर्मचारियों के नेताओं की गिरफ्तारी; दिल्ली के सदर बाजार में दंगों को रोकने में असफलता; पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तरप्रदेश तथा देश के अन्य भागों के अकाल की स्थिति से प्रभावी तौर पर निपटने में असफलता तथा समस्तीपुर बम कांड के षड्यंत्र की खुफिया में असफलता तथा जांच आयोग स्थापित करने में अधिक विलंब। सभी स्थगन प्रस्ताव सभा ने अस्वीकार कर दिए।

अविश्वास प्रस्ताव -

पांचवी लोक सभा के कार्यकाल में 15 अविश्वास प्रस्ताव सभा के समक्ष पेश किए गए। इनमें से 5 गृहीत हुए तथा उन पर चर्चा हुई। एक को वापिस कर दिया गया तथा 9 को सदस्यों ने सभा में वापस ले लिया। वह सभी अविश्वास प्रस्ताव जिन पर चर्चा हुई सभा में अस्वीकार कर दिए गए।

ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं -

कोई सदस्य पहले से अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करके किसी मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय की ओर दिला सकता है तथा मंत्री सभा में तुरन्त वक्तव्य दे सकता है अथवा बाद में किसी तिथि

को वक्तव्य देने के लिए समय माँग सकता है। मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर वादविवाद की अनुमति नहीं होती है परन्तु प्रत्येक सदस्य जिसने विषय की ओर ध्यान दिलाया है प्रश्न के संबंध में संक्षिप्त तथा सीमित प्रश्न पूछ सकता है। ध्यान दिलाने की सूचना की ग्राह्यता की मुख्य परीक्षा उसकी अविलम्बनीयता तथा लोक महत्व होता है। सभा की एक बैठक में दो से अधिक ध्यान दिलाने की सूचनायें नहीं ली जा सकती हैं यदि एक ही दिन के लिए एक से अधिक मामले की सूचनायें प्राप्त हों तो अध्यक्ष एक विषय चुन लेता है जो उसकी राय में अधिक अविलम्बनीयता तथा महत्व का हो।

'ध्यान दिलाने की सूचनाओं' की धारणा भारतीय उद्गम की है। यह आधुनिक संसदीय प्रक्रिया में नई चीज है। इसमें प्रश्न पूछने के साथ साथ अनुपूरक प्रश्न और सदन में टिप्पणी करना भी शामिल है जिसमें सभी दृष्टिकोण ठीक ठीक और संक्षेप में रखे जाते हैं और सरकार को अपना पक्ष बताने का समुचित अवसर प्राप्त होता है।

पाँचवी लोक सभा में सबसे अधिक संख्या में अर्थात् 28, 924 अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय में ध्यान दिलाने की सूचनायें प्राप्त हुई थी। इनमें से 4338 सूचनायें गृहीत हुई थी जो कुल प्राप्त सूचनाओं की 14·9 प्रतिशत थी। गृहीत सूचनाओं के उत्तर में 315 वक्तव्य संबंधित मंत्रियों ने सभा के समक्ष दिए।

अल्पकालिक चर्चाएँ

सदस्यों को महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने का अवसर देने के लिए मार्च, 1953 में लोक सभा में एक परिपाटी बनाई गयी जिसके अनुसार सदस्य बिना किसी औपचारिक प्रस्ताव के या उस पर मतदान के, थोड़े समय के लिए चर्चा उठा सकते थे। यह प्रक्रिया, जो प्रारंभ में एक परिपाटी थी, बाद में नियमों का अंग बन गई।

सामान्यतया अल्पकालक चर्चायें सप्ताह में केवल दो दिन में अर्थात् सोमवार तथा गुरुवार को ली जा सकती है। असाधारण परिस्थितियों में इसको इनके अतिरिक्त अथवा स्थानापन्न रूप में किसी अन्य दिन भी लिया जा सकता है।

ऐसी चर्चा के संबंध में सभा में कोई औपचारिक प्रस्ताव अथवा मतदान नहीं होता। जिस सदस्य ने सूचना दी है वह छोटा सा वक्तव्य दे सकता है तथा कोई अन्य सदस्य, जिसने अध्यक्ष को पहले से सूचित कर दिया है, को चर्चा में भाग लेने की अनुमति मिल सकती है। जो सदस्य चर्चा को उठाता है उसको उत्तर देने का अधिकार नहीं होता है। चर्चा के समाप्त होने पर मंत्री संक्षिप्त उत्तर देता है।

पांचवी लोक सभा के कार्यकाल में सदस्यों द्वारा 63 अल्पकालक सूचनायें उठाई गई। जो महत्वपूर्ण चर्चायें उठाई गई वह इस प्रकार है: राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण; कृषि जोतों की सीमा; कर्मचारियों की सामग्री का भुगतान; भारत में सी० आई० ए० की गतिविधियां; ताज असंतोष; रेलवे में हड़ताल; हरिजनों पर की गई कथित ज्यादतियां; इंडियन एयरलाइन्स में तालाबंदी; भारत द्वारा आर्थिक विकोट; भारत के मुख्य न्यायाधीश के जीवन पर हमला तथा बंगलौर कोयला खान में दुर्घटना।

पांचवी लोक सभा में उठाई गई अल्पकालक चर्चाओं की दशाब्दि वार विवरण सूची 2। है।

प्रस्ताव

सविधान या लोक सभा में कार्य संचालन तथा प्रक्रिया नियमों में अथवा उपबंधित अवस्था को छोड़कर अध्यक्ष की सम्मति से किए गए प्रस्ताव के बिना सामान्य लोकहित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी।

यद्यपि प्रस्ताव का कोई रूप निर्धारित नहीं किया गया है किन्तु सामान्य लोकहित के विषयों पर चर्चा उठाने के प्रस्ताव सामान्यतः दो रूपों में दिए जाते हैं। एक रूप के अंतर्गत सूचना सभापटल पर रखे गये किसी दस्तावेज पर ध्यान देती है और दूसरे के अन्तर्गत किसी विशिष्ट मामले के संबंध में स्थिति पर सभा द्वारा विचार किया जाता है।

प्रस्ताव के पहले रूप का प्रयोग सामान्यतया ऐसे प्रस्तावों के संबंध में किया जाता है जिनका उद्देश्य सभापटल पर रखी गई किसी रिपोर्ट या किसी वक्तव्य पर चर्चा उठाना होता है। इस रूप में प्रस्ताव एक मुख्य प्रस्ताव होता है, जो चर्चा के बाद सभा में मतदान के लिए रखा जाता है। इस श्रेणी के प्रस्तावों पर लोक सभा के कार्यसंचालन तथा प्रक्रिया नियमों के नियम 191 के अन्तर्गत चर्चा की जाती है।

प्रस्ताव के दूसरे रूप का प्रयोग सामान्यतया उस समय किया जाता है जब किसी नीति या स्थिति या किसी अन्य विषय पर विचार किया जाना हो। ऐसे प्रस्ताव पर लोक सभा के कार्यसंचालन तथा प्रक्रिया नियमों के नियम 342 के अन्तर्गत चर्चा होती है। प्रस्ताव इस रूप में हो तो उसको सभा के सामने मतदान के लिए नहीं रखा जाता और वादविवाद समाप्त होने पर कोई प्रस्ताव मतदान के लिए नहीं रखा जाता। परन्तु यदि किसी सदस्य ने मूल प्रस्ताव के स्थान पर कोई प्रस्ताव रख दिया हो तो उस पर सभा में मत लिया जाता है।

पांचवी लोक सभा के नियम 191 तथा 342 के अंतर्गत प्रस्तावों के माध्यम से उठाये गये महत्वपूर्ण विषयों में निम्नलिखित प्रस्तावों का उल्लेख किया जा सकता है : संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय सदस्य के आचरण का निरनुमोदन; पाकिस्तान की अमरीकी हथियारों

का अवाज पर लदान; भारत तथा रूस के बीच शांति, मित्रता तथा सहयोग की संधि; शिमला में हस्ताक्षरित भारत तथा पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों के बारे में समझौता; पांचवी योजना, 1974-79 के प्रति रूप ; चीनी उद्योग जांच आयोग का प्रतिवेदन; नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता हो जाने के बारे में आयोग का प्रतिवेदन; जम्मू तथा काश्मीर राज्य के संबंध में प्रधानमंत्री का वक्तव्य; भारत में महिलाओं की स्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन; तृष्णा बालकों आदि के लिए राष्ट्रीय नीति नीति।

पांचवी लोक सभा के कार्यकाल में नियम 191 तथा 342 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्तावों को दिए जाने वाला विवरण संख्या 22-

आधे घंटे की चर्चा-

सामान्यतया सदस्य समुचित लोक महत्व के किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठा सकता है, जो हाल में किसी प्रश्न तारांकित, अतारांकित अथवा अल्प सूचना का विषय रहा हो और जिसके उत्तर में किसी तथ्य के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो। चर्चा केवल आधे घंटे के लिए होती है और किसी बैठक के अन्तिम आधे घंटे में होती है। सामान्यतया आधे घंटे की चर्चाएँ सप्ताह में तीन दिन अर्थात् सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को होती हैं तथा किसी दिन केवल आधे एक घंटे की चर्चा ली जाती है किन्तु सत्र के अन्तिम कुछ दिनों में एक से अधिक ऐसे प्रस्ताव की भी अनुमति दी जा सकती है। आधे घंटे की चर्चा पर मतदान नहीं होता है क्योंकि सभा के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं होता है। वादविवाद का अन्त मंत्री के उत्तर से हो जाता है।

पांचवी लोक सभा के कार्यकाल में उठाए गए आधे घंटे की चर्चा दिए जाने वाला विवरण संख्या 23 है।

संकल्प

कोई सदस्य या कोई मंत्री, नियमों के अधीन, लोक सभा में सामान्य लोकहित के किसी विषय के संबंध में संकल्प रख सकता है। संकल्पों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

(एक) संकल्प जो सभा द्वारा व्यक्त की गई राय मात्र हो;

(दो) संकल्प जिनका सांविधिक प्रभाव है;

(तीन) संकल्प जो कि सभा अपनी कार्यवाही पर नियन्त्रण के संदर्भ में पास करती है।

संकल्पों को निम्नलिखित श्रेणियों में भी बांटा जा सकता है:

(एक) गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प;

(दो) सरकारी संकल्प ; और

(तीन) सांविधिक संकल्प।

संकल्प राय की अभिव्यक्ति के रूप में हो सकता है, या यह सिफारिश के रूप में अथवा यह इस रूप में भी हो सकता है कि सभा सरकार के किसी कार्य या उसकी नीति का अनुमोदन या निरनुमोदन प्रकट करे; कोई संदेश दे या किसी कार्य के करने का आदेश दे या प्रार्थना करे या किसी विषय या स्थिति की ओर सरकार का ध्यान दिलाये। इनके अतिरिक्त संकल्प किसी भी ऐसे रूप में हो सकता है जिसे अध्यक्ष उचित समझे।

संकल्प में सारी सभा की राय की अभिव्यक्ति होनी चाहिए न कि उसकी किसी वर्ग विशेष की। इसके अतिरिक्त किसी संकल्प का विषय सामान्य लोकहित के विषय से संबंधित होना चाहिए और मुख्य रूप से केवल वही विषय किसी संकल्प के विषय हो सकते हैं, जिनके लिए मुख्य रूप से भारत सरकार जिम्मेदार है।

एक शुक्रवार के अन्तर से, प्रत्येक शुक्रवार को बैठक के अन्तिम ढाई घंटे का समय गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा के लिए नियत किया जाता है। यह क्रम प्रत्येक सत्र के दूसरे शुक्रवार से प्रारंभ होता है। सरकारी संकल्पों पर भी वही नियम लागू होते हैं जोकि गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर। सरकारी संकल्पों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है और उनका वर्णन नीचे दिया जाता है :

(एक) ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों या करारों का अनुमोदन करने वाले संकल्प जिन पर सरकार ने हस्ताक्षर किये हों।

(दो) संकल्प जिनके माध्यम से सरकार की कुछ नीतियों की घोषणा या अनुमोदन किया जाता है;

(तीन) कुछ समितियों की सिफारिशों का अनुमोदन करने वाले संकल्प।

संविधित संकल्प वह संकल्प होते हैं जो संविधान या संसद के किसी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत रखे जाते हैं। ऐसे संकल्प की पेशकश मंत्री द्वारा की जा सकती है और या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा। लेकिन कुछ अधिनियमों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि सरकार को निर्दिष्ट xxxxx समय के भीतर ऐसे संकल्प अवश्य लाने चाहिए। संविधान में निम्नलिखित उद्देश्यों से संसद में संकल्पों के पेश किए जाने का उपबन्ध किया गया है।

(एक) राष्ट्रपति पर महाभियोग

(दो) उपराष्ट्रपति का पद से हटाया जाना

(तीन) राज्य सभा के उपसभापति का हटाया जाना।

(चार) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का हटाया जाना।

(पांच) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों का निरनुमोदन।

(छः) संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में विधान।

(सात) राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना।

(आठ) आपात स्थिति की उद्घोषणा का अनुमोदन।

(नौ) किसी राज्य के संवैधानिक तन्त्र की असफलता पर जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन।

183

पांचवीं लोक सभा में कुल 140 संकल्पों पर चर्चा की गई जबकि चौथी लोक सभा में 79 तथा तीसरी लोक सभा में 84, दूसरी लोक सभा में 83 तथा पहली लोक सभा में 67 संकल्पों पर चर्चा हुई थी। 140 संकल्पों में से 14 संकल्प सरकारी संकल्प थे जो सभी स्वीकार कर लिए गए। 87 संविदित संकल्प थे जिनमें से 44 स्वीकार कर लिए गए तथा 39 गैर सरकारी संकल्प थे जिनमें से 4 स्वीकार किए गए। जो गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प स्वीकार किए गए वह इस प्रकार हैं: भूमि सुधार, रोजगार के अवसर पैदा करने तथा ऐतिहर मजदूरों आदि के लिए मजदूरी निश्चित करने, देश में तानाशाही के विरोध में सिफारिश करने के लिए संसदीय समिति का गठन तथा भारतीय महिलाओं के साथ अन्याय को दूर करने के उपाय।

पांचवीं लोक सभा में पेश किए गए संकल्पों — सरकारी गैर सरकारी तथा संविदित — की दिखाने वाला विवरण संख्या 24 है।

~~प्रस्ताव, संकल्प आदि~~

18
46 - पांचवीं लोक सभा में हुए राष्ट्रपति के अभिभाषणों की तिथि तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में लगे समय की दर्शाने वाली तालिका

सत्र	राष्ट्रपति के अभिभाषण की तिथि	धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की तिथि	कुल समय
1	2	3	4
			घंटे - मिनट
पहला	23-3-1971	30- 3-1971 (11) 31- 3-1971 1- 4-1971 2- 4-1971	12 - 25
चौथा	13-3-1972	14-3-1972 16-3-1972 (9) 19-3-1972 30-3-1972 3-4-1972 4-4-1972	15 - 19
सातवां	19-2-1973	21-2-1973 22-2-1973 23-2-1973 26-2-1973 27-2-1973 (13)	15 - 35
दसवां	18-2-1974	25-2-1974 26-2-1974 27-2-1974 28-2-1974 1-3-1974	13 - 54
तेरहवां	17-2-1975	20-2-1975 21-2-1975 24-2-1975 25-2-1975 26-2-1975 27-2-1975	15 - 25
पन्द्रहवां	5-1-1976	6-1-1976 7-1-1976 8-1-1976 9-1-1976	15 - 25

परिशिष्ट - पांचवीं लोक सभा में स्थगन प्रस्तावों सम्बन्धी तालिका

(क) प्राप्त तथा सभा के समक्ष लाई गई तथा स्वीकृत सूचनाओं की संख्या तथा उनमें लगा कुल समय

वर्ष तथा सत्र	प्राप्त हुई सूचनाओं की कुल संख्या	सभा में समक्ष लाई गई सूचनाएं		स्वीकृत सूचनाएं	कुल समय
		संख्या	कुल का प्रतिशत		घंटे - मिनट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1971					
पहला	21	-	-	-	-
दूसरा	28	-	-	-	-
तीसरा	38	-	-	-	-
1972					
चौथा	19	1	5.26	-	58 - 52
पांचवां	45	1	2.22	-	00 - 05
छठा	36	1	2.77	1	04 - 31
1973					
सातवां	110	2	1.81	1	04 - 00
आठवां	64	2	3.12	1	6 - 00
नवां	39	1	1.69	1	5 - 11
1974					
दसवां	139	4	2.89	2	10 - 20
ग्यारहवां	117	14	11.96	1	9 - 51
बारहवां	112	10	8.92	2	15 - 47

(ङ) स्वीकृत तथा चर्चा किये गये ध्यान प्रस्ताव

क्रम संख्या	चर्चा की तिथि	सदस्य का नाम	ध्यान प्रस्ताव का विषय	ध्यान प्रस्ताव पर बोलने वाले सदस्यों के नाम	ध्यान प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ अथवा वापिस लिया गया।	लगे समय घंटे - मिनट
1	2	3	4	5	6	7
1.	14-1-1-72	श्री एस० एम० बनर्जी	मछली में वृद्धि, बोनी तथा वनस्पति पर उसके विशेष संदर्भ में।	(1) श्री आर० के सिन्हा (2) डा० कर्ण सिंह (3) श्री एन० पी० के० यादव (4) श्री पुरुषोत्तम गणेश मावलंकर (5) श्री दरबारा सिंह (6) श्री समर मुखर्जी (7) श्री अटल बिहारी वाजपेयी (8) श्री फखरुद्दीन अली अहमद (9) श्री जी० विश्वनाथन (10) श्री श्यामनन्दन मिश्र (11) श्री पीलू मोदी (12) श्री मधु दण्डवते (13) श्री एस० एस० रामास्वामी (14) श्री वार्ष्णेय जी० बलराम	अस्वीकृत	4-31

(ङ) स्वीकृत तथा चर्चा किये गये स्थगन प्रस्ताव

क्रम संख्या	चर्चा की तिथि	सदस्य का नाम	स्थगन प्रस्ताव का विषय	स्थगन प्रस्ताव पर बोलने वाले सदस्यों के नाम	स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ अथवा वापिस लिया गया।	लगे समय घंटे - मिनट
1	2	3	4	5	6	7
1.	14-11-72	श्री एस0 एम0 बनर्जी	मूल्यों में वृद्धि, चीनी तथा वनस्पति पर उत्पादन के विशेष संदर्भ में।	(1) श्री आर0 के सिन्हा (2) डा0 कर्ण सिंह (3) श्री एन0 पी0 के0 यादव (4) श्री पुरुषोत्तम गणेश मावलंकर (5) श्री दरबारा सिंह (6) श्री समर मुखर्जी (7) श्री अटल बिहारी वाजपेयी (8) श्री फखरुद्दीन अली अहमद (9) श्री जी0 विश्वनाथन (10) श्री श्यामनन्दन मिश्र (11) श्री पीलू मोदी (12) श्री मधु दण्डवते (13) श्री एस0 एम0 शमीम (14) श्री वार्ष्णेय जी0 वल्लभ	अस्वीकृत	4-31

1	2	3	4	5	6	7
2	2-4-1973	श्री नीतिमय बसु	आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम में संशोधन करने के बारे में 30-3-1973 की उच्चतम न्यायालय में इंदिरा नेहरू गांधी द्वारा सरकार की ओर से दिए गए वक्तव्य के सम्बन्ध में समाचार।	(1) श्री एच0 आर0 गोखले (2) श्री एच0 एन0 मुखर्जी (3) श्री जगन्नाथ राव (4) श्री इरा सेझियान (5) श्री एन0 के0 पी0 साल्वे (6) श्री अटल बिहारी वाजपेयी (7) श्री ए0 के0 सेन (8) श्री श्यामनन्दन मिश्र (9) श्री विक्रम महाजन (10) श्री पी0 के0 देव (11) श्री वी0 के0 कृष्णमेनन (12) श्री मधु दण्डवते (13) श्रीमती माया दे (14) श्री एच0 आर0 गोखले	अस्वीकृत	3.40
3	23-3-1973	श्री चन्द्रजीत गुप्ता तथा अन्य	अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असाधारण वृद्धि को रोकने में तथा जनता को उचित मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने में असफलता।	(1) श्री आर0 के0 सिन्हा (2) श्री नीतिमय बसु (4) श्री इरा सेझियान (5) श्री अमृत नाहटा (6) श्री जगन्नाथ राव (7) श्री चन्द्रजीत यादव (8) श्री पीलू मोदी (9) श्री नवल किशोर शर्मा (10) श्री प्रसन्नभाई मेहता (11) श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (12) श्री समर गुहा (13) श्री एच0 ए0 शमीम (14) श्री आर0 के0 खन्ना	अस्वीकृत	5.10

1	2	3	4	5	6	7
4-	12-11-1973	श्री एस० एम० बनर्जी	अत्यावश्यक वस्तुयें, दूध, मिट्टी का तेल, डीजल, गैस, दूध, घी, (दिल्ली दुग्ध योजना) के मूल्यों में असाधारण वृद्धि तथा उनकी रोकने में सरकार की असफलता।	(1) श्री अनन्त प्रसाद शर्मा (2) श्री डी० देव (3) श्री बी० आर० भगत (4) श्री बैद्य बिहारी बाजपेयी (5) श्री चन्द्रजीत यादव (6) श्री जी० विश्वनाथ (7) श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे (8) श्री रामानन्दन मिश्र (9) श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (10) श्री पीलू मोदी (11) श्री देवकान्त बरुआ (12) श्री मधु लिमये (13) श्री शंकर दयाल सिंह (14) श्री पी० जी० मावलंकर (15) श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (16) श्री एस० ए० शामीम (17) श्री विक्रम महाजन (18) श्री सी० एच० मोहम्मद कोया (19) श्री वाई० जी० महाजन	अस्वीकृत	5-13

1	2	3	4	5	6	7
5-	2-5-1974	श्री ज्योतिर्मय बसु	श्री जार्ज फर्नान्डिस जैसे रिमोट कर्मचारियों के वेतनों की सिफारिश।	(1) श्री अनन्त प्रसाद शर्मा (2) श्रीमती पार्वती कृष्णन (3) श्री पी० वेंकटा सुब्बया (4) श्री अटल बिहारी वाजपेयी (5) श्री भागवत झा आजाद (6) श्री हरी सैकियानी (7) श्री वसन्त साठे (8) श्री मधु लिमये (9) श्री नरसिंह नारायण राठी	अस्वीकृत	5-07
				(10) श्री श्यामनन्दन मिश्र (11) श्री एच० एम० पटेल (12) श्री दरबारा सिंह (13) श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (14) श्री मुन्द्रा मलानी (15) श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित (16) श्री पी० जी० मावलंकर (17) श्री आर० डी० गुजराल (18) श्री ललित नारायण मिश्र		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6-	7-5-1974	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	दिल्ली के सदर बाजार में दंगा होने में असफलता जिसके परिणामस्वरूप 10 व्यक्ति मारे गए, बहुत से घायल हो गए तथा बड़ी मात्रा में सम्पत्ति नष्ट हो गई।	(1) श्री एच० के० एस० भगत (2) श्री ओमितेश्वर बसु (3) श्री शशि भूषण (4) श्री रामावतार शास्त्री (5) श्रीमती सुभद्रा जोशी (6) श्री डेरा सीथियान (7) श्री अमरनाथ वाखला (8) श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (9) श्रीमती मुकुल बनर्जी (10) श्री श्यामनन्दन मिश्र (11) श्री शंकर दयाल सिंह (12) श्री समर गुहा (13) श्री प्रियरंजन दास मुंशी (14) श्री एस० एम० बनर्जी (15) श्री उमाशंकर दीक्षित	अस्वीकृत	4-37

1	2	3	4	5	6	7
1-	3-9-1974	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	वचनानुसार बिहार को 35000 टन खाद्यान्न देने में सरकार की असफलता जिसके परिणामस्वरूप उस राज्य में विषैलिका जाड़ा वाली क्षेत्र में कठोर अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी तथा भूख से पन्द्रह व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और जनसंख्या के बड़े भाग को कन्दमूल और पत्तों पर निर्भर रहना पड़ा था।	(1) श्री प्रियरंजन दास मुंशी (2) श्री कुंज बन्धु डोलकार (3) श्री शफीर दयाल सिंह (4) श्री रामावतार शास्त्री (5) श्री हरि किशोर सिंह (6) श्री जे0 मया गौड़ा (7) श्री एम0 रामागिरि रेड्डी (रण (8) श्री रघुवीर बहादुर सिंह (9) श्री आर0 एन0 वर्मन (10) श्री तरुण गोगोई (11) श्री मधु सिंघे (12) श्री एन0 पी0 यादव (13) श्री जगन्नाथ मिश्र (14) श्री श्यामनन्दन मिश्र	अस्वीकृत	459
				(15) श्री अनन्त प्रसाद शर्मा (16) श्री शक्ति कुमार सरकार (17) श्री शिवशेर प्रसाद यादव (18) श्री चिरंजीत झा (19) श्री राम कृपाल पासवान (20) श्री ईश्वर चौधरी (21) श्री दामोदर पाण्डे (22) श्री बद्रिका प्रसाद (23) श्री गोविन्द झा (24) श्री विभूति मिश्र (25) श्री सुदेव प्रसाद वर्मा (26) श्री पी0 जे0 मावलंकर (27) श्री यमुना प्रसाद मंडल (28) श्री सी0 सुब्रह्मण्यम		

1	2	3	4	5	6	7
8-	11-11-1974	श्री श्यामनन्दन मिश्र	पटना में 4-11-1974 को सर्वोदय नेता श्री जय प्रकाश नारायण समेत शांति सत्याग्रहियों पर सैकड़ों पुलिस सी०आर०पी० तथा बी०एस०एफ० द्वारा हमले को रोकने में सरकार की असफलता।	(1) श्री भागवत झा आजाद (2) श्री समर मुखर्जी (3) श्री त्रिपुरारी दास मुंशी (4) श्री इन्द्रजीत गुप्ता (5) श्री रामसेवक पांडेय (6) श्री अटल बिहारी वाजपेयी (7) श्री जे० वेनुगोपाल (8) श्री जे० मायागौड़ा (9) श्री विभूति मिश्र (10) श्री जगदीश मिश्र (11) श्री एस० के० एस० भगत (12) श्री एस० एम० यामीन (13) श्री नवल किशोर शर्मा (14) श्री मधु लिमये (15) श्री राम विलास पासवान (16) श्री पी० जी० मावलंकर (17) श्री के० रामानंद रेड्डी	अस्वीकृत	9-16

1	2	3	4	5	6	7
9-	19-11-1974	श्री समर गुह	पश्चिम बंगाल, असाम, उड़ीसा बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में अकाल की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने तथा पर्याप्त सहायता उपाय करने में असफलता जिसके परिणामस्वरूप हजारों व्यक्ति भूख से मर गए।	(1) श्री नाथूराम मिर्धा (2) श्री भोतिमय बसु (3) श्री सी0 एम0 स्टीफन (4) श्री एच0 एन0 मुखर्जी (5) श्री नवल किशोर शिवहर सिंह (6) श्री जगन्नाथराव जोशी (7) श्री एम0 गोपाल रेड्डी (8) श्री एम0 एस0 शिवस्वामी (9) श्री श्याम सुन्दर मिश्रपात्र (10) श्री मगनभाई रावजीभाई पटेल (11) श्री रामसहाय पांडेय (12) श्री डाक्टर एन बहादुर सिंह (13) श्री बी0 के0 दास चौधरी (14) श्री सुन्दर महन्ती (15) श्री बी0 आर0 शुक्ल (16) श्री डी0 के0 पन्डा (17) श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (18) श्री पी0 जी0 मावलंकर (19) श्री जगजीवन राम	अस्वीकृत	5-34

1	2	3	4	5	6	7
10-	18-2-1975	श्री मधु लिमये	३८ कुछ महीने बाद की समस्याएं जम्मू काश्मीर की चुनी हुई सरकार में सरकार की असफलता तथा श्री एस० एन० मिश्र की मृत्यु के तुरंत बाद सार्वजनिक क्षेत्र से मांग किए जाने पर भी जांच आयोग की स्थापना करने में असाधारण विलम्ब।	(1) श्री एच० के० एस० भगत (2) श्री शीतिमर्ग ऋषु (3) श्री एन० के० पी० साल्वे (4) श्री पीलिप्प आ (5) श्री बी० आर० भगत (6) श्री अटल बिहारी वाजपेयी (7) श्री शंकर दयाल सिंह (8) श्री इरा सेजियान (9) श्री नारायण चन्द पराशर (10) श्री श्यामनन्दन मिश्रा (11) श्री हरि विनायक पाटिल (12) श्री जनेश्वर मिश्रा (13) श्री जगन्नाथ मिश्रा (14) श्री पी० जी० मावलंकर (15) श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी	अस्वीकृत	6-30

3018 - पांचवीं लोक सभा के कार्यकाल में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर मन्त्रियों का ध्यान आकृष्ट करवाने से सम्बन्ध नियम 197 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सूचनाओं का विवरण

सत्र	प्राप्त हुई सूचनाओं की संख्या	स्वीकृत सूचनाओं की संख्या	कालम 2 की प्रतिशतता के अनुसार कालम	मन्त्रियों द्वारा दिये गये विवरणों की संख्या *	कालम 3 की प्रतिशतता के अनुसार कालम 5	कुल समय लगा (लगभग) घंटे मिनट
1	2	3	4	5	6	7
पहला	338	61	18·04	6	9·8	3·15
दूसरा	3677	552	15·01	47	8·5	24·33
तीसरा	950	138	14·5	13	9·4	8·39
चौथा	2830	471	16·6	38	8·06	20·37
पांचवां	1248	99	7·9	12	12·1	7·48
छठा	1269	257	20·2	24	9·3	16·38
सातवां	4360	874	20·04	48	5·4	36·56
आठवां	2348	313	13·3	19	6·07	14·9
नवां	1835	261	14·2	18	6·8	13·55
दसवां	3298	420	12·7	30	7·1	21·47
ग्यारहवां	2568	333	12·9	17	5·1	14·02
बारहवां	1450	179	13·03	9	7·2	6·37
तेरहवां	2282	332	14·5	21	6·3	19·58
चौदहवां	-	-	-	-	-	-
पन्द्रहवां	112	1	0·8	1	100·0	00·08
सोलहवां	230	22	9·5	7	31·8	2·29
सत्रहवां	129	25	19·3	5	20·0	3·07
अठारहवां	59	5	8·4	1	20·0	0·59
योग	28983	4338	14·9	315	7·04 7·2	211·818

* कई मामलों पर एक से अधिक सूचनायें दी प्राप्त हुयी थी परन्तु ऐसी सभी सूचनाओं को एक विवरण के साथ निपटा दिया गया था।

1	2	3	4
5.	राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण	श्री श्यामनन्दन मिश्र	11.8.1971
6.	राउरकेला इस्पात संयंत्र में स्टील मेल्टिंग शाप के आधार का एक भाग गिर जाने के बारे में इस्पात और खान मंत्री द्वारा 19.7.1971 को दिया गया वक्तव्य।	श्री जानकी वल्लभ पटनायक	11.8.1971
7.	देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति	श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली	12.8.1971

तीसरा सत्र

8.	चीनी नीति के बारे में कृषि मंत्री द्वारा 13.12.1971 को दिया गया वक्तव्य।	श्री नरसिंह नारायण पाण्डे	23.12.1971
9.	बिहार के पूर्णिया जिले में हुई स्वामियों द्वारा 22.11.1971 को 14 सन्थालों की हत्या और 36 सन्थालों को घायल करने के समाचार के बारे में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा 29.11.1971 को दिया गया वक्तव्य।	श्री कार्तिक उरावं	23.12.1971

चौथा सत्र

10.	वियतनाम की राजधानी हनोई पर अमरीकी बमबारी में व्यापक रूप से वृद्धि से उत्पन्न स्थिति।	श्री एच0 एन0 मुकर्जी	17.4.1972
11.	पश्चिम बंगाल में सूखे की स्थिति	श्री समर गुहा	23.5.1972
12.	उड़ीसा से आदिवासी लड़कियों की कथित बिक्री।	श्री कार्तिक उरावं	24.5.1972
13.	केरल में तथा भारत के समूचे पश्चिमी तट पर नारियल, सुपारी, अदरक, काली मिर्च जैसी कृषि-वस्तुओं के मूल्यों में भारी गिरावट।	श्री सी0 के0 चन्द्रप्पन	26.5.1972
14.	कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा के बारे में कृषि मंत्री द्वारा 27.4.1972 को सभापटल पर रखा गया विवरण।	श्री ह0 के0 पाटिल	29.5.1972

1	2	3	4
15.	प्रधान मंत्री के कथित टेलीफोन निर्देश पर स्टेट बैंक आफ इंडिया, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली के मुख्य कोषाध्यक्ष द्वारा 1971 में श्री नागरवाला को की गई 60 लाख रुपये की अदायगी।	श्री ज्योतिर्मय बसु	30.5.1972
	पांचवां सत्र		
16.	देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति	श्री ज्योतिर्मय बसु	3.8.1972
17.	देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की स्थिति	श्री डी० की० पण्डा	9.8.1972
18.	देश के विभिन्न भागों में विद्युत-संकट	श्री समर गुहा	22.9.1972
19.	शाहदरा से सहारनपुर तक एस०एस०लाइट रेलवे का पुनः चालू होना।	श्री रामचन्द्र विकल	28.8.1972
20.	बाघा तथा मंसौर के बीच नई रेलवे लाइन का निर्माण।	श्री बालकृष्ण केसवा नायक	29.8.1972
21.	बोनस की अदायगी, विशिष्टतया श्रमिकों के लिए बोनस की मात्रा को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.33 प्रतिशत करना।	श्री एस० एम० बनर्जी	30.8.1972
22.	भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच 25 तथा 29 अगस्त, 1972 को नई दिल्ली में हुई बैठकों के बारे में विदेश मंत्री द्वारा 30.8.1972 को दिया गया वक्तव्य।	श्री समर गुहा	2.9.1972
23.	भारतीय खाद्य निगम का कार्यकरण।	श्री पीलू मोदी	4.9.1972
	छठा सत्र		
24.	भारत में जमाकर्ताओं की सुरक्षा संस्था (सी० आई० ए०) की बढ़ती हुई गतिविधियों से खतरा।	श्री इन्द्रजीत गुप्त	12.12.1972
25.	* देश में जारी में बढ़ता हुआ असन्तोष ।	श्री पी० गणदेव	14.12.1972 15.12.1972

* एक साथ चर्चा हुई।

1	2	3	4
26.	* दिल्ली विश्वविद्यालय में 6.12.1972 की घटनाओं के बारे में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा 7.12.1972 को दिया गया वक्तव्य।	श्री जगन्नाथराव जोशी	14.12.1972 15.12.1972
27.	फरीदाबाद स्थित गुरु गोविन्द सिंह मेडिकल कालेज के बारे में निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री द्वारा 30.11.1972 को दिया गया वक्तव्य।	डा0 लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	19.12.1972
	सातवां सत्र		
28.	फरीदाबाद स्थित गुरु गोविन्द सिंह मेडिकल कालेज के बारे में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री द्वारा 28.3.1973 को दिया गया वक्तव्य।	डा0 लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	28.3.1973
29.	दिल्ली के अस्पतालों में इन्टर्न, हाउस सर्जनों, रजिस्ट्रारों तथा स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा प्रदर्शन के बारे में स्वास्थ्य व परिवार नियोजन मंत्री द्वारा 30.3.1973 को दिया गया वक्तव्य।	श्री मधु दण्डवते	30.3.1973
30.	दिल्ली में बिजली आपूर्ति के बारे में सिंचाई और विद्युत मंत्री द्वारा 25.4.1973 को दिया गया वक्तव्य।	श्री इन्द्रजीत गुप्त	25.4.1973
31.	भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों का इस्तीफा तथा बम्बई, अहमदाबाद और अन्य नगरों में वकीलों द्वारा काम से अनुपस्थिति।	श्री मधु लिमये	2.5.1973 4.5.1973
32.	भारतीय उर्वरक निगम का कार्यकलाप।	श्री समर गुहा	10.5.1973

* एक साथ चर्चा हुई।

1	2	3	4
33.	देश में पिछड़े जिलों के विकास के लिए बनाई गई योजना के अन्तर्गत प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर कारखाने की स्थापना।	श्री दिनेश सिंह	15.5.1973
34.	खाद्यान्न, वनस्पति, चीनी, सोफ्ट कोक, मिट्टी का तेल तथा कपड़े जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं की भारी कमी और उनके मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि।	श्री भान सिंह भौरा	15.5.1973
35.	रेलवे में नौकरियों के लिए अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की भरती।	श्री समर गुहा	31.7.1973
36.	रेलवे में हड़ताल की स्थिति के बारे में 3.8.1973 को सदन में रेल मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य।	श्री रामावतार शास्त्री	6.8.1973
37.	31.5.1973 को रात्रि में इंडियन एयरलाइन्स के बोइंग 737 बी.डी.-ई ए एम विमान की दुर्घटना के बारे में प्रतिवेदन।	श्री एच0 एम0 पटेल	9.8.1973
38.	तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग का प्रतिवेदन (खंड 1 से 4)	श्री मधु लिमये	16.8.1973
39.	देश के विभिन्न भागों में हरिजनों पर कथित अत्याचार	श्री ज्योतिर्मय बसु	23.8.1973
40.	देश में बाढ़ की स्थिति	श्री पी0 के0 देव	28.8.1973
41.	केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा बनसागर परियोजना को स्वीकृति देने में विलम्ब तथा उसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र के लोगों को होने वाली कठिनाई।	श्री रण बहादुर सिंह	31.8.1973
42.	गुजरात, राजस्थान तथा देश के अन्य भागों में सूखे की स्थिति।	*	3.9.1973

* अध्यक्ष ने कुछ सदस्यों को इस विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान की।

1	2	3	4
43.		नवां सत्र	
43.	मानव निर्मित रेशा तथा सूत के बारे में अंटोप-आयोग के चार प्रतिवेदन।	श्री मधु लिमये	20.11.1973
44.	इंडियन एयर लाइन्स में तालाबन्दी के बारे में 26.11.1973 को संचार और पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य।	श्री एच0 एम0 बनर्जी	27.11.1973
45.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जांच समिति की सिफारिशों के संदर्भ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पुनर्गठन करने के बारे में सरकार का निर्णय सूचित करने वाला 12.11.1973 को कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखा गया विवरण।	श्री समर गुह	28.11.1973 29.11.1973
46.	गत स्वाधीनता दिवस (15 अगस्त, 1973) को लाल किले में 'काल पात्र' के साथ दबाये गये ऐतिहासिक दस्तावेजों का विवरण।	श्री इंद्रा सैमियान	7.12.1973 22.12.1973 चर्चा अधूरी रही
47.	लोको रनिंग स्टाफ द्वारा हड़ताल के बारे में 17.12.1973 को रेल मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य।	*	17.12.1973
48.	भारत में कोका कोला निर्यात निगम के कार्यों का विस्तार।	श्री ज्योतिर्मय बसु	22.12.1973 चर्चा अधूरी रही।

* अध्यक्ष ने वर्ष 1973-74 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) और रेलवे अभिसमय समिति, 1973 के अंतरिम प्रतिवेदन में निहित कुछ सिफारिशों को अनुमोदन करने वाले सरकारी संकल्प के साथ इस वक्तव्य पर चर्चा की अनुमति दी।

1	2	3	4
		दसवां सत्र	
49.	भारत में कोकाकोला नियंत्रित निगम के कार्यों का विस्तार	श्री ज्योतिर्मय बसु	22.12.1973 (नवां सत्र) 14.3.1974
50.	बिहार की स्थिति	श्री ज्योतिर्मय बसु	21.3.1974
51.	1974-75 के मौसम के लिए गेहूं की वसूली और मूल्य निर्धारण नीति के बारे में 28 मार्च, 1974 को कृषि मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य।	श्री बालकृष्ण वेंकेना नायक	3.4.1974
52.	बिहार की स्थिति के बारे में 17.4.1974 को गृह मंत्री द्वारा सभा में दिया गया वक्तव्य।	श्री एस० एम० बनर्जी	19.4.1974
		ग्यारहवां सत्र	
53.	केरल में चट्टानों का फटना और भूस्खलन।	श्री सी० एम० स्टीफन	7.8.1974
54.	परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा किया गया परमाणु विस्फोट	श्री समर गुह	8.8.1974
55.	* 17.3.1972 को सभा पटल पर रखा गया बैंकिंग आयोग का प्रतिवेदन।	श्री मधु लिमये	14.8.1974 चर्चा अधूरी रही।
56.	* राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण	श्री प्रकाश वीर शास्त्री	14.8.1974 चर्चा अधूरी रही।

* एक साथ चर्चा हुई।

1	2	3	4
57.	देश में बाढ़ तथा सूखे की स्थिति।	श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	24.9.1974 चर्चा अधूरी रही।

बारहवां सत्र

रद्द

तेरहवां सत्र

58.	दिल्ली में जामा मस्जिद क्षेत्र में पुलिस द्वारा नियन्त्रण लगाना जिसके कारण अल्पसंख्यक समुदाय के अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा वहां का दैनिक जीवन वस्तुतः अस्त व्यस्त हो गया।	श्री ज्योतिर्मय बसु	~~19.12.1974~~ 19.2.1975
59.	6.1.1975 से पश्चिम जर्मनी तथा पत्तन श्रमिकों की हड़ताल से उत्पन्न कथित गंभीर स्थिति जिसके कारण भारत से पत्तन निर्मित सामग्री का निर्यात पूरी तरह से रुक गया।	श्री इन्द्रजीत गुप्त	20.2.1975
60.	20.3.1975 को भारत के उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री ए० एन० रे की जान से मार डालने के प्रयास के बारे में 21.3.1975 को गृह मंत्री द्वारा सभा में दिया गया वक्तव्य।	श्री समर गुह	24.3.1975

बहत्तरवां सत्र

रद्द

1	2	3	4
		पन्द्रहवां सत्र	
61.	धनबाद के निकट चासनाला कोयला खान में हुई दुर्घटना के बारे में 6.1.1976 को इस्पात तथा खान मंत्री द्वारा सभा में दिया गया वक्तव्य।	श्री रामेन सेन	12.1.1976
62.	औषध तथा औषध निर्माण उद्योग संबंधी समिति (हाथी समिति) का प्रतिवेदन।	श्री रामावतार शास्त्री	22.1.1976
63.	गन्ने का मूल्य	श्री नरसिंह नारायण पांडेय	5.2.1976 6.2.1976
		सोलहवां सत्र	
		शून्य	
		सत्रहवां सत्र	
		शून्य	
		अठारहवां सत्र	
64.	पेट्रोल के दाम की स्थिति	शून्य	श्री रामावतार शास्त्री 5.11.1976
65.	पेट्रोल के सूखे की स्थिति		श्री रामावतार शास्त्री 5.11.1976

C

22. पांचवीं लोक सभा की अवधि के दौरान नियम 191 और 342 के अन्तर्गत प्रस्तावों पर की गई चर्चा के बारे में विवरण।

क्रमांक	संक्षिप्त विषय	नियम के अन्तर्गत	सदस्य का नाम	चर्चा की तिथि	सभा का निर्णय
1	2	3	4	5	6
		पहला सत्र			
1.	श्री राम देव सिंह, जिन्होंने 22.3.1971 को एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान रुकावट पैदा की और राष्ट्रपति का अनादर किया है, के आचरण की निन्दा।	191	श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	24.4.1971	संशोधित रूप में स्वीकृत।
		दूसरा सत्र			
2.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वर्ष 1969-69 का वार्षिक प्रतिवेदन।	342	प्रो० हीरेन्द्रनाथ दत्त	24.5.1971 26.5.1971	-----
3.	विदेश मंत्री द्वारा (एक) पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रास्त्र भेजे जाने और (दो) अपनी कुछ अन्य देशों की यात्रा के बारे में 24 और 25 जून को दिया गया वक्तव्य।	342	श्री भागवत झा आजाद	28.6.1971	--- --
4.	भारत और सोवियत रूस के बीच शांति, मित्रता तथा सहयोग की संधि के बारे में 9.8.1971 को विदेश मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य।	342	सरदार स्वर्ण सिंह	10.8.1971	-----

1	2	3	4	5	6
			तीसरा सत्र		
5.	13 और 14 नवम्बर, 1971 को 7, जंतर मंतर रोड, नई दिल्ली में कांग्रेस (संगठन) के अध्यक्ष तथा कुछ संसद सदस्यों पर की गई हिंसा तथा हमले की रोशनी में दिल्ली पुलिस की असफलता।	191	श्री मीरा जी आर० दैसाई	16.11.71	अस्वीकृत
6.	अहमदाबाद के भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त का 1 जुलाई, 1968 से 30 जून, 1969 को अवधि के लिये ग्यारहवां प्रतिवेदन।	342	श्री राम निवास मिर्धा	17.11.71 18.11.71	-----
7.	पश्चिम बंगाल में कानून तथा व्यवस्था का ह्रास और पुलिस, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सरकारी मशीनरी तथा असामाजिक तत्वों की उसमें भूमिका।	191	श्री ज्योतिर्मय बसु	17.11.71	अस्वीकृत
8.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वर्ष 1969-70 के लिये वार्षिक प्रतिवेदन।	342	प्रो० एस० नुरुल हसन	19.11.71 22.11.71	-----
9.	उड़ीसा में तूफान से उत्पन्न स्थिति ।	342	श्री बैजनाथ कुरील	23.11.71	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही द्वारा प्रस्तुत स्थगनात्मक प्रस्ताव – स्वीकृत हुआ।

1	2	3	4	5	6
			चौथा सत्र		
10.	चौथी योजना का मध्यवर्ती मूल्यांकन।	342	श्री सी० सुब्रह्मण्यम्	5.4.72 6.4.72	-----
11.	संघ लोक सेवा आयोग के बीसवें और इक्कीसवें प्रतिवेदन।	191	श्री राम निवास मिर्धा	10.4.72	स्वीकृत हुआ।
12.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वैज्ञानिक डा० वी०एच०शाह द्वारा आत्महत्या के बारे में 9 मई, 1972 को कृषि मन्त्री द्वारा सभा-पटल पर रखा गया विवरण।	342	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	25.5.72	-----
13.	श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा वित्त विधेयक पर बहस के दौरान फोटोस्टेट प्रति के साथ लगाये गये इस आशय के आरोप कि इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट, कलकत्ता के प्रबन्ध-निदेशक ने कम्पनी कानून का घोर उल्लंघन करते हुए काफी संख्या में पोस्टर छपवाये थे।	342	श्री ज्योतिर्मय बसु	31.5.72	-----
			पांचवां सत्र		
14.	2 जुलाई, 1972 को शिमला में भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों के बारे में हस्ताक्षर किये गये करार के बारे में 31.7.72 को विदेश मंत्री का वक्तव्य।	342	सरदार स्वर्ण सिंह	31.7.72 1.8.72	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही द्वारा प्रस्तुत स्थानापन्न प्रस्ताव - स्वीकृत हुआ।

1	2	3	4	5	6
15.	आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में असाधारण वृद्धि और महंगाई की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने में सरकार की असफलता।	342	श्री प्रेमभाई मेहता	10-8-72	-----
16.	देश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए पृथक केन्द्रीय विकास योजनायें।	191	श्री नाथूराम अहिरवार	16-8-72 23-8-72	सदन की अनुमति से वापस लिया गया।
17.	पुलिस का जांच समिति का अन्तिम प्रतिवेदन।	342	श्री ज्योतिर्मय बसु	26-8-72 4-9-72	-----
			छठा सत्र		
18.	वर्ष 1969-70 के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का उन्नीसवां प्रतिवेदन।	342	प्रो0 एस0 नूरुल हसन	15-11-72 16-11-72 21-11-72 22-11-72	-----
19.	1 जुलाई, 1969 से 30 जून, 1970 की अवधि के लिए भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त का बारहवां प्रतिवेदन।	342	श्री एफ0 एच0 मोहसिन	28-11-72 29-11-72 30-11-72	-----
20.	देश में खाद्य स्थिति।	342	श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़	29-11-72 30-11-72	-----
21.	दुर्गापुर मिश्र-इस्पात संयन्त्र का विस्तार।	191	श्री समर गुहा	6-12-72	सदन की अनुमति से वापस लिया गया।

1	2	3	4	5	6
22.	अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और उसके बारे में भारत सरकार की नीति।	342	सरदार स्वर्ण सिंह	7.12.72 8.12.72	- - - - -
23.	ऊनी वस्तुओं की आयात नीति के विशिष्ट सन्दर्भ में भारतीय राज्य व्यापार निगम का कार्यकरण।	342	श्री प्रसन्न भाई मेहता	11.&12.72	- - - - -
24.	कार निर्माण के बारे में सरकार की नीति।	191	श्री ज्योतिर्मय बसु	22.12.72	अस्वीकृत हुआ।
		सातवां सत्र			
25.	खाद्य-पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि।	191	श्री ज्योतिर्मय बसु	15.3.73 6.3.73	अस्वीकृत हुआ।
26.	भारतीय पूंजीनिवेश कारखाने अधिनियम, 1903 के अधीन बनाये गये उपबंधों और आदेशों का उल्लंघन करते हुए कतिपय मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्य।	191	श्री श्यामनन्दन मिश्र	16.5.73	अस्वीकृत हुआ।
		आठवां सत्र			
27.	20.2.73 को सभा-पटल पर रखा गया "पांचवी योजना, 1974-79 के प्रति दृष्टिकोण पत्र"।	342	श्री डी० पी० धर	31.8.73 4.9.73 5.9.73	चर्चा पूरी नहीं हुई।
		नवां सत्र			
28.	वर्ष 1970-71 और 1971-72 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन।	342	प्रो० एस० नूरुल हसन	19.11.73 20.11.73 23.11.73 26.11.73	- - - - - -

1	2	3	4	5	6
29.	भारतीय खाद्य निगम का कार्यकरण	342	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	12.12.73 22.12.73	-----
30.	अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और इस बारे में सरकार की नीति।	342	सरदार स्वर्ण सिंह	20.12.73 21.12.73	-----

दसवां सत्र

रद्द

ग्यारहवां सत्र

31.	लोक सभा के 21 सदस्यों के कथित हस्ताक्षरों के बारे में वाणिज्य मंत्रालय को दिये गये अभ्यावेदन से संबंधित सम्पूर्ण मामले की जांच करने के लिए संसदीय समिति का गठन, मन्त्री द्वारा इस आशय की घोषणा कि अधिक से हस्ताक्षर जाली हैं और अभ्यावेदन में उल्लिखित पार्टियों की लाइसेन्सों का वास्तविक आवेदन।	191	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	9.9.74	अस्वीकृत हुआ।

बारहवां सत्र

32.	आन्तरिक सुरक्षा कानून के अधीन नजरबन्दी के आदेशों के बारे में न्यायालय में मुकदमा दायर करने के अधिकार का निलम्बन करने सम्बन्धी संविधान के अनुच्छेद 359(1) के अधीन राष्ट्रपति के आदेश को अस्वीकार करना।	191	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	2.12.74 3.12.74 4.12.74 5.12.74	अस्वीकृत हुआ।

1	2	3	4	5	6
33.	लोक सभा सदस्य और मन्त्रिमण्डल के सदस्य श्री ललित नारायण मिश्र की सदन की सदस्यता से हटाया जाना।	191	श्री ज्योतिर्मय बसु	18.12.74	अस्वीकृत हुआ।
34.	चुनाव आयोग का विस्तार और पुनर्गठन।	191	श्री श्यामनन्दन मिश्र	18.12.74	चर्चा पूरी नहीं हुई।
35.	चीनी उद्योग जांच आयोग का प्रतिवेदन।	342	श्री मधु दण्डवते	19.12.74	चर्चा पूरी नहीं हुई।
36.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के गायब हो जाने के बारे में जांच आयोग का प्रतिवेदन।	342	श्री समर गुह	20.12.74	चर्चा पूरी नहीं हुई।
			तीसरा सत्र		
37.	जम्मू तथा कश्मीर राज्य के बारे में 24.2.75 को प्रधानमन्त्री का वक्तव्य।	342	श्रीमती इन्दिरा गांधी	3.3.75 4.3.75	श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
38.	इलाहाबाद में प्रधानमन्त्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा प्रबन्ध।	191	श्री के0 रघुरामैया	18.3.75	स्वीकृत हुआ।
39.	कलकत्ता में हिंसक घटना, जिसमें श्री जय प्रकाश नारायण की कार पर हमला किया गया और इस सदन के एक सदस्य तथा उनकी साथियों को चोटें लगीं।	191	श्री श्यामनन्दन मिश्र	8.4.75	अस्वीकृत हुआ।
40.	नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय के कर्मचारियों के कथित दमन से बचाये जाने और अखिल भारतीय कर्मचारी संघ की मान्यता समाप्त करने सम्बन्धी निर्णय के बारे में 22 अगस्त, 1974 को वित्त मन्त्री का वक्तव्य।	342	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	8.5.75	-----

1	2	3	4	5	6
			चौदहवां सत्र		
41.	प्रधान मन्त्री द्वारा 1 जुलाई, 1975 की घोषित आर्थिक विकास का नया कार्यक्रम ।	191	श्री सी० सुब्रह्मण्यम	31-7-75 1-8-75 4-8-75	स्वीकृत हुआ
42.	वर्ष 1972-73 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन।	342	प्रो० एस० नूरुल हसन	6-8-75	- - - - -
			पन्द्रहवां सत्र		
			शून्य		
			सोलहवां सत्र		
43.	भारत में महिलाओं के स्तर संबंधी समिति का प्रतिवेदन।	342	प्रो० एस० नूरुल हसन	26-5-76 27-5-76	- - - - -
44.	राष्ट्रीय बाल नीति संबंधी सरकारी संकल्प।	342	श्री डी० पी० यादव	27-5-76	चर्चा पूरी नहीं हुई।
			सत्रहवां सत्र		
45.	राष्ट्रीय बाल नीति संबंधी सरकारी संकल्प	342	श्री डी० पी० यादव	27-5-76 (सोलहवां सत्र) 10-8-76 11-8-76	- - - - -
			अठारहवां सत्र		
			शून्य		

क्र0 सं0	चर्चा उठाने वाले का नाम	विषय	किस तारीख को उठायी गयी
1	2	3	4
		प्रथम सत्र, 1971	
		शून्य	
		~~कोई नहीं~~	
		दूसरा सत्र, 1971	
1.	श्री एस0 एम0 कृष्ण	~~बैंक~~ ऋण सम्बन्धी अभियोग का प्रतिवेदन।	31.5.1971
2.	श्री सुरेन्द्र महन्ती	उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में पटसन मिलों की स्थापना।	7.6.1971
3.	श्री बी0 के0 दास चौधरी	पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में विद्युतीकरण की धीमी गति।	11.6.1971
4.	श्री समर गुहा	पूर्वी बंगाल से बड़ी संख्या में शरणार्थियों का आना तथा उनका पुनर्वास।	16.6.1971
5.	श्री सी0 के0 चन्द्रप्पन	चौथी योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण।	21.6.1971
6.	श्री बी0 के0 दास चौधरी	पूर्वी पाकिस्तान विस्थापित व्यक्ति कालोनी, जालकाजी नई दिल्ली में अलाटियों से न्याय निर्णय के लिये अनुरोध।	30.6.1971
7.	श्री समर गुहा	टैक्ट ब्रीडर रियेक्टर	2.7.1971
8.	श्री एस0 के0 गोपालन	नारियल जटा निर्यात में कमी	5.7.1971
9.	श्री भोगेन्द्र झा	कृषि क्षेत्र के लिये संस्थागत ऋण देने हेतु अखिल भारतीय किसान सभा की मांग।	7.7.1971

1	2	3	4
10.	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	शिक्षा कार्यों के लिए पी०एल०-480 निधि	12.7.1971
11.	श्री इन्द्रजीत गुप्त	भारत तथा सोवियत संघ द्वारा पारस्परिक आधार पर प्रदर्शनी हेतु फिल्मों की खरीद तथा आपूर्ति के साथ ऐसी व्यवस्था न होना।	14.7.1971
12.	श्री शशि भूषण	गणेश फ्लोर मिल्स लिमिटेड, दिल्ली में कर्मचारियों की जबरन छुट्टी।	19.7.1971
13.	श्री विभूति मिश्र	गहेक परियोजना पर व्यय।	23.7.1971
14.	श्री डी० डी० देसाई	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से एल्युमिनियम का आयात।	26.7.1971
15.	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	तस्करी रोकने के लिये हीवर-क्राफ्ट्स की खरीद	28.7.1971
16.	श्री यायावर रवि	(एक) राज्यों में केन्द्रीय सरकार की नयी कालोनियां और (दो) राज्यों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर का आवंटन	30.7.1971
17.	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	लोह खनिज खोज योजना	2.8.1971
18.	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	वर्ष 1969-70 के दौरान बिहला तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा कर अपवंचन।	9.8.1971
19.	श्री नरसिंह नारायण पांडेय	दूत कार्यक्रम के अन्तर्गत अशिक्षित बेरोजगारों के लिये रोजगार की व्यवस्था।	11.8.1971

1	2	3	4
		तीसरा सत्र	
20.	श्री ज्योतिर्मय बसु	पश्चिम बंगाल में बिजली संकट।	24.11.1971
		चौथा सत्र	
21.	डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय	चीनी मिलों का मुनाफा और उसमें गन्ना सप्लाई कर्ताओं का भाग।	22.5.1972
22.	श्री बी० के० दास चौधरी	पटसन के समर्थन मूल्य में वृद्धि।	24.5.1972
23.	श्री समर गुहा	भारत से पुनः युद्ध के लिये पाकिस्तान की तैयारी।	1.6.1972
		पांचवां सत्र	
24.	डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय	मध्य प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा बोनस।	9.8.1972
25.	श्री समर गुहा	स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना।	11.8.1972
26.	श्री समर गुहा	चीन के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाना।	16.8.1972
27.	श्री ज्योतिर्मय बसु	इन्डो-बर्मा पैट्रोलियम के कार्यकलाप पर भारतीय तेल निगम द्वारा रखा जा रहा नियंत्रण।	18.8.1972
28.	श्री समर गुहा	भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग का विकेन्द्रीकरण।	21.8.1972
29.	डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय	शहरों तथा कस्बों का दर्जा बढ़ाया जाना।	25.8.1972
30.	श्री नरेन्द्र कुमार सलूजा	सफदर जंग हवाई अड्डे पर रेलवे उपरिपुल का निर्माण	29.8.1972
31.	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	मतदान करने के लिये आयु सीमा का कम किया जाना।	2.9.1972
		छठा सत्र	
32.	श्री समर गुहा	शिक्षा संस्थानों के ढांचे में परिवर्तन	17.11.1972

1	2	3	4
33.	श्री ज्योतिर्मय बसु	चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण	24.11.1972
34.	श्री के0 लक्कप्पा	भारतीय फिल्मों तथा गानों के रिकार्डों की विदेशों को तस्करी।	27.11.1972
35.	श्री ज्योतिर्मय बसु	आनंद बाजार पत्रिका, कलकत्ता के निदेशक के निवास पर छापा।	1.12.1972
36.	श्री समर गुह	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म दिवस मनाया जाना	4.12.1972
37.	श्री रामावतार शास्त्री	स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन देना	8.12.1972
38.	श्री ज्योतिर्मय बसु	करों की बकाया राशि	13.12.1972
39.	श्री समर गुह	शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये प्रयोगात्मक आणविक विस्फोट।	15.12.1972
40.	श्री ज्योतिर्मय बसु	विदेशी कम्पनियों के साथ करारों का समाप्त किया जाना।	18.12.1972
41.	श्री चन्द्रिका प्रसाद	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के वेतनमानों का पुनरीक्षण।	20.12.1972
		सातवां सत्र	
42.	श्री समर गुह	पश्चिम बंगाल के हुगली तथा सुन्दरवन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री का सर्वेक्षण।	2.3.1973
43.	श्री ज्योतिर्मय बसु	औद्योगिक उत्पादन पर बिजली की कमी का प्रभाव।	7.3.1973
44.	श्री श्यामनन्दन मिश्र	हरियाणा के मुख्यमंत्री पर आरोप	9.3.1973
45.	श्री ज्योतिर्मय बसु	बिहार काड की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	21.3.1973
46.	श्री मतलूब्द डागा	समस्त राजस्थान को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव।	23.3.1973
47.	श्री ज्योतिर्मय बसु	विदेशी स्वामित्व वाली सिगरेट कम्पनियों द्वारा लाभ स्वदेश भेजने पर छूट।	26.3.1973
48.	डा0 सरदेश राम	सियालदह डिवीजन (पूर्व रेलवे) में विशेष रेलगाड़ियां चलाने से आय।	4.4.1973

1	2	3	4
49.	श्री ज्योतिर्मय बसु	रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कार्यकरण की जांच की मांग	9-4-1973
50.	श्री ज्योतिर्मय बसु	शॉ वालेस एण्ड कंपनी के शेयरों की खरीद	16-4-1973
51.	श्री समर गुहा	कलकत्ता टेलीफोनों का त्रुटिपूर्ण कार्य	18-4-1973
52.	श्री कृष्णचन्द्र हालदार	जहाजरानी निगम द्वारा नये खरीदे गये जहाजों की मरम्मत पर व्यय।	27-4-1973
53.	श्री ई० वी० विरवे पाटिल	सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में उर्वरक बनाने वाले कारखाने तथा उनकी उत्पादन क्षमता।	30-4-1973
54.	श्री भोगेन्द्र झा	पांचवी योजना के दौरान पश्चिम कोसी राजस्थान तथा गंडक नहर परियोजनाओं का पूरा होना।	7-5-1973
55.	श्री समर गुहा	भूमि सुधारों का क्रियान्वयन	9-5-1973
56.	श्री समर गुहा	पांचवी योजना तैयार करने तथा उसे क्रियान्वित करने में जनता का भाग लेना।	11-5-1973
57.	श्री भोगेन्द्र झा	वेतन आयोग के प्रतिवेदन की निष्पक्ष जांच के बारे में कानफेडरेशन आफ सेंट्रल गवर्मेंट आफिसर्स एसोसियेशन द्वारा प्रधानमंत्री से अनुरोध।	14-5-1973
		<u>आठवां सत्र</u>	
58.	श्री ज्योतिर्मय बसु	26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजीवाली औषध निर्माता फर्मों को सी० आई० बी० लाइसेंस।	25-7-1973
~~59.~~	~~श्री मधु लिमये~~	~~कृषि उत्पाद तथा उनसे निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में समता सिद्धान्त~~	~~1-8-1973~~

1	2	3	4
59.	श्री समर गुह	दुर्गापुर उर्वरक परियोजना में उत्पादन आरम्भ होने में विलम्ब	30.7.1973
60.	श्री मधु लिमये	कृषि उत्पाद तथा उनसे निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में समता के सिद्धान्त।	1.8.1973
61.	श्री प्रश्नन्न भाई मेहता	गुजरात में पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिये वित्तीय सहायता	3.8.1973
62.	श्री समर गुह	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कोक भट्टियों की बुरी दशा का उत्पादन पर प्रभाव।	9.8.1973
63.	श्री प्रश्नन्न भाई मेहता	नर्मदा नदी जल विवाद पर प्रधानमंत्री का फैसला	10.8.1973
64.	श्री ज्योतिर्मय बसु	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से आयातित 'इंग्लिश स्टील' की चादरों का विक्रय मूल्य।	13.8.73
65.	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	स्वतंत्रतासैनानियों की पेंशन को मंजूरी के लिये आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि का बढ़ाया जाना।	22.8.1973
66.	श्री समर गुह	देश की रक्षा के लिये आणविक हथियारों का विकास।	24.8.1973
67.	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	केरल में राशन की निरन्तर बिगड़ती हुई स्थिति।	27.8.1973
68.	श्री मूलचन्द डागा	केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों तथा विभागों में दिया गया समयोपरि भत्ता।	29.8.1973
		नवां सत्र	
69.	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	केरल को सप्लाई किये गये चावल की किस्म और मात्रा।	19.11.1973
70.	श्री समर गुह	आद्यान्नों का वसूलीअौर अवतारण मूल्य	23.11.1973
71.	श्री व्यासराव रवि	फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड के कोचीन डिवीजन में विदेशी विशेषज्ञों का कार्य।	26.11.1973

1	2	3	4
72.	श्री ज्योतिर्मय बसु	उर्वरकों की उपलब्धता।	28.11.1973
73.	श्री मधु लिमये	निर्धारित तिथि बीत जाने पर फर्मों द्वारा सी०आई०बी० लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र।	30.11.1973
74.	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	स्वतंत्रता सेनानियों को देश के लिये पात्रता।	3.12.1973
75.	श्री ज्योतिर्मय बसु	विदेशी फर्मों तथा कुछ औद्योगिक गृहों द्वारा अप्राधिकृत उत्पादन।	5.12.1973
76.	श्री एस्तफा हुसैन	आदिवासियों को वस्त्रों तथा वितरण के लिये राज्यों को अपनी एजेंसियां।	10.12.1973
77.	श्री ज्योतिर्मय बसु	शेयर मूल्यों में वृद्धि	12.12.1973
78.	श्री समर गुहा	12 वर्षीय माध्यमिक पाठ्यक्रम का प्रस्ताव।	14.12.1973
79.	श्री नरेन्द्र कुमार साबो	खाद्यों का उत्पादन बढ़ाना।	17.12.1973

दसवां सत्र

80.	श्री व्यालार रवि	इब्न रुनाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेल लाइन का विद्युतीकरण।	25.2.1974
81.	श्री डी० डी० देसाई	वर्ष 1974-75 के लिये इस्पात का उत्पादन लक्ष्य।	27.2.1974
82.	श्री रामावतार शास्त्री	यूनियन टेरीटरीज में असन्तोष	4.3.1974
83.	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	समाचार पत्रों के स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण	6.3.1974
84.	श्री ज्योतिर्मय बसु	राज्यों में मिट्टी के तेल की कमी	13.3.1974
85.	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	मतदाता की आयु में कमी के लिये संविधान में संशोधन	~~13.3.1974~~ 15.3.1974
86.	श्री समर गुहा	उर्वरकों का उत्पादन एवं आयात	18.3.1974
87.	श्री दीनेन भट्टाचार्य	पुराने विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये पश्चिम बंगाल की वृहत् योजना।	20.3.1974

1	2	3	4
88.	सरदार स्वर्णसिंह सोझी	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ द्वारा निर्मित स्कूटरों के लिए डीलरशिप।	22.3.1974
89.	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	डालडा की कमी	25.3.1974
90.	श्री समर गुहा	भूतपूर्व पाकिस्तान से विस्थापितों का पुनर्वास	27.3.1974
91.	सरदार स्वर्णसिंह सोझी	ऐसी कम्पनी द्वारा ईवी इंजीनियरिंग कम्पनी राँची की पूर्ण मशीनरी की सप्लाई न किया जाना।	5.4.1974
92.	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	निर्धनों की कानूनी सहायता	8.4.1974
93.	श्री ज्योतिर्मय बसु	कार के आली परमिट का मामला	17.4.1974
94.	श्री एन० के० पी० साल्वे	पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को कर से छूट	22.4.1974
95.	श्री चन्दू लाल दानी	दिना बैंक द्वारा क्लर्क ग्रेड में भर्ती के लिये अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों का चयन।	24.4.1974

ग्यारहवां सत्र

96.	श्री समर गुहा	हल्दिया बन्दरगाह पर शिपयार्ड की स्थापना।	26.7.1974
97.	श्री रामावतार शास्त्री	राज्यों की जनवरी-जून, 1974 के दौरान खाद्यान्नों के आबंटन का मानदंड और आबंटित मात्रा ।	29.7.1974
98.	श्री एस० आर० दामाणी	संयुक्त क्षेत्र में कागज तथा अखबारी कागज के कारखाने स्थापित करना।	7.8.1974
99.	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	विदेशों में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और इंजीनियरों को आकर्षित करने की योजना।	9.8.1974

1	2	3	4
100.	श्री जगन्नाथ मिश्र	दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, दिल्ली के सदस्यों से हस्तनामें मांगना।	12-8-1974
101.	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	निर्बाध क्षेत्र के रूप में हिन्द महासागर।	16-8-1974
102.	श्री शंकर राव सावंत	महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद।	19-8-1974
103.	श्री रामावतार शास्त्री	झूठी सनदें देने वाली स्वतन्त्रता सेनानी	21-8-1974
104.	श्री मधु दण्डवते	इस्पात के वितरण की नई पद्धति।	23-8-1974
		<u>बारहवां सत्र</u>	
105.	श्री मधु लिमये	मैसर्स कैडबरी इंडिया और मैसर्स कोकाकोला निर्यात निगम को तदर्थ लाइसेंस दिया जाना।	20.11.1974
106.	श्री मुन्द्रा महन्ती	आकाशवाणी के कटक केन्द्र के भूमि घोटाले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच।	25-11-1974
107.	श्री समर गुहा	भूतपूर्व राष्ट्रपति का रेल हड़ताल के बारे में वक्तव्य।	27-11-1974
108.	श्री मधु दण्डवते	भारतीय खिलाड़ियों द्वारा तेहरान के खेलों में जीते गये पदक।	2-12-1974
109.	श्री मधु दण्डवते	रत्नागिरि परियोजना का महाराष्ट्र से गुजरात को स्थानान्तरण।	4-12-1974
110.	श्री मधु दण्डवते	निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों की घोषणा करना।	13-12-1974
		<u>तेरहवां सत्र</u>	
111.	श्री मधु लिमये	पॉलिस्टर फाइबर के आयात लाइसेंसों का मामला।	24-2-1975
112.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	दिल्ली नगर निगम की देय धनराशि।	17-3-1975
113.	श्री मधु दण्डवते	मद्य निषेध लागू करना।	21-3-1975

1	2	3	4
114.	सरदार स्वर्ण सिंह मंत्री	दहेज निषेध अधिनियम	11.4.1975
115.	श्री मधु दण्डवते	महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद।	21.4.1975
116.	श्री मूल चन्द डागा	सूपर बाजार, दिल्ली की हुई हानि।	28.4.1975
117.	श्री मधु दंडवते	उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति।	6.5.1975

चौदहवां सत्र

शून्य

पंद्रहवां सत्र

शून्य

सोलहवां सत्र

118.	श्री सी0 एम 0 स्टीफन	नारियल जटा उद्योगों के लिये यूरोपीय बाजार।	24.3.1976
119.	श्री भीखूभाई दलसानिया	विभिन्न संगठनों के सी0 आई0 ए0 संपर्क और धर्मार्थ समिति को विदेशों से प्राप्त धनराशि।	28.4.1976

सत्रहवां सत्र

120.	श्री इन्द्रजीत गुप्त	रोक रखे गये महंगाई भत्ते की पहली किस्त की अदायगी।	25.8.1976

अठारहवां सत्र

शून्य

जिस तिथि/तिथियों को संकल्प पर विचार किया गया	संकल्प का विषय	प्रभासी सदस्य का नाम	चर्चा में लगा समय	सदन द्वारा की गई कार्यवाही।
1	2	3	4	5
			घं० मिनट	
		(क) सरकारी संकल्प		
		पहला सत्र		
31-3-71	पूर्वी बंगाल की घटनायें	श्रीमती इन्दिरा गांधी	0.4	सर्वसम्मति से पारित हुआ।
		दूसरा सत्र		
2-8-71	* रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा रेलवे वित्त एवं सामान्य वित्त से सम्बद्ध अन्य मामलों की पुनरीक्षा के लिये संसदीय समिति की नियुक्ति।	श्री के० हनुमन्तैया	1.03	पारित
2-8-71	* रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा रेलवे वित्त एवं सामान्य वित्त से सम्बद्ध अन्य मामलों की पुनरीक्षा के लिये संसदीय समिति के साथ राज्य सभा के 6 सदस्यों को सम्बद्ध करने के लिये राज्य सभा की सिफारिश।	श्री के० हनुमन्तैया	-	पारित

* एक साथ चर्चा हुई।

1	2	3	4	5
		तीसरा सत्र		
16-12-71	रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा रेलवे वित्त एवं सामान्य वित्त से सम्बद्ध अन्य मामलों की पुनरीक्षा के लिये नियुक्त समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन जो 7 दिसम्बर 1971 को संसद में पेश किया गया की सिफारिशों का संसद×××××××× अनुमोदन।	श्री के० हनुमन्तैया	0.42	पारित
		चौथा सत्र		
		शून्य		
		पांचवां सत्र		
		शून्य		
		छठा सत्र		
19.12.72 20.12.72	रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा रेलवे वित्त एवं सामान्य वित्त से सम्बद्ध अन्य मामलों की पुनरीक्षा के लिये नियुक्त की गई समिति के लेखा मामलों विषयक प्रतिवेदन, जो संसद में 15 दिसम्बर, 1972 को पेश किया गया, में की गई कुछ सिफारिशों का अनुमोदन।	श्री मुहम्मद शफी कुरैशी	1.06	पारित

1	2	3	4	5
		सातवां सत्र		
7-5-73	* रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा रेलवे वित्त एवं सामान्य वित्त से सम्बद्ध अन्य मामलों की पुनरीक्षा के लिये नियुक्त समिति के "वर्ष 1969-70 और वर्ष 1970-71 के लिये लाभांश दर तथा अन्य सम्बद्ध मामले" विषयक छठे प्रतिवेदन में की गई कुछ सिफारिशों का अनुमोदन।	श्री मुहम्मद शफी कुरैशी	1.12	पारित
7-5-73 *	रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा रेलवे वित्त एवं सामान्य वित्त से सम्बद्ध अन्य मामलों की पुनरीक्षा के लिये संसदीय समिति की नियुक्ति।	श्री मुहम्मद शफी कुरैशी	-	पारित
7-5-73 *	रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा रेलवे वित्त एवं सामान्य वित्त से सम्बद्ध अन्य मामलों की पुनरीक्षा के लिये संसदीय समिति के साथ राज्य सभा के 6 सदस्यों को सम्बद्ध करने के लिये राज्य सभा को सिफारिश।	श्री मुहम्मद शफी कुरैशी	-	पारित
16-5-73	रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा रेलवे वित्त एवं सामान्य वित्त से सम्बद्ध अन्य मामलों की पुनरीक्षा के लिये गठित संसदीय समिति की सदस्यता में वृद्धि किया जाना।	~~श्री मुहम्मद शफी कुरैशी~~ श्री ललित नारायण मिश्र	0.02	पारित

* एक साथ चर्चा हुई।

1	2	3	4	5
16-5-73	रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की दर तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेल वित्त के संबंध में अन्य सहायक मामलों की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति के साथ एक अन्य सदस्य सहयोजित करने के लिये राज्य सभा से सिफारिश।	श्री ललित नारायण मिश्र	0.01	स्वीकृत
		आठवां सत्र		
		शून्य		
		नवां सत्र		
17-12-73	*रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की दर तथा रेल वित्त तथा सामान्य वित्त के संबंध में अन्य संगत मामलों की समीक्षा करने हेतु नियुक्ति समिति के अंतरिम प्रतिवेदन के कतिपय पैराग्राफों में की गई सिफारिशों का अनुमोदन।	श्री ललित नारायण मिश्र	3.52	स्वीकृत
		दसवां सत्र		
		शून्य		
		ग्यारहवां सत्र		
		शून्य		

* अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल), 1973-74 और रेलवे स्थित कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के संबंध में रेल मंत्री द्वारा दिये गए वक्तव्य के साथ साथ चर्चा की गई।

1	2	3	4	5
		बारहवां सत्र		
17-12-74	रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की दर तथा रेल वित्त तथा सामान्य वित्त के सम्बन्ध में अन्य संगत मामलों की समीक्षा करने हेतु नियुक्त समिति के छठे प्रतिवेदन के कतिपय पैराग्राफों में की गई सिफारिशों का अनुमोदन।	श्री मुहम्मद शफी कुरैशी	001	स्वीकृत
		तेरहवां सत्र		
		शून्य		
		चौदहवां सत्र		
		शून्य		
		पन्द्रहवां सत्र		
12-1-76 15-1-76	रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की दर तथा रेल वित्त तथा सामान्य वित्त के सम्बन्ध में अन्य संगत मामलों की समीक्षा करने हेतु नियुक्त समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन के, जो कि 9 जनवरी, 1976 को संसद में प्रस्तुत किया गया, कतिपय पैराग्राफों में की गई सिफारिशों का अनुमोदन।	श्री मुहम्मद शफी कुरैशी	1-4।	स्वीकृत

1	2	3	4	5
		सातवाँ सत्र		
30-3-76	सड़क विकास	डा० जी० एस० टिल्ला	2-30	स्वीकृत
		आठवाँ सत्र		
		शून्य		
		नवाँ सत्र		
		शून्य		

1	2	3	4	5
	(ब) सांविधिक संकल्प			
	पहला सत्र			
29-3-71	*पश्चिम बंगाल राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई उद्घोषणा को 1 अप्रैल, 1971 से छह महीने की अगली अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन।	श्री कृष्णचन्द्र पंत	1-11	स्वीकृत
2-4-71	भारतीय खाद्य निगम की सेवा को अत्यावश्यक सेवा घोषित करने वाली दिनांक 29 जनवरी, 1971 की अधिसूचना जी०एस०आर० संख्या 152 का अनुमोदन।	श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे	0-16	स्वीकृत
	दूसरा सत्र			
24-5-71	मैसूर राज्य के सम्बन्ध में 27 मार्च, 1971 की राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन।	श्री कृष्णचन्द्र पन्त	0-56	स्वीकृत
16-6-71 ** 17-6-71 18-6-71	आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अध्यादेश, 1971 (1971 का अध्यादेश संख्या 5) का निरनुमोदन।	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	8-31	अस्वीकृत
21-6-71	गुजरात राज्य के सम्बन्ध में 13 मई, 1971 की राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन।	श्री एफ० एच० मोहसिन	1-43	स्वीकृत

*पश्चिम बंगाल राज्य के लिये बजट के सम्बन्ध में लेखानुदानों की मांगों, 1971-72 और पश्चिम बंगाल राज्य के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों, 1970-71 पर सामान्य चर्चा के साथ चर्चा की गई।

** आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना विधेयक, 1971 के विचारार्थ प्रस्ताव के साथ चर्चा की गई।

1	2	3	4	5
22&6-7.1	* दिल्ली सिख गुरुद्वारा (प्रबन्ध) अध्यादेश, 1971 (1971 का अध्यादेश संख्या 9) का निरनुमोदन।	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	1-45	अस्वीकृत
22.6.71	पश्चिम बंगाल सुरक्षा (त्रिपुरा - पुनर्विनियमन) दूसरा संशोधन अध्यादेश, 1971 (1971 का अध्यादेश संख्या 4) का निरनुमोदन।	श्री ज्योतिर्मय बसु	1-32	अस्वीकृत
23.7.71 26.7.71	**पश्चिम बंगाल राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 29 जून, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन।	***श्री राजबहादुर	6-46	स्वीकृत
31.7=71	मैसूर सरकार के पचहत्तर करोड़ रुपये की उस अधिकतम राशि को निर्धारित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन जो मैसूर राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में मिल सकती है।	श्री के0 आर0 गणेश	0-21	स्वीकृत
2.8.71 5.8.71	ø पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 15 जून, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन।	श्री कृष्णचन्द्र पंत	2-56	स्वीकृत

* राज्य सभा द्वारा पारित रूप में दिल्ली सिख गुरुद्वारा (प्रबन्ध) विधेयक, 1971 के विचारार्थ प्रस्ताव के साथ चर्चा की गई।

**सामान्य चर्चा तथा पश्चिम बंगाल राज्य के लिये वर्ष 1971-72 के बजट के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और पश्चिम बंगाल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1971 के विचारार्थ प्रस्ताव के साथ चर्चा की गई।

*** श्री राजबहादुर ने श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की ओर से संकल्प प्रस्तुत किया।

ø राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पंजाब राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1971 के विचारार्थ प्रस्ताव के साथ चर्चा की गई।

1	2	3	4	5
		- तीसरा सत्र -		
18-11-71	मैसूर राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा ~~[illegible]~~ दिनांक 27 मार्च, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा को 25 नवम्बर, 1971 से छह महीने की अगली अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन।	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	1-57	स्वीकृत
18-11-71	पश्चिम बंगाल अग्नि सेवा को आवश्यक सेवा घोषित करने वाली गृह मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना का अनुमोदन।	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	0-16	स्वीकृत
24-11-71* 25-11-71	रेल यात्री किराया अध्यादेश, 1971 (1971 का अध्यादेश संख्या 17) का निरनुमोदन।	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	2-03	अस्वीकृत
25-11-71	**डाक वस्तुओं पर कर अध्यादेश, 1971 (1971 का अध्यादेश संख्या 18 का निरनुमोदन।	डा0 लक्ष्मी नारायण पांडेय	1-00	अस्वीकृत
25-11-71	ß अन्तर्देशीय विमान यात्रा कर अध्यादेश, 1971 (1971 का अध्यादेश संख्या 18) का निरनुमोदन।	श्री पी0 के0 देव	0-46	अस्वीकृत
25-11-71 26-11-71	ßß स्टाम्प तथा उत्पादन शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (1971 का अध्यादेश संख्या 16) का निरनुमोदन।	श्री जगन्नाथ राव जोशी	1-29	अस्वीकृत

* रेल यात्री किराया विधेयक, 1971 के विचारार्थ प्रस्ताव के साथ चर्चा की गई।

** डाक वस्तुओं पर कर विधेयक, 1971 के विचारार्थ प्रस्ताव के साथ चर्चा की गई।

ß अन्तर्देशीय विमान यात्रा कर विधेयक, 1971 के विचारार्थ प्रस्ताव के साथ चर्चा की गई।

ßß स्टाम्प तथा उत्पादन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1971 के विचारार्थ प्रस्ताव के साथ चर्चा की गई।

1	2	3	4	5
4-12-71	राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत 3१ दिसम्बर, 1971 को जारी की गई आपात स्थिति की उद्घोषणा का अनुमोदन।	श्रीमती इन्दिरा गांधी	1-15	सर्वसम्मति से स्वीकृत
4-12-71	गुजरात राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 13 मई, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा को 2 दिसम्बर, 1971 से छह महीने की अगली अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन।	श्री एफ० एच० मोहसिन	0-28	स्वीकृत
4-12-71	पंजाब राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 15 जून, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा की 5 फरवरी, 1972 से छह महीने की अगली अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन।	श्री एफ० एच० मोहसिन	0-34	स्वीकृत
4-12-71 6-12-71 7-12-71	पश्चिम बंगाल राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 29 जून, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा की 28 जनवरी, 1972 से छह महीने की अगली अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन।	श्री एफ० एच० मोहसिन	2-05	स्वीकृत
17-12-71	*दिल्ली सड़क परिवहन (विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (1971 का अध्यादेश संख्या 21) का निरनुमोदन।	डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय	1-18	अस्वीकृत

* दिल्ली सड़क परिवहन विधियां(संशोधन) विधेयक, 1971 के विचारार्थ प्रस्ताव के साथ चर्चा की गई।

1	2	3	4	5
18-12-71	पंजाब राज्य सरकार के पचास करोड़ रुपये की उस अधिकतम राशि को निर्धारित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन जो पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड को किसी भी समय ऋण के रूप में मिल सकती है।	श्री के0 आर0 गणेश	0-03	स्वीकृत
22-12-71	भूमि परिवहन अधिनियम, 1923 की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की जाने वाली मैसूर राज्य सरकार के कृषि तथा वन विभाग की अधिसूचना का अनुमोदन।	श्री अण्णासाहिब पी0 शिंदे	0-01	स्वीकृत
		चौथा सत्र		
		राष्ट्रपति		
		पांचवां सत्र		
21-8-72 22-8-72	*इंडियन आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध-ग्रहण) अध्यादेश, 1972 (1972 का अध्यादेश संख्या 6) का निरनुमोदन।	डा0 लक्ष्मी नारायण पांडेय	2-45	अस्वीकृत हुआ।
30-8-72 1-9-72	**दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (1972 का अध्यादेश संख्या 5) का निरनुमोदन।	श्री आर0 वी0 वर्दे	3-05	अस्वीकृत हुआ।
		छठा सत्र		
1-12-72 4-12-72	***बीमा संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (1972 का अध्यादेश संख्या 8) का निरनुमोदन।	श्री हुकम चंद कछवाय	2-37	अस्वीकृत हुआ

* इंडियन आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध-ग्रहण), विधेयक, 1972 पर विचार करने के प्रस्ताव के साथ चर्चा हुई।

** दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 *, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, पर विचार करने के प्रस्ताव के साथ चर्चा हुई।

*** बीमा संदाय (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार करने के प्रस्ताव के साथ चर्चा हुई।

1	2	3	4	5
		सातवां सत्र		
28.2.73 1.3.73	आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में 18 जनवरी, 1973 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन।	श्री कृष्ण चन्द्र पंत	4-45	स्वीकृत हुआ।
15.3.73 16.3.73	* कोयला खान (प्रबन्ध-ग्रहण) अध्यादेश, 1973 (1973 का अध्यादेश संख्या 1) का निरनुमोदन।	श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव	3-59	अस्वीकृत हुआ
22.3.73 23.3.73 26.3.73	** उड़ीसा राज्य के संबंध में 3 मार्च, 1973 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन।	श्री कृष्ण चन्द्र पंत	5-15	स्वीकृत हुआ।
11.5.73 14.5.73	*** मनीपुर राज्य के संबंध में 28 मार्च, 1973 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन।	श्री कृष्ण चन्द्र पंत	2-02	स्वीकृत हुआ
		आठवां सत्र		
7.8.73 8.8.73 9.8.73	उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में 13 जून, 1973 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन।	श्री उमाशंकर दीक्षित	7-19	स्वीकृत हुआ।
16.8.73 17.8.73	राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश के संबंध में 18 जनवरी, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा को 1 सितम्बर, 1973 से 6 महीने की और अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन।	श्री कृष्ण चन्द्र पंत	2-15	स्वीकृत हुआ।

* कोयला खान (प्रबन्ध-ग्रहण) विधेयक, 1973 पर विचार करने के प्रस्ताव के साथ चर्चा हुई।

** वर्ष 1973-74 के लिये उड़ीसा राज्य के बजट के बारे में सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगों तथा वर्ष 1972-73 के लिए उड़ीसा राज्य के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों के साथ चर्चा हुई।

*** मनीपुर राज्य विधान (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1973, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, पर विचार करने के प्रस्ताव के साथ चर्चा हुई।

1	2	3	4	5
20-9-73	राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत मणिपुर के संबंध में 29 मार्च, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा को 14 सितम्बर, 1973 से 6 महीने की और अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन।	श्री कृष्णचन्द्र पन्त	1-47	स्वीकृत हुआ।
20-9-73 22-9-73	राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उड़ीसा राज्य के संबंध में 3 मार्च, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा को 26 सितम्बर, 1973 से 6 महीने की और अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन।	श्री कृष्ण चन्द्र पंत	3-18	स्वीकृत हुआ।
22-8-73	उड़ीसा सरकार के उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किसी भी समय उधार लेने के लिये 75 करोड़ रुपये की राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन।	डा० के० एस० राव	0-52	स्वीकृत हुआ
		नवां सत्र		
7-12-73 10-12-73 11-12-73	* केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक (संशोधन) अध्यादेश, 1973 (1973 का अध्यादेश संख्या 3) का निरनुमोदन।	श्री एस० एम० बनर्जी	2-50	अस्वीकृत हुआ।
		दसवां सत्र		
6-3-74	चमड़ा, जानवर तथा चमड़े पर निर्यात शुल्क में वृद्धि करते हुए अधिसूचना जी०एस०आर०संख्या 6 (ई०) दिनांक 1 जनवरी, 1974 का अनुमोदन।	श्री के० आर० गणेश	0-19	स्वीकृत हुआ।

* केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1973 पर विचार करने के प्रस्ताव के साथ चर्चा हुई।

1	2	3	4	5
11-3-74	गुजरात राज्य के बारे में 9 फरवरी, 1974 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन।	श्री रामनिवास मिर्धा	6-43	स्वीकृत हुआ
25-3-74 *	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में न्यायिक और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की आवंटित किये गये कृत्यों में परिवर्तन के बारे में शक्ति।	श्री एफ० एच० मोहसिन	0-08	स्वीकृत हुआ।
25-3-74 *	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में न्यायिक और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को आवंटित किये गये कृत्यों में परिवर्तन के बारे में शक्ति।	श्री एफ० एच० मोहसिन		
		ग्यारहवां सत्र		
20-8-74 21-8-74	** कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 7) का निरनुमोदन।	श्री राम रतन शर्मा	—	अस्वीकृत हुआ।
20-8-74 21-8-74	** कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) संशोधन अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 9) का निरनुमोदन।	श्री एस० एम० बनर्जी	3-14	अस्वीकृत हुआ।
21-8-74 22-8-74	ø आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 2) का निरनुमोदन।	श्री जगन्नाथ राव जोशी	4-19	अस्वीकृत हुआ।
27-8-74	øø अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निवेश) अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 8) का निरनुमोदन।	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	6-21	अस्वीकृत हुआ।

* साथ साथ चर्चा हुई।

** कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) विधेयक, 1974 पर विचार करने के प्रस्ताव के साथ चर्चा हुई।

ø आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1974, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, पर विचार करने के प्रस्ताव के साथ चर्चा हुई।

øø अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निवेश) विधेयक, 1974 पर विचार करने के प्रस्ताव के साथ चर्चा हुई।

1	2	3	4	5
27-8-74	* अनिवार्य निक्षेप स्कीम (अधिकार-दाता) अध्यादेश 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 10) का निरनुमोदन।	श्री मधु लिमये	1-135	अस्वीकृत
28-8-74	** उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 6) का निरनुमोदन।	श्री मधु लिमये	2-15	अस्वीकृत हुआ।
28-8-74	*** स्लकोक एसोसिएटेड कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 5) का निरनुमोदन।	श्री मधु लिमये	0-49	अस्वीकृत हुआ।
29-8-74	♂ प्रेस परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 3) का निरनुमोदन।	श्री मधु लिमये	3-00	अस्वीकृत हुआ।
29-8-74 से 30-8-74	♂♂ इंडियन आयर्न एण्ड स्टील कंपनी (प्रबन्ध-ग्रहण) संशोधन अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 4) का निरनुमोदन।	श्री मधु लिमये	2-40	अस्वीकृत हुआ।
6-9-74 7-9-74	राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत गुजरात राज्य के संबंध में 9 फरवरी, 1974 को जारी की गई उद्घोषणा को 11 सितम्बर, 1974 से 6 माह की और अवधि के लिये लागू रखने का अनुमोदन।	श्री रामनिवास मिर्धा	3-02	स्वीकृत हुआ।
		बारहवां सत्र		
25-11-74 से 27-11-74 और 2-12-74	♂♂♂ रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 12) का निरनुमोदन।	श्री मधु लिमये	8-04	अस्वीकृत हुआ।

* अनिवार्य निक्षेप स्कीम (अधिकार दाता) विधेयक, 1974 पर विचार करने के प्रस्ताव के साथ चर्चा हुई।

** उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 1974, राज्य सभा द्वारा पास किये जा में, के विचारार्थ प्रस्ताव के साथ चर्चा हुई।

*** स्लकोक एसोसिएटेड कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) संशोधन विधेयक, 1974, राज्य सभा द्वारा पास किये गये जा में, के विचारार्थ प्रस्ताव के साथ चर्चा हुई।

♂ प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक, 1974, राज्य सभा द्वारा पास किये जा में, के विचारार्थ प्रस्ताव के साथ चर्चा हुई।

♂♂ इंडियन आयर्न एण्ड स्टील कंपनी (प्रबन्ध-ग्रहण) संशोधन विधेयक, 1974, राज्य सभा द्वारा पास किये गये जा में, के विचारार्थ प्रस्ताव

♂♂♂ रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण), विधेयक, 1974 पर विचार करने के प्रस्ताव के साथ चर्चा हुई।

1	2	3	4	5
2.12.74 3.12.74 4.12.74 5.12.74	* आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 अध्यादेश संख्या 11) का निरनुमोदन।	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	6-57	अस्वीकृत हुआ।
12.12.74** 16.12.74	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 13) का निरनुमोदन।	श्री श्यामनन्दन मिश्र	10-39	अस्वीकृत हुआ।
		तेरहवां सत्र		
27.2.75	राष्ट्रपति द्वारा गुजरात के संबंध में 9 फरवरी, 1974 को; श्री के0 ब्रह्मानन्द रेड्डी जारी की गई उद्घोषणा की 11 मार्च, 1975 से 6 महीने की और अवधि के लिए लागू रहने का अनुमोदन।		3-02	स्वीकृत हुआ।
14.3.75*** 17.3.75	न्यास विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 1) का निरनुमोदन।	डा0 लक्ष्मी नारायण पांडेय	1-02	अस्वीकृत हुआ।
18.3.75 ♂	पर्वतीय क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 2) का निरनुमोदन।	श्री जगन्नाथ राव जोशी	0-51	अस्वीकृत हुआ।
20.3.75 ♂♂ 24.3.75	प्रेस परिषद (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 14) का निरनुमोदन।	श्री डा0 लक्ष्मी नारायण पांडेय	3-10	अस्वीकृत हुआ।

* (एक) आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अधीन नजरबन्दी आदेशों के संबंध में न्यायालय में जाने के अधिकार को निलम्बित करने वाले संविधान के अनुच्छेद 359(एक) के अंतर्गत राष्ट्रपतीय आदेश का निरनुमोदन करने संबंधी प्रस्ताव और (दो) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण विधेयक, 1974 के विचारार्थ प्रस्ताव के साथ चर्चा हुई।

** लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1974 के विचारार्थ प्रस्ताव के साथ चर्चा हुई।

*** न्यास विधि (संशोधन) विधेयक, 1975 पर विचार करने के प्रस्ताव के साथ चर्चा हुई।

♂ पर्वतीय क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 1975, राज्य सभा द्वारा पास किये जाने पर विचार करने के प्रस्ताव के साथ चर्चा हुई।

♂♂ प्रेस परिषद विधेयक, 1975, राज्य सभा द्वारा पास किये जाने पर विचार करने के प्रस्ताव के साथ चर्चा हुई।

1	2	3	4	5
25-3-75	* राष्ट्रपति द्वारा नागालैंड राज्य के संबंध में 22 मार्च, 1975 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन।	श्री के0 ब्रह्मानन्द रेड्डी	3-36	स्वीकृत हुआ।
25-3-75	** वायु सेना और थल सेना विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 3) का निरनुमोदन।	श्री राम रतन शर्मा	1-09	स्वीकृत हुआ
25-3-75	गुजरात सरकार के इस प्रस्ताव कि गुजरात राज्य बिजली बोर्ड द्वारा किसी समय लिये जा सकने वाले ऋण की अधिकतम राशि एक सौ पचास करोड़ रुपये निर्धारित की जा सके, का अनुमोदन।	प्रो0 सिद्धेश्वर प्रसाद*	0-30	स्वीकृत
	चौदहवां सत्र			
21-7-75 22-7-75 23-7-75	संविधान के अनुच्छेद 352 (एक) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 25 जून, 1975 को आपात स्थिति की उद्घोषणा तथा संविधान के अनुच्छेद 352(4)(ख) के अंतर्गत राष्ट्रपति के दिनांक 29 जून, 1975 के आदेश का, जिसमें उक्त उद्घोषणा को जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू किया गया, का अनुमोदन।	श्री जगजीवनराम	13-59	स्वीकृत

* वर्ष 1975-76 के नागालैंड राज्य के बजट के बारे में सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगों तथा वर्ष 1974-75 के नागालैंड राज्य के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों के साथ चर्चा हुई।

** वायु सेना और थल सेना विधि (संशोधन) विधेयक, 1975, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में पर विचार करने के प्रस्ताव के साथ चर्चा हुई।

1	2	3	4	5
28-7-75	* दिनांक 22 मार्च, 1975 को नागालैंड के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा की 26 सितम्बर, 1975 से छः महीने की और अवधि के लिये लागू करवाने का अनुमोदन।	श्री के0 ब्रह्मानन्द रेड्डी	0-36	स्वीकृत
29-7-75	राजभाषा सम्बन्धी समिति का गठन।	श्री अमि मैहता	0-11	स्वीकृत
		पन्द्रहवां सत्र		
19-1-76	** आय और धन का स्वैच्छिक प्रकटन अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 15)का निरनुमोदन।	श्री सी0 के0 चन्द्रप्पन	3-58	अस्वीकृत
19-1-76	** आय और धन का स्वैच्छिक प्रकटन (संशोधन)अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 23) का निरनुमोदन।	श्री हरिकृष्ण सेकरा		अस्वीकृत
20-1-76	@ तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 20) का निरनुमोदन।	श्री हरिकृष्ण सेकरा		अस्वीकृत

* नागालैंड राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1975 पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव के साथ विचार किया गया।

** आय और धन का स्वैच्छिक प्रकटन विधेयक, 1976 पर विचार किये जाने के प्रस्ताव के साथ विचार-विमर्श किया गया।

@ तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) विधेयक, 1976 पर विचार किये जाने के प्रस्ताव के साथ विचार-विमर्श किया गया।

1	2	3	4	5
28-1-76 29-1-76	* आवश्यक सामग्री प्रकाशन नियंत्रण अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश सं0 23) का निरनुमोदन।	श्री इब्राहीम सुलैमान सैत	2-56	अस्वीकृत
3-2-76	** मजदूरी संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश सं0 21) का निरनुमोदन।	श्री दीपेन भट्टाचार्य	1-45	अस्वीकृत
3-2-76 4-2-76	*** बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश सं0 11) का निरनुमोदन।	श्री इन्द्रजीत गुप्त	5-41	अस्वीकृत

सौवीं सत्र

9-3-76 10-3-76	तमिलनाडु राज्य के बारे में दिनांक 31 जनवरी, 1976 की राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित उद्घोषणा का अनुमोदन।	श्री के0 ब्रह्मानन्द रेड्डी	6-47	स्वीकृत
11-3-76	नागालैंड के बारे में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 22 मार्च, 1975 की प्रख्यापित उद्घोषणा को 26 मार्च, 1976 से छः महीने की और अवधि तक जारी रखने के प्रस्ताव का अनुमोदन।	श्री के0 ब्रह्मानन्द रेड्डी	1-04	स्वीकृत
18-3-76	मूंगफली की गिरी, मूंगफली और काजू पर निर्यात शुल्क में वृद्धि करने वाले अध्यादेश का अनुमोदन।	श्री प्रणव कुमार मुखर्जी	0-03	स्वीकृत
23-24-3-76	गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1976 की प्रख्यापित उद्घोषणा का अनुमोदन।	श्री के0 ब्रह्मानन्द रेड्डी	1-22	स्वीकृत

* आवश्यक सामग्री प्रकाशन नियंत्रण विधेयक, 1975 पर विचार करने के प्रस्ताव के साथ विचार किया गया।

** मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 1975 पर विचार करने के प्रस्ताव के साथ विचार किया गया।

*** बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार करने के प्रस्ताव के साथ विचार किया गया।

1	2	3	4	5
24-3-76	* नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के (दायित्व, शक्तियां और सेवा की शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 1976 (1976 का अध्यादेश सं0 1) का निरनुमोदन।	श्री दीनेन भट्टाचार्य	2-53	अस्वीकृत
25-3-76	** संघ लोकों का विभागीकरण (कार्मिक अन्तरण) अध्यादेश 1976 (1976 का अध्यादेश सं0 2) का निरनुमोदन।	श्री दीनेन भट्टाचार्य	0-55	अस्वीकृत
12-5-76	चमड़ा, खाल, चमड़ी आदि का निर्यात शुल्क में वृद्धि करने वाली अधिसूचना का अनुमोदन।	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	0-13	स्वीकृत

सत्रहवां सत्र

12-8-76	*** अतिरिक्त सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (1976 का अध्यादेश सं0 5) का निरनुमोदन।	श्री सोमनाथ चटर्जी	6-11	अस्वीकृत
20-8-76	(क) चमड़ा, खाल और चमड़ा आदि का निर्यात शुल्क में वृद्धि करने (ख) पशुओं के बाल पर निर्यात शुल्क लगाने, (ग) 'अफ्रीका' मद के स्थान पर 'निर्मित अफ्रीका सहित अफ्रीका' रखने वाली अधिसूचनाओं का अनुमोदन।	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	0-13	स्वीकृत
20-8-76	नागालैण्ड के बारे में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 22 मार्च, 1975 को प्रख्यापित उद्घोषणा को दिनांक 26 सितम्बर, 1976 से और छः महीने की अवधि के लिये लागू रखने के प्रस्ताव का अनुमोदन।	श्री के0 ब्रह्मानन्द रेड्डी	0-20	स्वीकृत

* नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के (दायित्व, शक्तियां और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1976 पर विचार करने के प्रस्ताव के साथ विचार किया गया।

** संघ लोकों का विभागीकरण (कार्मिक अन्तरण) विधेयक, 1976 पर विचार करने के प्रस्ताव के साथ विचार किया गया।

*** अतिरिक्त सुरक्षा बनाये रखना (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार करने के प्रस्ताव के साथ विचार किया गया।

1	2	3	4	5
20-8-76 23-8-76	तमिलनाडु के बारे में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1976 की प्रख्यापित उद्घोषणा को 10 सितम्बर, 1976 से और छ महीने की अवधि तक लागू रखने का अनुमोदन।	श्री के0 ब्रह्मानन्द रेड्डी	2-28	स्वीकृत
31-8-76 1-9-76	गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1976 की प्रख्यापित उद्घोषणा का 24 सितम्बर, 1976 से छः महीने की अवधि तक लागू रहने का अनुमोदन।	श्री के0 ब्रह्मानन्द रेड्डी	2-43	स्वीकृत
1-9-76	तमिलनाडु सहकारी राज्य भूमि विकास बैंक लिमिटेड द्वारा जारी किये गये रुपया पत्रों के बारे में तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई गारंटी की अधिकतम राशि को बढ़ाने का तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव के साथ सहमति।	श्री शाहनवाज खां	0-02	स्वीकृत

अठारहवां सत्र

कोई नहीं

शून्य

1	2	3	4	5
		(ब) गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प		
		पहला सत्र		
26-3-71 2-4-71	पश्चिम बंगाल से केन्द्रीय बलों को वापिस बुलाया जाना।	श्री ज्योतिर्मय बसु	3-24	अस्वीकृत
2-4-71	संविधान का आयोग	श्री मुहम्मद इलियास	0-1	चर्चा पूरी नहीं हुई।
		दूसरा सत्र		
4-6-71 18-6-71	संविधान का आयोग	श्री मुहम्मद इलियास	3-27 (पहले सत्र में लिए गये एक मिनट को जोड़कर)	अस्वीकृत
18-6-71 2-7-71	बांग्लादेश की मान्यता	श्री समर गुहा	3-50	2-7-71 को स्वीकृत हुए प्रस्ताव पर चर्चा अनिश्चित समय के लिए स्थगित की गई।
2-7-71 16-7-71	इन्दौचायना के देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों का समर्थन तथा दक्षिण वियतनाम तथा अन्य राष्ट्रों को मान्यता देना।	श्री ए0 के0 गोपालन	1-40	अस्वीकृत
16-7-71 30-7-71	संविधान संशोधन विधेयकों के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान।	श्री शशि भूषण	1-33	वापस लिया गया।
30-7-71	बन्द पड़े औद्योगिक एककों को सरकारी उद्यमों के रूप में लिया जाना।	श्री गदाधर साहा	1-53	चर्चा पूरी नहीं हुई।

1	2	3	4	5
		पांचवां सत्र		
11-8-72	अनुपूरक प्रतिभूति अध्यादेश	श्री विभूति मिश्र	1-08 (चौथे सत्र के में लिए गये समय को जोड़कर)	वापस लिया गया।
11-8-72 25-8-72	पश्चिम बंगाल में आर्थिक स्थिरता की समस्याएं	श्री इन्द्रजीत गुप्ता	3-34	वापस लिया गया।
25-8-72	बेरोजगारी की समस्या	श्रीमती माया राय	0-18	चर्चा पूरी नहीं हुई
		छठा सत्र		
24-11-72	बेरोजगारी की समस्या	श्रीमती माया राय	4-05 (पांचवें सत्र में लिये गये समय के अतिरिक्त)	वापस लिया गया।
8-12-72	भूमि सुधार	श्री ए० के० गोपालन	0-55	चर्चा पूरी नहीं हुई।
		सातवां सत्र		
2-3-73	भूमि सुधार	श्री ए० के० गोपालन	2-12 (छठे सत्र में लिए गये समयोक्त समय के अतिरिक्त)	संशोधित रूप में अस्वीकृत
2-3-73 16-3-73 3-05-73	बिजली तेल की कमियां तथा अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण।	श्री एच० एन० मुकर्जी	3-40	अस्वीकृत।
30-3-73 27-4-73	राज्य सभा को समाप्त किया जाना।	श्री विभूति मिश्र	2-20	वापस लिया गया।
27-4-73 11-5-73	पूर्वी क्षेत्र विशेषकर उड़ीसा का औद्योगिक विकास	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	3-15	वापस लिया गया।
11-5-73	ग्रामीण जनसंख्या की सेवा हेतु किसान-डाक्टर योजना।	डा० जी० एस० मेस्कोटे	0-3	चर्चा समाप्त नहीं हुई।

1	2	3	4	5
		आठवां सत्र		
3-9-73	ग्रामीण जनसंख्या की सेवा हेतु किसान-डाक्टर योजना	डा० जी०एस०भोकोटे	1-53 (सातवें सत्र में लिये गये समय को निकालकर)	वापस लिया गया।
3-9-73 17-9-73	देश में समाचार पत्रों और समाचार एजेन्सियों के स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण।	श्री एच० एन० मुखर्जी	3-30	अस्वीकृत किया गया।
17-9-73 31-9-73	वर्तमान लोक सभा को संविधान सभा के रूप में घोषित किया जाय।	श्री विभूति मिश्र	2-45	वापस लिया गया।
31-8-73	ऐसी परम्परा की स्थापना कि सरकार की कब त्यागपत्र देना चाहिए।	श्री श्यामनन्दन मिश्र	0-01	चर्चा समाप्त नहीं हुई।
		नौवां सत्र		
23-11-73	ऐसी परम्परा की स्थापना कि सरकार को कब त्यागपत्र देना चाहिए।	श्री श्यामनन्दन मिश्र	2-35 (आठवें सत्र में लिये गये समय को जोड़कर)	अस्वीकृत किया गया।
23-11-73 7-12-73	संसद में सामूहिक सुरक्षा	श्री डी० के० पंडा	0-35	वाद-विवाद स्थगित किया गया।
7-12-73	कुछ वस्तुओं के लिए भाड़ा दरों में समानता और नकद प्रीपेमेन्ट।	श्री डी० के० दास चौधरी	1-50	वापस लिया गया।
7-12-73 21-12-73	श्रमिकों के लिए आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी।	श्री डी० सरदेसाई राय	2-39	अस्वीकृत किया गया।
21-12-73	स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	0-01	चर्चा समाप्त नहीं हुई।
		दसवां सत्र		
1-3-74 15-3-74	स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	3-12 (नौवें सत्र में लिये गये समय को जोड़कर)	अस्वीकृत किया गया

1	2	3	4	5
15-3-74 29-3-74 11-4-74 26-4-74 10-5-74	मुद्रा और कृषि उत्पादन के बारे में नीति	श्री मधु लिमये	8-19	अस्वीकृत किया गया
10-5-74	वर्तमान लोक सभा का विघटन और लोक सभा के लिए नये चुनाव कराने के लिए एक सर्वदलीय कार्यवाहक सरकार की स्थापना।	श्री समर गुहा	0-13	चर्चा समाप्त नहीं हुई।
		11 वां सत्र		
2-8-74	वर्तमान लोक सभा का विघटन और लोक सभा के लिए नये चुनाव कराने के लिए एक सर्वदलीय कार्यवाहक सरकार की स्थापना।	श्री समर गुहा	3-14 (दसवें सत्र में लिये गये समय को जोड़कर)	अस्वीकृत किया गया।
2-8-74 16-8-74 30-8-74	रोजगार के अवसर जुटाना, न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण और उसकी प्रभावी ढंग से क्रियान्विति, खाद्य और अत्यावश्यक वस्तुओं की उचित दर पर सप्लाई और कृषि मजदूरों की दशा सुधारने के लिए प्रभावी भूमि-सुधार।	श्री गदाधर साहा	4-29	संशोधित रूप में स्वीकृत किया गया।
30-8-74	सरकार की मजदूरी वृद्धि पर रोक की नीति का निरनुमोदन।	श्री डी0 के0 पंडा	1-27	अस्वीकृत किया गया।
30-8-74	देश में फासिस्टवाद के प्रसार को रोकने की सिफारिशें करने के लिये एक संसदीय समिति का गठन।	श्री श्यामनन्दन मिश्र	0-01	चर्चा समाप्त नहीं हुई।
		12 वां सत्र		
6-12-74	देश में फासिस्टवाद के प्रसार को रोकने की सिफारिशें करने के लिये एक संसदीय समिति का गठन।	श्री श्यामनन्दन मिश्र	0-01 (ग्यारहवें सत्र में लिये गये समय को जोड़कर)	चर्चा समाप्त नहीं हुई।

1	2	3	4	5
		13 वां सत्र		
29-2-75 14-3-75 26-3-75	देश में फासिस्टवाद के प्रसार को रोकने की सिफारिशें करने के लिये एक संसदीय समिति का गठन।	श्री श्यामनन्दन मिश्र	7-01 (ग्यारहवें और बारहवें सत्रों में लिये गये समय को छोड़कर)	संशोधित रूप में स्वीकृत किया गया।
26-3-75 11-4-75 25-4-75	संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1975 को "अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष" घोषित किये जाने के उपलक्ष में भारतीय महिलाओं के प्रति हो रहे सामाजिक एवं सामाजिक अन्यायों, भेदभाव और अयोग्यताओं को समाप्त करने के लिए विशिष्ट निधायी एवं प्रशासनिक उपाय करने का व्यापक कार्यक्रम शुरू करना।	श्री इन्द्रजीत गुप्त	5-41	संशोधित रूप में स्वीकृत
11-4-75 25-4-75 9-5-75	'नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के गायब होने की घटनाओं की जांच करने वाले एक सदस्यीय आयोग' के प्रतिवेदन में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पर की गई टिप्पणियों की निन्दा करना।	श्री समर गुह	2-32	चर्चा समाप्त नहीं हुई।
		14 वां सत्र		
		~~कुछ नहीं।~~ शून्य		
		15 वां सत्र		
16-1-76	'नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के गायब होने की घटनाओं की जांच करने वाले एक सदस्यीय आयोग' के प्रतिवेदन में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पर की गई टिप्पणियों की निन्दा करना।	श्री समर गुह	0-16 (तेरहवें सत्र में लिये गये समय को छोड़कर)	अस्वीकृत किया गया।

1	2	3	4	5
16-1-76 3 0-1-76	बीस सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए आवश्यक कार्यवाही।	श्री विभूति मिश्र	4-42	सभा की अनुमति से वापस लिया गया।
30-1-76	संविधान की प्रस्तावना और राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्धान्तों को में निहित सिद्धान्तों को सार्थक क्रियान्विति के लिये संवैधानिक संशोधनों का आरम्भ किया जाना।	श्री के0 पी0 उन्नीकृष्णन	0-02	चर्चा पूरी नहीं हुई।
		सातवां सत्र		
19-3-76 2-4-76	संविधान की प्रस्तावना और राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्धान्तों में निहित सिद्धान्तों को सार्थक क्रियान्विति के लिये संवैधानिक संशोधनों का आरम्भ किया जाना।	श्री के0 पी0 उन्नीकृष्णन	5-39 (पन्द्रहवें सत्र के दौरान लगे समय के अतिरिक्त)	सभा की अनुमति से वापस लिया गया।
2-4-76 15-4-76 30-4-76	बहुराष्ट्रीय निगमों की विध्वंसात्मक और भ्रष्ट गतिविधियों पर चर्चा।	श्री एच0 एन0 मुकर्जी	5-00	अस्वीकृत हुआ।
30-4-76 14-5-76	संविधान के अधीन प्रदत्त स्वतंत्रता की पुनः बहाली करना।	श्री एस0 के0 पोपालन	2-06	अस्वीकृत हुआ।
14-5-76	राष्ट्रीय वन नीति	श्री पी0 के0 देव	0-23	चर्चा पूरी नहीं हुई।
		सुबहवां सत्र		
20-8-76	राष्ट्रीय वन नीति	श्री पी0 के0 देव	2-03	सभा की अनुमति से वापस लिया गया।
20-8-76	मुसलमानों के कमजोर वर्गों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था।	श्री सी0 के0 चन्द्रप्पन	0-27	चर्चा समाप्त नहीं हुई।
		अठासीवां सत्र		

शेष

:: ::

7

वक्तव्य / पटल पर रखे गए पत्र

मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्य

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों के संबंध में सभा को जानकारी देने के लिए या तात्कालिक महत्व के किसी विषय के संबंध में सरकार की नीति बताने के लिए, मंत्री समय समय पर अध्यक्ष की सहमति से सभा में वक्तव्य दे सकता है।

सामान्यतया किसी मंत्री द्वारा वक्तव्य दिए जाने के बाद कोई प्रश्न की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि सभा के सामने कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं होता जिस पर सभा वाद-विवाद कर सके।

इस परिपाटी का अनुसरण किया जा रहा है कि गंभीर महत्व घटनाओं के संबंध में मंत्री अपने आप संसद में वक्तव्य दें। इसका उद्देश्य यह है कि सभा को ऐसी घटनाओं की जानकारी शीघ्रातिशीघ्र दी जाये। यह भी परिपाटी है कि जब सभा का सत्र हो रहा हो तो नीति संबंधी वक्तव्य पहले सभा में दिए जायें और उसके बाद उनकी सूचना समाचार पत्रों या जनता को दी जाये।

पांचवी लोक सभा के कार्यकाल में मंत्रियों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण वक्तव्यों का विवरण संलग्न 25 में दिया गया है।

सभापटल पर रखे गये पत्र

संसदीय शब्दावली में 'सभापटल पर रखे गये पत्र' उन दस्तावेजों, वक्तव्यों, रिपोर्टों, नियमों तथा उपनियमों, सरकारी अधिसूचनाओं आदि के बारे में प्रयुक्त होता है जो रिकार्ड में रखने के लिए सभापटल पर रखे

गये थे। इसका उद्देश्य यह होता है कि संसद को प्रामाणिक तथ्य तथा जानकारी उपलब्ध कराई जाये जिससे सभा में विभिन्न मामलों पर चर्चा के लिए आधार तैयार हो सके।

यद्यपि सभा को अधिकार है कि उन सभी पत्रों को सभा के समक्ष रखे जाने के आदेश दे जो इसकी जानकारी के लिए आवश्यक हों किन्तु सामान्यतः संविधान के विशिष्ट उपबन्धों, विभिन्न केन्द्रीय संविधियों, सभा की प्रक्रिया नियमों, समय समय पर अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों, तथा उनके द्वारा निर्धारित प्रथाओं तथा संसदीय समितियों की सिफारिशों के अनुसरण में रखे जाते हैं।

सविधान के अधीन पटल पर रखे गये पत्र

सांविधानिक उपबन्धों के अनुसरण में निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखे गये :-

(एक) आय व्ययक तथा उससे संबंधित दस्तावेज (अनुच्छेद 112)

(दो) अनुपूरक तथा अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (अनुच्छेद 115)

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश (अनुच्छेद 123)

(चार) नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (अनुच्छेद 151)

(पांच) वित्त आयोग की रिपोर्ट (अनुच्छेद 281)

(छः) संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट (अनुच्छेद 323)

(सात) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विशेष अधिकारी की रिपोर्ट (अनुच्छेद 338)

(आठ) पिछड़े वर्गों का आयोग (अनुच्छेद 340)

(नौ) भाषायी अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी की रिपोर्ट (अनुच्छेद 350 ख)

(दस) आपातकाल की उद्घोषणा (अनुच्छेद 352)

(ग्यारह) राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में उद्घोषणा (अनुच्छेद 356)

(बारह) अनुच्छेद 359 के अधीन जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश।

(तेरह) वित्तीय आपातकाल के बारे में उद्घोषणा (अनुच्छेद 360)

प्रतिभूतियों के अधीन सभा पटल पर रखे गये पत्र

विभिन्न संविधियों के अधीन निम्नलिखित पत्र पटल पर रखे गये :-

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन अथवा संसद के विशिष्ट अधिनियमों के अधीन बनाये गये सरकारी उपक्रमों के संबंध में वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

(दो) सरकारी उपक्रमों के अतिरिक्त संसद के विशिष्ट अधिनियमों के अधीन बनाये गये सांविधिक निकायों की रिपोर्ट।

(तीन) प्रत्यायोजित विधान की शक्ति के अनुसरण में सरकार द्वारा बनाये गये नियम, उपनियम, विनियम, उपविधियां।

(चार) विभिन्न केन्द्रीय संविधियों के अधीन जारी किए गए सरकारी संकल्प, संविधिक अथवा कार्यकारी आदेश, अथवा कोई पत्र।

प्रक्रिया नियमों के अधीन पटल पर रखे गये पत्र

लोक सभा के कार्य संचालन तथा प्रक्रिया नियमों के अधीन निम्नलिखित पत्र पटल पर रखे गये :-

(एक) विधेयकों पर प्रवर तथा संयुक्त समितियों के प्रतिवेदन।

(दो) स्थायी संसदीय समितियों के प्रतिवेदन।

(तीन) याचिकाएं।

(चार) अध्यादेशों के बारे में वक्तव्य।

(पांच) दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत संविधियों के अनुसरण में उस पर बनाये नियम, विनियम आदि।

-: • :-

(ङ) राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में वापस भेजे गए विधेयकों समेत राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक।

(सात) पुनर्विचार के लिये राष्ट्रपति द्वारा वापस भेजे गए विधेयक।

(आठ) तारांकित प्रश्नों, जो मौखिक उत्तर के लिए नहीं आ पाये, अथवा अतारांकित प्रश्नों के उत्तर।

अध्यक्ष के निर्देशों के अधीन पटल पर रखे गये पत्र

अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में निम्नलिखित पत्र पटल पर रखे जाते हैं:

(एक) आधे घंटे की चर्चा के उत्तर में मंत्रियों द्वारा वक्तव्य जबकि इस प्रयोजन के लिए नियत समय में पूरा उत्तर नहीं दिया जा सका।

(दो) जनता की राय जानने के लिए परिचालित विधेयकों पर सम्मतियां।

(तीन) राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयक।

(चार) ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के उत्तर में वक्तव्य जबकि सत्र के अन्तिम दिन एक से अधिक सूचनायें ग्रहण की गई।

(पांच) स्थायी संसदीय समितियों के कार्यवाही सारांश।

(छ) पूरा अथवा संयुक्त समिति के प्रतिवेदनों से संबंधित दस्तावेज।

संसदीय समिति की सिफारिश पर पटल पर रखे गये पत्र:

संसदीय समितियां कभी कभी सभा में पेश की गई अपनी रिपोर्टों में सिफारिश करती हैं कि कुछ दस्तावेज, रिपोर्ट, व्याख्यात्मक ज्ञापन आदि सभा के समक्ष रखे जाने चाहिए। ऐसी सिफारिशों के अनुसरण में संगत पत्र सभापटल पर रख दिए जाते हैं।

एक गैर सरकारी सदस्य भी अध्यक्ष की अनुमति से सभापटल पर पत्र रख सकता है। जब गैर सरकारी सदस्य किसी दस्तावेज से उद्धरण देता है तो वह स्वयं अथवा सभा से मांग होने पर उसको सभापटल पर रख सकता है। विशेषाधिकार के संबंध में आरोपों को सिद्ध करने के लिए गैर सरकारी सदस्य से दस्तावेजों को पटल पर रखने की आज्ञा की जा सकती है।

पृथिवी लोक सभा में सभापटल पर 12,349 पत्र रखे गये। पार्थिवी लोक सभा के सत्रों में पटल पर रखे गये विभिन्न श्रेणियों के पत्रों की संख्या दिखाने वाला विवरण [illegible] 26 है।

25

पन्द्रहवीं लोक सभा में मंत्रियों द्वारा नियम 372 के अधीन दिये गये महत्वपूर्ण वक्तव्य।

(सत्र-वार व्यवस्थित)

सत्र संख्या	वक्तव्य देने वाले मंत्री का नाम	वक्तव्य का विषय	वक्तव्य की तारीख	कितना समय लगा
1	2	3	4	5
पहला	डा0 कर्ण सिंह	25-3-71 को नई दिल्ली स्थित इंडियन स्पोर्टलाइन्स के होगा में दुर्घटना।	26-3-71	घण्टे मिनट 0 - 06
	सरदार स्वर्ण सिंह	पाकिस्तान में हुई घटनाएं	27-3-71	1 - 23
	डा0(श्रीमती) सरोजिनी महिषी	मैसर्स जगतराम कंपनी के हवाई विमान का लापता हो जाना।	27-3-71	0 - 05
	श्री अन्नासाहेब पी0 शिन्दे	चीनी मिलों द्वारा उत्पादकों को देय गन्ने के मूल्य की बकाया राशि।	31-3-71	0 - 08
	श्री राजबहादुर	* मैसर्स जगतराम कंपनी के खोये हुए विमान के मलबे का देखा जाना।	1-4-71	0 - 05
	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी द्वारा निकाले गये जलूस के सम्बन्ध में 6-4-70 को दिल्ली में हुई घटनाओं की जांच करने के लिये नियुक्त आयोग के निष्कर्ष।	2-4-71	0 - 02
दूसरा	श्रीमती इन्दिरा गांधी	बंगलादेश की स्थिति	24-5-71	0 - 10
	श्री फखरुद्दीन अली अहमद	चीनी सम्बन्धी नीति	25-5-71	0 - 08

* पर्यटन और नागर विमानन मंत्री की ओर से संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया गया।

1	2	3	4	5
	श्री के० हनुमन्तैया	* 24/25 मई, 1971 की रात को 390 डाउन पटना - मोकामेह यात्री गाड़ी में डकैती तथा हत्या।	28-5-71	-
	श्री ललित नारायण मिश्र	बिहार में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की सरकार द्वारा विदेश व्यापार मंत्री के विरुद्ध एक सदस्यीय जांच आयोग की नियुक्ति।	2-6-71	0-11
	श्री के० हनुमन्तैया	* 5-6-1971 को पटरानी रेलवे के गोंडा स्टेशन पर दो गाड़ियों में टक्कर।	7-6-71	-
	श्री एस० मोहन कुमार मंगलम	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के निदेशक बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति।	14-6-71	0-04
	श्री आर० के० आडिलकर	* संयुक्त राष्ट्र के हाई कमिश्नर फार रिफ्यूजीज द्वारा सदस्यदेशों की यात्रा।	18-6-71	0-01
	श्री के० हनुमन्तैया	* 22-6-71 को उत्तर रेलवे के वाराणसी स्टेशन पर एक रेलगाड़ी और शंटिंग इंजन के बीच टक्कर।	23-6-71	-
	सरदार स्वर्णसिंह	विदेश मंत्री द्वारा कुछ देशों की यात्रा।	25-6-71	0-25
**	श्री रामबहादुर	हिमाचल प्रदेश के चम्बा स्थित हरि राय मंदिर से चुराई गई विष्णु की मूर्ति का बरामद होना।	25-6-71	0-01
	श्रीमती इन्दिरा गांधी	पश्चिम बंगाल की समस्याओं से निपटने के लिये मंत्रिमंडल के छोटे से मंत्री का बिना विभाग के मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाना।	29-6-71	0-01

* वक्तव्य सभा-पटल पर रखे गये।

** शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री की ओर से संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया।

1	2	3	4	5
	श्री आर० के० खाडिलकर	* मेघालय स्थित शिविरों में बंगलादेश के शरणार्थियों की दशा।	25-11-71	0-01
	श्री एस० मोहन कुमारमंगलम	* राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्टील मैल्टिंग शाप की छत का निर्माण कार्य पूरा होना।	29-11-71	0-03
	श्री के० हनुमन्तैया	* 29-11-71 को दक्षिणपूर्व रेलवे के खरगपुर और भुवनेश्वर स्टेशनों के बीच पुरी-हावड़ा एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना।	30-11-71	0-01
	श्री मोहम्मद इक चौधरी	उत्तरपाड़ा स्थित हिन्दुस्तान मोटर फैक्टरी में कारों के उत्पादन के लिए कच्चे माल और मशीनरी की दशा और उनका पुस्तक-मूल्य।	3-12-71	-
	श्रीमती इन्दिरा गांधी	भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति।	4-12-1971	0-05
	श्री जगजीवन राम	भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण से संबंधित नवीनतम स्थिति।	4-12-71	0-08
	श्रीमती इन्दिरा गांधी	नव मुक्तिदाता बंगलादेश की भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान किया जाना।	6-12-71	0-27
	श्री जगजीवन राम	भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण से संबंधित नवीनतम स्थिति।	7-12-71	0-10
	श्री फूलचन्द्र वी० एन०	मिट्टी का तेल	9-12-71	0-05
	श्री जगजीवन राम	भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण के बारे में नवीनतम स्थिति।	9-12-71	0-12

* विवरण सभा पटल पर रखा गया।

1	2	3	4	5
डा	डा० कार्सिंह	* 9-12-71 को मदुरै के निकट इंडियन एयरलाइन्स के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना।	10-12-71	0-03
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	रक्षा प्रयासों के लिये अधिकतम संसाधन जुटाने का सुनिश्चय करने के लिये किये गये अतिरिक्त उपाय।	13-12-71	0-14
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त अन्तरिम राहत।	13-12-71	0-03
	श्री फखरुद्दीन अली अहमद	बर्मा सम्बन्धी नीति	13-12-71	0-02
	श्री जगजीवन राम	भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण की संबंधित नवीनतम स्थिति।	14&15-12-71	0-19
	श्रीमती इन्दिरा गांधी	बंगलादेश में पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा 16-12-71 को बिना शर्त आत्म समर्पण।	16-12-71	0-05
	श्री एच० आर० गोखले	संविधान (25 वां संशोधन) विधेयक, 1971	17-12-71	0-01
	श्रीमती इन्दिरा गांधी	भारत द्वारा पश्चिमी सेक्टर के सभी मोर्चों पर 17-12-71 के रात्रि 8 बजे से युद्ध-कार्यवाही बन्द कर देने का निर्णय।	17-12-71	0-05
	श्रीमती इन्दिरा गांधी	अपंग हुए मृतमूर्ख सैनिकों की तथा युद्ध में मारे गये सैनिकों के परिवारों के पुनर्वास के लिये सरकार द्वारा प्रस्तावित कदम।	18-12-71	0-07
	श्री जगजीवन राम	भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण के फलस्वरूप हुए सैनिक संघर्ष से निकले निष्कर्षों की समीक्षा।	18-12-71	0-17

* विवरण सभापटल पर रखा गया था।

1	2	3	4	5
	श्री यशवन्त राव चव्हाण	न्यायाधीशों का वेतन	21-12-71	0-05
	श्री सी० सुब्रह्मण्यम्	चौथी पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि अवलोकन।	21-12-71	0-10
	श्री एम० गोविन्द मेनन	मिट्टी का तेल	22-12-71	0-01
चौथा	श्रीमती इन्दिरा गांधी	प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा	20-3-72	0-02
	प्रो० एस० नूरुल हसन	* भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में हड़ताल।	28-3-72	-
	श्री एस० एन० मिश्र	भारत और बांग्लादेश के बीच 28 मार्च, 1972 को सम्पन्न हुआ व्यापार-करार।	29-3-72	0-04
	श्री बैजनाथ कुरील	* सिंचाई आयोग का प्रतिवेदन।	5-4-72	0-02
	श्री के० हनुमन्तैया	अप्रैल, 1972 की पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में हड़ताल।	6-4-72	0-05
	श्री एच० आर० गोखले	कोयले से संचालित कारखानों में आग।	10-4-72	0-03
	श्री फखरुद्दीन अली अहमद	* कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा से छूट देने पर विचार करने के बारे में 14-4-72 को मुख्य मंत्रियों की बैठक।	17-4-72	-
	श्री फखरुद्दीन अली अहमद	1972-73 के विपणन मौसम के लिये गेहूं संबंधी मूल्य-नीति।	17-4-72	0-01
	श्री एच० एन० बहुगुणा	* भारत-बांग्लादेश व्यापार करार।	19-4-72	-
	श्री अन्ना साहेब पी० शिन्दे	* सोवियत संघ के साथ सहयोग के प्रस्तावित प्रकल्पों सहित गहन समुद्र में मछली पकड़ने के विकास के लिये प्रबंध।	26-4-72	0-01

* विवरण सभापटल पर रखे गये।

1	2	3	4	5
	श्री फखरुद्दीन अली अहमद	* देश में सूखे की स्थिति	1-9-72	0-02
	प्रो० शेर सिंह	बीजों की वर्तमान स्थिति।	9-9-72	0-10
	श्री कृष्ण चन्द्र पंत	नागालैंड के मुख्य मंत्री की हत्या का प्रयास	10-9-72	0-02
	श्री सुन्दर लाल सिंह	उत्तराखंड में रहस्यमय व्यक्ति	11-9-72	0-04
	श्री कृष्णचन्द्र पन्त	रावतभाटा स्थित राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के पहली इकाई का चालू होना।	11-9-72	0-02
	डा० कर्ण सिंह	11-9-72 को इंडियन एयरलाइन्स फोकर फ्रेंडशिप विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना।	16-9-72	0-05
	श्री फखरुद्दीन अली अहमद	बीजों तथा खाद की नीति।	29-9-72	0-10
	सरदार स्वर्ण सिंह	भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की 25 अगस्त ~~1972~~ से 29 अगस्त, 1972 तक नई दिल्ली में बैठक।	30-9-72	0-06
	श्री कृष्ण चन्द्र पंत	नागा राष्ट्रीय परिषद और कतिपय अन्य एसोसिएशनों को गैरकानूनी करार दिया जाना।	1-9-72	0-03
	श्री फखरुद्दीन अली अहमद	* देश में सूखे की स्थिति।	2-9-72	0-05
	श्री कृष्ण चन्द्र पंत	29-6-72 को अलसनमोड़ रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारी और पुलिस द्वारा अजीत कुमार साहा, संसद सदस्य को रोका जाना तथा उसके साथ दुर्व्यवहार।	2-9-72	0-20

* विवरण सभापटल पर रखे गये।

1	2	3	4	5
	सरदार स्वर्णसिंह	उगांडा में एशियाई व्यक्ति	4-9-72	0-36
ढका	श्री यशवन्तराव चव्हाण	* मृत्य स्थिति	13-11-72	0-01
	श्री फखरुद्दीन अली अहमद	* देश में खाद्य की स्थिति	14-11-72	-
	श्री फखरुद्दीन अली अहमद	* कृषि उत्पादन कार्यक्रम	14-11-72	-
	श्री कृष्ण चन्द पन्त	14-11-72 को दिल्ली में किंग्जवे कैंप में हुई घटनाएं।	15-11-72	0-22
	श्रीमती इन्दिरा गांधी	मुकी निधियों का मामला	27-11-72	0-07
	सरदार स्वर्ण सिंह	युद्ध बंदियों की रिहाई	27-11-72	0-01
	श्री उमाशंकर दीक्षित	फरीदाबाद स्थित गुरु गोविन्द सिंह मेडिकल कालेज।	30-11-72	0-12
	श्री टी० ए० पाई	2 और 3 दिसम्बर, 1972 को क्रमशः नई दिल्ली हैदराबाद दक्षिण एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस का दुर्घटनाग्रस्त होना।	4-12-72	0-04
	श्री कृष्ण चन्द पंत	6-12-72 को दिल्ली विश्वविद्यालय में हुए घटनाएं।	7-12-72	0-12
	श्री यशवन्त राव चव्हाण	होटल क्वीन आफ इंडिया, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली के दुर्भाग्यपूर्ण अग्निकांड में श्री एच० पी० मल्होत्रा की मृत्यु।	12-12-72	0-06
	सरदार स्वर्णसिंह	जम्मू तथा कश्मीर में अधिकार-सीमारेखा को अंतिम रूप दिया जाना।	12-12-72	0-05
	श्री कृष्ण चन्द पंत	* आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के सलेमी और मोनारी गांवों की घटनाएं।	15-12-72	0-08

* विवरण सभा पटल पर रखे गये।

1	2	3	4	5
	श्री के0वी0राघुनाथ रेड्डी	20-3-73 को समाचारपत्र कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	21-3-73	0-04
	श्री आर0 के0 आहलूवालिया	गुरु गोविन्द सिंह मेडीकल कालेज, फरीदाबाद	22-3-73	0-11
	श्री के0 वी0 रघुनाथ रेड्डी	19-3-73 को नुनहेम जीलपुर कोयला खान में हुई दुर्घटना की न्यायिक जांच की नियुक्ति।	23-3-73	0-01
	श्री दलबीर सिंह	मध्य प्रदेश के रीवां क्षेत्र में डीजल तेल की सप्लाई की स्थिति।	27-3-73	0-03
	डा0 कर्ण सिंह	'एवरी' के मनोनयन के लिये एक मनोनयन दल की नियुक्ति।	27-3-73	0-01
	श्री आर0 के0 आहलूवालिया	दिल्ली के अस्पतालों में 31-3-73 से इंटर्न डाक्टर, हाउस सर्जनों, रजिस्ट्रारों और स्नातकोत्तर डाक्टरों द्वारा हड़ताल की धमकी।	30-3-73	0-29
	श्री फखरुद्दीन अली अहमद	विदेशों से मांसलो की खरीद	2-4-73	0-01
	श्री वाई0 बी0 चव्हाण	* मार्च, 1973 में वाशिंगटन में हुई 'ग्रुप आफ टूवेंटी' की बैठक में चर्चा।	6-4-73	0-01
	श्री सुन्दर पाल सिंह	सिक्किम की स्थिति	9-4-73	0-02
	श्री देवकान्त बरुआ	* तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तेल क्षेत्रों से भूवान और अहमदाबाद विद्युत संयंत्रों को 'रेजिडुअल' ईंधन तेल की सप्लाई की स्थिति।	17-4-73	0-03
	डा0 के0 एल0 राव	दिल्ली में बिजली सप्लाई व्यवधित होना।	25-4-73	0-09

* विवरण सभा पटल पर रखी गयी।

क्र०	1	2	3	4	5
		श्री आर० के० खांडेलवाल	गुरु गोविन्द सिंह मेडिकल कालेज, फरीदाबाद	27-4-73	0-06
		श्री आर० के० गुजराल	* समाचारपत्र उद्योग के आर्थिक पहलुओं के बारे में तथ्यों का पता लगाने वाली समिति।	27-4-73	0-01
		डा० कर्ण सिंह	30-4-73 को चेयरमैन के कैन्टीन इवार्ड अदृश्य पर स्थान इण्डिया कारगो टर्मिनल में कुछ बन्दूक धारियों का प्रवेश तथा 1-5-73 को काकुन में इण्डियन एयर लाइंस के कार्यालय के प्रबन्धक पर कुछ बन्दूकधारियों द्वारा हमला।	3-5-73	0-04
		श्री अन्नासाहिब पी० शिंदे	मई, 1973 के लिये देश के विभिन्न राज्यों को खाद्यान्न की सप्लाई।	3-5-73	0-01
		श्री डी० आर० मंगलानी वकालत	नेशनल [illegible] कार्पोरेशन लिमिटेड	10-5-73	0-20
		श्री फखरुद्दीन अली अहमद	चीनी जांच समिति का प्रतिवेदन।	16-5-73	0-01
	आठवां	श्री एस० एन० मिश्र	* पश्चिम रेलवे पर दिनांक 31-5-73 को गोरेगांव और मलाड स्टेशनों के बीच स्थानीय ट्रेनों में टक्कर।	23-7-73	0-01
		श्री मोहम्मद यामीन कुरैशी	27-7-73 को पूर्व रेलवे के मथुरा स्टेशन पर हावड़ा अमृतसर मेल और साउथ बिहार एक्सप्रेस में टक्कर।	27-7-73	0-01
		श्री सुन्दरलाल सिंह	भारत-बंगलादेश संयुक्त घोषणा के बारे में राजधानियों में वार्ता।	2-8-73	0-09
		श्री फखरुद्दीन अली अहमद	पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में सूखे की स्थिति।	2-8-73	0-06
		श्री एस० एन० मिश्र	रेलवे में हड़ताल की स्थिति	3-8-73	0-26
		प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	* सूती धागे पर सांविधिक नियंत्रण	8-8-73	-
		श्री बालगोविन्द वर्मा	* उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति	8-8-73	0-01

* उत्तर सभापटल पर रखे गये थे।

1	2	3	4	5
	श्री एस० एन० मिश्र	लोको रनिंग स्टाफ द्वारा हड़ताल वापस लेना	13-8-73	0-07
	श्री ए० के० आहितकर	दिल्ली के अस्पतालों में नर्सों द्वारा हड़ताल	17-8-73	0-19
	श्री देवकान्त बरुआ	* कुछ पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि	29-8-73	--
	श्री आर० के० आहितकर	गुरु गोविन्द सिंह मेडिकल कालेज, फरीदाबाद	29-8-73	0-19
	सरदार स्वर्ण सिंह	भारत और पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधियों के बीच 13 अगस्त से 23 अगस्त, 1973 तक नई दिल्ली में हुई वार्ता।	29-8-73	0-04
	श्री वार्ष्णेय	तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय।	30-8-73	0-05
	श्री अब्दासाहिब पी० शिन्दे	* इन्दौर और भोपाल में कथित आदेश दंगे।	31-8-73	--
	श्री फखरुद्दीन अली अहमद	चावल के थोक व्यापार का सरकारीकरण।	3-9-73	0-02
	श्री राज बहादुर	* कोचीन के समुद्र-तट पर यात्री नौवहन सेवाओं का पुनः चालू किया जाना।	4-9-73	--
	श्री वार्ष्णेय	* केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते की अदायगी का प्रश्न।	5-9-73	--
	श्री अब्दासाहिब पी० शिन्दे	* उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों को गेहूं के आवंटन की मात्रा में कमी करने का सरकार का निर्णय।	5-9-73	--
	श्री अब्दासाहिब पी० शिन्दे	* चीनी में आदेशों की अत्यधिक कमी।	5-9-73	--
	श्री आर० के० आहितकर	डाक्टरों की हड़ताल	5-9-73	--

* वक्तव्य सभा-पटल पर रखे गये थे।

क्र.	1	2	3	4	5
नवां		श्रीमती इन्दिरा गांधी	लोक सभा के अध्यक्ष डा० गुरदयाल सिंह ढिल्लों और लोक सभा के सचिव, श्री सरदार भोपाल सिंह के कृपया: अन्तर-संसदीय परिषद के प्रधान और संसद के महासचिवों के संघ के प्रधान निर्वाचित होने पर बधाई देना।	12-11-73	0-10
		श्री शाहनवाज खां	* अशोधित तेल के मूल्य और सप्लाई की स्थिति।	12-11-73	0-03
		श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे	* भारत में खाद्य और कृषि की स्थिति।	12-11-73	--
		श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे	* भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद जांच समिति की सिफारिशों के सन्दर्भ में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के पुनर्गठन के बारे में सरकार के निर्णय।	12-11-73	0-01
		प्रो० एस० नूरुल हसन	राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली से चांदी के सिक्कों की चोरी।	16-11-73	0-02
		श्री एफ० एच० मोहसिन	10 नवम्बर, 1973 को हरियाणा के एक हरिजन सत्याग्रही की मृत्यु।	23-11-73	0-02
		श्री एफ० एच० मोहसिन	दिल्ली में जल सप्लाई की स्थिति।	23-11-73	0-04
		श्री राज बहादुर	इण्डियन एयरलाइन्स में तालाबन्दी।	26-11-73	0-07
		श्री राम निवास मिर्धा	* 26 नवम्बर, 1973 को रानीखेत में दो सीआरपीएफ० यू० कार्यकर्ताओं की मृत्यु।	29-11-73	0-04
		श्री रामनिवास मिर्धा	हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विशिष्ट सन्दर्भ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण और विकास।	30-11-73	0-01
		श्री सुन्दर, पाल सिंह	दोनों कोरियाई देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करना।	10-12-73	0-01

* वक्तव्य सभा-पटल पर रखे गये थे।

1	2	3	4	5
4	श्री शाहनवाज खां	जापानी फर्म द्वारा 125 करोड़ रुपये मूल्य के समुद्र तट से दूर विदेश प्लेटफार्म देने में विलम्ब होने के कारण 18 लाख रुपये की कथित क्षति के बारे में 6 दिसम्बर, 1973 की हानाकशी के दौरान दी गई कुछ सूचना को शुद्ध करना।	11-12-73	0-01
	श्री एच० आर० गोखले	* छह महीने की अवधि के भीतर विधान सभा की बैठक न बुलाने के लिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा संविधान का कथित उल्लंघन।	12-12-73	0-16
	श्री अमोलाखिराज पी० सिन्हे	* मोदी फ्लोर मिल्स के गोदामों में 1500 क्विंटल गेहूं का नष्ट हो जाना।	12-12-73	0-01
	श्री वार्ष्णेय पी० चक्रपाणि	संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार द्वारा भारत में एकत्रित रुपये की धनराशि का निपटान करना।	13-12-73	0-12
	श्री एस० एन० मिश्र	लोको रनिंग स्टाफ द्वारा हड़ताल	17-12-73	0-10
	श्री अबदुद्दीन अली अहमद	वर्ष 1973-74 में उत्पादित लेवी चीनी की कारखाना बाइयु कीमतों का निर्धारण।	17-12-73	0-02
	श्री टी० ए० पाई	एसकाम स्पाहान कंपनी लि० का अधिग्रहण	17-12-73	0-01
	श्री देवकान्त बरुआ	* रेलवे और सैनिक कारखानों में क्षति	20-12-73	0-01
	श्री राज बहादुर	20 दिसम्बर, 1973 को पालम हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त बोइंग 707 विमान का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना।	20-12-73	0-03
	श्री अमोलाखिराज पी० सिन्हे	* भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण के बारे में 12-12-73 को हुई चर्चा के दौरान दिये गये आश्वासनों का पूरा किया जाना।	22-12-73	0-01

* तारांकित प्रश्नोत्तर पर रखे गये थे।

1	2	3	4	5
	श्री राज बहादुर	* 20-12-73 को दिल्ली हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त बोइंग 707 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों और परिस्थितियों की जांच करने के लिये जांच न्यायालय की स्थापना।	22-12-73	-
	श्री एल० एन० मिश्र	रेलवे के 'सेफ्टी रनिंग' कर्मचारियों द्वारा हड़ताल।	22-12-73	1-39
दसवां	डा० कर्ण सिंह	दिल्ली के मुनिसिपल डाक्टरों की हड़ताल.	19-2-74	0-08
	श्री रामनिवास मिर्धा	15 नवम्बर, 1973 को श्री सरोज मुखर्जी, संसद सदस्य को कलकत्ता में कथित गिरफ्तारी और अध्यक्ष, लोक सभा को इस सम्बन्ध में सूचना न दिया जाना।	21-2-74	0-04
	श्री मोहम्मद शफी कुरैशी	21 जनवरी, 1974 को उत्तर रेलवे के काठगोदाम लिफ्ट ब्रेक इंजन पर 66 डाऊन देहरादून-वाराणसी जनता एक्सप्रेस और एम-5 आ मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर।	21-2-74	0-05
	सरदार इकबाल सिंह	भारत-कनाडा संयुक्त आयोग की चौथी बैठक	22-2-74	0-03
	श्री शाहनवाज खां	पैट्रोलियम उत्पादों की कमी में वृद्धि	4-3-74	0-25
	श्री के० रघुरामैया	आयें तथा वस्तुओं पर निर्यात शुल्क बढ़ाने वाली दिनांक 1-1-74 की अधिसूचना का समीक्षण करने वाली सांविधिक संस्था पर 6 मार्च, 1974 को मध्यान्ह पश्चात् 4-30 बजे आरम्भ की जाने वाली चर्चा।	5-3-74	0-01
	श्री रामनिवास मिर्धा	नागपुर में श्री रामटेकाऊ संसद सदस्य पर 28-2-74 को कथित हमला।	6-3-74	0-06
	श्री फखरुद्दीन अली अहमद	गेहूं आयातों के लाने की जाने पर से प्रतिबन्ध हटाया जाना।	6-3-74	0-01

* वक्तव्य सभापटल पर रखे गये थे।

1	2	3	4	5
	श्री रामनिवास मिर्धा	बिहार के धनबाद जिले में एक गांव में दो आदिवासियों की गोली से मार दिये जाने की घटना का समाचार।	13-3-74	0-03
	श्री रामनिवास मिर्धा	11-3-74 को संसद भवन के बाहर कारों की गिरफ्तारी।	13-3-74	0-03
	प्रो0 डी0 पी0 चट्टोपाध्याय	* सूती कपड़ा नियंत्रित संवर्धन परिषद द्वारा सूती धागे पर लगाई गयी लेवी।	15-3-74	0-01
	श्री के0 डी0 मालवीय	कोयला खान प्राधिकार लिमिटेड के पश्चिमी डिवीजन में सात कोयला खान कर्मकारों की मृत्यु।	15-3-74	0-03
	डा0 कार्तिक	दिल्ली के अस्पतालों में जूनियर डाक्टरों की हड़ताल।	18-3-74	0-10
	श्री उमाशंकर दीक्षित	बिहार की स्थिति।	20-3-74	0-35
	श्री शाहनवाज खां	नेपथा के मूल्य में जबकि नेपथा का उर्वरकों के उत्पादन से भिन्न प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जाये, कमी करने का सरकार का निर्णय।	25-3-74	0-01
	श्री रामनिवास मिर्धा	पाडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा की गणना किया जाना	28-3-74	0-02
	श्री फखरुद्दीन अली अहमद	वर्ष 1974-75 की फसल के लिये गेहूं की खरीद और मूल्य निर्धारण नीति।	28-3-74	0-11
	श्री मीर मुस्तफा हुसैन	बिहार में हुयी घटनाओं में लक्खीसराय रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा रेल सम्पत्ति का कथित अपहरण जाना तथा उनके द्वारा किये गये अन्य अत्याचार।	29-3-74	0-02
	श्री ए0 सी0 जार्ज	पुनर्गठित नियंत्रित कपड़ा नीति	29-3-74	0-02
	श्री वार्ष्णेय	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय।	29-3-74	0-08

* विवरण सभापटल पर रखी गयी।

1	2	3	4	5
	प्रो० एस० नूरुलहसन	विश्वविद्यालयों तथा [illegible] कालिजों के शिक्षकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण।	29-3-74	0-03
	डा० कर्णसिंह	जूनियर डाक्टरों की हड़ताल	2-4-74	0-04
	डा० कर्णसिंह	दिल्ली के जूनियर डाक्टरों द्वारा हड़ताल समाप्त किया जाना।	8-4-74	0-01
	श्री मोहम्मद शफी कुरैशी	बिहार में हुई घटनाओं में तथाकथित रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा गोलियों से कथित हमला।	10-4-74	0-05
	सरदार स्वर्णसिंह	9 अप्रैल, 1974 को दिल्ली में हुआ [illegible] बांग्लादेश-भारत-पाकिस्तान समझौता।	10-4-74	0-07
	श्री राम निवास मिर्धा	[illegible] कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी	10-4-74	0-17
	डा० कर्ण सिंह	कानपुर अस्पताल में नकली सलाइन इन्जेक्शनों से अनेक रोगियों की कथित मृत्यु।	16-4-74	0-10
	श्री उमाशंकर दीक्षित	गुजरात और बिहार में स्थिति।	17-4-74	0-15
	प्रो० शेर सिंह	देश में डाकघरों में अन्तर्राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकृत पार्सलों और पैकटों (जिनमें वी० पी० और बीमा भी शामिल है) की बुकिंग तत्काल स्थगित किया जाना।	26-4-74	0-10
	श्री एच० आर० गोखले	राष्ट्रपति का चुनाव, 1974	29-4-74	0-08
	श्री वार्ष्णेय	पाकिस्तानी संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में वर्ष 1973-74 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों सम्बन्धी संवैधानिक स्थिति।	2-5-74	0-09
	श्री एच० आर० गोखले	देश की जल सीमाओं के भीतर समुद्र के नीचे की भूमि का स्वामित्व।	2-5-74	0-05
	श्री ललित नारायण मिश्र	रेल हड़ताल की धमकी	2-5-74	0-28
ग्यारह	श्रीमती इन्दिरा गांधी	भूमिगत परमाणु विस्फोट का प्रयोग	22-7-74	0-10

1	2	3	4	5
	सरदार स्वर्णसिंह	* भारत और बंगलादेश के बीच भूमि की सीमा के सीमांकन तथा सम्बद्ध मामलों के सम्बन्ध में भारतीय गणतन्त्र की सरकार और बंगलादेश जनवादी गणतंत्र की सरकार के बीच समझौता।	22-7-74	0-02
	सरदार स्वर्णसिंह	भारत और श्रीलंका के बीच दोनों देशों के बीच के ऐतिहासिक जल की सीमा तथा सम्बद्ध मामलों के बारे में समझौता।	23-7-74	0-26
	श्री जगजीवनराम	सीमा सड़क संगठन की पायोनियर कंपनी के सदस्यों द्वारा मेघालय के जयन्तिया हिल्स जिले के जोवाई के कुछ लोगों पर कथित हमले के बारे में 29-7-74 को सभा में उठाये गये प्रश्न।	6-8-74	0-06
	श्री सुबोध चन्द्र सिंहा	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड में इंजीनियरों द्वारा हड़ताल।	13-8-74	0-02
	सरदार स्वर्णसिंह	दोनों देशों के बीच महाद्वीपीय मग्नतट सीमा के परिसीमन से सम्बन्धित भारतीय गणतंत्र की सरकार और इंडोनेशिया गणतंत्र की सरकार के बीच समझौता।	14-8-74	0-03
	प्रो० डी० सी० चट्टोपाध्याय	* पटसन की वस्तुओं पर निर्यात शुल्क।	19-8-74	0-01
	श्री ललित नारायण मिश्र	हड़ताल की अवधि की स्थिति के बारे में भारत के राष्ट्रपति के साथ रेल मंत्री की बैठक।	20-8-74	0-58
	श्री वार्ष्णेय	नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक के कर्मचारियों का कथित दमन तथा इंडियन ऑडिट एंड एकाउन्ट्स सर्विस की मान्यता समाप्त करने का निश्चय।	22-8-74	0-02

* वक्तव्य सभापटल पर रखे गये थे।

1	2	3	4	5
8	श्री के० रघुरामैया	2-9-74 को संविधान (छत्तीसवां संशोधन) विधेयक, 1974 पुरःस्थापित करना तथा 4-9-74 को इस पर विचार और इसे पारित करना।	31-8-74	0-01
	श्री एस० एच० मोहसिन	कुरु-बिहार में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	31-8-74	0-11
	श्री एच० आर० गोखले	देश की जल सीमा के भीतर समुद्र के नीचे की भूमि के स्वामित्व के बारे में विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री द्वारा 22 मई और 9 अगस्त, 1974 को दिये गये वक्तव्यों का स्पष्टीकरण।	2-9-74	0-04
	श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे	* अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि और खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुर्लभता।	6-9-74	0-01
	डा० कर्णसिंह	बुखारेस्ट (रुमानिया) में आयोजित विश्व जनसंख्या सम्मेलन।	7-9-74	0-01
	श्री के० आर० गणेश	एच डी एवं वाली पाकिस्तानी रुपये के बीस नोटों का पता लगना	7-9-74	0-08
	श्री उमाशंकर दीक्षित	आपात स्थिति की उद्घोषणा को निरन्तर लागू रखना।	9-9-74	0-09
	श्री रामनिवास मिर्धा	* बिहार के कुर्था क्षेत्र में 5-9-74 को पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना।	9-9-74	0-02
बारहवां	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	कुछ राज्यों में खाद के मूल्यों में कमी होने का समाचार।	21-11-74	0-13
	श्री वीरेन्द्र पाटिल	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का तट-दूर छिद्रण क्रियाकलाप, खासकर समुद्र।	3-12-74	0-08
	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	पटसन के मूल्य	4-12-74	0-41
	श्रीमती इन्दिरा गांधी	आपात उपबंधों का मामला	9-12-74	0-10
	श्री जगजीवनराम	* चीनी का ऊंचा मूल्य	9-12-74	-

* वक्तव्य समा-पटल पर रखी गयी थी।

1	2	3	4	5
	श्री के० आर० गणेश	इंडियन ड्रग्स एन्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, मुंबिला के स्टेप्टोमायोटिक्स प्लांट के कुछ भूतपूर्व कर्मचारियों की बहाली के बारे में केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा दिये गये बयान का प्रिंटमियन।	11-12-74 * 20-12-74	0-05
	श्री के० सी० पन्त	कोयला उद्योग में मजदूरों का पुनरीक्षण	11-12-74	0-02
	श्री के० हनुमन्त रेड्डी	सर्वश्री दिग्विजय नारायण सिंह और सत्येन्द्र नारायण सिंह, संसद सदस्यों की 4-11-74 की गिरफ्तारी।	12-12-74	0-02
	श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय	समुद्र और तट।		
	श्री ओम मेहता	* श्री भीखूभाई, संसद सदस्य के निवास स्थान पर 17-12-74 को कथित बम फेंके।	20-12-74	- -
	श्री सी० सुब्रह्मण्यम	सरकार द्वारा स्वीकृत रूप में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जाना।	20-12-74	0-07
	प्रो० एस० नुरुल हसन	* दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम का प्रस्तावित संशोधन।	20-12-74	- -
	प्रो० एस० नुरुल हसन	* दिल्ली नाट्य पुरस्कार विधेयक जो पुरःस्थापित करने के लिये, जिसकी सूचना श्री मधु लिमये द्वारा 12 नवम्बर, 1974 को दी गई थी, राष्ट्रपति की सिफारिश।	20-12-74	0-01
	श्री ओम मेहता	* दिल्ली नगर निगम की नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा देय राशि।	20-12-74	- -
**	श्री के० रघुरामैया	* रामन सिंह के लिये कोली जाति के लोगों की मांग	20-12-74	0-03
	श्री प्रकाश कुमार मुखर्जी	* कथित चक्रवात के कारण दी शीघ्रगामी नौकाओं का अतिरिक्त [illegible] तक [illegible] दी जाना।	20-12-74	0-01

* उत्तर सभापटल पर रखे गये थे।
** गृह मंत्री की ओर से संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उत्तर सभापटल पर रखा गया था।

1	2	3	4	5
तेरहवां	श्रीमती इंदिरा गांधी	जम्मू और कश्मीर	24-2-75	00-32
	श्री के० रघुरामैया	जम्मू और कश्मीर के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा 3 मार्च, 1975 को दिये गये वक्तव्य पर चर्चा।	25-2-75	00-01
	श्री वार्ष्णेय वी० चव्हाण	पाकिस्तान की अमरीकी हथियारों की सप्लाई पुनः आरम्भ किया जाना।	25-2-75	00-03
	श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी	अमंजीवी पत्रकारों तथा अ अमंजीवी पत्रकारों तथा समाचार-पत्रों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिये वेतन बोर्डों का गठन।	18-3-75	00-05
	श्री के० कृष्णानन्द रेड्डी	18 मार्च, 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हुई घटना जहां एक व्यक्ति के पास देसी पिस्तौल और कुछ कारतूस पाये जाने के कारण उसे गिरफ्तार किया गया था।	18-3-75 6-5-75	00-53 00-13
	श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे	* भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के एक कर्मचारी द्वारा आत्महत्या।	19-3-75	--
	श्री के० कृष्णानन्द रेड्डी	20 मार्च, 1975 को भारत के उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री ए० एन० राय की हत्या करने का प्रयास।	21-3-75	00-02
	श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे	1975-76 के विपणन मौसम के लिये गेहूं की खरीद तथा मूल्य निर्धारण नीति।	24-3-75	00-02
	प्रो० एस० नूरुल हसन	शिक्षा के अध्यापकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण।	25-3-75	00-04
	श्री के० कृष्णानन्द रेड्डी	आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अंतर्गत बिहार में नजरबंदी के आदेश।	25-3-75	00-06
	श्री वार्ष्णेय वी० चव्हाण	* तटस्थ देशों के विदेशमंत्रियों की कोलंबो में 17 से 19 मार्च 1975 तक हुई बैठक।	7-4-75	00-01

* वक्तव्य सभा-पटल पर रखे गये थे।

1	2	3	4	5
	श्री वाई० बी० चव्हाण	सिक्किम की स्थिति	11-4-75	00-12
	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	* भूतपूर्व पश्चिम और पूर्व पाकिस्तान में भारतीय लोगों की सम्पत्ति के लिये अनुग्रहपूर्वक मुआवजे की अदायगी।	11-4-75	00-01
	श्री बद्रीनाथ यादव	दक्षिणी क्षेत्र में नये इस्पात संयंत्र	11-4-75	00-02
	श्रीमती इंदिरा गांधी	गुजरात में चुनाव।	15-4-75	00-06
	श्री शान्तिलाल जैन	राजस्थान और गुजरात के बांसवाड़ा और पंचमहल जिलों में पड़ा हुआ अनाज खाने के कारण 100 से अधिक आदिवासियों की मृत्यु का समाचार।	16-4-75	00-02
	श्री जगजीवन राम	गंगाजल के बारे में ढाका में 16 से 19 अप्रैल, 1975 तक हुई वार्ता।	21-4-75	00-07
	श्रीमती इंदिरा गांधी	19 अप्रैल, 1975 को प्रथम भारतीय उपग्रह का सफलतापूर्वक छोड़ा जाना।	21-4-75	00-03
	श्री विश्वनाथ दास	दक्षिण वियतनाम को अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की मान्यता	30-4-75	00-01
	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सीपुर गांव में सवर्ण लोगों द्वारा 300 मकानों के जलाये जाने तथा 2 हरिजनों को हत्या किये जाने का समाचार।	5-5-75	00-07
	श्री आर० के० खाडिलकर	पश्चिम बंगाल में भूतपूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की समस्यायें	8-5-75	- -
	श्री ओम मेहता	* सिख सम्प्रदाय के धार्मिक मामलों में कथित हस्तक्षेप जैसा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के प्रधान ने आरोप लगाया है।	9-5-75	- -

* वक्तव्य सभा पटल पर रख दिये गये थे।

क्र.	1	2	3	4	5
	चौदहवां	श्री ओम मेहता	भारत के मुख्य न्यायाधीश पर 20 मार्च, 1975 को हथगोले फेंके जाने संबंधी मामला।	4-9-75	0-02
	पन्द्रहवां	श्री चन्द्रजीत यादव	धनबाद के निकट चासनाला कोयला खानों में दुर्घटना।	6-1-76 12-1-76	0-10 0-05
		श्री कैलाशपति मिश्र	बाम्बे हार्बर में हैलीकाप्टर की दुखद दुर्घटना जिसमें पांच वायु सैनिकों की मृत्यु हुई।	12-1-76	0-04
		श्री जगजीवन राम	* पटना में बाढ़	16-1-76	0-01
		श्री विद्याचरण शुक्ल	समाचार एजेंसियों का पुनर्गठन	21-1-76 2-2-76	0-07 0-04
		श्री वाई० बी० चव्हाण	विदेश मंत्री की नेपाल यात्रा	27-1-76	0-04
		श्री विनिन पाल दास	* भारतीय राष्ट्रपति का उगाडा में होने वाले सम्मेलन के लिये प्रतिमूर्ति।	29-1-76	0-01
		श्री ओम मेहता	तमिलनाडु सरकार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री तथा कुछ मंत्रियों के विरुद्ध कुछ आरोपों की जांच करने के लिये जांच आयोग की नियुक्ति।	3-2-76	0-01
		श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह	प्राकृतिक गैस के मूल्यों में गिरावट	5-2-76	0-03
		श्री वाई० बी० चव्हाण	अंगोला में अंगोला मुक्ति के लिये जन आन्दोलन सरकार की मान्यता।	6-2-76	0-05
	सोलहवां	श्री कैलाशपति मिश्र	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बम्बई सीवना में तेल का पता लगाया जाना।	9-3-76	0-04

वक्तव्य
* /सभापटल पर रखे गये थे।

1	2	3	4	5
	श्री वाई० बी० चव्हाण	भारत और श्रीलंका द्वारा 23-3-1976 को मनार खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी में दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा और पेक खेक में श्रीलंका द्वारा मछली पकड़ने के बारे में समझौतों पर हस्ताक्षर।	24-3-76	0-02
	श्री अन्नासाहिब बी० शिंदे	वर्ष 1976-77 के खरीफ मौसम के लिये रबी अनाजों के लिये बारे में मूल्य, वसूली और वितरण नीति।	25-3-76	0-03
	श्री त्रिभुवनदास दास	मोजाम्बीक को आर्थिक और तकनीकी सहायता	31-3-76	0-04
	प्रो० डी०पी०चट्टोपाध्याय	* वर्ष 1976-77 के लिये आयात नीति	14-4-76	0-01
	श्री वाई० बी० चव्हाण	अनवादी चीन के साथ सम्बन्धों में सुधार	15-4-1976	0-01
	श्री एस० एच० मोरासिन	दिल्ली के तुर्कमान गेट क्षेत्र में 19 अप्रैल, 1976 को हुई घटनायें।	27-4-76	0-07
	श्री वाई० बी० चव्हाण	हाल की भारत-पाकिस्तान वार्ताएं।	19-5-76	0-05
	श्री वाई० बी० चव्हाण	भारत-कनाडा परमाणु बातचीत	20-5-76	0-04
	श्री देवेन्द्र मानवीय	* बम्बई हाई में कच्चे तेल का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करना।	25-5-76	0-01
	श्री बन्दीश यादव	* हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का पुनर्गठन।	25-5-76	--
	श्री विद्याचरण शुक्ल	पत्रकार आचार संहिता	27-5-76	0-02
	श्री सी० सुब्रह्मण्यम	* भारतीय जीवन बीमा निगम के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बोनस।	27-5-76	0-07

* वक्तव्य सभापटल पर रखी गई थी।

1	2	3	4	5
सत्रहवां	श्री केशवनाथ सिंह	*देश में बाढ़ की स्थिति	10-9-76	-
	श्री कोडवंदेव मालवीय	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के शेयरों की बिक्री शेयरों का सरकार द्वारा अधिग्रहण।	23-9-76	0-02
	श्री एन० पी० थेरो	कोरबा उत्तरी परियोजना	23-9-76	0-02
	श्री जगजीवन राम	कृषि और सिंचाई मंत्री द्वारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्य मंत्री तथा केरल के मंत्रियों के साथ कावेरी जल के उपयोग के बारे में बातचीत।	27-9-76	0-09

* वक्तव्य सभापटल पर रखे गये थे।

24 - पहली बजट सभा सत्रों के दौरान सभा-पटल पर रखे गये विभिन्न प्रतियों के पत्रों की संख्या आंकड़े

विषय	सत्र																			योग
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	
1- राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयक	24	16	16	65	23	27	36	15	13	34	9	18	20	21	24	58	7	252		455
2- सांख्यिकीय सूचनाएं	146	444	362	409	171	170	449	291	240	480	462	337	678	222	398	506	706	272		6742
3- संशोधनों की संख्या																				
(1) विभिन्न आरक्षणों पर	15	32	25	43	22	33	36	36	31	25	32	26	53	33	21	23	14	10		512
(2) संशोधित सूचनाओं के रूप में	-	-	-	3	1	-	-	-	-	16	-	-	-	-	25	-	-	-		45
(3) अन्य	15	61	55	70	25	37	105	100	61	90	58	49	121	56	47	57	87	78		1162
4- प्रतिवेदन																				
(1) मंत्रालय	36	135	101	193	54	75	170	102	82	185	127	71	171	106	200	149	73	73		2124
(2) संसदीय समितियां (बैठकों की कार्यवाही सहित)	4	7	2	22	10	10	8	19	8	5	2	26	19	6	29	69	14	14		273
(3) विभिन्न लेखे/लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	7	33	24	37	14	19	37	23	11	32	11	23	29	15	24	32	19	8		398
(4) अन्य	-	3	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-		12
5- बजट अनुमानों/अनुदानों की मांगें तथा संबंधित पत्र	-	1	-	-	-	-	31	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-		122
6- राष्ट्रपति का अभिभाषण	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-		6
7- अध्यादेश और संशोधित प्रस्तावित	5	12	30	6	5	4	7	9	5	4	12	3	7	5	49	12	17	2		193

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	योग
[illegible]																			
[illegible]	10	7	-	15	-	-	4	1	2	44	-	-	2	5	5	2	-	-	57
8(2)(1) के																			
अधार पर																			
[illegible]	-	-	3	2	1	-	-	4	1	1	1	1	9	-	-	-	-	-	23
	2	15	7	17	3	3	22	9	12	18	14	3	25	4	9	35	3	24	225
	265	784	625	983	888 332	378	905	611	472	916	728	557	1166	473	331	977	940	506	12349

8

समितियाँ-सम्मेलन

समितियाँ

वर्तमान काल में संसद् को न केवल विभिन्न प्रकार का अपितु काफी मात्रा में कार्य कर ना पड़ता है। इसके पास समय भी सीमित होता है। अतः यह सभी वैधानिक तथा अन्य मामलों पर, जो कि इसके सामने आते हैं, गहराई से विचार नहीं कर सकती। इसलिए इसका बहुत-सा काम संसदीय समितियों द्वारा निबटाया जाता है।

संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं; तदर्थ समितियाँ और स्थायी समितियाँ। तदर्थ समितियाँ किसी विशेष प्रयोजन के लिये नियुक्त की जाती हैं और जब वह अपना काम खत्म कर लेती हैं और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती हैं तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मुख्य तदर्थ समितियाँ; विधेयकों सम्बन्धी प्रवर और संयुक्त समितियाँ होती हैं। अन्य तदर्थ समितियाँ विशेष प्रयोजनों के लिये नियुक्त की जाती हैं तथा प्रतिवेदन पेश करने के तुरन्त बाद समाप्त हो जाती हैं।

तदर्थ समितियों के अतिरिक्त संसद् की प्रत्येक सभा की स्थायी समितियाँ होती हैं; जैसे कार्य मंत्रणा समिति, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, नियम समिति आदि। विशेष महत्व की समितियों की एक दूसरी श्रेणी भी होती है जो कार्यपालिका के ऊपर संसद् के प्रहरी का काम करती है। अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति इस श्रेणी में आती हैं। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति सरकारी व्यय पर निगरानी रखने के लिये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है।

पांचवी लोक सभा में स्थायी संसदीय समितियों की 2, 155 बैठकें हुईं – तीनों वित्तीय समितियों की 1, 138 बैठकें हुई थीं।

प्राक्कलन समिति की 362 बैठकें 791 घंटों की हुईं। समिति ने 48 उपसमितियां/अध्ययन दल बनाये तथा 102 प्रतिवेदन पेश किए। समिति ने 458 स्थापनाओं/संगठनों का दौरा किया।

लोक लेखा समिति की 406 बैठकें 1,053 घंटों की हुईं। समिति ने 45 उपसमितियां/अध्ययन दल बनाये तथा 185 कार्यालयों का दौरा किया। समिति ने 262 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की 370 बैठकें 814 घंटों की हुईं। समिति ने 40 उप समितियों/अध्ययन दल बनाये तथा 238 स्थापनाओं/संगठनों का दौरा किया। समिति ने 90 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति समिति की 115 बैठकें लगभग 245 घंटों की हुईं। समिति ने 39 उप समितियां/अध्ययन दल बनाये तथा 114 स्थानों का दौरा किया। समिति ने 59 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

तदर्थ समितियों में विधेयक पर प्रवर समितियों ने 64 बैठकें की तथा 9 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। विधेयकों पर संयुक्त समितियों ने 356 बैठकें की तथा 13 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। निर्वाचन विधि पर संशोधन संबंधी संयुक्त समिति, न्यायाधीश (जांच) नियम संबंधी संयुक्त समिति, खेलकूद संबंधी अध्ययन समिति तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय सदस्य के आचरण संबंधी समितियों की क्रमशः 35, 2, 6 तथा 16 बैठकें हुईं। निर्वाचन विधि पर संशोधन संबंधी संयुक्त समिति ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय सदस्य के आचरण संबंधी समिति ने तीन प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। अन्य दोनों समितियों ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

288

पंचवी लोक सभा में संसदीय समितियों द्वारा किए गए काम का ब्यौरा विवरण संख्या 27 में दिया गया है।

सम्मेलन :

भारत तथा विदेशों में हुए महत्वपूर्ण संसदीय सम्मेलनों के रूप तथा प्रयोजन के बारे में संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है :-

(एक) भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन :-

मार्ले मिंटो रिफार्म्स के अन्तर्गत 1921 में भारत में विधायी निकायों का सम्मेलन 1921 में हुआ था। भारत में सभी विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन करने का विचार मूलतः स्वर्गीय लार्ड मार्ले भारत के लिए सेक्रेटरी आफ स्टेट ने दिया था। उनकी इस दौरा में संसदीय संस्थाओं की व्यापना में अत्यधिक रुचि दिखाई थी।

दिसम्बर, 1923 में दिल्ली में हुए तीसरे सम्मेलन में स्वीकार किए गए इस संबंध में सम्मेलन का उद्देश्य दिया गया है कि "समस्त भारत में संसदीय प्रक्रिया का समुचित समन्वय सुनिश्चित करना"। अब तक बयालीस सम्मेलन हो चुके हैं तथा अन्तिम सम्मेलन बम्बई में 1971 में हुआ था।

अब पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन बारी बारी से विभिन्न स्थानों पर 2-3 दिन के लिए किया जाता है। राज्य विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारियों से प्राप्त चर्चा के लिए विषयों के बाद सम्मेलन की कार्यसूची बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त सम्मेलन में संसदीय प्रक्रिया संबंधी कुछ समान हित के मामलों पर भी चर्चा होती है।

(दो) भारत में विधायी निकायों के सचिवों का सम्मेलन :

भारत में विधायी निकायों के सचिवों का सम्मेलन पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन से पहले अथवा बाद में होता है। कार्यसूची बनाने तथा उसमें

289

एक ही

दिए गए विषयों पर चर्चा के लिए उसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। संसदों के सामने आई समस्याओं पर सम्मेलन में विचार होता है। ऐसा पहला सम्मेलन 1953 में ग्वालियर में हुआ था तथा अंतिम जनवरी, 1977 में नई दिल्ली में हुआ था।

(तीन) अन्तर संसदीय संघ का सम्मेलन

अन्तर संसदीय संघ संसदीय दलों का ऐसा संगठन है जो विभिन्न संसदों के सदस्यों के बीच व्यक्तिगत सम्पर्क बढ़ाने के प्रयोजन के लिए विभिन्न राष्ट्रीय संसदों में से गठित किया जाता है। राष्ट्रीय दलों में से इसको बनाया जाता है जिससे वह लोकतंत्रीय संस्थाओं की स्थापना तथा विकास में अपने संबंधित देशों के द्वारा पूरी तरह भाग ले सके तथा एक साथ कार्य करने के लिए संगठित हो सके। अन्तर संसदीय संघ की अन्तर संसदीय परिषद द्वारा निदेश दिए जाते हैं। प्रत्येक राष्ट्रीय दल का परिषद में प्रतिनिधित्व दो प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। परिषद की बैठकें 'सिटी' में अर्थात् वार्षिक सम्मेलन होने से लगभग छः माह पूर्व होती है।

अन्तर संसदीय संघ के सम्मेलन की बैठकें वर्ष में एक बार विभिन्न देशों की राजधानियों में होती हैं जहां मेजबान देश का संसद भवन उनकी कार्य के लिए सौंप दिया जाता है। जिस देश में सम्मेलन होना होता है उस देश का संसदीय दल बैठकों का आयोजन करने के लिए जिम्मेदार होता है।

राष्ट्रीय संसद की विभिन्न पार्टियों तथा दलों से सदस्य प्रतिनिधिमंडल में लिए जाते हैं और इस प्रकार सम्मेलन में विभिन्न देशों के सरकारी तथा विरोधी दोनों प्रकार के सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल सम्मेलन के समक्ष प्रस्तुत किसी मामले पर अपने विचार रख सकता है

290

और इस प्रकार उसी प्रतिनिधिमंडल में दो तीन विचारधाराएँ मिल जाती हैं। अन्तः संसदीय संघ के सम्मेलन में स्वीकार किए गए ऐसे संकल्पों के बारे में प्रत्येक राष्ट्रीय दल अपनी संसद को सूचित करता है जिन पर सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी होती है तथा की गई कार्यवाही के बारे में अन्तः संसदीय संघ को सूचित करता रहता है। अन्तः संसदीय संघ ने अब तक 63 सम्मेलन किए हैं। अन्तिम सम्मेलन (63 वां) 1976 में मैड्रिड में हुआ था। भारतीय संसदीय दल 1949 से अन्तः संसदीय संघ के सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है। 1976 में मैड्रिड में हुए अन्तः संसदीय संघ के गत वार्षिक सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के आठ सदस्य थे।

(चार) राष्ट्रमंडलीय संसदीय संगठन के सम्मेलन

राष्ट्रमंडलीय संसदीय संगठन राष्ट्रमंडलीय संसदविदों का संगठन होता है जो जाति, धर्म अथवा संस्कृति से भिन्न होने पर भी सामुदायिक हित व स्तर का सम्मान, व्यक्तिगत नागरिक के अधिकार तथा स्वतंत्रता के कारण आपस में जुड़ा रहता है तथा संसदीय लोकतंत्र के ठोस आदर्शों को पूरा करने में संलग्न रहता है।

राष्ट्रमंडलीय संसदविदों के बीच नियमित रूप से परामर्श करने के साधन के रूप में संगठन का उद्देश्य आपस में सद्भावना तथा सहयोग बढ़ाना तथा समस्त राष्ट्रमंडल में संसदीय संस्थाओं के बारे में अध्ययन को बढ़ावा देना है। इन उद्देश्यों को पूरी तथा क्षेत्रीय सम्मेलनों में प्रतिनिधिमंडलों का आदान प्रदान, गोष्ठियों, प्रकाशनों, जैसे कि पार्लियामेंटेरियन तथा संसदीय सूचना और संदर्भ ब्यूरो के द्वारा पूरा किया जाता है।

संगठन 1911 में राष्ट्रमंडल संगठन के साथ साथ बनाया गया था। सबसे पहले साम्राज्य संसदीय संगठन बना था जिसका प्रशासन यूनाइटेड

कॉमनवेल्थ की शाखा कहलाती थी। 1943 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडलीय संसदीय संगठन कर दिया गया तथा प्रशासन का काम सामान्य परिषद को सौंप दिया गया।

संगठन में शाखायें हैं जो राष्ट्रमंडलीय देशों के विधानमंडलों में बनाई गई हैं। जहाँ शाखा बनी हुई है वहाँ की विधानमंडल के सदस्य उस शाखा के सदस्य बन सकते हैं।

विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारी सामान्यतः शाखा सभापति होते हैं जबकि संसदीय पार्टियों के नेता उपसभापति होते हैं। विधान मंडलों के क्लर्क अथवा क्लर्क असिस्टेंट सामान्यतया शाखा के मानद सचिव के कर्त्तव्य निभाते हैं।

प्रत्येक शाखा स्वायत्तशासी होती है तथा उसके कार्यों पर सभी पार्टियों अथवा वर्गों के सदस्यों तथा प्रतिनिधियों में से निर्वाचित कार्यकारी समिति का नियंत्रण होता है। प्रत्येक शाखा में सदस्य वार्षिक अंशदान देते हैं। विधानमंडल का सदस्य न रहने पर सदस्य संबंधित सदस्य बनने के लिए आवेदन कर सकता है।

भौगोलिक आधार पर संगठन के कुछ प्रयोजनों के लिए शाखाओं को सात क्षेत्रों में बाँटा गया है।

संगठन के पदाधिकारी सभापति, उपसभापति तथा मानद कोषाध्यक्ष होते हैं। उनका निर्वाचन सामान्य परिषद करती है। सभापति तथा उप-सभापति का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। जबकि मानद कोषाध्यक्ष तीन वर्ष के लिए होता है।

परिपाटी यह है कि सभापति उस शाखा का चुना जाता है जिसमें आगामी संघ सम्मेलन होना होता है तथा उपसभापति उसके अगले वर्ष के

मेजबान देश का होता है। संविधान में व्यवस्था है कि मानद कोषाध्यक्ष उस देश की इकाई के कार्यकारी समिति का सदस्य होता है जहाँ संगठन का मुख्य कार्यालय होता है।

संगठन की सभी शाखाओं की सामान्य परिषद में प्रतिनिधित्व होता है। संविधान के द्वारा संगठन के कार्यों के प्रबंध का भार सामान्य परिषद को सौंपा गया है। वह वार्षिक सामान्य बैठक में कार्य की रिपोर्ट देता है।

सामान्य परिषद की एक कार्यकारी समिति है जिसको संगठन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने का अधिकार है किन्तु उसकी स्वीकृति सामान्य परिषद को ही करनी होती है।

समिति में उन्नीस सदस्य होते हैं तथा उसमें सभापति, संगठन के अधिकारी, पिछला सभापति तथा भूतीय क्षेत्र में दो प्रतिनिधि, जिनको क्षेत्रीय पार्षद कहा जाता है, होते हैं।

संगठन का सचिवालय लन्दन, इंग्लैंड में है। इसका मुख्य महासचिव होता है जो संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। वह कार्यकारी समिति तथा सामान्य परिषद के निर्देश में संगठन के कार्यों का प्रबन्ध करने के लिए जिम्मेदार होता है। वह तथा सचिवालय के अन्य सदस्य सभी शाखाओं से निकट का सम्पर्क बनाये रखते हैं तथा उनमें सम्पर्क तथा सहयोग बढ़ाते रहते हैं।

संगठन का कुल सम्मेलन वर्ष में एक बार होता है तथा वह भूतीय वर्ष भिन्न भिन्न राष्ट्रमंडलीय देश में होता है।

ये सम्मेलन, सामान्यतया एक सप्ताह के होते हैं तथा इनमें राष्ट्रमंडल के समसामयिक हित के मामलों पर चर्चा होती है।

अफ्रीको, आस्ट्रेलेशियन, कनाडा, कैरिबियन तथा यू० के० तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्र नियमित रूप से अपने-अपने क्षेत्रों की राष्ट्रमंडल के सम्मेलन करते रहते हैं। इन सम्मेलनों की कार्यसूची में क्षेत्रीय हितों के मामलों की ओर विशेष ध्यान दिलाया जाता है क्योंकि इन पर संगठन के सभी सम्मेलन में समुचित रूप में विचार नहीं हो पाता है।

पांचवीं लोक सभा में भारत में तथा विदेशों में हुए संसदीय सम्मेलनों की सूची विवरण पत्रिका 29 में दी गई है।

2.15 - पांचवीं लोक सभा के दौरान संसदीय समितियों के क्रियाकलाप

क - स्थायी समितियां

(एक) वित्तीय समितियां

मद	वर्ष					
	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्राक्कलन समिति						
प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों की संख्या	20	24	22	13	23	-
बैठकों की संख्या	73	69	76	44	53	47
बैठकों का समय (घंटों में)	179	139	164	85	104	120
अध्ययन की गयी सामग्री के पृष्ठों की संख्या	16,920	11,139	14,246	9,804	17,560	11,950
उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	3	8	9	8	8	8
उन कार्यालयों/संगठनों की संख्या जिनका समिति ने अपनी कार्यावधि में दौरा किया।	31	107	30	92	79	79
लोक लेखा समिति						
प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों की संख्या	43	46	38	42	48	40
बैठकों की संख्या	32	63	66	94	82	69
बैठकों का समय (घंटों में)	80	147	173	249	205	200
अध्ययन की गयी सामग्री के पृष्ठों की संख्या	7,953	3,925	3,921	5,923	10,870	7,937
गठित की गयी उप-समितियों/ अध्ययन दलों की संख्या	6	8	6	10	7	8
उन अभिकरणों की संख्या जिनका समिति ने अपनी यात्रा के दौरान दौरा किया।	23	23	31	31	42	35

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति						
प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों की संख्या	21	18	17	12	22	-
बैठकों की संख्या	52	71	75	57	52	63
बैठकों का समय (घंटों में)	93	139	153	152	115	182
अध्ययन की गयी सामग्री के पृष्ठों की संख्या	10,863	21,431	20,250	22,300	18,789	15,500
गठित की गयी उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	7	6	6	7	7	7
उन कार्यालयों/संगठनों की संख्या जिनका समिति /अध्ययन दलों ने अपनी यात्रा के दौरान दौरा किया -	77	39	37	36	17	32
			(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबन्धी समिति			
प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों की संख्या	4	11	9	10	17	8
बैठकों की संख्या	12	18	18	14	31	22
बैठकों का समय (घंटों में)	22.40	37.40	35.00	26.30	77.50	45.10
अध्ययन की गयी सामग्री के पृष्ठों की संख्या	426	1550	900	300	400	1250
गठित की गयी उप-समितियों/अध्ययन दलों की संख्या	7	7	7	7	7	4
उन कार्यालयों/संगठनों की संख्या जिनका समिति/अध्ययन दलों ने अपनी यात्रा के दौरान दौरा किया	18	22	15	20	17	22

(तीन) अन्य स्थायी समितियां

समिति का नाम	बैठकों की संख्या	प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या
(1)	(2)	(3)
याचिका समिति	98	34
विशेषाधिकार समिति	94	20
नियम समिति	15	7
सामान्य प्रयोजन समिति	12	-
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	107	20
लाभ के पदों संबंधी समिति	65	19
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	59	18
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	70	66
सभापटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति	20	4
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	33	31
कार्य मंत्रणा समिति	77	65
ग्रन्थालय समिति	9	-
ग्रन्थालय उपसमिति	30	-
आवास समिति	38	-
आवास उप-समिति	9	-
[illegible]		
संसद के दोनों सदनों की आवास समितियों के सभापतियों की संयुक्त समिति	46	-
संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संबंधी समिति	41	-
रेल दुर्घटना समिति	79	14
ख - तदर्थ समितियां		
विधेयकों संबंधी प्रवर समिति	164	9
विधेयकों संबंधी संयुक्त समिति	356	13
निर्वाचन विधि में संशोधन संबंधी संयुक्त समिति	35	1
न्यायाधीश(जांच) नियम संबंधी संयुक्त समिति	2	-
प्रेसकर्ड संबंधी अध्ययन समिति	6	-
राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सदस्यों के आचरण संबंधी समिति	16	3

2828 - पांचवीं लोक सभा की अवधि के दौरान संसदीय सम्मेलनों/बैठकों के बारे में विवरण।

सम्मेलनों/बैठकों की संख्या	स्थान	तारीख	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
		क भारतीय	
		(एक) भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन।	
37 वां	भोपाल	27 और 28 अक्तूबर, 1971	
38 वां	मद्रास	5, 6 और 7 अक्तूबर, 1972	
39 वां	गांधी नगर	29 और 31 दिसम्बर, 1973	
40 वां	शिलांग	5 और 7 नवम्बर, 1974	
41 वां	नई दिल्ली	23 और 24 अगस्त, 1975	
42 वां	शिमला	31 मई और 1 जून, 1976	
		(दो) भारत में विधायी निकायों की समितियों का सम्मेलन।	
17 वां	भोपाल	26 अक्तूबर, 1971	
18 वां	मद्रास	4 अक्तूबर, 1972	
19 वां	गांधी नगर	28 दिसम्बर, 1973	
20 वां	शिलांग	4 नवम्बर, 1974	
21 वां	नई दिल्ली	22 अगस्त, 1975	
22 वां	शिमला	30 मई, 1976	
23 वां	नई दिल्ली	13 और 14 जनवरी, 1977	
		(तीन) भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलनों के तुल्यकालन में हुई गतिविधियां।	
	मद्रास	5 और 6 अक्तूबर, 1972	
	गांधी नगर	30 दिसम्बर, 1973	
	शिलांग	6 नवम्बर, 1974	
	शिमला	2 जून, 1976	

(1)	(2)	(3)	(4)
60 वां	रोम	21 से 29 सितम्बर, 1972	8 सदस्यों के एक भारतीय संसदीय शिष्टमण्डल ने भाग लिया।
61 वां	टोक्यो (जापान)	2 से 11 अक्तूबर, 1974	9 सदस्यों के एक भारतीय संसदीय शिष्टमण्डल ने भाग लिया।
62 वां	लन्दन (यू० के०)	4 से 12 सितम्बर, 1975	7 सदस्यों के एक भारतीय संसदीय शिष्टमण्डल ने भाग लिया।
63 वां	मैड्रिड (स्पेन)	23 सितम्बर से 1 अक्तूबर, 1976	8 सदस्यों के एक भारतीय संसदीय शिष्टमण्डल ने भाग लिया।
	(दो) <u>अन्तर्संसदीय संघ की पूंजी कोष की बैठकें</u>		
	कारकास (वेनेजुएला)	12 से 18 अप्रैल, 1971	3 सदस्यों के एक भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।
	याउंडे (कैमरून)	4 से 9 अप्रैल, 1972	4 सदस्यों के एक भारतीय संसदीय शिष्टमण्डल ने भाग लिया।
	अबिदजान (आइवरी कोस्ट)	23 से 28 अप्रैल, 1973	4 सदस्यों के एक भारतीय संसदीय शिष्टमण्डल ने भाग लिया।
	बुखारेस्ट (रोमानिया)	16 से 20 अप्रैल, 1974	4 सदस्यों के एक भारतीय संसदीय शिष्टमण्डल ने भाग लिया।
	श्री लंका	1 से 5 अप्रैल, 1975	7 सदस्यों के एक भारतीय संसदीय शिष्टमण्डल ने भाग लिया।
	मेक्सिको	20 से 24 अप्रैल, 1976	4 सदस्यों के एक भारतीय संसदीय शिष्टमण्डल ने भाग लिया।
	(तीन) <u>राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन</u>		
17 वां	कुआलालम्पुर (मलेशिया)	सितम्बर, 1971	6 सदस्यों के एक भारतीय संसदीय शिष्टमण्डल ने भाग लिया।

(1)	(2)	(3)	(4)
18 वां	सालिसबरी (यूनाइटेड किंगडम)	अक्तूबर, 1972	- तदेव -
19 वां	लन्दन (यू० के०)	सितम्बर, 1973	- तदेव -
20 वां	कोलम्बो (श्री लंका)	सितम्बर, 1974	- तदेव -
21 वां	नई दिल्ली (भारत)	अक्तूबर-नवम्बर, 1975	11 सदस्यों के एक भारतीय संसदीय शिष्टमण्डल ने भाग लिया।
22 वां	पोर्ट लुई (मारिशस)	सितम्बर, 1976	6 सदस्यों के एक भारतीय संसदीय शिष्टमण्डल ने भाग लिया।

(ग) राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की सामान्य परिषद की बैठकें

कुआलालम्पुर (मलेशिया)	सितम्बर, 1971	2 सदस्यों के एक भारतीय संसदीय शिष्टमण्डल ने भाग लिया।
सालिसबरी (यूनाइटेड किंगडम)	अक्तूबर, 1972	- तदेव -
लन्दन	सितम्बर, 1973	- तदेव -
कोलम्बो (श्री लंका)	सितम्बर, 1974	- तदेव -
नई दिल्ली (भारत)	अक्तूबर-नवम्बर, 1975	- तदेव -
पोर्ट लुई (मारिशस)	सितम्बर, 1976	- तदेव -

(घ) राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की भारतीय शाखाओं के सभापतियों की बैठक

शिलांग	7-11-1974
नई दिल्ली	24-3-1975
शिमला	1-6-1976

(ङ) राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की भारतीय शाखाओं के सचिवों की बैठक

नई दिल्ली	19-5-1975
नई दिल्ली	24-3-1975

1	2	3	4
	(सात) राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों तथा वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मेलन		
3 वां	लुसाका (जाम्बिया)	सितम्बर, 1973	लोक सभा के अध्यक्ष ने भाग लिया।
4 वां	लन्दन	सितम्बर, 1976	लोक सभा के अध्यक्ष ने भाग लिया।
	(आठ) संसदों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन		
	ओटावा (कैनेडा)	अगस्त, 1972	लोक सभा के संयुक्त सचिव ने भाग लिया।
	रोम	अक्तूबर, 1972	लोक सभा के सचिव ने भाग लिया।
	आबिदजान	अप्रैल, 1973	राज्य सभा के महासचिव ने भाग लिया।
	बुखारेस्ट	अप्रैल, 1974	राज्य सभा के महासचिव ने भाग लिया।
	टोकियो	अक्तूबर, 1974	लोक सभा के महासचिव ने भाग लिया।
	श्री लंका	अप्रैल, 1975	लोक सभा के महासचिव ने भाग लिया।
	लन्दन	सितम्बर, 1975	लोक सभा के महासचिव ने भाग लिया।
	पाकिस्तान	अप्रैल, 1976	लोक सभा के अतिरिक्त सचिव ने भाग लिया।
	मैड्रिड	सितम्बर, 1976	लोक सभा के महासचिव ने भाग लिया।

9

[redacted]

दर्शक

लोक सभा की बैठकों के दौरान सदन के उन भागों में, जो सदस्यों के अन्य उपयोग के लिए आरक्षित न हों, अजनबियों का प्रवेश अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाता है। सभा के सदस्यों के अतिरिक्त सभी व्यक्तियों को अजनबी माना जाता है सिवाय सभा के अधिकारियों तथा सभा में काम पर लगाये गये कुछ कर्मचारियों के। जब सभा की बैठक हो रही हो, तो सभा भवन सदस्यों के अन्य प्रयोग के लिए आरक्षित किया जाता है और वहां पर किसी अजनबी को आने की अनुमति नहीं दी जाती। सभा के अन्य भाग जहां अजनबियों को कुछ विशिष्ट शर्तों के अन्तर्गत आने की अनुमति है, निम्नलिखित हैं: भीतरी तथा बाहरी सभा कक्ष, गैलरियां और स्ट्रेंजर्स हाल जो सभाध्यक्ष का सभाध्यक्ष का अंग माना जाता है। सभा भवन, सभाकक्ष और गैलरी सभा के 'भीतरी' परिसर हैं।

विभिन्न गैलरियों में अजनबियों के प्रवेश का विनियमन नियमों के अनुसार किया जाता है, जो अध्यक्ष के निदेशों के अनुसार जारी किए गए हैं। विशेष मौकों (अवसरों) को छोड़कर जिसमें प्रवेश के लिए कोई कार्ड जारी नहीं किए जाते गैलरियों में प्रवेश, कार्डों के माध्यम से होता है।

अध्यक्ष की गैलरी और सम्मानित दर्शकों की गैलरी उन व्यक्तियों के लिए है, जो कि देश में राज्यों के विधानमंडलों के सदस्य हैं, केन्द्रीय विधानमंडल तथा संसद के भूतपूर्व सदस्य हैं, लोक सभा के सदस्यों की पत्नियां हैं, उच्च अधिकारी हैं, सार्वजनिक जीवन में प्रमुख व्यक्ति हैं और विदेशों से आये सम्मानित अतिथि हैं।

303

राजनयिकों की गैलरी

राजनयिकों की गैलरी केवल विदेशी राजनयिकों के लिए है।

विशेष अतिथि (गण)

विशेष अतिथि राष्ट्रपति के परिवार तथा उनके अतिथियों, राज्यों के राज्यपालों, विदेशी राज्यों के अध्यक्षों और उनके प्रधानमंत्रियों, विदेशी के युवराजों तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों अर्थात् भूतपूर्व राष्ट्रपतियों और भूतपूर्व गवर्नर जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्य मंत्रियों, आदि के लिए आरक्षित है।

सार्वजनिक गैलरी

सार्वजनिक गैलरी जनता के लिए है। सदस्य केवल उन व्यक्तियों के लिए दर्शक कार्ड के लिए प्रार्थनापत्र दे सकता है, जिन्हें वह स्वयं जानता हो और कुछ मामलों में, उन लोगों के लिए, जिनका परिचय उससे ऐसे व्यक्तियों ने कराया हो, जिन्हें सदस्य स्वयं जानता हो।

राज्य सभा गैलरी : राज्य सभा गैलरी केवल राज्य सभा के सदस्यों के लिए है जो लोक सभा को कार्यवाही देखना चाहते हों।

अधिकारियों की गैलरी : अधिकारियों की गैलरी भारत सरकार के केवल उन अधिकारियों के लिए और कुछ मामलों में राज्य सरकार के उन अधिकारियों के लिए है, जिनकी उपस्थिति सभा के सामने किसी कार्य के संबंध में आवश्यक हो।

पत्रिका लोक सभा के अधिवेशन में विभिन्न गैलरियों में प्रदर्शकों की संख्या तथा संसद भवन परिसर में विदेशी प्रतिनिधिमंडलों तथा राजनयिकों की संख्या दिखाने वाली विवरण संख्या 29 तथा 30 हैं।

-:: 3 ::-

सत्रों के बीच की अवधि में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे दर्शकों को संसद भवन दिखाया जाये। दर्शकों की स्वागत कार्यालय द्वारा जारी किए गए अनुज्ञापत्र पर सूचीकरण जारी होने के बाद 40 या 50 के सुविधाजनक समूहों में संसद भवन दिखाया जाता है। दर्शकों की लोक सभा भवन और सेन्ट्रल हाल दिखाया जाता है।

पर्यटन एवं खेल मंत्रालय में संसद भवन के दर्शकों के तर्कसंगत आंकड़े दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

~~परिशिष्ट~~

29 अप्रैल - संसद परिसर में संसद भवन में दौरान संसद भवन में आने वाले विदेशी शिष्टमंडलों/गणमान्य व्यक्तियों का विवरण

(मार्च, 1971 से जनवरी, 1977 तक)

क्रम संख्या	शिष्टमंडल/गणमान्य व्यक्ति	टिप्पणी
1	2	3
	अप्रैल-दिसम्बर, 1971 *	
1-	पांच सदस्यों का इंडोनेशिया के संसद सदस्यों का दल	राज्य सभा की कार्यवाही देखी
2-	श्री आर० वी० वेंकटपैट, सेक्रेटरी जनरल आफ० सी० पी० ए०	
3-	दो ब्रिटिश संसद सदस्य	लोक सभा की कार्यवाही देखी।
4-	कनाडा के तीन संसद सदस्य	तदैव
5-	आयरलैंड के दो संसद सदस्य	तदैव
6-	माननीय सर एमिलो पास्सि-स्युइ, स्पीकर आफ दि हाउस आफ० रिप्रिजेंटेटिव्ज, सिरासियोन	लोक सभा तथा राज्य सभा की कार्यवाही देखी
7-	जर्मन हैमीडेटिक रिपब्लिक का तीन सदस्यों का संसदीय शिष्टमंडल	
8-	अमरीका के सिनेटर एडवर्ड केनेडी	संसद सदस्यों के सामने भाषण
9-	लेबनान के उपाध्यक्ष तथा 2 संसद सदस्य	
10-	दक्षिण कोरिया के दो संसद सदस्य	
11-	श्री किम्मी, संसद सदस्य (जापान)	
12-	सात सदस्यों का रूसी सांस्कृतिक शिष्टमंडल	
13-	स्वाजी राष्ट्रीय परिषद के पांच सदस्यों का शिष्टमंडल	लोक सभा की कार्यवाही देखी।
14-	दो दक्षिणी अमरीकी	लोक सभा तथा राज्य सभा की कार्यवाही देखी।
15-	दो अमरीकी सिनेटर	लोक सभा की कार्यवाही देखी।
16-	परम श्रेष्ठ श्री रशीद करामे, लेबनान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री	

* उपरोक्त शिष्टमंडलों और गणमान्य व्यक्तियों के अतिरिक्त 19 प्रतिष्ठित दर्शक भी वर्ष 1971 के दौरान संसद भवन आये।

क्र.	1	2	3
		अक्तूबर - दिसम्बर, 1972 *	
17-		15 सदस्यों का यूगोस्लाविया का संसदीय शिष्टमंडल	लोक सभा तथा राज्य सभा की कार्यवाही देखी।
18-		परम श्रेष्ठ आर० डी० एडेस, ऐम्बेसेडर, हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव्स, फिजी	तदैव
19-		परम श्रेष्ठ दाशी शिरब्बार लामा, ऐम्बेसेडर, नेशनल असेम्बली, भूटान	तदैव
20-		11 सदस्यों का पोलैंड का संसदीय शिष्टमंडल	तदैव
21-		परम श्रेष्ठ सिनेटर, पैट्रीशियो पोर्टेला नुनेज, फ्रेंजीडेंट, सीनेट, ब्राजील तथा श्रीमती नुनेज	
22-		त्रिनिडाड तथा टोबागो के कांस्टीट्यूशन कमीशन के दो सदस्य	लोक सभा तथा राज्य सभा की कार्यवाही देखी
23-		मुहम्मद कासिम, सेवार मंत्री, गियाना	तदैव
24-		श्री जानसन, संसद सदस्य (जमाइका)	तदैव
25-		श्री रोड्रिगेज [illegible], संसद सदस्य (वेनेजुएला)	
26-		श्री जिरी मैसनेर, सेक्रेटरी जनरल, चेकोस्लोवाक सोसायटी फार इंटरनेशनल रिलेशन्स	
27-		श्री गार्डन एच० ठौडिंग, अध्यक्ष, लेजिस्लेटिव असेम्बली ब्रिटिश कोलम्बिया तथा श्रीमती ठौडिंग	
		दिसम्बर 1972 - जनवरी 1973 **	
28-		सात सदस्यों का जी डी आर का संसदीय शिष्टमंडल	लोक सभा तथा राज्य सभा की कार्यवाही देखी
29-		परमश्रेष्ठ आर० कारमियो कास्तिलो, एम०पी० (वेनेजुएला) तथा श्रीमती कास्तिलो	
30-		10 सदस्यों का स्विटजरलैंड का संसदीय शिष्टमंडल	तदैव

* उपरोक्त शिष्टमंडलों और संक्षिप्त व्यक्तियों के अतिरिक्त 15 प्रतिष्ठित दर्शक भी वर्ष 1972 के दौरान संसद भवन आये।

** उपरोक्त शिष्टमंडलों और संक्षिप्त व्यक्तियों के अतिरिक्त 20 प्रतिष्ठित दर्शक भी वर्ष 1973 के दौरान संसद भवन आये।

1	2	3
31-	परमश्रेष्ठ श्री इन्नी लिकानी, अध्यक्ष, नेशनल एसेम्बली, श्री लंका तथा श्रीमती लिकानी	तदैव
32-	6 सदस्यों का ब्रिटिश संसद का दल	लोक सभा की कार्यवाही देखी
33-	पांच सदस्यों का जुगोस्लाविया का संसदीय शिष्टमंडल	तदैव
34-	श्री एमिलिया सिना रिबेरो, ब्राजील संसद सदस्य	तदैव
35-	9 सदस्यों का रिपब्लिक आफ कोरिया का संसदीय शिष्टमंडल	तदैव
36-	12 ब्रिटिश संसद सदस्य	
37-	मिनिस्टर चार्ल्स एम0 मैथियास (मैरीलैंड)	
38-	डा0 सैय्यद वाहिद, संसद सदस्य (ईरान)	लोक सभा की कार्यवाही देखी
39-	श्रीमती जाहीन बेग नारायण, संसद सदस्य (फिजी)	लोक सभा तथा राज्य सभा की कार्यवाही देखी।
40-	परम श्रेष्ठ श्री बेन्जामिन हार्ट, रिपब्लिक आफ कोरिया के प्रेजिडेंट के विशेष दूत	लोक सभा की कार्यवाही देखी
41-	सर हैरिसन बर्टन, कमोडोर, ब्रिटिश हाउस	लोक सभा तथा राज्य सभा की कार्यवाही देखी।
42-	साउथ कैरोलिना के गवर्नर जान वेस्ट	
43-	डा0 (श्रीमती) जानसन, प्रेजिडेंट, सीनेट आफ अलबामास	
44-	श्री रोजर ब्लाबट, संसद सदस्य (यू0 के0)	तदैव
45-	परम श्रेष्ठ बोब्राअदम साबी एमवावा, मिनिस्टर आफ स्टेट आफ कैपीटल डैवलपमेंट प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट आफ तन्जानिया	तदैव
46-	डा0 पिओ-कारलो टोरिजो, सेक्रेटरी जनरल आई पी यू,	

1974 1974 *

47-	नौ सदस्यों का आस्ट्रेलिया का संसदीय शिष्ट मंडल	
48-	परम श्रेष्ठ सर मैगनस कारमाक, प्रेजिडेंट, आस्ट्रेलियन सीनेट	

* उपरोक्त शिष्टमंडलों और संलग्न व्यक्तियों के अतिरिक्त 2। प्रतिष्ठित दर्शक भी वर्ष 1974 के दौरान संसद भवन आये।

1	2	3
49-	19 सदस्यों का चैकोस्लोवाक संसदीय शिष्टमंडल	लोक सभा तथा राज्य सभा की कार्यवाही देखी।
50-	चार सदस्यों का फ्रांसीसी सीनेटरों का दल	तदैव
51-	परम श्रेष्ठ श्री अब्दुल मलिक उकील, सोफिया, बांग्लादेश संसद	
52-	दस सदस्यों का अरब रिपब्लिक आफ इजिप्ट का संसदीय शिष्टमंडल (बांग्लादेश जाते हुए)	तदैव
53-	श्री रातु जीसेया तवाविया, दि तुई वुका तथा फिजी की सीनेट का सदस्य	तदैव
54-	परम श्रेष्ठ श्री शैव नारायण, डोगर, नेशनल असेम्बली थिाना तथा श्रीमती शैव नारायण	तदैव
54(क)-	श्री रसेल डी राव, डिप्टी स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेम्बली ओंटारियो तथा श्रीमती जान ए० हास्टी, सैक्रेटरी, लेजिस्लेटिव असेम्बली, ओंटारियो (पारगमन यात्रा)	
55-	परम श्रेष्ठ सिनेटर गोंजेस बाप्तिस्ता, प्रेजीडेंट, वैनेजुएला कांग्रेस (अर्थात वेनेजुएला)	
56-	सात सदस्यों का रूमानिया का संसदीय शिष्टमंडल	तदैव
57-	परम श्रेष्ठ श्री गटटूम हसन, स्पीकर, नार्वीजियन पार्लियामेंट, तथा श्रीमती हसन तथा श्री गुन्नार हाय, सैक्रेटरी जनरल, नार्वीजियन पार्लियामेंट तथा श्रीमती हाय०	तदैव
58-	आठ सदस्यों का चैकोस्लोवाकिया का संसदीय शिष्टमंडल	तदैव
59-	सात सदस्यों का पोलैंड का संसदीय शिष्टमंडल	तदैव
60-	डा० एल० मोंडा, संसद सदस्य (सूरीनाम)	लोक सभा की कार्यवाही देखी)
61-	श्री जी० एच० डाडिंग, स्पीकर ब्रिटिश कोलम्बिया (कनाडा)	तदैव
62-	पश्चिमी जर्मनी के संसद सदस्य	तदैव
63-	नेपाल के प्रधान मंत्री	तदैव

1	2	3

1975 *

64-	श्री पैट्रो बेरो, संसद सदस्य, प्रेजीडेंट, पार्टिन रिवोल्यूशनरी कमेटी, श्री रैमन फर्नान्डीज, संसद सदस्य तथा श्री फर्नान्डो सैलेमेटस, संसद सदस्य, कोलम्बिया तथा उनकी पत्नियां	लोक सभा की कार्यवाही देखी
65-	6 सदस्यों का मंगोलियन संसदीय शिष्टमंडल	तदैव
66-	पांच सदस्यों का संसदीय शिष्टमंडल, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक आफ कोरिया (उत्तर कोरिया)	तदैव
67-	चार सदस्यों का जी डी आर का संसदीय शिष्टमंडल (कोलम्बिया की यात्रा पर)	तदैव
68-	परम श्रेष्ठ श्री मिल्को तारावानोव, फ्रंट डिप्टी चेयरमैन, नेशनल असैम्बली, बुल्गारिया	लोक सभा तथा राज्य सभा की कार्यवाही देखी।
69-	पांच सदस्यों का युगोस्लाविया का संसदीय शिष्टमंडल	तदैव
70-	तीन सदस्यों का नेपाल का संसदीय शिष्टमंडल (पारगमन यात्रा)	तदैव
71-	दस सदस्यों का फ्रेंच संसदीय शिष्टमंडल	तदैव
72-	सर जान कैथरवुड, सैक्रेटरी जनरल, सी०पी०ए०	
73-	कोलम्बिया के पांच सदस्य (दो पत्नियों के साथ)	तदैव
74-	नौ सदस्यों का इंडोनेशिया का संसदीय शिष्टमंडल	तदैव
75-	आठ सदस्यों का फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी का संसदीय शिष्टमंडल	
76-	जी०डी० आर० की स्टेट कौंसिल के डिप्टी चेयरमैन	लोक सभा की कार्यवाही देखी
77-	यूरोपीय समुदाय के कमीशन के प्रेजीडेंट	तदैव
78-	रिपब्लिक आफ कोरिया के विदेश मंत्री	
79-	जी० डी० आर० के संसद सदस्य	तदैव
80-	श्री जगन्नाथ डिवाल, संसद सदस्य (सूरिनाम)	तदैव

* उपरोक्त शिष्टमंडलों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अतिरिक्त 29 प्रतिष्ठित दर्शक भी वर्ष 1975 के दौरान संसद भवन आये।

1	2	3
	1976	
81-	श्री के0 सुब्बाराव, संसद सदस्य तथा मारिशस की लेबर पार्टियामेंट के मुख्य सचेतक तथा श्री ए0 दी0 बेटिट्यार, संसद सदस्य, मारिशस।	लोक सभा तथा राज्य सभा की कार्यवाही देखी
82-	11 सदस्यों का कुवैत का संसदीय शिष्टमंडल	तदैव
83-	माननीय डोमी फ्रोनोटी, हिप्टी स्पीकर, इंडोनेशिया पार्लियामेंट (पारगमन यात्रा)	तदैव
84-	श्री एम0 एम0 चिलेसकुटा, क्लार्क, नेशनल असेम्बली जाम्बिया।	
85-	सेनेटरी, अमरीकी सीनेट	लोक सभा की कार्यवाही देखी
86-	माननीय जे0 के0 मुरिगी, संसद सदस्य, हिप्टी स्पीकर, केन्या नेशनल असेम्बली।	
87-	श्रीमती मारग्रेट मुरे एम0 पी0 (जेडब्वार)	
88-	माननीय श्री आरनोट स0 वेकमन, एम एस सी (बारबुडा)	
	1977	
89-	ग्यारह सदस्यों का युगोस्लाव संसदीय शिष्टमंडल	
90-	7 सदस्यों का जापानी संसदीय शिष्टमंडल	

30 अक्टू - प्रतिवादी लोक सभा के सदस्यों की बैठकों के दौरान विभिन्न दीर्घाओं में आने वाले दर्शकों की संख्या बताने वाला विवरण

क्रम संख्या	दीर्घा का नाम	दीर्घा में आने वाले दर्शकों की संख्या	कुल प्रतिशतता
1.	सार्वजनिक दीर्घा	2,87,201	90.79 %
2.	सरकारी दीर्घा	6,526	2.07 %
3.	अध्यक्ष दीर्घा	2,623	0.82 %
4.	प्रतिष्ठित दर्शकों की दीर्घा	8,077	2.56 %
5.	राज्य सभा दीर्घा	6,120	1.93 %
6.	राजनयिक दीर्घा	2,995	0.94 %
7.	विशेष दीर्घा	2,387	0.76 %
8.	विशेष कक्ष	415	0.13 %
	कुल	3,16,344	100.00 %

3| ३७ - पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान संसद भवन में आने वाले पर्यटकों की संख्या के संबंध में विवरण

वर्ष	संख्या
1971	2,22,219
1972	28,886
1973	77,767
1974	29,181
1975	12,708
1976	8,896
योग :	3,75,667

10

अध्याय दस

प्रेस

प्रेस संवाददाताओं को दी गई सुविधाएँ

प्रेस गैलरी की सुविधाएँ :

गैलरी में 98 संवाददाताओं के बैठने के लिए स्थान है। प्रत्येक स्थान पर लाउडस्पीकर लगा है। पक्की दो पंक्तियों में लिखने के लिए काँटे काँटे ठीक हैं और ये विशेष समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों को प्रेस गैलरी समिति के परामर्श से दिए जाते हैं। गैलरी में 68 टेलीफोन भी लगे हैं जिनसे साथ साथ भाषान्तर सुना जा सकता है।

संसदीय पत्र तथा अन्य सुविधाओं का दिया जाना :

प्रेस संवाददाता सभा की कार्यवाही ठीक प्रकार से समझ सकें इसलिए उन्हें आवश्यक संसदीय पत्र तथा प्रकाशित किए गए विवरण दिए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त विभिन्न सभाओं के वादविवाद, संसदीय समितियों की रिपोर्टें और सभापटल पर रखे गये पत्र आदि उनके प्रयोग के लिए रखा जाता है। इसके अतिरिक्त एक छोटा सा प्रेस पुस्तकालय है, जिसमें वे पुस्तकें हैं, जिन्हें सामान्यतया प्रेस संवाददाता देखते हैं।

प्रेस कक्ष की सुविधाएँ :

प्रेस के तीन कमरे, जिनमें मेज कुर्सी लगी हैं समाचार एजेंसियों और अन्य समाचारपत्रों के संवाददाताओं के लिए रखे गये हैं जिनमें बैठकर वे अपना काम कर सकते हैं और समाचार तैयार कर सकते हैं। प्रत्येक कमरे में संवाददाताओं के लिए एक टेलीफोन है। उसके अतिरिक्त वहाँ पर कुछ टेलीफोन बूथ बनाये गये हैं, जो विशेष समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के लिए हैं।

प्रेस रिलीज़ का जारी किया जाना :

सभा में पेश की गई संसदीय समितियों जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की रिपोर्टों के संबंध में संवाददाताओं की अपनी समाचार तैयार करने में सहायता देने के लिए ~~सम्बन्धित~~ इन रिपोर्टों के संबंध में लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रेस रिलीज़ जारी किए जाते हैं। इनमें उन रिपोर्टों की सिफारिशों/या समिति समिति के विचारों के सम्बंध में उल्लेखनीय बातों पर प्रकाश डाला जाता है।

लोक सभा के सत्रों की बुलाने तथा स्थगन के बारे में भी तथा संसदीय समितियों की बैठक बुलाने तथा संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के सम्मेलन तथा दौरों के बारे में भी प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है।

लोक सभा की प्रेस गैलरी में प्रवेश पाने वाले भारतीय तथा विदेशी प्रेस संवाददाताओं, समाचारपत्रों एवं समाचार एजेंसियों के बारे में (पांचवीं लोक सभा के 16 वें सत्र पर आधारित) अलग विवरण संख्या 32 में दिखाये गये हैं।

39 - लोक सभा की प्रेस दीर्घा

(पृथ्वी लोक सभा 16 वें सत्र पर आधारित आंकड़े)

1-	प्रविष्ट पत्र सम्वाददाताओं की कुल संख्या	209
2-	भारतीय समाचार पत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले पत्र सम्वाददाता	98
3-	भारतीय समाचार एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पत्र सम्वाददाता	71
4-	विदेशी समाचार पत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले पत्र सम्वाददाता	18
5-	विदेशी समाचार एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पत्र सम्वाददाता	22
6-	भारतीय समाचार पत्र तथा समाचार एजेंसियाँ, जिनको प्रतिनिधित्व मिला है	72
7-	विदेशी समाचार पत्र तथा समाचार एजेंसियाँ, जिनको प्रतिनिधित्व मिला	29
8-	पत्रकार दीर्घा में स्थानों की संख्या	98
9-	विशेष समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों की एलाट की गई स्थानों की संख्या	60
10-	पत्रकार दीर्घा में प्रतिनिधित्व पाने वाले भारतीय समाचार पत्रों का मिलित प्रकाशन	40 लाख (लगभग)

II

विविध

ग्रंथालय, संदर्भ, शोध, प्रलेखन तथा सूचना सेवा

ग्रंथालय, संदर्भ, शोध, प्रलेखन तथा सूचना सेवा का मुख्य उद्देश्य अद्यतन तथा समृद्ध ग्रंथालय तथा कुशल शोध तथा संदर्भ सेवाओं की व्यवस्था करके संसद सदस्यों को भारत तथा विदेशों में घटने वाली दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी देते रहना है। यह सेवा दोनों सदनों — लोक सभा तथा राज्य सभा — के समक्ष आने वाले विधायी कानूनी उपायों तथा अन्य मामलों के बारे में संदर्भ सामग्री की व्यवस्था करती है ताकि संसद सदस्य अपने-अपने सदनों में वाद-विवाद में प्रभावी रूप से भाग ले सकें।

सेवा में दो काफी स्वयं स्वयंपूर्ण प्रभाग हैं :-

(एक) ग्रंथालय संदर्भ तथा प्रलेखन प्रभाग और (दो) शोध तथा सूचना प्रभाग।

(एक) <u>ग्रंथालय संदर्भ तथा प्रलेखन प्रभाग</u>

ग्रंथालय तथा प्रलेखन के तीन विभाग हैं, अर्थात् (1) ग्रंथालय विभाग, (2) संदर्भ विभाग और (3) प्रलेखन विभाग — जो एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करते हैं।

(1) <u>ग्रंथालय विभाग</u>

सदस्यों को ग्रंथालय सेवा संसद ग्रंथालय द्वारा प्रदान की जाती है जो ग्रंथालय हाल में तथा संसद भवन की निचली मंजिल पर इससे लगे हुए कमरों में स्थित है। इसके अन्तर्गत कार्य पुस्तकों, पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों आदि को प्राप्त करना, उन्हें प्रोसेस करना, जारी करना और उनका परिरक्षण है।

इस समय ग्रंथालय में 5,00,000 से भी अधिक पुस्तकें हैं। ग्रंथालय में 197 भारतीय तथा विदेशी समाचार-पत्र तथा अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में 912 पत्रिकाएं नियमित रूप से आती हैं।

केवल संसद् सदस्य ही ग्रंथालय से पुस्तकें ले सकते हैं। ग्रंथालय से पुस्तकें ग्रंथालय नियमों के अंतर्गत दी जाती हैं।

(2) संदर्भ विभाग :

संदर्भ विभाग सदस्यों को जो सुविधाएं प्रदान करता है वे मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं :-

(1) प्रकाशित दस्तावेजों में दिए गए संदर्भों को तत्काल संधान।

(2) अध्ययन तथा संदर्भ कार्य से संबंधित सामग्री, तथ्यात्मक आंकड़े, सांख्यिकी आदि का संग्रह।

(3) संसद् के समक्ष आने वाले महत्वपूर्ण विधेयकों की ग्रंथ-सूचियां तैयार करना और

(4) संसद् के समक्ष आने वाले महत्वपूर्ण विषयों पर संदर्भ नोट, कटिंग इन्फोर्मेशन डाइजेस्ट तथा 'फैक्ट शीट' तैयार करना।

सामान्यतया, किसी विषय पर जानकारी चाहने वाले सदस्य संदर्भ विभाग से लिखित मांग करते हैं। तथापि, संदर्भ संबंधी अपेक्षाएं मौखिक रूप या व्यक्तिगत रूप से अथवा टेलीफोन पर भी सुनी जाती हैं। अपेक्षित जानकारी प्रामाणिक पुस्तकों, प्रतिवेदनों तथा सरकारी प्रकाशनों में उपयुक्त तथ्यात्मक रूप में संग्रहीत और संचित की जाती है तथा संभावित निर्धारित समय सीमा में सदस्यों को सूचना दी जाती है।

विभाग का संदर्भ अध्ययन अनुभाग सदस्यों की सब प्रति सब तथा दिन प्रतिदिन की संदर्भ संबंधी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने का प्रयास करता है तथा उसका लक्ष्य आवश्यक सामग्री पहले से ही तैयार

करने का रहता है ताकि उसे अद्यतन सूचना मिलने पर उपलब्ध किया जा सके। सत्रकाल के दौरान ग्रंथालय ग्राउंड फ्लोर में विधेयकों अथवा सदनों के समक्ष विचाराधीन विषयों से सम्बद्ध साहित्य के अध्ययन में सदस्यों को सहायता करने हेतु अध्ययन पीठिकाएं ग्रंथालय (निचली मंजिल) में सत्रकाल में भी रखी जाती हैं। सदन के समक्ष आने वाले विधेयक अथवा अन्य किसी विषय से सम्बद्ध सभी पुस्तकें, प्रतिवेदन तथा अन्य दस्तावेज एकत्रित किये जाते हैं ताकि उन्हें एक ही स्थान पर सदस्यों को उपलब्ध किया जा सके।

पांचवीं लोक सभा में सदस्यों से 4094 संदर्भ प्राप्त हुए तथा उनके दैनिक संसदीय कार्य के संबंध में उनको विस्तार से जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त 4,889 संदर्भों को मौखिक रूप से तुरन्त जानकारी दी गई।

(3) प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग संसद ग्रंथालय में प्राप्त किए जाने वाले तथा रखी जाने वाली सभी दस्तावेजों तथा अभिलेखों जैसे पुस्तकों, प्रतिवेदन, पत्रिकाएं, समाचार-पत्रों को कतरने तथा अन्य सामग्री का पता लगाने, संग्रहीत करने और विषय वर्गीकरण ग्रंथ सूची तैयार करने के लिये उत्तरदायी है। उन्हें सामग्री के महत्व को देखते हुए अभिटिप्पण किया जाता है अथवा इनका सार तैयार किया जाता है। यह अभिटिप्पण की गई/सार तैयार की गई सामग्री सदस्यों को उपलब्ध कराने के अतिरिक्त इससे अनुसंधान शोध तथा संदर्भ कार्य में बहुत सहायता मिलती है। इस सेवा में किया गया प्रकाशन कार्य पत्रिका-प्रकाशनों और तदर्थ प्रकाशन सूचियों के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

(4) शोध तथा सूचना प्रभाग

सदस्यों के लिये संदर्भ सेवा के अनुरक्षण के रूप में मानी जाने वाली इस प्रभाग का लक्ष्य सामयिक रुचि के ऐसे विषयों, जिन पर जानकारी के लिये अधिक सामग्री मांगी जा सकती है, का पता लगाकर विधायकों को

आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने का रहता है।

इस प्रभाग के दो प्रकोष्ठ हैं जो कि विभिन्न विषयों से संबंधित हैं जैसे शोध तथा सूचना प्रकोष्ठ -I। जिसमें तीन स्वतंत्र पूर्ण वृत्तात्मक विभाग हैं अर्थात् आर्थिक तथा वित्तीय विभाग, संसदीय कार्य विभाग, विधि तथा सांविधानिक विभाग। शोध तथा सूचना प्रकोष्ठ-II के दो विभाग हैं अर्थात् सामाजिक कार्य विभाग और राजनैतिक कार्य विभाग।

शोध तथा सूचना अध्ययन

शोध तथा सूचना प्रभाग का उद्देश्य विचारविकास, सूचना कुंटिन, पृष्ठभूमि टिप्पण आदि समय पर जारी करके सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों में सामयिक समस्याओं से अवगत कराये रखना है। विभिन्न स्रोतों से, व्यापक अध्ययनों से और उपलब्ध सूचना पुस्तिकाओं से एकत्रित प्रमाणिक आंकड़ों और अद्यतन जानकारी के आधार पर तत्काल सामग्री निकाली जाती है और इसके सदस्यों को उपलब्ध की जाती है।

पत्रिकाएं

इस प्रभाग द्वारा निकाली गई कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकायें इस प्रकार हैं : (1) जनरल आन पार्लियामेंटरी इन्फॉर्मेशन (भारत तथा विदेशों में संसदीय तथा संवैधानिक गतिविधियों सम्बन्धी लेखों तथा अन्य नियमित स्तम्भों वाला एक त्रैमासिक प्रकाशन) (2) डाइजेस्ट ऑफ सेन्ट्रल स्टेट्स एण्ड कांस्टीट्यूशनल लॉज, उसमें संसद् द्वारा बनाये गए सभी केन्द्रीय कानूनों तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों के डाइजेस्ट होते हैं। (3) कांस्टीट्यूशनल एण्ड लेजिस्लेटिव लॉ का डाइजेस्ट (इसमें महत्वपूर्ण विधायी तथा अन्य विषयों के संबंध में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के निर्णयों के सार होते

320

दी (4) डायरी आफ पोलिटिकल इवेन्ट्स (भारत तथा अन्य देशों की राजनैतिक घटनाओं से सम्बद्ध, विषय-वार तथा कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित महत्वपूर्ण समाचारों के सार का साप्ताहिक प्रकाशन) और (5) डायजेस्ट आफ न्यूज एंड आर्टिकल्स इन पोलिटिकल जर्नल्स (पुस्तकालय में प्राप्त किये जाने वाली महत्वपूर्ण समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली विभिन्न सरकारी उपक्रमों के बारे में समाचारों और समीक्षाओं के सार का साप्ताहिक प्रकाशन) जैसी कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं भी निकालता है।

संक्षिप्त विवरण तथा शोध टिप्पण :

शोध तथा सूचना प्रभाग को अन्तर्संसदीय सम्मेलन तथा राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन जैसे विभिन्न संसदीय सम्मेलनों में भारतीय संसदीय शिष्ट मंडलों तथा विदेशों की आने वाली संसद् सदस्यों के अन्य सद्भाव शिष्टमंडलों के लिये 'संक्षिप्त विवरण' तथा शोध टिप्पण तैयार करने जैसा कार्य भी सौंपा जाता है।

प्रेस तथा जन संपर्क :

लोक सभा सचिवालय का प्रेस तथा जनसंपर्क अनुभाग प्रेस तथा जनसंपर्क कार्य की देखरेख करता है जिसमें मुख्यतया प्रेस तथा विभिन्न सरकारी प्रचार संगठनों एवं संचार साधनों के साथ संपर्क बनाये रखना शामिल है। यह अनुभाग लोक सभा की प्रेस दीर्घा से संबंधित सभी कार्य करता है। जिसमें प्रेस दीर्घा पास जारी करना तथा लोक सभा की कार्यवाही के नोट लेने वाले संवाददाताओं की सुविधाओं की व्यवस्था आदि भी, लोक सभा में किये गए कार्य तथा संबद्ध मामलों के बारे में प्रेस तथा जनता को जानकारी देना शामिल है।

सदस्यों को नवीनतम भारतीय तथा विदेशी समाचारों से भली-भांति अवगत कराने हेतु संसद भवन में अंग्रेजी तथा हिन्दी की टेली प्रिन्टर मशीनें लगाई गई हैं। सत्र काल के दौरान निर्वाचन मंडिल पर स्थित पुस्तकालय के बाहर दिन भर थोड़े थोड़े समय के बाद प्रदर्शन पट्टों पर महत्वपूर्ण समाचार लगाये जाते हैं।

यह अनुभाग अन्य प्रकाशनों के साथ साथ सदस्य परिचय भी निकालता है। संसद की गतिविधियों के बारे में समय समय पर सरकारी एजेंसियों के सहयोग से प्रदर्शनियों की व्यवस्था करता है और तह किये हुए लोकप्रिय फोल्डर निकालता है।

<u>हिन्दी प्रकाशन</u>

हिन्दी प्रकाशन हिन्दी में जानकारी चाहने वाली सदस्यों से प्राप्त संदर्भों पर ध्यान देती है। इसके अतिरिक्त प्रकाशन हिन्दी के चुने हुए विषयों पर शोध तथा संदर्भ सामग्री तैयार करती है और जारी करती है और संसदीय तथा संवैधानिक मामलों पर लेखों आदि वाली हिन्दी त्रैमासिक पत्रिका 'संसदीय पत्रिका' का प्रकाशन भी करती है।

<u>संसदीय प्रकाशनों की बिक्री</u>

विधेयकों, वादविवादों, समितियों के प्रतिवेदनों तथा अन्य संसदीय प्रकाशनों को जनसामान्य को खरीदने की सुविधा देने के लिए संसद भवन के स्वागत कार्यालय में एक बिक्री काउन्टर खुला हुआ है। सभी संसदीय प्रकाशन तथा भारत सरकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन बिक्री काउन्टर से खरीदे जा सकते हैं। सम्पूर्ण प्रकाशनों पर संसद सदस्यों को 25 प्रतिशत छूट दी जाती है।

पन्द्रहवीं लोक सभा में संसदीय प्रकाशनों की बिक्री के बारे में विवरण पृष्ठ 35 है।

X विविध

33 ग्रन्थालय तथा सदर्भ, सूचि, पुनर्मुद्रण और सूचना सेवा

क संसदीय ग्रन्थालय की विकास प्रगति

मद	वर्ष					
	19 71	1972	1973	1974	19 75	1976
1- पत्रिकायें और पत्र	793	838	853	866	878	912
2- पुस्तकें और प्रतिवेदन	2,47,155	2,57,432	2,66,840	2,74,990	2,83,105	2,92,921
3- जारी किये गये प्रकाशन	19,353	14,500	14,475	9,233	13,796	16,757

ख - <u>संदर्भ सेवा</u>

निम्नलिखित विवरण तीसरी, चौथी तथा पांचवी लोक सभा की अवधि के दौरान वर्ष प्रतिवर्ष सदस्यों से प्राप्त संदर्भों की संख्या बताता है। इन संदर्भों के जिनके लिखित उत्तर सभा में दिये गये, अतिरिक्त, उसी समय 1650 संदर्भों का उत्तर तीसरी लोक सभा के दौरान, 3000 चौथी लोक सभा के दौरान और 4889 पांचवी लोक सभा के दौरान दिया गया :-

वर्ष	प्राप्त संदर्भों की संख्या
1962	340
1963	317
1964	326
1965	434
1966	480
1967	668
1968	725
1969	832
1970	700
1971	500
1972	600
1973	890
1974	950
1975	580
1976	574

ग - पुस्तकालय सभा के दौरान पुस्तकालय तथा संदर्भ सेवा द्वारा प्रदान तथा सूचना सेवा द्वारा प्रकाशित किये गये प्रकाशनों का ब्यौरा ।

प्रकाशन का नाम (1)	पृष्ठों की संख्या (2)
पुस्तिकायें तथा लीफ	1989
स्मारिकायें	1110
पुस्तकें	1230
सूचना पत्रक	823
पृष्ठाधार टिप्पण	809
सामयिक समाचार सार	83
तथ्य विवरणिका	261
साहित्य सूची/प्रलेखन सूचियां	495
योजना समितियों की कार्यवाही सूचना फोल्डर तथा बुकलेट	356
अंग्रेजी	320
हिन्दी	225
हिन्दी प्रकाशन	1082
<u>पत्रिकायें</u>	
एब्सट्रैक्ट्स एण्ड इन्डेक्स आफ रिपोर्ट्स एण्ड आर्टिकल्स (दिसम्बर, 1974 से बंद कर दिया गया)	1526
एब्सट्रैक्ट आफ बुक्स, रिपोर्ट्स एण्ड आर्टिकल्स (जनवरी, 1975 से आरंभ)	647
बुक्स आफ दि वीक (अप्रैल, 1975 से बंद कर दिया गया)	4241
डायरी आफ पालिटिकल इवेंट्स (जनवरी, 1975 से आरंभ)	1473
डाइजेस्ट आफ सेंट्रल एक्ट्स एण्ड कांस्टीट्यूशनल कैसेज (दिसम्बर, 1975 से बंद कर दिया गया)	1246
डाइजेस्ट आफ सेंट्रल एक्ट्स (जनवरी, 1976 से आरंभ)	223

(1)	(2)
डायजैस्ट आफ लेजिस्लेटिव एण्ड कांस्टीट्यूशन केसेज (जनवरी, 1976 से आगे)	130
डायजैस्ट आफ न्यूज एण्ड व्यूज आन शिड्यूल्ड कास्टस एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स (जुलाई, 1974 से बंद किया गया)	1507
डाइजैस्ट आफ वर्ल्ड इवेन्टस (जून, 1975 से बंद किया गया)	3194
डाक्यूमेंटेशन पार्लमेन्टरी (जनवरी, 1975 से आगे)	2796
जर्नल आफ पार्लियामेंटरी इन्फार्मेशन	5787
पार्लियामेंटरी लाइब्रेरी बुलेटिन	3419
पब्लिक अफेयर्स टाइम्स - डायजैस्ट आफ न्यूज एण्ड व्यूज	3596
संसदीय पत्रिका (हिन्दी)	5136

3438 - प्रतिरक्षा लोक सभा के सदस्य श्री नाथन सिंह को लिखे जाने वाले पत्र

वर्ष	पुस्तिकों की संख्या	राशि रुपये पैसे
1971	155,506	81,977.96
1972	239,499	66,423.94
1973	396,948	70,507.35
1974	483,274	105,159.29
1975	338,620	65,629.95
1976	29,301	85,095.51
1977 (18-1-77 तक)	275	364.00
कुल	16,43,423	4,75,658.00

संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो

केन्द्र तथा राज्यों में विधायी निकायों की निर्बाध, कुशल तथा त्वरित सेवा सुनिश्चित करने के लिए लोक सभा सचिवालय से संबद्ध प्रभाग के रूप में 1 जनवरी, 1976 को संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो की स्थापना की गई। ब्यूरो की स्थापना, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के संचालन के लिए जिम्मेदार उन सभी व्यक्तियों जैसे विधायकों, नीति निर्माताओं, प्रशासकों, तथा विभिन्न स्तर के अन्य विभिन्न कार्यकर्त्ताओं को संसदीय संस्थानों के विभिन्न पहलुओं, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन प्रणाली आदि के लिए क्रमबद्ध प्रशिक्षण, अनुस्थिति ज्ञान तथा समस्या और व्यवहारोन्मुख अध्ययन के लिए संस्थागत अवसर प्रदान करने के लिए की गई है।

ब्यूरो की गतिविधियों के कार्य इस प्रकार हैं:- नये विधायकों के लिए अनुस्थिति ज्ञान कार्यक्रम; संसद तथा राज्य विधानमंडल सचिवालयों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण तथा स्मरणात्मक पाठ्यक्रम; भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के प्रतिनियोजित अधिकारियों के लिए तथा भारत सरकार के वरिष्ठ तथा मध्यम स्तर के पदाधिकारियों के लिए परिचयात्मक पाठ्यक्रम। ब्यूरो विदेश प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करता है। जिसमें विदेशों के अध्ययन दौरे तथा भारत के विधानमंडलों के अधिकारियों को विदेशों में प्रतिनियुक्ति तथा विदेशों की विधानमंडलों के अधिकारियों का भारत में प्रशिक्षण, शामिल है। शिक्षाविदों, विश्वविद्यालय के अध्यापकों

का प्रशिक्षण तथा विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए 'लोक संसद' का आयोजन आदि कुछ अन्य कार्यक्रम भी व्यूरो ने बनाये हैं।

लोक सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय ने 17 मार्च, 1976 को व्यूरो का उद्घाटन किया और तब से व्यूरो ने 25 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रम चलाये और इनमें कुल 649 अधिकारियों ने भाग लिया।

(विवरण संख्या 35)

35. संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो द्वारा चलाये गये पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों के ब्यौरे दिखाने वाला विवरण (17 मई, 1976 से 5 अप्रैल, 1977 तक)

	पाठ्यक्रम	प्रारम्भ किए जाने की तिथि	समाप्ति की तिथि	समय	भाग लेने वालों की संख्या
	1	2	3	4	5
1.	राज्य विधानमंडल सचिवालयों के मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए प्रथम सघन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।	17-5-1976	24-7-1976	10 सप्ताह	20
2.	राज्य विधानमंडलों के मार्शल्स एट आर्म्स, सार्जेंट तथा लाज स्पेशल ऑफीसर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।	13-9-1976	25-9-1976	2 सप्ताह	24
3.	कोलंबो योजना एसोसिएशन के वरिष्ठ संसदीय अधिकारियों के लिए अध्ययन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम।	1-9-1976	30-9-1976	4 सप्ताह	1
4.	संसदीय अधिकारियों के लिए अंग्रेजी भाषा तथा लेखन कुशलता के लिए अनुस्थितिकालीन कार्य शिविर।	4-10-1976	28-10-1976	3 सप्ताह	26
5.	राज्य विधान मंडल सचिवालय के पुस्तकालयों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।	19-10-1976	5-11-1976	3 सप्ताह	26
6.	भारत सरकार के उप सचिव तथा अवर सचिव पद के अधिकारियों के लिए संसदीय अध्ययन पाठ्यक्रम				
	प्रथम पाठ्यक्रम	9-11-1976	16-11-1976	6 दिन (दिन के पूर्वाह्न में)	29
	द्वितीय पाठ्यक्रम	24-11-1976	30-11-1976	- तदैव -	28
	तृतीय पाठ्यक्रम	10-12-1976	17-12-1976	- तदैव -	24
	चतुर्थ पाठ्यक्रम	23-12-1976	30-12-1976	- तदैव -	27

1	2	3	4	5
पंचम पाठ्यक्रम	11-1-1977	17-1-1977	- तदैव -	25
षष्ठ पाठ्यक्रम	9-2-1977	17-2-1977	- तदैव -	35
7. भारत सरकार के अनुभाग अधिकारियों तथा संसदीय सचिवों के लिए सघन तथा बुनियादी पाठ्यक्रम				
प्रथम सघन पाठ्यक्रम	3-1-1977	11-1-1977	6 दिन	24
प्रथम बुनियादी पाठ्यक्रम	1-2-1977	9-2-1977	6 दिन (दिन के पूर्वार्द्ध में)	43
द्वितीय बुनियादी पाठ्यक्रम	1-3-1977	9-3-1977	- तदैव -	42
8. भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए परिचयन पाठ्यक्रम।				
प्रथम पाठ्यक्रम	27-1-1977	31-1-1977	4 दिन	68
द्वितीय पाठ्यक्रम	23-2-1977	26-2-1977	4 दिन	72
9. कनिष्ठ वर्ग लिपिकों के लिए कंप्यूटर टाइपराइटिंग तथा आशुलिपि का बुनियादी पाठ्यक्रम।	15 जनवरी -	15 मार्च, 1977	दो सप्ताह (डेढ़ घंटा प्रतिदिन)	22
10. आशुलिपिकों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम	- तदैव -		दो सप्ताह (डेढ़ घंटा प्रतिदिन)	34
11. कनिष्ठ आशुलिपिकों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम।	- तदैव -		- तदैव -	32
12. हिन्दी आशुलिपिकों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम।	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	2
13. कनिष्ठ लिपिकों के लिए हिन्दी आशुलिपि का बुनियादी पाठ्यक्रम।	- तदैव -		-तदैव-	1

1	2	3	4	5
14. महाराष्ट्र विधान मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अध्ययन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम।	2 से 3 मार्च, 1977		-	1
15. उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अध्ययन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम	14 से 21 मार्च, 1977		-	1
16. भारत तिब्बत सीमा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए परिचयात्मक पाठ्यक्रम।	14-3-1977	21-3-1977	6 दिन	26
17. द्रुत गति मुद्रण प्रक्रिया तथा आशुलेखन पाठ्यक्रम	21-3-1977	5-4-1977	दो सप्ताह	16
			योग :	649